ONLYIAS
BY PHYSICS WALLAH

उड़ान 500

प्रारंभिक परीक्षा 2023

करंट अफेयर्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन

भारतीय अर्थव्यवस्था

TABLE OF CONTENTS

1. **अर्थव्यवस्था की बुनियादी अवधारणाएँ 01-03**
   - चालू खाता घाटा
   - दोहरे घंटे की समस्या
   - श्रिन्कफ़्लेशन
2. **कृषि क्षेत्र 03-30**
   - पीएम-किसान
   - जीएम फसलों के लिए मसौदा नियम
   - बैंगनी क्रांति
   - कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना
   - सेफ्रन बाउल परियोजना
   - प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
   - एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल
   - लकड़ोंग हल्दी
   - भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना
   - सूरजमुखी
   - भारत का कृषि निर्यात
   - परब्वाइल चावल
   - बायोमास
   - जे फॉर्म
   - तरल नैनो यूरिया
   - प्लेटफार्म ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स
   - एमएसपी, प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण पर समिति
   - प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स)
   - ग्यारहवीं कृषि जनगणना
   - पीएम किसान सम्मान सम्मलेन 2022
   - एक राष्ट्र एक उर्वरक
   - सदन राइस ब्लैक-स्ट्रेक्ड ड्वार्फ वायरस
   - कुर्की
   - मोटे अंनाज
   - बाजरा निर्यात संवर्धन कार्यक्रम
   - प्राकृतिक रबर बागान
   - खुबानी
   - पीएम प्रमाण योजना
   - कृषि ऋण के लिए ब्याज अनुदान
   - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
   - गन्ना उत्पादन में उत्तर की ओर परिवर्तन
   - भारत का चीनी उद्योग
   - पोक्कली चावल
   - काला नमक चावल
   - चावल की बारहमासी किस्म
   - नई बासमती किस्में
   - एकीकृत पौध पोषण प्रबंधन विधेयक, 2022 का मसौदा
   - खाद प्रबंधन
   - जूट का उत्पादन
   - किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)
   - वर्चुअल एग्री-हैकाथॉन 2020
   - कृषि वानिकी पर उप-मिशन (एसएमएएफ)
3. **उद्योग और बुनियादी अवसंरचना 31-81**
   - कोर उद्योग
   - पीएम डिवाइन
   - देश विधेयक
   - भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम
   - पर्वतमाला योजना
   - पावरथॉन-2022
   - वंदे भारत ट्रेन

- क्षमता विकास योजना
- एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर राष्ट्रीय रणनीति
- बाजार अवसंरचना संस्थान
- समर्थ
- स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम
- राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) (NATIONAL LAND MONETIZATION CORPORATION)
- एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम (MSME INNOVATIVE SCHEME)
- राष्ट्रीय रेल योजना विजन 2030
- विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियां (SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANIES)
- चिकित्सा उपकरण मार्केटिंग प्रथाओं के लिए समान संहिता का मसौदा (DRAFT UNIFORM CODE FOR MEDICAL DEVICE MARKETING PRACTICES)
- भारतनेट परियोजना
- चिप्स टू स्टार्टअप (C2S) कार्यक्रम
- सागरमाला कार्यक्रम
- क्वालकॉम सेमीकंडक्टर मेंटरशिप प्रोग्राम
- राष्ट्रीय ओपन एक्सेस रजिस्ट्री
- नाविक ग्रैंड चैलेंज (NAVIC GRAND CHALLENGE)
- सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए नए दिशानिर्देश (NEW GUIDELINES FOR MICRO & SMALL ENTERPRISES CLUSTER DEVELOPMENT PROGRAMME)
- प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना (TECHNOLOGY DEVELOPMENT FUND SCHEME)
- भारत में नमक उद्योग (SALT INDUSTRY IN INDIA)
- व्यापार सुधार कार्य योजना (BUSINESS REFORMS ACTION PLAN)
- उद्यमी भारत कार्यक्रम (UDYAMI BHARAT PROGRAMME)
- राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT PROGRAMME)
- बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल : BUILD-OPERATE-TRANSFER (BOT) MODEL
- भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि योजना (INDIA INFRASTRUCTURE PROJECT DEVELOPMENT FUND SCHEME)
- ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) सिस्टम ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) SYSTEM
- भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2022 मसौदा (DRAFT INDIAN PORTS BILL, 2022)
- बिस्फेनॉल- सीएसआईआर-एनसीएल में एक पायलट प्लांट
- अफीम बाजार
- शेल कंपनी
- भारत का पहला लिथियम सेल संयंत्र

- भावनगर सीएनजी टर्मिनल
- क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया
- स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
- राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना ट्रस्ट (NHAI INVIT)
- भारत में कोयला
- सकल बिजली की खरीद के लिए योजना शुरू की गई
- सागर परिक्रमा
- वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर
- संशोधित वितरण क्षेत्र योजना
- हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस नियम
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन
- पीएम मित्र पार्क योजना
- भारतीय चाय संघ
- राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन
- व्यवसाय-20 (B20)
- डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना
- खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल)
- भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना-द्वितीय चरण
- एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना
- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई को प्रोत्साहन
- तापी-पार-नर्मदा नदी जोड़ो परियोजना
- भारत में अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) विनिर्माण (SEMICONDUCTOR MANUFACTURING IN INDIA)
- शून्य दोष शून्य प्रभाव (ZED) प्रमाणन योजना (ZERO DEFECT ZERO EFFECT (ZED) CERTIFICATION SCHEME)
- केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार (ROW) अनुमोदन के लिये "गतिशक्ति संचार" पोर्टल (GATI SHAKTI SANCHAR PORTAL FOR CENTRALIZED RIGHT OF WAY (ROW) APPROVALS)
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिककरण (पीएमएफएमई) योजना (PRADHAN MANTRI FORMALISATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISES (PMFME) SCHEME)
- ड्राफ्ट कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022 (DRAFT COFFEE (PROMOTION AND DEVELOPMENT) BILL, 2022)
- लैंडलॉर्ड बंदरगाह मॉडल (LANDLORD PORT MODEL)
- भारत में सोने (स्वर्ण) का खनन (GOLD MINING IN INDIA)
- भारत की उत्पादकता चुनौती (PRODUCTIVITY CHALLENGE OF INDIA)
- ड्राफ्ट कोयला लॉजिस्टिक नीति 2022 (DRAFT COAL LOGISTIC POLICY 2022)
- मार्ग पोर्टल (MAARG PORTAL)

- पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (THE EASTERN RAJASTHAN CANAL PROJECT)
- उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (NATIONAL PROGRAM ON ADVANCED CHEMISTRY CELL BATTERY STORAGE)
- राजस्थान पर्यटन इकाइयों को उद्योग का दर्जा / टैग (INDUSTRY TAG FOR RAJASTHAN TOURISM UNITS)
- महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE) (CII)
- खुला एकरेज/एकड़ (क्षेत्र) लाइसेंसिंग कार्यक्रम (OPEN ACREAGE LICENSING PROGRAMME)
- भंडारण (विकास और विनियमन) अधिनियम (WAREHOUSING (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT)
- सुपर वासुकी (SUPER VASUKI)

4. सेवा क्षेत्र 82-93

- डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए)
- ई-कॉमर्स का प्रचार और विनियमन
- व्यापार मंडल
- राष्ट्रीय रसद (लोजिस्टिक्स) नीति 2022
- मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी)
- ड्राफ्ट भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022
- प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022
- सामान्य नेटवर्क एक्सेस
- ड्राफ्ट विमान सुरक्षा नियम, 2022
- राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन
- डिजिटल इंडिया
- सेवा के रूप में सॉफ़्टवेयर (SAAS)
- धर्मशाला घोषणा
- SYMPHONE
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल)
- सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM)
- 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम

5. भारतीय बीमा बाजार 94-97

- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- ईपीएफओ विनिमय दरें 2020-21
- बीमा लोकपाल नियम 2017
- कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014
- उन्नत निर्यात क्रेडिट जोखिम बीमा कवर प्रदान करने की योजना
- अटल पेंशन योजना

6. नवत्तीय और सुरक्षा बाजार 98-118

- AT-1 बांड
- इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीद
- सारथी मोबाइल ऐप
- सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स)
- जमानत बॉण्ड
- प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ)
- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
- मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम
- फिनक्लुवेशन

- निधि कंपनियां
- विकास वित्तीय संस्थान
- एंकर निवेशक
- फ्रंट-रनिंग
- कानूनी इकाई पहचानकर्ता
- सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना
- पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स)
- गिफ्ट सिटी
- हाइब्रिड प्रतिभूतियां
- गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड
- डिजिटल ऋण मानदंड
- ब्लू बॉन्ड
- हेज फंड
- आईबीबीआई विनियमों में संशोधन
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी)
- ई-बिल
- एम दामोदरन समिति
- इंम्पैक्ट इनवेस्टिंग
- निवेशक दीदी
- सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज इंडिया लिमिटेड
- खुदरा प्रत्यक्ष योजना
- पैसिव फंड्स
- वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी)
- जल व्यापार
- सेबी ने कृषि उत्पादों में वायदा कारोबार पर रोक लगाई
- क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज
- फिनफ्लुएंसर

7. बैंकिंग क्षेत्र 119-134

- ऑफ़लाइन लघु-मूल्य ई-भुगतान
- अनुसूचित बैंक
- बैड बैंक
- परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां
- गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियां
- डिजिटल रुपया - केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)
- स्विफ्ट
- घरेलू प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक (डी-एसआईबीएस)
- मौद्रिक नीति समिति
- सूक्ष्म वित्तीय ऋणों के लिये आरबीआई का नियामक ढाँचा
- स्थायी जमा सुविधा
- डिजिटल बैंकिंग इकाइयां
- तरीके और साधन अग्रिम
- काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर (सीसीसीबी)
- भुगतान विजन 2025
- सहकारी बैंक
- आरबीआई ने रुपए में व्यापार निपटान की अनुमति दी
- बैंक धोखाधड़ी की जाँच हेतु रजिस्ट्री
- आई-बैंक
- कार्ड टोकनाइजेशन
- लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) खाते के माध्यम से उचित मूल्य
- दक्ष
- ऋण वसूली न्यायाधिकरण
- नियो बैंक
- बैंक-एनबीएफसी सह-उधार

- आरबीआई ने भुगतान बैंकों, एसएफबीएस को सरकारी एजेंसी का कारोबार करने की अनुमति दी
- न्यू अम्ब्रेला एंटिटी
- त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा
- मिस्ड कॉल पे

8. सार्वजनिक वित्त और कराधान ...135-151

- पूंजीगत लाभ कर
- ईंधन पर लगने वाले कर की दर
- विन्डफॉल टैक्स
- सेवा शुल्क
- राज्य और केंद्रीय करों एवं उद्ग्रहणों में छूट योजना
- बाह्य वाणिज्यिक उधार
- संक्रमणकालीन टैक्स क्रेडिट
- विदेशी मुद्रा भंडार
- वित्तीय मध्यस्थ निधि
- दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना
- सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क
- जीएसटी परिषद
- सकल घरेलू उत्पाद – सकल मूल्य संवर्धन में अंतर
- अंतरसंचालनीय विनियामक सैंडबॉक्स (आईओआरएस) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया
- नगरपालिका वित्तपोषण
- केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला को क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रयोगशाला का दर्जा देना
- रियायती कॉर्पोरेट कर व्यवस्था
- आईटीआर फॉर्म
- गूगल टैक्स
- सबका विश्वास (लैगेसी विवाद समाधान) योजना

9. बाह्य क्षेत्र.....152-167

- डंपिंग रोधी शुल्क
- विशेष आहरण अधिकार
- व्यापार रक्षा विंग
- विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम
- इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज
- रूल्स ऑफ ऑरिजिन
- इम्पॉसिबल ट्रिनिटी
- विदेशी मुद्रा प्रबंध(पारदेशीय निवेश) नियमावली
- यातायात पृथक्करण योजना
- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)
- डिजिटल सेवा अधिनियम
- जुड़वां संक्रमण
- वोस्त्रो खाता
- डूम लूप या अरक्षितता का चक्र'
- विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (एफआईएफपी)
- पुनर्कौशल क्रांति पहल
- निर्यात पोर्टल
- एशियन पाम ऑयल संघ (एपीओए)
- कोडेक्स एलिमेंटेरियस या खाद्य संहिता आयोग (सीएसी)
- ई-कॉमर्स में एफडीआई
- अमेरिका भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है

- ईपीसीजी योजनाः व्यापार को और सरल बनाना
- इरादतन चूक
- विदेश व्यापार नीति
- विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022
- विश्व पर्यटन बैरोमीटर
- यील्ड व्युत्क्रमण , सॉफ्ट-लैंडिंग और रिवर्स करेंसी वॉर

10. मानव एवं कौशल विकास.....167-174

- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कार्यक्रम
- "अवसर (AVSAR)" पहल
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
- ग्रामीण उद्यमी परियोजना
- पूर्व शिक्षण की मान्यता (RPL) कार्यक्रम
- राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्द्धन योजना (NAPS)
- ज़िला खनिज फाउंडेशन
- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना
- ई-श्रम पोर्टल
- शहरी रोजगार गारंटी योजना (UEGS)
- निपुण परियोजना

11. सतत विकास.....175-187

- जैव ऊर्जा फसलें
- इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम – हरित ऊर्जा गलियारा
- नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी
- एकीकृत जैव-शोधनशाला मिशन
- भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र
- इथेनॉल सम्मिश्रण नीति
- महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र
- बायोमास सह-प्रज्वलन
- मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति
- पूर्णतया हाइड्रोजन चलित ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा
- ग्रीन फिन्स हब
- उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम
- राष्ट्रीय हरित पत्तन और पोत परिवहन उत्कृष्टता केंद्र
- हरित वित्तपोषण ढांचा
- भारत की हरित जीडीपी
- मसौदा मानक राष्ट्रीय कार्य योजना (एसएनएपी) 2022
- फ्लेक्स-ईंधन वाहन
- सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम
- उज्जवल भारत उज्ज्वल भविष्य - पावर @ 2047

12. समावेशी विकास.....188-193

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
- जन समर्थ पोर्टल
- स्वनिधि से समृद्धि
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन
- उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना
- असम में संपर्क परियोजनाएं

13. महत्वपूर्ण सूचकांक और रिपोर्ट...193-206

- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
- आईसी15 क्रिप्टोकरेंसी सूचकांक
- निर्यात तत्परता सूचकांक 2021
- उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण
- भारत पेटेंट रिपोर्ट
- विश्व आर्थिक आउटलुक
- टाइम रिलीज अध्ययन
- भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट
- क्रय प्रबंधक सूचकांक
- विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक
- राज्य स्टार्टअप सूची
- वित्तीय समावेशन सूचकांक
- ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस
- मानव विकास रिपोर्ट
- वैश्विक नवाचार सूचकांक
- प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को प्रोत्साहित करना 2022
- विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक: रुझान 2022 रिपोर्ट
- भारत@100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप रिपोर्ट
- युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार रुझान 2022
- विश्व जनसंख्या संभावना 2022
- गरीबी और साझा समृद्धि 2022
- विभिन्न राज्यों में रसद(लॉजिस्टिक्स) सुगमता (लीड्स) 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट
- खाद्य और कृषि स्थिति रिपोर्ट 2022

14. विविध (MISCELLANEOUS)....206- 217

- इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज
- उड़न राख या फ्लाई ऐश
- एनआईपीईआर अनुसंधान पोर्टल
- अंगदिया
- आहार खाद्य मेला
- मूनलाइटिंग
- ऊर्जा निर्धनता
- यूनेस्को अभिलेखों में सूचीबद्ध वस्त्र
- भारत स्किल्स लर्निंग प्लेटफॉर्म
- जल टैक्सी सेवा
- आर्थिक विज्ञान (अर्थशास्त्र) में नोबेल पुरस्कार 2022
- स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन
- परवाज़
- रायथु भरोसा केंद्र
- भारत का 9वां हाइड्रोकार्बन बेसिन
- भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) व्यवस्था
- राष्ट्रीय आईपीआर नीति
- राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन
- समुद्रयान मिशन
- सहकार प्रज्ञा : सहकारी समितियों के लिए अच्छी प्रथाओं पर पुस्तिका

1. अर्थव्यवस्था की बुनियादी अवधारणाएँ (BASIC CONCEPTS OF ECONOMY)

चालू खाता घाटा (CURRENT ACCOUNT DEFICIT)

समाचार: हाल ही में, चालू खाता घाटा एक साल पहले के **0.9** प्रतिशत अधिशेष के मुकाबले; **36**-तिमाही के उच्च स्तर अर्थात सकल घरेलू उत्पाद के **3.4** प्रतिशत या **28.4** बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है।

इसके बारे में

- चालू खाता **देश में और देश से बाहर वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के प्रवाह** को मापता है।
- **CAD किसी देश का विदेशी लेन-देन दर्शाता है और पूंजी खाते की तरह, देश के भुगतान संतुलन** (BOP) **का एक घटक है।**
- यदि आयातित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्यात किए गए मूल्य से अधिक हो जाता है तो चालू खाते में घाटा होता है।
- एक राष्ट्र का चालू खाता **अन्य देशों के साथ देश के लेन-देन का रिकॉर्ड रखता है**, जिसमें ब्याज और लाभांश सहित शुद्ध आय और विदेशी सहायता जैसे अंतरण शामिल हैं।
- **सीएडी के घटक:**
  - वस्तुओं और,
  - सेवाओं का व्यापार, और
  - विदेशी निवेशों पर शुद्ध आय और एक निश्चित अवधि में भुगतानों का शुद्ध अंतरण, जैसे प्रेषण(remittances)।
- सीएडी को **जीडीपी के प्रतिशत** के रूप में मापा जाता है।
- इसके सूत्र हैं:
  - चालू खाता = व्यापार अंतराल + निवल करंट ट्रांसफर + विदेश में निवल आय
  - व्यापार अंतराल = निर्यात - आयात

उच्च सीएडी के कारण:

- मौजूदा विनिमय दर, उपभोक्ता खर्च स्तर, पूंजी प्रवाह, मुद्रास्फीति स्तर और प्रचलित ब्याज दर।
- भारत में चालू खाता घाटा के लिए, उच्च सीएडी हेतु कच्चे तेल और सोने का आयात प्राथमिक कारण हैं।

आशय:

- **चालू खाता घाटा एक अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक या नकारात्मक संकेतक हो सकता है** जो इस बात पर निर्भर करता है कि यह घाटा क्यों हो रहा है।
- यह **अल्पावधि में एक ऋणी राष्ट्र की मदद** कर सकता है, लेकिन दीर्घावधि में यह चिंता का विषय हो सकता है क्योंकि निवेशक अपने निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल को लेकर चिंताएं जताना शुरू कर देते हैं।

दोहरे घाटे की समस्या (TWIN DEFICIT PROBLEM)

समाचार: वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में वस्तुओं की उच्च कीमतों और बढ़ते सब्सिडी बोझ के साथ अर्थव्यवस्था में दोहरे घाटे की समस्या के फिर से उभरने की चेतावनी दी।

अर्थ:

- दोहरा घाटा **देश के चालू खाते के घाटे और साथ-साथ राजकोषीय घाटे** को संदर्भित करता है।

- **दोहरे घाटे के प्रभाव:**
  - अक्सर आर्थिक विकास के लिए प्रयोग किया जाता है, दोहरा-घाटा हमेशा हानिकारक नहीं होता है।
  - हालांकि, लंबी अवधि या उच्च घाटे के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय बचत दर कम हो सकती है, विदेशी उधार लागत में वृद्धि हो सकती है, ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है और विनिमय दरें निर्यात को अधिक महंगा बना सकती हैं, इत्यादि।

दोहरे घाटे को दूर करने के उपाय:

- गैर-कैपेक्स व्यय को युक्तिसंगत बनाना।
- **कड़ी मौद्रिक नीति के माध्यम से** राजकोषीय समेकन।
- आयात प्रतिस्थापन/कटौती, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन और गैर-आवश्यक वस्तुएं।
- प्रतिस्पर्धी निर्यात के लिए **रुपये का उचित मूल्यांकन**।
- **निरंतर पूंजी प्रवाह के लिए ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस सुधार।**

राजकोषीय घाटा (एफडी):

- यह खर्च की तुलना में सरकार की आय में कमी है।
- **एफडी के कारण:** खर्च में वृद्धि (जैसे, उर्वरक सब्सिडी), महामारी के कारण राजस्व में कमी, डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कटौती आदि।

श्रिंकफ्लेशन

समाचार: कंपनियाँ 'श्रिंकफ्लेशन'लागू करती हैं क्योंकि मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को प्रभावित करती है।

इसके बारे में

- श्रिंकफ्लेशन तब होता है **जब कोई उत्पाद, कीमत को समान रखते हुए इसकी मात्रा कम कर देता है**।
  - उदाहरण के लिए, एक कंटेनर में आइसक्रीम के स्कूप्स को कम करना या एक पैकेट में चिप्स की संख्या को कम करना श्रिंकफ्लेशन के रूप में गिना जाएगा।
- **श्रिंकफ्लेशन को व्यवसाय और शैक्षणिक अनुसंधान में पैकेज डाउनसाइज़िंग के रूप में भी जाना जाता है।**
- इस शब्द का कम सामान्य उपयोग **एक व्यापक/ समष्टि आर्थिक स्थिति को संदर्भित कर सकता है जहां अर्थव्यवस्था बढ़ती कीमत के स्तर का अनुभव करते हुए संकुचित हो रही है।**
  - यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी बाजारों में बड़े उत्पादक अपने मुनाफे को महत्वपूर्ण रूप से कम किए बिना अपने उत्पादों की प्रतिस्पर्धी कीमतों को बनाए रखने के लिए इस रणनीति पर भरोसा करते हैं।
- उसी समय, श्रिंकफ्लेशन अक्सर ग्राहक की हताशा और निर्माता के ब्रांड के संबंध में उपभोक्ता की भावना के बिगड़ने का कारण बन सकती है।

केंटिलोन प्रभाव:

यह इस विचार को संदर्भित करता है कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन लोगों के बीच क्रय शक्ति के पुनर्वितरण का कारण बनता है, वस्तुओं और सेवाओं की सापेक्ष कीमतों में व्यवधान होता है, और दुर्लभ संसाधनों का गलत आवंटन होता है।

कारण:

- **श्रिंकफ्लेशन तब होता है जब उत्पाद बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री या अवयव अधिक महंगे हो जाते हैं** और जब बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है।
- परिणामस्वरूप, कीमतें बढ़ाने के बजाय, वे अपने लाभ मार्जिन को बनाए रखने के लिए उत्पाद की मात्रा को कम कर सकते हैं।
- श्रिंकफ्लेशन भी विभिन्न तरीकों से हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि उपभोक्ताओं को पता है कि मात्रा लगातार घट रही है, तो वे ब्रांड बदल देंगे।

- **इसे रोकने के लिए, कोई उत्पाद अपनी कीमत बनाए रखते हुए सामग्री को सुधार सकता है या हटा सकता है।**
  - उदाहरण के लिए, कैडबरी डेयरी मिल्क ने खर्च बचाने के लिए फोइल का उपयोग करना बंद कर दिया, जिसका उपयोग चॉकलेट को उसकी गुणवत्ता और स्वाद खोने से रोकने के लिए किया जाता था।

द्रास्फीतिजनित मंदी:

- मुद्रास्फीतिजनित मंदी का अर्थ है-**एकसाथ कीमतों में वृद्धि और आर्थिक विकास के ठहराव की स्थिति**।
- इसे अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जहां **विकास दर धीमी हो जाती है**, **बेरोजगारी का स्तर लगातार उच्च रहता है और फिर भी उसी समय मुद्रास्फीति या मूल्य स्तर उच्च रहता है।**
- आम तौर पर कम विकास के माहौल में, सरकारें और केंद्रीय बैंक मांग पैदा करने के लिए सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर और ब्याज दरों को कम करके अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए काम करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, इन कार्यवाहियों से अक्सर कीमतों में वृद्धि और मुद्रास्फीति होती है। जिसके कारण, इन उपकरणों का उपयोग तब नहीं किया जा सकता जब मुद्रास्फीति पहले से ही उच्च है, जिससे **निम्न विकास-उच्च मुद्रास्फीति के जाल से बचना चुनौतीपूर्ण हो जाता** है।

2. कृषि क्षेत्र

पीएम-किसान

समाचार: भारत के प्रधानमंत्री; 1 **जनवरी,** 2022 **को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत** वित्तीय लाभ की **10**वीं किस्त जारी करेंगे।

इसके बारे में

- **फरवरी 2019** में लॉन्च किया गया।
- **प्रकार:** यह भारत सरकार से **100%** वित्त पोषण के साथ एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है।
- **द्वारा कार्यान्वित:** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।
- **विशेषताएं:** इस योजना के तहत, केंद्र तीन समान किश्तों में **प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि** सीधे सभी भूमिधारक किसानों के **बैंक खातों में** स्थानांतरित करता है, भले ही **उनकी भूमि का आकार कुछ भी हो**।
- **लाभार्थियों की पहचान:** लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की पूरी जिम्मेदारी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की है।

उद्देश्य:

- प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उचित उपज सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदानों की खरीद में **छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना।**
- उन्हें ऐसे खर्चों को पूरा करने के लिए **साहूकारों के चंगुल में पड़ने से बचाना और खेती की गतिविधियों में उनकी निरंतरता** सुनिश्चित करना।

जीएम फसलों के लिए मसौदा नियम

समाचार: किसानों के बीच काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)** के आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) खाद्य पर नियमों के मसौदे का विरोध कर, इसे "अस्वीकार्य" घोषित किया है।

इसके बारे में

- FSSAI ने जीएम खाद्य पदार्थों के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं।
- ये नियम आनुवंशिक **रूप से संशोधित जीवों (GMOs) या आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड जीवों (GEOs) या जीवित संशोधित जीवों (LMOs) पर लागू होंगे** जो खाद्य या प्रसंस्करण के लिए प्रत्यक्ष उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं।
- नियमों में ऐसे खाद्य उत्पाद शामिल होंगे जो खाद्य सामग्री या जीएमओ से प्राप्त प्रसंस्करण सहायता का उपयोग करके बनाए गए हों, भले ही अंतिम उत्पाद में जीएम सामग्री मौजूद न हो।

भारत में जीएमओ विनियमन:

- आयातित उपभोग्य सामग्रियों में जीएमओ स्तरों को विनियमित करने का कार्य शुरू में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) के पास था।
- इसमें इसकी भूमिका को **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधिनियमन के साथ कम कर दिया गया था और FSSAI को आयातित सामानों की मंजूरी लेने के लिए कहा गया था।**

मुख्य प्रावधान:

- पूर्व प्राधिकार के बिना, कोई भी आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (जीएमओ) से प्राप्त किसी भी खाद्य पदार्थ या सामग्री का उत्पादन या विपणन नहीं कर सकता है।
- उन मानकों का निर्धारण जिनका जीएम खाद्य पदार्थों का परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाओं को पालन करना चाहिए।
- शिशु खाद्य उत्पादों में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों या आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड जीवों को एक अवयव के रूप में "उपयोग नहीं करना चाहिए"।
- 1% या एक प्रतिशत से अधिक GMO सामग्री वाले खाद्य उत्पादों के लिए लेबलिंग मानदंड।

एफएसएसएआई के बारे में

- **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण** (FSSAI) **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम**, 2006 (FSS **अधिनियम) के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय** है।
- **FSSAI** एक **स्वायत्त निकाय** है।
- **FSSAI** का **प्रशासनिक** मंत्रालय **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** है।
- **FSSAI** खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए जिम्मेदार है।
- **मुख्यालय नई दिल्ली में**।

बैंगनी क्रांति

- **समाचार:** एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, **"पर्पल क्रांति"**, जम्मू-कश्मीर **का "स्टार्ट-अप इंडिया"** में योगदान है।

इसके बारे में

- भारत में "बैंगनी क्रांति" वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के माध्यम से **केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अरोमा मिशन का परिणाम** है।
- 'बैंगनी क्रांति' में **कश्मीर हिमालय** में एक नई **सुगंधित फसल के रूप में लैवेंडर** की खेती शामिल है।

- **CSIR** ने अपनी जम्मू स्थित प्रयोगशाला, भारतीय समवेत औषध संस्थान/Indian Institute of Integrative Medicines (**IIIM**) के माध्यम से कई जिलों में खेती के लिए **उच्च क्षमता वाली महत्वपूर्ण तेल वाली लैवेंडर फसलों** की शुरुआत की।
- **जिले:** डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, रामबन, पुलवामा, आदि।
- पहली बार आने वाले किसानों को मुफ्त में लैवेंडर के पौधे दिए गए और जिन्होंने पहले लैवेंडर की खेती की है उनसे **5-6** रु. प्रति पौधा शुल्क लिया गया।
- फूलों से निकाला गया सुगंधित तेल **10,000** रुपये प्रति किलो से अधिक में बिक सकता है।
- किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए **IIIM**-जम्मू से मदद मिलेगी।
- **वर्तमान में, बड़े पैमाने पर लैवेंडर की खेती जम्मू और कश्मीर तक सीमित है,** लेकिन हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सरकारें अपने किसानों को लैवेंडर की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना

समाचार: **केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** ने कृषि क्षेत्र के हितधारकों के लिए ड्रोन तकनीकी को किफायती बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन के तहत जारी किए गए हैं

मुख्य दिशानिर्देश:

- ड्रोन की खरीद के लिए कृषि **ड्रोन की लागत का 100% तक अनुदान या रु. 10 लाख, जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जाएगा।**
- लेकिन यह अनुदान **केवल फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तक ही सीमित** होगा।
- **किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)** किसानों के खेतों पर प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन की लागत का 75% तक अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- **कार्यान्वयन एजेंसियों को 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर का आकस्मिक व्यय प्रदान किया जाएगा** जो ड्रोन खरीदना नहीं चाहते हैं लेकिन कस्टम हायरिंग सेंटर, हाई-टेक हब, ड्रोन निर्माता और स्टार्ट-अप से प्रदर्शन के लिए ड्रोन किराए पर लेंगे।
  - हालांकि, अगर वे प्रदर्शनों के लिए ड्रोन खरीद रहे हैं तो उन्हें प्रति हेक्टेयर केवल 3,000 रुपये मिलेंगे।
- **कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापित करने वाले कृषि स्नातक** ड्रोन और उसके अटैचमेंट की मूल लागत का 50% या ड्रोन खरीद के लिए ₹5 लाख तक का अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- **किसानों की सहकारी समिति, एफपीओ और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा स्थापित मौजूदा कस्टम हायरिंग सेंटर ड्रोन की मूल लागत पर अनुदान के रूप में 40% (अधिकतम ₹4 लाख) प्राप्त करने के पात्र** हैं। वित्तीय सहायता मार्च 2023 के अंत तक उपलब्ध कराई जानी है।
- **अनुप्रयोग:** फसल सुरक्षा के लिए कीटनाशकों के छिडकाव हेतु ड्रोन का उपयोग किया जाना है। कीटनाशकों का उपयोग कृषि क्षेत्रों, गैर-फसली क्षेत्रों और वानिकी में किया जाएगा। साथ ही, ड्रोन का उपयोग फसल पोषक तत्वों और मिट्टी में पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किया जाएगा।

सेफ्रन बाउल परियोजना

समाचार: नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच (NECTAR) ने सेफ्रन बाउल परियोजना के तहत अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में केसर की खेती के लिए कुछ स्थानों की पहचान की है।

इसके बारे में

- भारत का **सेफ्रन बाउल**, जो अब तक कश्मीर के कुछ हिस्सों तक ही सीमित था, अब NECTAR के प्रयासों के माध्यम से उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में फैल चुका है।
- **पंपोर क्षेत्र**, **जिसे आमतौर पर कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है**, केसर उत्पादन में मुख्य योगदानकर्ता है।
  - केसर पैदा करने वाले अन्य जिलों में बडगाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ जिले हैं।
- **2020** में, **कश्मीर केसर को भौगोलिक संकेत** (GI) **टैग का दर्जा** मिला।
- **नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच** (**NECTAR**) ने केसर बाउल प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या समान गुणवत्ता वाले क्षेत्रों में केसर उगाना संभव है।
  - सेफ्रन बाउल, जो पहले कश्मीर तक सीमित था, अब इसका पूर्वोत्तर में विस्तार किया जा रहा है।
- **NECTAR** ने **अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में केसर की खेती के लिए कुछ स्थानों की पहचान** की है।
  - अरुणाचल प्रदेश में फूलों के साथ जैविक केसर की अच्छी पैदावार होती है।
  - मेघालय में, नमूना वृक्षारोपण चेरापूंजी, मवसई और लालिंगटॉप साइटों पर किए गए थे।

केसर उत्सव

- कश्मीर पर्यटन विभाग ने छात्रों और स्थानीय किसानों को पम्पोर में आयोजित केसर उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जिसमें केसर की खेती की पूरी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया।
- कश्मीर की पंपोर केसर विरासत भी भारत में विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों (**GIAHS**) द्वारा मान्यता प्राप्त स्थलों में से एक है।

नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच (**NECTAR**)

- **नेक्टर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित एक स्वायत्त सोसाइटी** है।
- यह केंद्र, केंद्रीय वैज्ञानिक विभागों और संस्थानों के पास उपलब्ध निकेत सीमांत प्रौद्योगिकियों का उपयोग और लाभ उठाने पर ध्यान देता है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र की सहायता के लिए, **NECTAR** जैव विविधता चिंताओं, वाटरशेड प्रबंधन, टेलीमेडिसिन, बागवानी, आदि के क्षेत्रों में विकास के लिए उपयुक्त तकनीकों के अनुप्रयोग को सुनिश्चित करता है।
- **मुख्यालय:** शिलांग, मेघालय।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

समाचार: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में कुल 21,86,918 किसान पंजीकृत हैं।

इसके बारे में

- **प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएमकेएमवाई)** छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।
- **उद्देश्य:** पेंशन के माध्यम से एसएमएफ को वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे लागू किया जा रहा है।
- इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र एसएमएफ को **कुछ अपवर्जन खंडों के अधीन**, 3,000/- रुपये की न्यूनतम निश्चित पेंशन के भुगतान के लिए प्रावधान किया गया है।

पात्रता	• लाभार्थी **एक छोटा और सीमांत किसान** होना चाहिए।

	• उनके पास **2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि** होनी चाहिए। • योजना की **प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष** है। • लाभार्थी को किसी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे कि एनपीएस, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना आदि के तहत शामिल एसएमएफ नहीं होना चाहिए। • उन्हें **श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना का विकल्प नहीं** चुनना चाहिए। • उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की श्रेणियों से नहीं होना चाहिए।
योगदान	• पात्र लाभार्थी पेंशन फंड की सदस्यता लेकर योजना का सदस्य बनने का विकल्प चुन सकता है। • लाभार्थी को **29 वर्ष की औसत प्रवेश आयु पर 100/- रुपये प्रति माह का योगदान करना आवश्यक** है। • केंद्र सरकार भी समान मात्रा में जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित पेंशन फंड में योगदान करती है, जो पेंशन भुगतान के लिए भी जिम्मेदार है।
दर्जा	• चूंकि योजना की प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष है, इसलिए किसी भी लाभार्थी ने अभी तक भुगतान के लिए पात्र होने के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल

समाचार: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) के साथ एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल के एकीकरण का आह्वान किया है।

इसके बारे में

- ओडीओपी, **प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना (पीएमएफएमई) योजना के तहत अपनाया गया एक दृष्टिकोण** है।
- यह योजना **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती** है।
- इसका उद्देश्य बिक्री बढ़ाने और स्थानीय आबादी के जीवन स्तर में सुधार के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र से प्रतिस्पर्धी और मुख्य उत्पाद को बढ़ावा देना है।
- **यह मूल रूप से एक जापानी व्यवसाय विकास अवधारणा है।**
- **भारत में, उत्तर प्रदेश 2018 में इस अवधारणा शुरू करने वाला पहला राज्य था।**
- यह **मूल्य श्रृंखला विकास और पीएमएफएमई योजना के समर्थन बुनियादी ढांचे** के संरेखण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा। एक जिले में ओडीओपी उत्पादों के एक से अधिक क्लस्टर हो सकते हैं।
  - एक राज्य में एक से अधिक निकटवर्ती जिलों से मिलकर ओडीओपी उत्पादों का क्लस्टर हो सकता है।
- राज्य मौजूदा क्लस्टर और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जिलों के लिए खाद्य पदार्थों की पहचान करेंगे।
- ओडीओपी खराब होने वाली उपज, अनाज या किसी क्षेत्र में व्यापक रूप से उत्पादित खाद्य उत्पाद पर आधारित हो सकता है। आम, आलू, अचार, बाजरा आधारित उत्पाद, समुद्री भोजन, पोल्ट्री आदि इसके कुछ उदाहरण हैं।
- **वेस्ट-टू-वेल्थ उत्पादों** सहित कुछ अन्य पारंपरिक और नवोन्मेषी उत्पादों को योजना के तहत समर्थन दिया जा सकता है।

- **उदाहरण के लिए,** शहद, आदिवासी क्षेत्रों में लघु वन उत्पाद, पारंपरिक भारतीय हर्बल खाद्य पदार्थ जैसे हल्दी, आंवला, आदि।

लकडोंग हल्दी

समाचार: पहली बार, मेघालय से देश के अन्य हिस्सों में लाकाडोंग हल्दी के परिवहन के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया था, जिसका उद्देश्य दूरदराज के इलाकों से किसानों के पहले-मील कनेक्टिविटी के मुद्दों को हल करना था।

इसके बारे में

- वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) के तहत लकडोंग हल्दी की पहचान की गई है।
- ओडीओपी **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की एक पहल** है।
- इसकी पहचान मेघालय के एक जिले **वेस्ट जयंतिया हिल्स से विकास और निर्यात की बड़ी संभावना वाले उत्पाद** के रूप में की गई है।
- इस हल्दी में उच्चतम करक्यूमिन सामग्री **7-9% है (अन्य किस्मों में 3% या उससे कम की तुलना में)।**
- मेघालय ने लकडोंग हल्दी के लिए भौगोलिक संकेत टैग के लिए भी आवेदन किया है।

भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना

समाचार: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने राज्यसभा को भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) योजना के बारे में जानकारी दी है।

के बारे में

- इसे 2020-21 के दौरान **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च** किया गया है
- **यह केंद्र प्रायोजित योजना - परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत एक उप-मिशन है।**
- **उद्देश्य:** परंपरागत स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना जो किसानों को बाहरी रूप से खरीदे गए आदानों से स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - यह योजना मुख्य रूप से **सभी सिंथेटिक रासायनिक आदानों के बहिष्करण पर ध्यान केंद्रित** करती है और बायोमास मल्चिंग, गाय के गोबर-मूत्र के उपयोग और अन्य पौधों पर आधारित तैयारियों पर जोर देने के साथ ऑन-फार्म बायोमास रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देती है।
  - क्लस्टर गठन, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा निरंतर सहायता, प्रमाणन और अवशेष विश्लेषण के लिए **बीपीकेपी के तहत, 3 साल के लिए 12200/हेक्टेयर रुपये की वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
  - **योजना की उपलब्धियां: अब तक** प्राकृतिक खेती के तहत 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।
  - आंध्र प्रदेश सरकार बीपीकेपी के तहत प्राकृतिक खेती के अंतर्गत 1.0 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अग्रणी है।

सूरजमुखी

समाचार: हाल ही में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय देश में सूरजमुखी के क्षेत्र और उत्पादन को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

इसके बारे में

- वैज्ञानिक नाम: **हेलियनथस एनुअस एल.**
- सूरजमुखी भारत में **एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल** है, जिसे **"सूरजमुखी"** के नाम से जाना जाता है।
- इसे सूरजमुखी के रूप में जाना जाता है क्योंकि **यह दिन में सूर्य का अनुसरण करता है, हमेशा इसकी सीधी किरणों की ओर मुड़ता है।**

- विश्व में सूरजमुखी **वनस्पति तेल का एक प्रमुख स्रोत** है।
- इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के खाना पकाने के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सूरजमुखी के बीज में लगभग **48-53% खाद्य तेल** होता है।
- **यूक्रेन सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक** है। यूक्रेन और रूस मिलकर वैश्विक सूरजमुखी तेल उत्पादन और निर्यात का लगभग **60% हिस्सा** धारण करते हैं।
- **भारत में सूरजमुखी उत्पादन राज्य:** भारत में, सूरजमुखी मुख्य रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में उगाई जाती है।

भारत का कृषि निर्यात

समाचार: वर्ष 2021-22 के लिए भारत के कृषि उत्पादों (समुद्री और रोपण उत्पादों सहित) का निर्यात 50 बिलियन डॉलर को पार कर गया है।

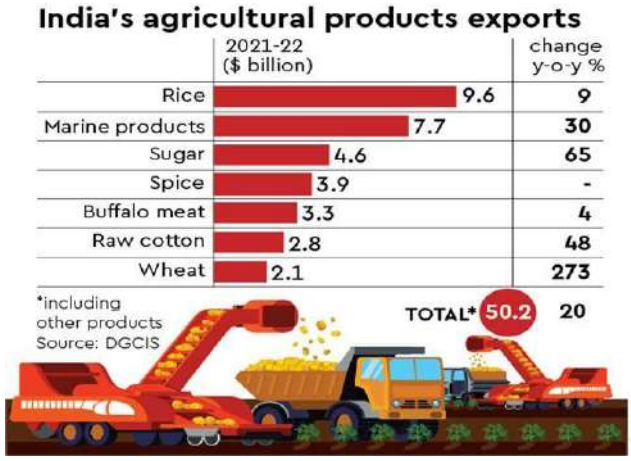

इसके बारे में

- **2021-22 के दौरान कृषि निर्यात 19.92% बढ़कर $50.21 बिलियन हो गया** है। यह कृषि निर्यात के लिए अब तक का उच्चतम स्तर है।
- यह निर्यात वृद्धि ज्यादातर चावल, गेहूं, समुद्री उत्पादों, चीनी, भैंस के मांस और कच्चे कपास के शिपमेंट में वृद्धि के कारण हासिल की गई है।
- **उदाहरण के लिए:**
  - गेहूं ने 273% से अधिक की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है।
  - चावल में, **भारत ने विश्व चावल बाजार के लगभग 50% पर कब्जा कर लिया** है।
  - 0 **समुद्री उत्पादों का निर्यात भी** तटीय राज्यों में किसानों को अब तक का सबसे अधिक लाभ पहुँचाने वाला है।
  - 0 **मसालों का निर्यात भी लगातार दूसरे वर्ष 4 बिलियन अमरीकी डॉलर** को छू गया है।
  - 0 इसके अलावा, जबरदस्त आपूर्ति-पक्ष के मुद्दों का सामना करने के बावजूद, **कॉफी निर्यात पहली बार 1 बिलियन अमरीकी डालर को पार कर गया है।**

गेहूं का निर्यात:

- रूस और यूक्रेन का वैश्विक गेहूं निर्यात में लगभग एक-तिहाई का योगदान है।
- **मिस्र दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं आयातक है।**
- **गेहूं निर्यात में भारत: 2020 में दुनिया के कुल उत्पादन में लगभग 14.14% की हिस्सेदारी के साथ भारत गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** है।

कृषि निर्यात नीति:

- **2018** में **एक व्यापक कृषि निर्यात नीति लाई गई है**, जिसमें कृषि निर्यात उन्मुख उत्पादन, निर्यात प्रोत्साहन और भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में सामंजस्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **उद्देश्य:**
  - हमारे निर्यात टोकरी, गंतव्यों में विविधता लाने और उच्च मूल्य को बढ़ावा देने के लिए और
  - खराब होने वाली वस्तुओं पर ध्यान देने सहित मूल्य वर्धित कृषि निर्यात।
  - नए, स्वदेशी, जैविक, जातीय, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।

- बाजार पहुंच को आगे बढ़ाने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना,
- बाधाओं से निपटना और सैनिटरी और फाइटोसैनेटिक मुद्दों से निपटना।
- एकीकरण करके विश्व कृषि-निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करने का प्रयास करना
- वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं।
- किसानों को विदेशी बाजारों में निर्यात के अवसरों से लाभान्वित होने में सक्षम बनाना।

परब्वाइल चावल

समाचार: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने समान धान खरीद नीति की मांग को लेकर तेलंगाना हाउस में धरना दिया। यह विरोध प्रदर्शन, केंद्र द्वारा ऐसा कहे जाने के बाद आया जिसमें वह अतिरिक्त परब्वाइल चावल की खरीद बंद कर रहा है, जिसका एक प्रमुख उत्पादक तेलंगाना है।

इसके बारे में

- परब्वाइल चावल **उस चावल को संदर्भित करता है जिसे मिल में जाने से पहले धान की अवस्था में आंशिक रूप से उबाला जाता** है।
- **परब्वाइल चावल कोई नई प्रथा नहीं है और प्राचीन काल से भारत में इसका पालन किया जाता रहा है।**
- परब्वाइल चावल की कई प्रक्रियाएँ हैं।
- **धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र (पीपीआरसी), तंजावुर** क्रोमेट सोखने की प्रक्रिया के रूप में जानी जाने वाली एक विधि का पालन करता है।
- सभी प्रक्रियाओं में **आम तौर पर तीन चरण शामिल होते हैं—भिगोना, भाप देना और सुखाना**। इन अवस्थाओं से गुजरने के बाद धान मिलिंग के लिए जाता है।

लाभ	• हल्का उबालने से चावल सख्त हो जाते हैं। इससे मिलिंग के दौरान चावल के दानों के टूटने की संभावना कम हो जाती है। • हल्का उबालने से चावल का पोषक मान भी बढ़ जाता है। • तीसरा, परब्वाइल चावल में कीड़ों और कवक के लिए उच्च प्रतिरोध होता है।
कमियां	• लंबे समय तक भिगोने के कारण चावल गहरे रंग के हो जाते हैं और उनसे बदबू आ सकती है। • इसके अलावा, एक कच्चे चावल की मिलिंग इकाई की तुलना में एक परब्वाइल चावल मिलिंग इकाई की स्थापना के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता होती है।

चावल की फसल के बारे में:

- भारत में अधिकांश आबादी के लिए चावल एक मुख्य भोजन है।
- यह एक खरीफ फसल है जिसके लिए **उच्च तापमान** (25 **डिग्री सेल्सियस से ऊपर) और 100 सेमी से ऊपर वार्षिक वर्षा के साथ उच्च आर्द्रता** की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई की सहायता से उगाया जाता है।
- **दक्षिणी राज्यों और पश्चिम बंगाल में**, जलवायु परिस्थितियाँ एक कृषि वर्ष में चावल की दो या तीन फ़सलों की खेती की अनुमति देती हैं।
  - पश्चिम बंगाल में किसान चावल की तीन फसलें उगाते हैं जिन्हें '**औस**', '**अमन**' **और** '**बोरो**' कहा जाता है।
- भारत में कुल फसली क्षेत्र का लगभग एक-चौथाई चावल की खेती के अधीन है।
  - **प्रमुख उत्पादक राज्य:** पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब।
  - **उच्च उपज वाले राज्य:** पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल।
- **चीन के बाद भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** है।

बायोमास

समाचार: भारत (कुरुक्षेत्र, हरियाणा) में एक नई बायोमास-आधारित बॉयलर तकनीकी शुरू की गई थी, जो सभी प्रकार के कृषि अवशेषों को ईंधन के रूप में समायोजित करने का दावा करती है और यह हरित होने के साथ ही पराली जलाने के बोझ को कम करने में भी मदद कर सकती है।

इसके बारे में

- बायोमास अक्षय जैविक सामग्री है जो पौधों और जानवरों से आती है।
- **उपयोग:** बायोमास का उपयोग सुविधा हीटिंग, विद्युत ऊर्जा उत्पादन और संयुक्त ताप और बिजली के लिए किया जाता है।
- **विद्युत् में परिवर्तन करने के तरीके:** बायोमास को कई तरीकों से बिजली में बदला जा सकता है -
  - **बायोमास सामग्री का दहन:** बायोमास सामग्री का प्रत्यक्ष दहन सबसे आम है, जैसे कि कृषि अपशिष्ट या काष्ठ सामग्री।
  - **गैसीकरण**: गैसीकरण पूर्ण दहन के लिए आवश्यकता से कम ऑक्सीजन के साथ बायोमास को गर्म करके प्रयोग करने योग्य ऊर्जा सामग्री के साथ एक संश्लेषण गैस का उत्पादन करता है।
  - **पायरोलिसिस**: ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोमास को तेजी से गर्म करके पायरोलिसिस जैव-तेल का उत्पादन करता है।
  - **अवायवीय पाचन:** अवायवीय पाचन एक अक्षय प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थ का अपघटन किया जाता है।
- **लाभ:** कई अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों की तुलना में, बायोमास में प्रेषणीयता का लाभ है, जिसका अर्थ है कि यह नियंत्रणीय है और आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध है।

नई बायोमास आधारित बॉयलर तकनीकी

- नए बॉयलर की क्षमता **75 टन प्रति घंटा थी और यह 15 मेगावाट बिजली पैदा करता था**।
- **यह नई डेनमार्क-आधारित तकनीकी** संयंत्र को कम ईंधन तैयारी और हैंडलिंग के साथ ईंधन की एक विस्तृत श्रृंखला को अग्नि दहन की अनुमति देती है।
  - यह दहन तकनीकी वाइब्रेटिंग ग्रेट के कारण लाभप्रद है।
  - भाप बायलर की जाली भट्टी में ठोस ईंधन को सहारा देती है।
  - वाइब्रेटिंग ग्रेट हर घनत्व के बायोमास को समायोजित करता है।
- हालांकि, ईंधन में नमी की मात्रा **15-20%** होनी चाहिए।
- चूंकि वाइब्रेटिंग ग्रेट किसी भी आकार के कृषि अवशेषों को जलाने में मदद करता है, इसलिए यह ऊर्जा उत्पादन के लिए बायोमास को संसाधित करने में लगने वाली ऊर्जा की बचत करता है।

जे फार्म (J FORM)

समाचार: पंजाब इस रबी खरीद सीजन से किसानों को वास्तविक समय में "डिजिटाइज्ड फॉर्म जे" प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य होगा।

इसके बारे में

- **'जे फॉर्म' मंडियों (अनाज बाजार) में किसान की कृषि उपज की बिक्री रसीद है** जो अपनी फसल बेचने वाले किसान के लिए आय प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
- ये फॉर्म पहले आढ़तियों (कमीशन एजेंटों) द्वारा मैन्युअल रूप से जारी किए जाते थे।
- इसका उपयोग वित्त जुटाने, आईटी छूट, सब्सिडी दावों, किसानों के बीमा आदि के लिए किया जा सकता है।

- यह राज्य में गेहूं और धान दोनों फसलों के लिए खेती योग्य भूमि के रिकॉर्ड के रूप में कार्य करेगा।
- जे फॉर्म को डिजिलॉकर में भी स्टोर किया जा सकता है।

तरल नैनो यूरिया

समाचार: प्रधानमंत्री ने गुजरात के कलोल में देश के पहले तरल नैनो यूरिया संयंत्र का आधिकारिक उद्घाटन किया है।

इसके बारे में

- कलोल में **भारतीय किसान उर्वरक सहकारी (इफको) के नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र (एनबीआरसी) द्वारा विकसित।**
- यह **नैनोपार्टिकल के रूप में आवश्यक यूरिया** है।
- यूरिया सफेद रंग का रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है, कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है, जो पौधों के लिए आवश्यक एक प्रमुख पोषक तत्व है।
- **उद्देश्य:** इसे यूरिया सब्सिडी के बोझ को कम करने, पारंपरिक यूरिया के असंतुलित और अंधाधुंध उपयोग को कम करने, फसल की उत्पादकता बढ़ाने और मिट्टी, पानी और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विकसित किया गया है।

तरल नैनो यूरिया के लाभ:

- **उच्च दक्षता:** जबकि **पारंपरिक यूरिया की दक्षता लगभग 25% है, तरल नैनो यूरिया की दक्षता 85-90% तक हो सकती है।**
- **पौधे द्वारा सीधे अवशोषित हो जाती है:** पारंपरिक यूरिया फसलों पर वांछित प्रभाव डालने में विफल रहता है क्योंकि इसे अक्सर गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है और इसमें मौजूद नाइट्रोजन वाष्पीकृत हो जाती है या गैस के रूप में मुक्त हो जाती है।
- दूसरी ओर, **तरल नैनो यूरिया का सीधे पत्तियों पर छिड़काव** किया जाता है और पौधे द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है।
- **उच्च शेल्फ लाइफ:** लिक्विड नैनो यूरिया की शेल्फ लाइफ एक साल होती है और किसानों को नमी के संपर्क में आने पर "केकिंग" के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है।
- **यूरिया सब्सिडी का कोई बोझ नहीं:** इफको द्वारा उत्पादित तरल नैनो यूरिया 240 रुपये की कीमत के साथ आधा लीटर की बोतल में आती है, और इसमें वर्तमान में सब्सिडी का कोई बोझ नहीं है। इसके विपरीत, एक किसान भारी सब्सिडी वाले यूरिया के 50 किलोग्राम बैग के लिए लगभग 300 रुपये का भुगतान करता है।

प्लेटफार्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स

समाचार: हाल ही में, **केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कर्नाटक के बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के साथ-साथ राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) के तहत प्लेटफार्म ऑफ प्लेटफॉर्म (पीओपी)** का शुभारंभ किया।

इसके बारे में

- इसे **राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) के तहत** लॉन्च किया गया है।
- **उद्देश्य:** इस प्लेटफार्म का उद्देश्य कृषि उपज के व्यापार और विपणन को बढ़ावा देना है जिसमें किसानों को उनकी राज्य की सीमाओं के बाहर उपज बेचने की सुविधा होगी।
- **विशेषताएं: e-NAM** सेवा प्रदाताओं के प्लेटफ़ॉर्म को "प्लेटफार्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स" के रूप में एकीकृत करता है जिसमें लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, गुणवत्ता आश्वासन सेवा प्रदाता, वेयरहाउसिंग सुविधा सेवा प्रदाता और अन्य सेवाएँ जैसे ई-कॉमर्स, अंतर्राष्ट्रीय कृषि-व्यवसाय प्लेटफ़ॉर्म, वस्तु विनिमय, निजी बाजार मंच शामिल है।

एमएसपी, प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण पर समिति

समाचार: भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (**MSP**), प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक समिति का गठन किया है।

इसके बारे में

- अध्यक्षता पूर्व कृषि सचिव **संजय अग्रवाल** ने की।

समिति के उद्देश्य:

- **कृषि विपणन प्रणाली पर:** यह घरेलू उत्पादन और निर्यात का लाभ उठाकर किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्यों के माध्यम से उच्च मूल्य सुनिश्चित करने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विपणन के लिए काम करेगा।
- **प्राकृतिक खेती पर:** यह मूल्य श्रृंखला विकास, प्रोटोकॉल सत्यापन और भविष्य की जरूरतों के लिए अनुसंधान और भारतीय प्राकृतिक कृषि प्रणाली के तहत क्षेत्र विस्तार के लिए समर्थन हेतु कार्यक्रमों और योजनाओं का सुझाव देगा।
- **फसल विविधीकरण पर:** यह उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों के मौजूदा फसल पैटर्न के मानचित्रण पर ध्यान देगा।
- **समीक्षा और सुझाव:** सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं पर।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां/ PRIMARY AGRICULTURAL CREDIT SOCIETIES (पैक्स)

समाचार: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने **लगभग 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को डिजिटाइज़ करने की मंजूरी दी।**

इसके बारे में

- PACS **जमीनी स्तर की सहकारी ऋण संस्थाएँ** हैं जो किसानों को विभिन्न कृषि और कृषि गतिविधियों के लिए **अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि ऋण** प्रदान करती हैं।
  - यह **तृणमूल स्तर** पर ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर काम करता है।
- पहली प्राथमिक कृषि साख समिति (PACS) का गठन **1904** में किया गया था।
- **सहकारी बैंकिंग प्रणाली के आधार पर काम कर रहे** पैक्स ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लघु अवधि और मध्यम अवधि के ऋण के प्रमुख खुदरा आउटलेट का गठन करते हैं।
- PACS **त्रि-स्तरीय संरचना में सबसे निचली इकाई है**: अन्य दो स्तरों - राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB) - को नाबार्ड द्वारा पहले ही स्वचालित कर दिया गया है और सामान्य बैंकिंग सॉफ़्टवेयर (CBS) के तहत लाया गया है।

उद्देश्य:

- ऋण सृजित करने और सदस्यों की आवश्यक गतिविधियों का समर्थन करने के उद्देश्य से पूंजी जुटाना।
- सदस्यों की बचत आदत में सुधार लाने के लक्ष्य के साथ उनसे जमाराशियाँ एकत्र करना।
- उचित मूल्य पर सदस्यों को कृषि आदानों और सेवाओं की आपूर्ति करना।
- सदस्यों के लिए पशुधन की उन्नत नस्लों की आपूर्ति और विकास की व्यवस्था करना।
- सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि पर सिंचाई में सुधार के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करना।
- आवश्यक आदानों और सेवाओं की आपूर्ति के माध्यम से विभिन्न आय-सृजन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

11वीं कृषि जनगणना

समाचार: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने देश में **ग्यारहवीं कृषि जनगणना** (2021-22) **का शुभारंभ कर दिया है।**

इसके बारे में

- **11**वीं कृषि जनगणना **स्मार्ट फोन और टैबलेट का उपयोग कर डेटा एकत्र करने वाली पहली जनगणना** होगी।
- अगस्त **2022** से ग्यारहवीं कृषि जनगणना (**2021-22)** के लिए फील्डवर्क आयोजित किया जाएगा।
- कृषि जनगणना **कई मापदंडों पर डेटा का प्राथमिक स्रोत** है, जिसमें परिचालन जोतों की मात्रा और आकार, वर्ग के आधार पर उनका वितरण, उनकी भूमि का उपयोग, उनकी काश्तकारी व्यवस्था, उनके फसल के पैटर्न आदि शामिल हैं।
- कृषि जनगणना में डेटा संग्रह की मूल इकाई **परिचालन जोत** है।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत **कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा हर** 5 **साल में कृषि जनगणना की जाती है।**
- जनगणना का **पहला संस्करण 1970-71** में आयोजित किया गया था।
- जनगणना का **दसवां संस्करण संदर्भ वर्ष 2015-16** के साथ आयोजित किया गया था।

पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022

समाचार: पीएम मोदी ने 17 अक्टूबर को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में दो दिवसीय कार्यक्रम **"पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022"** का उद्घाटन किया।

कार्यक्रम में शुरू की गई पहलें:

- **600 प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके):** रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत उद्घाटन किया गया। योजना के तहत देश में उर्वरक खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से पीएमकेएसके में बदला जाएगा।
- **प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना - एक राष्ट्र एक उर्वरक** का शुभारंभ किया गया। **इस योजना के तहत**, प्रधान मंत्री ने भारत यूरिया बैग लॉन्च किया, जो कंपनियों को एकल ब्रांड नाम "भारत" के तहत उर्वरक बाजार में मदद करेगा।
- पीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए **16,000 करोड़ रुपये की 12वीं किस्त की राशि भी जारी कर दी।**

○ योजना के तहत,पात्र किसान परिवारों को 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6000 रु. प्रति वर्ष का लाभ प्रदान किया जाता है।

○ पात्र कृषक परिवारों को अब तक पीएम-किसान के तहत 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिल चुका है।

- **'इंडियन एज', उर्वरक पर एक ई-पत्रिका, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक परिदृश्यों पर जानकारी प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी**, जिसमें हाल के विकास, मूल्य रुझान विश्लेषण, उपलब्धता और खपत, किसानों की सफलता की कहानियां, शामिल हैं।

एक राष्ट्र एक उर्वरक

समाचार: रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने घोषणा की है कि "प्रधानमंत्री भारतीय जनउर्वरक परियोजना" (पीएमबीजेपी) नामक उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत **"उर्वरक और लोगो के लिए एकल ब्रांड" शुरू करके एक राष्ट्र एक उर्वरक को लागू करने का निर्णय लिया गया है।**

इसके बारे में

- ONOF के तहत **कंपनियों को अपना नाम, ब्रांड, लोगो और अन्य प्रासंगिक उत्पाद जानकारी अपने बैग के केवल एक तिहाई स्थान पर प्रदर्शित करने की अनुमति** है।
- शेष दो तिहाई स्थान पर **"भारत" ब्रांड** और **प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना** का लोगो दिखाना होगा।

- यूरिया, डाई-अमोनियम फॉस्फेट डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) और नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम एनपीके आदि के लिए एकल ब्रांड नाम क्रमशः सभी उर्वरक कंपनियों, राज्य व्यापारिक संस्थाओं और उर्वरक विपणन संस्थाओं (FMEs) के लिए भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके आदि होंगे।
- यह योजना **सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियों पर** लागू होती है।
- यह पूरे देश में **उर्वरक ब्रांडों में एकरूपता लाएगा।**

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी:

- कैबिनेट ने रबी सीजन 2022-23 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों के लिए नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी), पोटाश (के) और सल्फर (एस) जैसे विभिन्न पोषक तत्वों के लिए **पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस)** दरों को मंजूरी दी है।
- **इससे मदद मिलेगी:**
  1. उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव को कम करना ताकि किसानों को रियायती/सस्ती कीमतों पर उर्वरकों की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
  2. यूक्रेन-रूस संघर्ष और महामारी जन्य लोजीस्टिक संबंधी मुद्दों के कारण उर्वरकों की वाणिज्यिक कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थीं।

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएम-केएसके)

- सरकार ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत देश भर में **3.25** लाख से अधिक उर्वरक दुकानों को पीएम-केएसके के रूप में विकसित करने की भी योजना बनाई है।
- **पीएमकेएसके इसमें मदद करेगा:**
  - किसानों की विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करना और कृषि-इनपुट (उर्वरक, बीज, उपकरण), मिट्टी, बीज और उर्वरक के लिए परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना;
  - किसानों के बीच जागरूकता पैदा करना;
  - विभिन्न सरकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करना।

सदर्न राइस ब्लैक-स्ट्रेक्ड ड्वार्फ वायरस

समाचार: हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) के वैज्ञानिकों ने पाया है कि **पंजाब और हरियाणा में धान की फसल को प्रभावित करने वाली बीमारी सदर्न राइस ब्लैक-स्ट्रेक्ड ड्वार्फ वायरस (एसआरबीएसडीवी) थी।**

इसके बारे में

- यह एक **वायरल बीमारी** है जिसने **हरियाणा और पंजाब** में धान की फसलों को संक्रमित किया है जिससे **पौधे "बौने"** हो गए हैं।
- **नामकरण:** इसका नाम **दक्षिणी चीन** के नाम पर रखा गया है जहां पहली बार 2001 में इसकी सूचना प्राप्त हुई थी।
- **द्वारा पारेषण:** यह सफेद पीठ वाले प्लांट हॉपर (**WBPH**) द्वारा सतत रूप से संचारित और पारेषित होता है।
- इस वायरस का लंबी दूरी तक संचरण **WBPH** के माध्यम से आंधी और तेज संवहन हवाओं के साथ हो सकता है।

उपचार:

- चूंकि इस वायरल बीमारी के लिए **कोई सुधारात्मक उपाय नहीं था,** इसलिए किसानों को कई उपायों की सलाह दी गई है जिनमें शामिल हैं:
  - ० कुछ पौधों को थोड़ा सा झुका कर साप्ताहिक अंतराल पर आधार पर **2-3** बार थपथपाना चाहिए। **WBPH** की उपस्थिति के लिए किसानों को नियमित रूप से अपनी फसलों की जांच करनी चाहिए।

- दूसरा, कीटनाशकों का छिड़काव पौधों के आधार की ओर किया जा सकता है यदि **WBPH** निम्फ या वयस्क पानी पर तैरते हुए देखे जाते हैं।
- अंत में, किसानों को पीएयू द्वारा बताई गई रोपाई की तारीखों का पालन करने की सलाह दी जाती है क्योंकि शुरुआती रोपाई वाली फसलों में स्टंटिंग अधिक देखी गई थी। यह न केवल वायरल बीमारी के प्रबंधन में मदद करेगा बल्कि पानी की बचत भी करेगा।

कुर्की

समाचार: स्थानीय साहूकार द्वारा ऋण अदायगी में चूक के लिए दायर एक अदालती मामले के आधार पर अपनी जमीन के कुर्की आदेश के खिलाफ धरने पर बैठे एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी।

इसके बारे में

- **कुर्की का मतलब किसान की जमीन की कुर्की है**, जो पहले से ही साहूकार संस्था या व्यक्ति के पास कर्ज न चुकाने की स्थिति में गिरवी है।
- बैंकों के अलावा निजी साहूकारों, आढ़तियों को भी समय-समय पर किसानों के खिलाफ ये आदेश मिलते रहते हैं।
- **कुर्की का निष्पादन: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60 के तहत** कुर्की आदेशों का निष्पादन किया जाता है।
- किसान द्वारा बैंक या साहूकार के पास जो जमीन गिरवी रखी जाती है, वह उनके नाम दर्ज हो जाती है। कुछ मामलों में जमीन की नीलामी भी की जाती है।
- यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब किसान द्वारा अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ होने की स्थिति में साहूकार कुर्की आदेश प्राप्त करने के लिए अदालत जाता है।
- कुर्की में धारा 60 के तहत किसान की जमीन के साथ-साथ उसके ट्रैक्टर की कुर्की की जा सकती है।
- **कुर्की पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास:** 2017 में, **पंजाब ने पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 67-ए को समाप्त कर दिया**, जो सहकारी समितियों को किसानों की गिरवी रखी गई भूमि की नीलामी के माध्यम से अवैतनिक ऋण वसूलने में सक्षम बनाती थी।

मोटे अनाज

समाचार: भारत सरकार मोटे अनाजों की ओर बढने पर विचार कर रही है क्योंकि जलवायु परिवर्तन से गेहूं और धान की खेती प्रभावित हो रही है।

इसके बारे में

- मोटे अनाज **कई छोटी अवधि के गर्म मौसम (खरीफ) की फसलों जैसे ज्वार (सोरघम), बाजरा (पर्ल मिलेट), मक्का, रागी (फिंगर मिलेट) आदि का एक व्यापक उप-समूह** है।
- इनका उपयोग भोजन, चारा, ईंधन; मूल्य वर्धित उत्पाद और फास्ट-फूड उत्पादों में भी होता है।
- भारत में, मोटे **अनाज मुख्य रूप से खराब कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उगाए जाते हैं**, विशेष रूप से **देश के वर्षा आधारित क्षेत्रों में।**
- ये फ़सलें **उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में** उगाई जाती हैं और शुष्क भूमि फ़सलें कहलाती हैं क्योंकि इन्हें 50-100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है।
- **नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी), भारत ने एशिया और अफ्रीका में बाजरा को मुख्यधारा में लाने के लिए 'मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेज' पहल शुरू की है।**

- **खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने 2023 को "अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष"** घोषित करने के भारत के आह्वान का समर्थन किया है।
- ये फ़सलें **मिट्टी की कमियों के प्रति भी कम संवेदनशील होती** हैं और इन्हें निम्न जलोढ़ या दोमट मिट्टी में उगाया जा सकता है।

भारत में मोटे अनाज का उत्पादन:

- मोटे अनाज की बुआई 2022 में 17.63 मिलियन हेक्टेयर में हुई है जबकि 2021 में 16.93 मिलियन हेक्टेयर में हुई थी।
- वैश्विक उत्पादन में **लगभग 41% की अनुमानित हिस्सेदारी** के साथ भारत दुनिया में बाजरा के अग्रणी उत्पादकों में से एक है।
- वर्तमान में देश में लगभग 50 मिलियन टन मोटे अनाज का उत्पादन होता है। **सबसे अधिक मक्का और बाजरा उगाया जाता है।**
- भारत में प्रमुख मोटे अनाज उगाने वाले राज्य **राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात** हैं।

बाजरा निर्यात संवर्धन कार्यक्रम

समाचार: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दिसंबर 2022 से दुनिया भर में भारतीय बाजरा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक बाजरा निर्यात संवर्धन कार्यक्रम जारी किया है।

इसके बारे में

द्वारा तैयार:	**कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण** (APEDA)।
उद्देश्य:	दिसंबर 2022 से दुनिया भर में भारतीय बाजरा निर्यात को बढ़ावा देना।
कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं:	• सरकार बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 16 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो और क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम) में निर्यातकों, किसानों और व्यापारियों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करेगी। • भारतीय बाजरा की ब्रांडिंग और प्रचार में विदेशों में भारतीय मिशनों को शामिल किया जाएगा। • लक्षित देशों के भारत में विदेशी मिशनों के राजदूतों को विभिन्न बाजरा-आधारित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। • एपीडा विभिन्न वैश्विक मंचों पर बाजरा और इसके मूल्य वर्धित उत्पाद का प्रदर्शन करेगा। • APEDA खुदरा स्तर पर और लक्षित देशों के प्रमुख स्थानीय बाज़ारों में खाद्य के नमूने लेने और टेस्टिंग का आयोजन भी करेगा जहाँ व्यक्तिगत, घरेलू उपभोक्ता बाजरा उत्पादों से परिचित हो सकते हैं। • सरकार रेडी टू ईट (आरटीई) और रेडी टू सर्व (आरटीएस) श्रेणियों जैसे नूडल्स, पास्ता, ब्रेकफास्ट सीरियल्स मिक्स, बिस्कुट, कुकीज, स्नैक्स, मिठाई आदि में मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप्स को भी एकत्रित कर रही है।
टिप्पणी:	• बाजरा निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम भारत के उस प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में आता है जिसे 72 देशों ने समर्थन दिया था जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष (IYoM) घोषित किया।

प्राकृतिक रबड़ बागान

समाचार: भारतीय बाजार में प्राकृतिक रबर (NR) की कीमत 16 महीने के निचले स्तर (RSS ग्रेड 4) पर आ गई है।

इसके बारे में

- यह पेड़ की प्रजातियों, **हेविया ब्रासिलिएन्सिस** से एक वाणिज्यिक वृक्षारोपण फसल है।
- **जलवायु:** यह **उष्णकटिबंधीय नम जलवायु परिस्थितियों** में उगाया जाता है।
- थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चीन और भारत विश्व स्तर पर प्रमुख प्राकृतिक रबर उत्पादक हैं।
- भारत वर्तमान में प्राकृतिक रबर का दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि यह विश्व स्तर पर सामग्री का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी बना हुआ है।
- भारत की कुल प्राकृतिक रबर खपत का **लगभग 40%** वर्तमान में **आयात के माध्यम से** पूरा किया जाता है।
- **रबर बोर्ड** की एक नवीनतम रिपोर्ट ने भारत में 2022-23 के दौरान प्राकृतिक रबर उत्पादन और खपत क्रमशः 8,50,000 टन और 12,90,000 टन होने का अनुमान लगाया है।

खुबानी

समाचार: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अपने निर्यात संवर्धन निकाय एपीडा के माध्यम से '**लद्दाख खुबानी**' ब्रांड के तहत लद्दाख से निर्यात बढ़ाने के लिए खुबानी मूल्य श्रृंखला हितधारकों की मदद लेने की प्रक्रिया में है।

इसके बारे में

- **खुबानी (प्रूनस आर्मेनियाका एल.) प्रूनस जीनस से संबंधित है** और पूरी दुनिया में व्यापक रूप से उपभोग की जाती है।
- इसकी खेती **दुनिया के समशीतोष्ण क्षेत्रों में की जाती है, विशेष रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में**।
- **खुबानी विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है** और इसमें उच्च प्राकृतिक चीनी पाई जाती है। सूखी खुबानी आयरन का बेहतरीन स्रोत है।

लद्दाख में खुबानी की खेती

- खुबानी लद्दाख की महत्वपूर्ण फलों की फसलों में से एक है और इसे **स्थानीय रूप से 'चूली'** के रूप में जाना जाता है।
- **लद्दाख देश में खुबानी का सबसे बड़ा उत्पादक** है, जिसका **कुल उत्पादन लगभग** 62 **प्रतिशत** है।
- लद्दाख खुबानी में **उच्च शर्करा सामग्री और कुल घुलनशील ठोस पदार्थों** के साथ **एक अद्वितीय सुखदायक स्वाद** और बनावट होती है।

पीएम प्रणाम योजना

समाचार: रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए सरकार पीएम प्रणाम (**कृषि प्रबंधन योजना के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों को प्रोत्साहन) योजना** शुरू करने की योजना बना रही है।

इसके बारे में

- पीएम प्रणाम का तात्पर्य **पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना** है।
- **उद्देश्य:** राज्यों को प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना।

प्रस्तावित उद्देश्य:

- **रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए:** राज्यों को प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों, जैसे- **यूरिया, डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट), एमओपी (म्यूरेट ऑफ पोटाश), एनपीके (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम)** के उपयोग को कम करना ।
- **वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग** को बढ़ावा देना।
- **रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करने** के लिए, जिसके **2022-23** में **2.25** लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के **1.62** लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से **39%** अधिक है।
- **योजना की विशेषताएं:**
- इस योजना का **कोई अलग बजट नहीं होगा और इसे मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत के माध्यम से वित्तपोषित** किया जाएगा।
- लगभग **50%** सब्सिडी बचत उस राज्य को अनुदान के रूप में दी जाएगी जो धन की बचत करता है।
- इस अनुदान के तहत, योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुदान का **70%** वैकल्पिक उर्वरकों की तकनीकी अपनाने और गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयों से संबंधित परिसंपत्ति सृजन के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- **शेष 30% अनुदान राशि का उपयोग उन किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को पुरस्कृत करने और प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है जो उर्वरक उपयोग और जागरूकता पैदा करने में शामिल** हैं।
- सरकार एक वर्ष में रासायनिक उर्वरक के उपयोग में राज्य की वृद्धि या कमी की तुलना पिछले तीन वर्षों में इसकी औसत खपत से करेगी।

कृषि ऋण के लिए ब्याज अनुदान

समाचार: आरबीआई द्वारा रेपो दर में वृद्धि के साथ बैंकों को क्षतिपूर्ति करने के लिए, कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 हेतु किसानों को ₹3 लाख तक के लघु अवधि के कृषि-ऋण देने के लिए सभी वित्तीय संस्थानों के लिए अल्पावधि कृषि ऋण पर 1.5% ब्याज छूट बहाल कर दी है।

इसके बारे में

- इससे पहले, 2020 में इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (ISS) के लिए बैंकों को केन्द्रीय सहायता रोक दी गई थी क्योंकि बैंक 7% की दर से लघु अवधि के कृषि ऋण स्वयं प्रदान करने में सक्षम थे।
- **किसानों को रियायती ब्याज दरों पर अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के लिए केंद्र ने ISS की शुरुआत की**, जिसका नाम **अब संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS)** रखा गया है।
- इस योजना के तहत, **3.00 लाख रुपये तक का अल्पावधि कृषि ऋण**, कृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों को 7% प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध हैं।
- किसानों को ऋणों के शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान के लिए **अतिरिक्त 3% सबवेंशन** (त्वरित चुकौती प्रोत्साहन) भी दिया जाता है।
- इसलिए, समय पर ऋण चुकाने पर, किसानों को प्रति वर्ष **4% की दर से ऋण** मिलता है।
- **किसानों को यह सहायता केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषित** है।
- आईएसएस को **नाबार्ड और आरबीआई द्वारा कार्यान्वित** किया जा रहा है।

कृषि ऋण प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम:

- किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को उनकी खेती के लिए समय पर ऋण सहायता प्रदान करता है।

- **एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड** राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कृषि उपज बाजार समिति मंडियों और ग्रामीण कृषि बाजारों के लिए रियायती ऋण प्रदान करता है।
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)** फसल क्षति/नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

समाचार: PMFBY की समीक्षा के लिए **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय** द्वारा गठित दो कार्य समूहों ने योजना के गिरते कवरेज को बदलने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं।

पीएमएफबीवाई के बारे में:

- यह **2016 में शुरू की गई** केंद्र सरकार की प्रमुख फसल बीमा योजना है, जो **पहले की राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) और संशोधित एनएआईएस की जगह** लेती है।
  - **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना** (RWBCIS) एक अन्य प्रमुख बीमा योजना है, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था।
- **यह निम्नलिखित द्वारा कृषि के सतत उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है:**
  - अप्रत्याशित घटना जन्य **फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता** प्रदान करना;
  - **किसानों की ऋण पात्रता सुनिश्चित करना**, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र के विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के अलावा किसानों को उत्पादन जोखिम से बचाना।
  - खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए **किसानों की आय को स्थिर** करना;
  - किसानों को **नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित** करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** बोली के माध्यम से बीमा कंपनियों की सूचीबद्ध सूची से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चुनी गई बीमा कंपनी।

पीएमएफबीवाई की विशेषताएं:

- यह एक **उपज सूचकांक आधारित योजना** है और चयनित परिभाषित क्षेत्रों में '**क्षेत्र दृष्टिकोण' के सिद्धांत पर** संचालित होती है जिसे बीमा इकाइयां कहा जाता है जैसे **गांव या पंचायत स्तर**।
- यह **किसानों को बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक सभी गैर-परिवर्तनकारी प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ बीमा करता है और** यह खरीफ **2020** से **सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक** है।
  - पहले **बैंकों द्वारा ऋणी किसानों के लिए यह अनिवार्य** था।
- इसके अलावा, एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म- **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी)** - सभी हितधारकों के लिए वितरण में तेजी लाने, खंडित डेटाबेस को एकीकृत करने और किसानों को तीव्र बीमा सेवाओं के लिए मैन्युअल प्रक्रियाओं को खत्म करने के लिए बनाया गया है।

गन्ना उत्पादन में उत्तर की ओर परिवर्तन

समाचार: एनएसएसओ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी गन्ना उत्पादक राज्यों ने 2011 और 2020 के बीच अपने उत्पादन मूल्य में 42 प्रतिशत की वृद्धि देखी, जबकि इसी अवधि के दौरान दक्षिणी राज्यों में 32.4 प्रतिशत की गिरावट आई।

इसके बारे में

- **एनएसएसओ की रिपोर्ट बिहार, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड** में गन्ने का संचयी उत्पादन मूल्य दिखाती है जो 30,216 करोड़ रुपये से बढ़कर 42,920 करोड़ रुपये हो गया।
- इस बीच, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के पांच दक्षिणी राज्यों में गन्ना उत्पादन इसी अवधि में 26,823 करोड़ रुपये से घटकर 18,119 करोड़ रुपये रह गया।

गन्ना उत्पादन में उत्तर की ओर बदलाव के कारण:

- **राज्य सलाहकार मूल्य (एसएपी):** उत्तर में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश द्वारा पेश किए जा रहे उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी)पर उच्चतर एसएपी।
  - उदाहरण के लिए, यूपी सरकार ने पिछले साल गन्ने का एसएपी 340 रुपये प्रति क्विंटल आंका था, जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में गन्ना किसान केवल 280-310 रुपये की सीमा में ही कीमत प्राप्त कर पाए थे।
- **जल प्रबंधन:** गन्ने के उत्पादन में उत्तर की ओर बदलाव इस क्षेत्र में विस्तृत सिंचित क्षेत्रों के कारण है।
  - गन्ने की खेती के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और हाल के वर्षों में महाराष्ट्र और कर्नाटक में लगातार सूखे के कारण व्यापक कृषि संकट हुआ है।
- **जलवायु परिवर्तन:** गर्मी की दीर्घावधि, अनियमित वर्षा और दक्षिणी राज्यों में सर्दियों के मौसम में कमी ने गन्ने से चीनी उत्पादन में भारी कमी की है।
  - इसके अलावा, जंग, पत्ती के धब्बे, पोक्का बोएंग (पत्ती की विकृति), स्मट (बेंत पर काले या भूरे रंग की वृद्धि की उपस्थिति) आदि जैसी बीमारियों की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है।
  - **अन्य मूल्यवान फसलों पर ध्यान:** दक्षिणी राज्य अपने पानी को उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर अंतरित रहे हैं।
- **अन्य कारक:** इसमें ऊष्ण-सहिष्णु गन्ने की किस्म और बेहतर कृषि प्रबंधन रणनीतियाँ शामिल हैं।

भारत का चीनी उद्योग

समाचार: चीनी सीजन (अक्टूबर-सितंबर) 2021-22 में, भारत **दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक और चीनी के उपभोक्ता और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी निर्यातक** के रूप में उभरा।

गन्ने के बारे में:

- **उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाने वाली अत्यधिक जल-सघन** फसल।
- यह **21°C से 27°C के तापमान और 75cm और 100cm के बीच वार्षिक वर्षा के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु में** अच्छी तरह से बढ़ता है।
- गन्ना **विभिन्न प्रकार की मिट्टी में** उगाया जा सकता है।
- यह भारत में **सामान्यतः एक सिंचित फसल** है और बुवाई से लेकर कटाई तक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है।
- यह **गुड़ (इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चा माल), चीनी, गुड़ और खांडसारी के प्राथमिक स्रोत के रूप में** कार्य करता है।
- भारत में गन्ने का उत्पादन करने वाले राज्यों में **महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना** शामिल हैं।
- **चीनी के इथेनॉल में रूपांतरण और निर्यात ने** उद्योग को पूरी तरह से अपनी मूल्य श्रृंखला को अनलॉक करने और चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने में सक्षम बनाया।
  - **पेट्रोल(EBP) कार्यक्रम के साथ इथेनॉल सम्मिश्रण के तहत**, भारत ने **2025 तक 20% सम्मिश्रण** का लक्ष्य रखा है।

उचित और लाभकारी मूल्य:

- **उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)** वह न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों को गन्ना किसानों को देना होता है।
- इसे **आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)** द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
- **एफआरपी कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर** और राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद निर्धारित किया गया है।

पोक्कली चावल

समाचार: पोक्कली किसान **कोच्चि में** आयोजित एक पोक्कली चावल फसल उत्सव के दौरान एकत्र हुए, जिसमें कृषि अधिकारियों और किसानों द्वारा धारणीयता आधारित सत्रों को संबोधित किया गया।

इसके बारे में

- यह **एक खारा जल-सहिष्णु किस्म** है जो लंबी होती है। इसकी खेती **केरल के तटीय क्षेत्रों** में की जाती है।
- **पोक्कली के रूप में जानी जाने वाली पारंपरिक खेती** पद्धति में, एक मौसम में चावल और दूसरे मौसम में झींगे उगाए जाते हैं। पोक्कली चावल इस प्रकार **"एक मछली और एक चावल"** के वार्षिक चक्र का एक हिस्सा बनाता है।
- चावल की फसल, **जिसे कोई अन्य उर्वरक या खाद नहीं मिलता है**, झींगे **के मल और अन्य अवशेषों से पोषक तत्व लेती है**, जबकि झींगे के पौधे कटी हुई फसल के बचे हुए हिस्से को खाते हैं।
- **चावल की खेती और झींगा पालन परस्पर पूरक** हैं।
- वे **जलवायु-लचीली कृषि में उपयोगी** हैं क्योंकि **वे बाढ़ का सामना कर सकते** हैं।
- पोषण के एक भंडार के रूप में, वे फाइबर और प्रोटीन सामग्री, विटामिन ई के लाभों के साथ एंटीऑक्सिडेंट, और आयरन, बोरान और सल्फर जैसे खनिजों से भरपूर हैं।
- पोक्कली चावल को **2007 से भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग मिला हुआ है।**

काला नमक चावल

समाचार: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने **उत्तर प्रदेश में** दो नई बौनी किस्मों का सफल परीक्षण किया है, जो काला नमक चावल की पारंपरिक किस्म से दोगुनी उपज देती हैं।

इसके बारे में

- काला नमक **धान की एक पारंपरिक किस्म है जिसमें काली भूसी और तीक्ष्ण सुगंध** होती है।
- इसे **भगवान बुद्ध की ओर से श्रावस्ती के लोगों के लिए एक उपहार** माना जाता है जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद इस क्षेत्र का दौरा किया था।
- **उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 11 जिलों और नेपाल में उगाई जाने वाली पारंपरिक किस्म** ' लॉजिंग ' **के लिए प्रवण रही है,** जो इसकी कम उपज का एक कारण है।
- **लॉजिंग:** लॉजिंग एक ऐसी स्थिति है जिसमें दाने बनने के कारण पौधे का शीर्ष भारी हो जाता है, तना कमजोर हो जाता है, और पौधा जमीन पर गिर जाता है।
- इसकी उपज मुश्किल से दो से ढाई टन प्रति हेक्टेयर होती है।
- पारंपरिक **काला नमक चावल को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रणाली के तहत संरक्षित किया जाता** है।

नई किस्में:

- समस्या का समाधान करते हुए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) ने काला नमक चावल की **दो बौनी किस्मों को सफलतापूर्वक विकसित किया** है।
- **इनका नाम दिया गया है:**
  1. पूसा नरेंद्र कालानमक **1638** और
  2. पूसा नरेंद्र कालानमक **1652**।
- **नई किस्मों की पैदावार पारंपरिक किस्मों की तुलना में दोगुनी** है।
- **IARI** और उत्तर प्रदेश कृषि परिषद किसानों को जल्द से जल्द बीज उपलब्ध कराने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

चावल की बारहमासी किस्म

समाचार: चीन में किसान अब बारहमासी किस्म के चावल उगा रहे हैं जिन्हें हर साल बोने की जरूरत नहीं है।

इसके बारे में:

- **युन्नान विश्वविद्यालय** के शोधकर्ताओं ने अफ्रीका की एक जंगली बारहमासी किस्म के साथ नियमित वार्षिक चावल ओरिजा सैटिवा का क्रॉस-ब्रीडिंग करके PR23 नामक बारहमासी चावल की एक किस्म विकसित की है।
- नियमित चावल के विपरीत, जो हर मौसम में लगाया जाता है, **PR23 चार वर्षों में लगातार आठ फसलें दे सकता है (क्योंकि मजबूत जड़ों वाले ये पौधे प्रत्येक फसल के बाद तेजी से बढ़ते हैं)।**
- 2021 में, **दक्षिणी चीन में** 44,000 से अधिक किसानों द्वारा इस किस्म को उगाया गया था।

लाभ:

- 6.8 टन प्रति हेक्टेयर की उपज के साथ, PR23 चावल पारंपरिक सिंचित चावल के बराबर है।
  - हालांकि, चूंकि इसे कम श्रम, बीज और रासायनिक आदानों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे उगाना काफी कम खर्चीला है।
- चार साल तक बारहमासी चावल उगाने से मिट्टी में लगभग एक टन जैविक कार्बन (प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष) जमा होने और पौधों के लिए उपलब्ध पानी की मात्रा में वृद्धि सहित उत्कृष्ट पर्यावरणीय लाभ हुए।
- यह देखते हुए कि चावल लगभग आधी दुनिया के लिए भोजन प्रदान करता है, यह खोज महत्वपूर्ण है।

नई बासमती किस्में

समाचार: 2020 और 2021 में **भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI)** के वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा विकसित पांच नई बासमती किस्में देश में धान की खेती के तरीके में बदलाव लाएंगी।

इसके बारे में

- पांच में से तीन किस्में धान की दो सामान्य बीमारियों का प्रतिरोध कर सकती हैं।
- **बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट (बीएलबी) और ब्लास्ट (पत्ती और कॉलर) कवक मैग्नापोर्थे ओरेजे** के कारण होने वाले रोग।

नई किस्में:

- नई किस्में **पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886** हैं।
- इन सभी किस्मों में **बीएलबी का प्रतिरोध करने के लिए दो जीन और ब्लास्ट रोग का प्रतिरोध करने के लिए दो जीन** हैं।
- अन्य दो **अब आवश्यक पानी का 35% बचा सकते हैं क्योंकि बीजों को सीधे बोया जा सकता** है, जिससे रोपाई की आवश्यकता नहीं होती है।
- ये दोनों बीज शाकनाशियों के प्रतिरोधी भी हैं, जिससे किसानों को खरपतवारों को अधिक कुशलता से नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
- अगले तीन वर्षों में, सभी पाँच बीजों में रोग और शाकनाशी प्रतिरोध के संयुक्त गुण होंगे।

बासमती चावल:

- भारत अपने बासमती चावल के लिए जाना जाता है, जिसमें सात राज्यों - **जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड - भौगोलिक संकेतक के लिए निर्धारित हैं।**
- बासमती, जो अपने **माउथफिल, सुगंध, पकने पर अनाज की लंबाई और स्वाद** के लिए जाना जाता है, का विदेशों में बाजार है और हर साल लगभग ₹30,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है।
- जबकि 75% निर्यात पश्चिम एशियाई देशों को होता है, यूरोपीय संघ के देश भी भारतीय बासमती का आयात करते हैं।

एकीकृत पौध पोषण प्रबंधन विधेयक, 2022 का मसौदा

समाचार: उर्वरक विभाग ने **एकीकृत पौध पोषण प्रबंधन विधेयक, 2022 के मसौदे** पर सभी हितधारकों से टिप्पणियां मांगी थीं।

समाचार के बारे में:

- मसौदा, जिसे सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा गया है, **देश में उर्वरकों के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए देश में मूल्य निर्धारण, संचलन, वितरण, आयात और भंडारण को विनियमित करना चाहता है।**
- मसौदा कानून के एक भाग में **उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO, कृषि विभाग द्वारा प्रशासित)** और **उर्वरक आंदोलन आदेश** या **FMO (उर्वरक विभाग) के कई मौजूदा प्रावधानों को शामिल करना चाहता है**|

पृष्ठभूमि:

- एफसीओ ने उर्वरक-वार विस्तृत विनिर्देशों को निर्धारित किया था और उक्त विनिर्देश को पूरा नहीं करने वाले किसी भी उर्वरक को देश में कृषि उद्देश्यों के लिए नहीं बेचा जा सकता है।
- यह प्रत्येक उर्वरक के नमूने और विश्लेषण के लिए विस्तृत प्रक्रिया भी निर्धारित करता है।
- **केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीएफक्यूसी एंड टीआई), फरीदाबाद और कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी)** के तहत इसकी चार क्षेत्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशालाएं **(आरएफसीएल)** आयातित उर्वरकों के विश्लेषण के लिए डिस्चार्ज पोर्ट पर नमूने लेती हैं।
- राज्यों की अपनी राज्य अधिसूचित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं भी हैं जो फील्ड (भंडारघरों/डीलरों/खुदरा विक्रेताओं) के साथ-साथ विनिर्माण संयंत्रों से लिए गए नमूनों का विश्लेषण करती हैं।

मसौदा विधेयक की मुख्य बातें:

- **पंजीकरण:** कोई भी व्यक्ति उपयुक्त पंजीकरण प्राप्त किए बिना निर्माण, बिक्री, बिक्री या बाजार के लिए आयात नहीं कर सकता है।
- **भारतीय एकीकृत पौध पोषण प्रबंधन प्राधिकरण:** यह उर्वरकों के निर्माताओं के लिए पंजीकरण के तरीके को विनियमित करेगा, **उर्वरकों और उर्वरक उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में तकनीकी मानक निर्धारित करेगा, और नवीन उर्वरकों के सतत उपयोग और विकास को बढ़ावा देगा।**
- **उर्वरक का अधिकतम मूल्य:** केंद्र सरकार, उर्वरकों के समान वितरण को विनियमित करने और उर्वरकों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिकतम कीमतों या दरों को तय कर सकती है, जिस पर एक डीलर, निर्माता, आयातक या एक उर्वरक विपणन इकाई द्वारा किसी भी उर्वरक को बेचा जा सकता है।
- **ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस:** यह भारत में उर्वरकों के निर्माण, उत्पादन, वितरण और मूल्य प्रबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास करता है, जो बदले में ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस में सुधार करेगा।
- **उर्वरकों के लिए अलग-अलग दरें:** इसका उद्देश्य अलग-अलग भंडारण अवधि वाले उर्वरकों या विभिन्न क्षेत्रों या उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग कीमतों या दरों को तय करने के लिए केंद्र को सशक्त बनाना है।
- **देश भर में उर्वरकों की आवाजाही**: केंद्र सरकार उर्वरकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के तरीके भी निर्धारित कर सकती है।
- **स्वत: संज्ञान :** केंद्र सरकार निर्माताओं, डीलरों या खुदरा विक्रेताओं के कार्यों में किसी भी अनियमितता का "स्वतः संज्ञान" ले सकती है और जांच के लिए कार्यवाही शुरू कर सकती है या राज्य नियंत्रक को मामले की जांच करने का निर्देश दे सकती है।

उर्वरक (अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित) (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022:

- आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए), **1955** की **धारा** 3 **द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन आदेश जारी किया गया था।**
- ECA **की धारा** 3 **केंद्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन**, **आपूर्ति**, **वितरण आदि को नियंत्रित** करने की शक्ति देती है।
- **राज्यों को शक्ति:** यह संशोधन, राज्यों को निर्माताओं और डीलरों दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देता है जब भी गैर-छेड़छाड़ वाले बैग से लिए गए नमूने मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं।
- **डिजिटल स्टॉक-कीपिंग:** यह आदेश डीलरों को 'डिजिटल स्टॉक रजिस्टर को फॉर्म में बनाए रखने के लिए भी कहता है जो स्पष्ट रूप से **तिथि के अनुसार स्टॉक की स्थिति,** प्रारंभिक शेष राशि, दिन के दौरान प्राप्तियां, दिन के दौरान बिक्री और अंतिम स्टॉक' प्रदर्शित करता है।

खाद प्रबंधन

समाचार: मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने हाल ही में खाद प्रबंधन के लिए NDDB की सहायक कंपनी लॉन्च की है।

इसके बारे में

- **खाद प्रबंधन (एमएम)** वह प्रक्रिया है जिसमें पशुओं के मल को एकत्रित, संग्रहीत, उपचारित और उपयोग किया जाता है।
- **खाद एक किफायती और मूल्यवान उर्वरक है** जिसमें अलग-अलग मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जैसे **नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, सूक्ष्म पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थ।**
- कुशल **खाद प्रबंधन**, दूध प्राप्त करने से इतर, **दुधारू पशुओं के उत्पादक आर्थिक जीवन चक्र को बढ़ाने में** योगदान देता है जिससे जीएचजी उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है।
- **एमएम पहल में भारत की वर्तमान एलपीजी खपत के 50 प्रतिशत के बराबर बायोगैस उत्पन्न करने और भारत की एनपीके (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश) की आवश्यकता के 44 प्रतिशत के बराबर जैव घोल का उत्पादन** करने की क्षमता है।
  - भारत मवेशियों के कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए **गोबर-धन योजना** भी चलाता है।
- यह डेयरी किसानों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत देकर उनकी आजीविका बढ़ाने में भी योगदान देता है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के बारे में:

- इसे संसद के अधिनियम - एनडीडीबी अधिनियम, **1987** द्वारा पूर्ववर्ती **भारतीय डेयरी निगम के साथ विलय कर दिया गया था।**
- **NDDB** प्रारंभ में **सोसायटी अधिनियम** 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है।
- **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की एमआरआईडीए लिमिटेड**, एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी देश भर में खाद प्रबंधन पहलों में काम करेगी।
  - इसे **1** जुलाई, **2022** को कंपनी अधिनियम, **2013** के तहत एक असूचीबद्ध सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था।
  - यह एक खाद मूल्य श्रृंखला, बायोगैस आधारित सीएनजी और डेयरी संयंत्रों के लिए ऊर्जा उत्पादन स्थापित करेगा।
- एनडीडीबी ने गोबर आधारित जैविक उर्वरकों को सामान्य पहचान प्रदान करने के लिए **"सुधन"** नामक एक ट्रेडमार्क पंजीकृत किया है।

जूट का उत्पादन

समाचार: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, भारत की जूट अर्थव्यवस्था **2021-22** में घटकर **1.77** मिलियन टन रह गई, जो **2011-12** में **2.03** मिलियन टन थी।

इसके बारे में:

- इसके अलावा, **पिछले कुछ वर्षों में जूट की खेती के तहत औसत क्षेत्र में भी कमी** आई है।
- इसी अवधि के दौरान, **बांग्लादेश में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि** हुई है।
- कम मजदूरी, अनुकूल बिजली शुल्क, निर्यात के लिए नकद सब्सिडी, विविध जूट उत्पादों के बाजार आदि द्वारा संचालित उत्पादन की कम लागत के कारण **बांग्लादेश को जूट उत्पादों के निर्यात में तुलनात्मक लाभ प्राप्त** है।

जूट के बारे में:

- जूट, जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, **एक लंबा, मुलायम और चमकदार प्राकृतिक फाइबर है जिसका उपयोग कई वस्त्र अनुप्रयोगों में किया जाता है।**
- जूट की फसल को 24 **और** 38 **डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान के साथ आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है।**
- **न्यूनतम वर्षा** आवश्यकता **1000** मिमी है।
- **भारत दुनिया में कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है।**
- जूट मुख्य रूप से **पश्चिम बंगाल**, **ओडिशा**, **असम**, **मेघालय**, **त्रिपुरा** में उगाया जाता है।
- वैश्विक जूट निर्यात में भारत की हिस्सेदारी **महज** 7 **फीसदी है** जबकि **बांग्लादेश की हिस्सेदारी करीब 75 फीसदी है।**
- **निर्यात में गिरावट के कारण:** बाजार की कमी, सरकारी खरीद और विविधीकरण, खराब बुनियादी ढांचे के साथ-साथ भारतीय जूट मिलों की दयनीय स्थिति।

जूट उद्योग के लिए उठाए गए कदम:

- **जूट सामग्री में अनिवार्य पैकेजिंग:** वर्तमान में जूट की बोरी में **100%** खाद्यान्न और न्यूनतम **20%** चीनी अनिवार्य रूप से पैक की जानी है।
- **स्वर्ण फाइबर क्रांति**
- जूट उत्पादों की प्रामाणिकता के लिए **जूट मार्क इंडिया लोगो**।
- **जूट-आई केयर** प्रमाणित बीजों का उपयोग करने, वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने के लिए।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)

समाचार: जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री ने ट्राइफेड के **14** शहद किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन किया।

इसके बारे में:

मंत्री ने **लघु वन उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए MIS पोर्टल, TRIFED वन धन क्रॉनिकल भी लॉन्च किया।**

ट्राइफेड वन धन	• ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल देश में जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किए गए कार्यों और **वन धन विकास योजना** के तहत जनजातीय उद्यमियों की उपलब्धियों का दस्तावेजीकरण करता है। • क्रॉनिकल ट्राइफेड द्वारा की गई गतिविधियों का एक गहन उदाहरण देता है जिसने लगभग 16 लाख आदिवासियों के जीवन को प्रभावित किया है;

	• इसमें चुनिंदा वन उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की शुरुआत, दिया गया प्रशिक्षण, मूल्यवर्धन शामिल है।
लघु वन उपज (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एमआईएस पोर्टल	• लघु वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए एमआईएस पोर्टल, जिसे लॉन्च किया गया था, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड के अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए एक तैयार डैशबोर्ड है। • इस डैशबोर्ड में, विश्लेषण और तेजी से और प्रभावी निर्णय लेने के लिए खरीद संबंधी डेटा की तैयार और ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध डेटा लॉन्च किया जा रहा है।
14 शहद किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन	• किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास के तहत "मीठी क्रांति" के उद्देश्य से इसके प्रचार और विकास के लिए मधुमक्खी पालन गतिविधि को भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है • अगले पांच वर्षों में किसानों के लिए बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन" नामक एक केंद्रीय योजना शुरू की गई थी। • इस **योजना के तहत, चिन्हित संभावित जिलों/राज्यों में 100 एफपीओ का गठन कर मधुमक्खी पालन पर विशेष जोर** दिया गया है। • **राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (NBB), राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (NHBM) के तहत, देश में 100 क्लस्टरों में** शहद के लिए वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन मूल्य श्रृंखला विकसित करने की योजना बना रहा है। • **ट्राइफेड को** छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और गुजरात राज्यों में **नेफेड और एनडीडीबी के साथ 14 हनी एफपीओ के गठन के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी** बनाया गया है।

राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड

- कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने आठवीं योजना (1994-95) के दौरान '**फसल उत्पादकता में सुधार के लिए मधुमक्खी पालन का विकास' शीर्षक से एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना शुरू की**।
- इस योजना में अनुसंधान एवं विकास, मधुमक्खी कालोनियों के उत्पादन और वितरण, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन और शहद प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता आदि को शामिल करने वाले विभिन्न घटक थे।

मधुमक्खी पालन गतिविधियों के समन्वय के लिए सचिव (ए एंड सी) की अध्यक्षता में एक मधुमक्खी पालन विकास बोर्ड भी कार्य करता है।

वर्चुअल एग्री-हैकाथॉन 2020

समाचार: कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में वर्चुअल एग्री-हैकथॉन 2020 का उद्घाटन किया।

इसके बारे में:

- **एग्री इंडिया हैकाथॉन** 2020 संवाद स्थापित करने, और कृषि में नए युग की तकनीकी और नवाचारों को गति देने के लिए सबसे बड़ी वर्चुअल सभा है।

- यह दो महीने का आयोजन भारत के युवा प्रबुद्ध मेधा, रचनात्मक स्टार्ट-अप और स्मार्ट इनोवेटर्स के साथ-साथ उद्योग और सरकार के सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों को ऑनलाइन लाएगा।
- इस प्रकार यह नए दृष्टिकोण, विघटनकारी दृष्टिकोण और अत्याधुनिक अनुसंधान और ज्ञान को एक साथ लाएगा और आज देश जिन बड़े सवालों का सामना कर रहा है, उनसे निपटने के लिए नए, तेज और मितव्ययी समाधानों का निर्माण करेगा।
- हैकथॉन तीन एलिमिनेशन राउंड में होगा और कृषि मशीनीकरण, सटीक कृषि, आपूर्ति श्रृंखला और खाद्य प्रौद्योगिकी, अपशिष्ट से धन और हरित ऊर्जा पर नवाचारों और विचारों को स्वीकार करेगा।
- **इसके द्वारा आयोजित किया जाता है:**
  - पूसा कृषि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (**ICAR**) - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (**IARI**) और
  - कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

पूसा कृषि:

- पूसा कृषि **एक नवाचार केंद्र और आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) का कृषि-व्यवसाय इनक्यूबेटर** है।
- यह **IARI परिसर**, **नई दिल्ली में स्थित** है।
- **RKVY - RAFTAAR एग्री बिजनेस इनक्यूबेटर (RABI):** ये इन्क्यूबेटर **RKVY-RAFTAAR** योजना के तहत स्थापित किए गए हैं, यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (**MoA&FW**), भारत सरकार की एक योजना है।
- इसका उद्देश्य **वित्तीय सहायता प्रदान करके और पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करके कृषि उद्यमिता और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत** करना है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर):

- यह **कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई)**, **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय**, **भारत सरकार** के तहत एक स्वायत्त संगठन है।
- रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के अनुसरण में **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम**, 1860 **के तहत** 16 **जुलाई** 1929 **को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना** की गई थी।
- आईसीएआर का **मुख्यालय नई दिल्ली** में है।
- यह पूरे देश में **बागवानी**, **मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय**, **मार्गदर्शन और प्रबंधन** के लिए शीर्ष निकाय है।

कृषि वानिकी पर उप-मिशन (एसएमएएफ)

समाचार: भारत सरकार ने रेशम क्षेत्र में कृषि वानिकी पर एक मिशन शुरू किया है।

इसके बारे में:

- सतत कृषि उत्पादकता **न केवल मिट्टी और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता और उपलब्धता पर निर्भर करती है बल्कि कृषि संसाधनों के सतत उपयोग** पर भी निर्भर करती है।
- **चूंकि भारतीय कृषि देश के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 60% मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है,** कृषि वानिकी की ओर बदलाव अत्यंत आवश्यक कार्यकलाप है।
- इसी दिशा में, वस्त्र मंत्रालय के अधीन केंद्रीय रेशम बोर्ड (CSB) और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में कृषि वानिकी पर उप-मिशन (SMAF) योजना के तहत एक साथ आए है।

कृषि वानिकी (एसएमएएफ) पर उप-मिशन के बारे में:

- कृषि वानिकी पर उप-मिशन (**SMAF**) फसलों और फसल प्रणाली की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया गया है।

महत्वपूर्ण विशेषताएं	• इसे **नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA)** के तहत लागू किया गया है • यह **एक केंद्र प्रायोजित योजना** है। • किसानों को **वित्तीय सहायता प्रदान** की जाएगी • किसान समूहों, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता का प्रावधान।
फंडिंग पैटर्न	• आवंटित निधि का कम से कम 50% छोटे, सीमांत किसानों के लिए उपयोग किया जाना है, जिनमें से कम से कम 30% लाभार्थी महिला किसान हैं। • इसके अलावा कुल आवंटित निधि का 16% और 8% या जिले में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में क्रमशः विशेष घटक योजना (एससीपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के लिए उपयोग किया जाएगा।
प्रमुख घटक	• गुणवत्ता रोपण सामग्री के लिए नर्सरी विकास। • परिधीय और सीमा वृक्षारोपण • कृषि भूमि पर कम घनत्व वाला वृक्षारोपण • उच्च घनत्व ब्लॉक वृक्षारोपण • कृषि वानिकी मॉडल का प्रदर्शन • क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण
लक्षित राज्य:	• यह केंद्रीय योजना **आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़** सहित 20 राज्यों में लागू की जा रही है।

कृषि वानिकी के बारे में:

- कृषिवानिकी कृषि और वृक्षों के बीच पारस्परिक क्रिया है, जिसमें वृक्षों का कृषि उपयोग भी शामिल है।
- इसमें खेतों पर और कृषि परिदृश्य में पेड़, जंगलों में खेती और वन मार्जिन के साथ-साथ कोको, कॉफी, रबड़ और ताड़ के तेल सहित वृक्ष-फसल उत्पादन शामिल हैं।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी):

- इसे औपचारिक रूप से **2008 में** विकास उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपायों की पहचान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था, साथ ही जलवायु परिवर्तन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सह-लाभ भी प्रदान किया गया था।
- **आठ "राष्ट्रीय मिशन" हैं जो राष्ट्रीय कार्य योजना के मूल रूप हैं:**
  - राष्ट्रीय सौर मिशन
  - हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन
  - संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन
  - हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की सततता के लिए राष्ट्रीय मिशन
  - सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन

- सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन
- राष्ट्रीय जल मिशन
- जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन

3. उद्योग और बुनियादी अवसंरचना

कोर उद्योग (CORE INDUSTRIES)

आठ कोर उद्योगों का उत्पादन नवंबर में 3.1% की दर से बढ़ा है, जो आठ महीनों में सबसे धीमी गति है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी गति का संकेत देता है। कच्चे तेल और सीमेंट को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

अन्य जानकारी

- कोर उद्योग को मुख्य उद्योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता **है जिसका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ता है।**
- **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में शामिल वस्तुओं के भारांश में आठ कोर उद्योगों का हिस्सा 40.27% है।**
- आठ बुनियादी/कोर क्षेत्र के उद्योग अपने भारांश के घटते क्रम में हैं: रिफाइनरी उत्पाद>विद्युत>इस्पात>कोयला>कच्चा तेल > प्राकृतिक गैस > सीमेंट > उर्वरक।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP):

- **केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम** मंत्रालय द्वारा **मासिक रूप से** संकलित और प्रकाशित।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) एक **समग्र संकेतक** है जो औद्योगिक उत्पादों के बास्केट में वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है।
- **आधार वर्ष:** 2011-2012।
- दो क्षेत्र हैं जहाँ आईआईपी डेटा का उपयोग देखा जा सकता है:
  1. **व्यापक क्षेत्र**, अर्थात् खनन, विनिर्माण और विद्युत।
  2. **उपयोग-आधारित क्षेत्र**, अर्थात् बुनियादी वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं।

आईआईपी का महत्व:

- इसका उपयोग वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक आदि सहित सरकारी एजेंसियों द्वारा नीति-निर्माण उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- तिमाही और अग्रिम जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) अनुमानों की गणना के लिए आईआईपी बेहद प्रासंगिक है।

पीएम डिवाइन (PM-DEVINE)

केंद्रीय बजट 2022-23 में एक नई योजना, पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) का प्रावधान किया गया है,जिसे उत्तर पूर्वी परिषद के माध्यम से लागू किया जाएगा।

अन्य जानकारी

- पीएम-डिवाइन पीएम **गतिशक्ति की भावना के अनुरूप बुनियादी ढांचे और पूर्वोत्तर राज्यों की** जरूरतों के आधार पर **सामाजिक विकास परियोजनाओं** को वित्त पोषित **करेगा**।
- **उद्देश्य:**
  - युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करना।
  - विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त कमियों को भरना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: उत्तर-पूर्वी परिषद** के माध्यम से लागू।
- **फंडिंग: पीएम-डिवाइन योजना** के **लिए 1,500 करोड़ रुपये का** प्रारंभिक आवंटन किया जाएगा।

- **परियोजना चयन:** पीएम-डिवाइन योजना के तहत, **परियोजनाओं की सिफारिश केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा भी की जा सकती** है, लेकिन **प्राथमिकता, राज्यों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं को दी जाएगी**।
- यह योजना **मौजूदा केंद्रीय और राज्य योजनाओं का विकल्प नहीं होगी**।
- **महत्व:** पीएम-डिवाइन योजना युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करेगी, विभिन्न क्षेत्रों में अंतराल को भरेगी।

कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं में से कुछ निम्नलिखित हैं :

- गुवाहाटी में बाल चिकित्सा और वयस्क हेमटोलिम्फोइड कैंसर के प्रबंधन के लिए समर्पित सेवाएं,
- पश्चिमी तरफ आइजोल बाईपास का निर्माण, पश्चिम सिक्किम में पेलिंग से सांगा-चोएलिंग के लिए यात्री रोपवे प्रणाली के लिए अंतर वित्तपोषण
- दक्षिण सिक्किम में डैपर से भालेढुंगा तक पर्यावरण के अनुकूल रोपवे (केबल कार) के लिए अंतर वित्तपोषण
- मिजोरम के विभिन्न जिलों में विभिन्न स्थानों पर बांस लिंक रोड के निर्माण के लिए पायलट परियोजना।

देश विधेयक (DESH BILL)

सरकार संसद के मानसून सत्र में **उद्यम और सेवा केन्द्रों का विकास विधेयक/Development of Enterprise and Service Hubs (DESH) Bill** पेश करने की योजना बना रही है। यह विधेयक **वर्तमान विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम, 2005 का स्थान लेगा।**

अन्य जानकारी

- **विशेष आर्थिक क्षेत्रों का नाम बदलकर अब उद्यम और सेवा केंद्रों का विकास (देश) कर दिया जाएगा।**
- इन हबों को अब पांच वर्षों में संचयी रूप से शुद्ध विदेशी मुद्रा में धनात्मक रहने की आवश्यकता नहीं होगी (यानी, आयात से अधिक निर्यात) जैसा कि एसईजेड में अनिवार्य है।
- **हब को घरेलू बाजार में आसानी से बेचने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें शुल्क अंतिम उत्पाद के बजाय केवल आयातित इनपुट** और कच्चे माल पर लगाया जाएगा।
- मौजूदा एसईजेड व्यवस्था में घरेलू बाजार में अंतिम उत्पाद की बिक्री पर शुल्क का भुगतान किया जाता है।
- **विधेयक में घरेलू बाजार में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए एक सामान शुल्क लगाने का प्रस्ताव है** ताकि करों को बाह्य इकाइयों द्वारा लगाये गए करों के बराबर लाया जा सके।
- **नए केंद्रों के भीतर काम करने वाले व्यवसायों को प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा**, इसके उन्मूलन **से हब डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुरूप हो जायेंगे**।
- इकाइयों द्वारा अनुमत वस्तुओं के लिए वर्तमान एक वर्ष की अधिकतम भंडारण अवधि विधेयक से अप्रभावित रहेगी। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा भुगतान कानूनन अनिवार्य नहीं रहेगा।
- **केंद्र के वाणिज्य विभाग** ने मौजूदा एसईजेड शासन के दौरान **अधिकांश निर्णय लिए।**
    - इसके लागू हो जाने के बाद राज्य, विकास केंद्रों के अनुमोदन हेतु केंद्रीय बोर्ड को सीधे सिफारिश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, हब कैसे संचालित किये जाने हैं इस संदर्भ में राज्य बोर्ड स्थापित किए जाएंगे।

भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम

भारतीय फूटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (एफएलडीपी) को 1700 करोड़ रुपये के अनुमोदित वित्तीय परिव्यय के साथ 2021-22 से जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी गई है।

अन्य जानकारी

- यह एक **केन्द्रीय क्षेत्रक योजना** है जिसका उद्देश्य चमड़ा क्षेत्र के लिए अवसंरचना का विकास करना, चमड़ा क्षेत्र के लिए विशिष्ट पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करना, अतिरिक्त निवेश को सुविधाजनक बनाना, रोजगार सृजन करना और उत्पादन में वृद्धि करना है।
- **नोडल मंत्रालय:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
- **कार्यक्रम** के तहत उप-योजनाएं:
  - सतत प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संवर्धन
  - चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (आईडीएलएस)
  - संस्थागत सुविधाओं की स्थापना
  - मेगा चमड़ा फुटवियर और सहायक उपकरण क्लस्टर विकास
  - ब्रांड संवर्धन और डिजाइन स्टूडियो का विकास।

पर्वतमाला योजना

केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2022-23 के केंद्रीय बजट में पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम - "पर्वत माला" की घोषणा की।

अन्य जानकारी

- **नोडल मंत्रालय:** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)।
- **उद्देश्य:** सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में देश के पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे विकसित करना।
- 2022-23 में 60 किलोमीटर की लंबाई के लिए लगभग 8 रोपवे परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जाएगा।
- कार्यक्रम भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों को भी कवर करेगा, जहां पारंपरिक यातायात प्रणाली संभव नहीं है।
- यह कार्यक्रम वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे क्षेत्रों में शुरू किया जा रहा है।

कार्यक्रम की महत्ता	• **परिवहन का किफायती तरीका:** रोपवे परियोजनाएं पहाड़ी इलाके पर एक सीधी रेखा में बनाई जाती हैं, इसके परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण लागत भी कम होती है। इसलिए, सड़क की तुलना में प्रति किमी निर्माण की अधिक लागत होने के बावजूद, रोपवे परियोजनाओं की निर्माण लागत सड़क की तुलना में अधिक किफायती हो सकती है। • **परिवहन का तेज़ तरीका:** परिवहन के हवाई मोड के कारण, रोपवे सड़क परियोजनाओं की तुलना में बेहतर है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में एक सीधी रेखा में रोपवे बनाए जा सकते हैं। • **पर्यावरण के अनुकूल:** कम धूल उत्सर्जन, इसके जरिए पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है। • **अंतिम मील कनेक्टिविटी:** रोपवे परियोजनाएं 3-एस (एक प्रकार की केबल कार प्रणाली) या समकक्ष प्रौद्योगिकियों को अपनाने से प्रति घंटे 6000-8000 यात्रियों का परिवहन किया जा सकता है।

पावरथॉन-2022 (POWERTHON-2022)

विद्युत मंत्री आर के सिंह ने विद्युत वितरण क्षेत्र की जटिल समस्याओं को हल करने और गुणवत्तापूर्णएवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान खोजने के लिए एक हैकाथॉन प्रतियोगिता, पावरथॉन-2022 का वर्चुअल शुभारंभ किया।

अन्य जानकारी

- पावरथॉन-2022 **पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)** के तहत एक हैकाथॉन प्रतियोगिता है।
- यह विद्युत वितरण की जटिल समस्याओं को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान खोजने हेतु आयोजित किया गया था। यह गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास के तहत संचालित किया गया।
- हैकाथॉन में स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता (टीएसपी), शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, उपकरण निर्माता और राज्य विद्युत उपयोगिताओं और अन्य विद्युत संस्थाओं की भागीदारी थी।
- **हैकाथॉन के लिए नौ थीम थी :**
  1. मांग/लोड पूर्वानुमान,
  2. एटी एंड सी (सकल तकनीकी और वाणिज्यिक) हानि में कमी,
  3. बिजली चोरी का पता लगाना,
  4. डीटी (वितरण ट्रांसफार्मर) विफलता की भविष्यवाणी,
  5. संपत्ति निरीक्षण,
  6. वनस्पति/पेड़ पौधों का प्रबंधन,
  7. उपभोक्ता अनुभव में सुधार,
  8. नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और
  9. बिजली खरीद को इष्टतम करना।

वंदे भारत ट्रेन

केंद्रीय बजट 2022-2023 में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का प्रस्ताव दिया है।

अन्य जानकारी

- **'ट्रेन 18' के नाम से जानी जाने** वाली वंदे भारत ट्रेन स्वदेश निर्मित और **सेल्फ प्रोपेल्ड 'इंजन रहित' ट्रेन है।**
- 2019 में, 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में **इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ), चेन्नई** द्वारालगभग 18 महीनों में पहली वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया गया था।
- **भारत की पहली सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन** वंदे भारत की अधिकतम गति 160 किमी प्रति घंटे है। इसके बेहद कम समय में तेज होने (त्वरण) और धीमा होने के कारण यात्रा के समय में 25% से 45% की कमी होती है।
- ये ट्रेनें **लोकोमोटिव के बिना चलती हैं और डिस्ट्रिब्यूटेड ट्रैक्शन पावर टेक्नोलॉजी नामक एक प्रणाली द्वारा संचालित होती हैं,** जो प्रत्येक ट्रेन कार को अलग से शक्ति देती है।
- ये विद्युत पुनर्जनन के साथ अपने इंटेलीजेंट ब्रेकिंग सिस्टम के कारण **लागत प्रभावी, ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल** हैं।
- ट्रेन के वर्तमान संस्करण में 14 साधारण चेयर कार और दो एक्जीक्यूटिव क्लास चेयर कार के साथ कुल 16 कोच होते हैं।

क्षमता विकास योजना (CAPACITY DEVELOPMENT SCHEME)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षमता विकास (सीडी) योजना को मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

अन्य जानकारी

- यह योजना **सांख्यिकी और कार्यक्रम** कार्यान्वयन मंत्रालय की एक **केंद्रीय क्षेत्रक** योजना है।
- **उद्देश्य:** विश्वसनीय और समय पर आधिकारिक आंकड़ों की उपलब्धता को सक्षम करने के लिए अवसंरचनात्मक, तकनीकी और जनशक्ति संसाधनों को बढ़ाना।
- **उप-योजनाएं:** इस योजना में दो उप योजनाएं शामिल हैं:
- **सांख्यिकीय मजबूती के लिए समर्थन (एसएसएस):** इसका उद्देश्य विश्वसनीय आधिकारिक आंकड़ों को एकत्र करने, संकलित करने और प्रसारित करने के लिए राज्य सांख्यिकीय प्रणालियों की सांख्यिकीय क्षमता और संचालन में सुधार करना है।
- **आर्थिक गणना:** आर्थिक गणना के अंतर्गत समय-समय पर सभी गैर-कृषि प्रतिष्ठानों को सूचीबद्ध करने का काम किया जाता है जो विस्तृत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने का आधार होता है। यह देश के ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के विभिन्न परिचालन और संरचनात्मक चर पर अलग-अलग जानकारी प्रदान करती है।

एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर राष्ट्रीय रणनीति

(NATIONAL STRATEGY FOR ADDITIVE MANUFACTURING POLICY)

हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग / योगात्मक विनिर्माण नीति के लिए राष्ट्रीय रणनीति का अनावरण किया।

अन्य जानकारी

उद्देश्य	• भारत को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (एएम)के विकास और उपयोग के क्षेत्र में **एक वैश्विक केंद्र के रूप** में स्थापित करना। • भारत की एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग **बौद्धिक संपदा** की प्रमाणिकता को बनाए रखना और इसका संरक्षण करना। • इस क्षेत्र में ग्लोबल लीडर्स के लिए भारत में अपने सेटअप स्थापित करने के लिए एक **अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र** बनाना।
लक्ष्य	• वैश्विक एएम बाजार हिस्सेदारी का **5% हासिल करना** और इसके लिए **2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ना।** • **2025 तक 50 भारत विशिष्ट प्रौद्योगिकियों, 100 नए स्टार्ट-अप, 500 उत्पादों, 10 मौजूदा और नए विनिर्माण क्षेत्रों और** एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (एएम) क्षेत्र में 1 लाख नए कुशल जनशक्ति को विकसित करना।

रणनीति की मुख्य विशेषताएं:	• एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सामग्री विकसित करने के लिए मौजूदा अनुसंधान ज्ञान आधार को बदलने के लिए पीपीपी मोड में नवाचार और अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। • एएम उत्पादों को अपनाने के लिए जागरूकता पैदा की जाएगी। • प्रौद्योगिकी अपनाने और विकास में तेजी लाने के लिए ज्ञान और संसाधनों के एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा। • स्वदेशी एएम प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट केंद्र भी बनाए जाएंगे।

एडिटिव /योगात्मक विनिर्माण :

- **योगात्मक विनिर्माण (एएम)** को उस तकनीकी के रूप में परिभाषित किया गया है जो डिजिटल 3 डी मॉडल या सीएडी मॉडल के उपयोग से परत दर परत सामग्री जोड़कर तीन आयामी वस्तुओं का निर्माण करती है।
- सामग्री का जोड़ कई तरीकों से हो सकता है, अर्थात् पॉवर डिपोजिशन, रेजिन क्युरिंग और फिलामेंट फ्यूजिंग।
- तीन आयामी वस्तु बनाने के लिए एक कंप्यूटर द्वारा जमाव और ठोसकरण को नियंत्रित किया जाता है।
- एएम में डिजिटल प्रक्रियाओं, संचार, इमेजिंग, वास्तुकला और इंजीनियरिंग के माध्यम से भारत के विनिर्माण और औद्योगिक उत्पादन परिदृश्य में क्रांति लाने की अपार क्षमता है।

बाजार अवसंरचना संस्थान (MARKET INFRASTRUCTURE INSTITUTIONS)

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर इसके पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण के कार्यकाल के दौरान ढिलाई बरतने के लिए जुर्माना लगाया है।

अन्य जानकारी

- **स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग हाउस ये सभी बाजार अवसंरचना संस्थान (एमआईआई) हैं।**
- ये **देश केआर्थिक बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं**।
- 2010 में, एमआईआई के स्वामित्व और शासन से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था।
- अपनी 2010 की रिपोर्ट में, पैनल ने कहा कि 'बुनियादी ढांचा' शब्द का अर्थ एक प्रणाली के बुनियादी, अंतर्निहित ढांचे या विशेषताओं से है।
- यह भी कहा गया है कि **'बाजार बुनियादी ढांचा'** शब्द बाजार की मौलिक सुविधाओं और प्रणालियों को दर्शाता है।

संस्थान जो भारत में एमआईआई के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं:

- **स्टॉक एक्सचेंज:** सेबी ने बीएसई, एनएसई, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया सहित सात को एमआईआई के रूप में सूचीबद्ध किया है।
- **क्लियरिंग हाउस:** वे प्रतिभूतियों के व्यापार को पुष्ट और अंतिम रूप देने में मदद करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि खरीदार और विक्रेता दोनों अपने दायित्वों का पालन कर रहें हैं। सेबी ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन सहित सात क्लियरिंग हाउसों को एमआईआई के रूप में सूचीबद्ध किया है।
- **डिपॉजिटरी:** इन पर प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने और उनके व्यापार और हस्तांतरण को सक्षम करने का दायित्व होता है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एमआईआई के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

एमआईआई के विनियमन के लिए महत्वपूर्ण शासन मानदंड के कारण :

- **एमआईआई की किसी भी विफलता के परिणामस्वरूप समग्र आर्थिक गिरावट** हो सकती है जो संभावित रूप से प्रतिभूति बाजार की सीमाओं से परे हो सकती है। इसलिए, एमआईआई का प्रशासन और निरीक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और उन्हें उच्चतम मानकों का होना चाहिए।
- उदाहरण के लिए, सेबी ने मानदंड निर्धारित किए हैं, जिसके अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज को अपनी तकनीकी विफलता की स्थिति में कार्यवाही करनी होगी, इसमें एक संस्थान द्वारा आपदा से रिकवरी के लिये सर्वरों का बैकअप लेने के लिए स्विचओवर के नियम शामिल हैं, ये सर्वर रोजाना हजारों करोड़ रुपये के लेनदेन को सक्षम बनातेहैं।

समर्थ (SAMARTH)

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (एमएसएमई) ने **महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान - "समर्थ"** लॉन्च किया।

अन्य जानकारी

- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** द्वारा शुरू किया गया।
- **उद्देश्य:** यह महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान है जो उन्हें स्वरोजगार के अवसरों का उपक्रम करके आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने का अवसर प्रदान करता है।
- **योजना की मुख्य विशेषताएं:** इस पहल के तहत, इच्छुक और मौजूदा महिला उद्यमियों के लिए निम्नलिखित लाभ उपलब्ध होंगे-
  - **मंत्रालय की कौशल विकास योजनाओं के तहत आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों** में 20% सीटें महिलाओं के लिए आवंटित की जाएंगी।
  - **मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विपणन सहायता** की योजनाओं के तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भेजे गए एमएसएमई व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का 20% महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई को समर्पित किया जाएगा।
  - राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) की वाणिज्यिक योजनाओं के लिये वार्षिक प्रसंस्करण शुल्क पर 20% की छूट जैसे सिंगल प्वाइंट पंजीकरण योजना, कच्चे माल की सहायता और बिल छूट, निविदा विपणन आदि।
  - **उद्यम पंजीकरण के** तहत महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान।

योजना का महत्व:

- इस पहल के माध्यम से, सरकार **वित्त वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों से 7500 से अधिक महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने की** योजना बना रही है।
- **इसके अलावा, महिलाओं को** घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के अवसर भी मिलेंगे।

स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (START-UP VILLAGE ENTREPRENEURSHIP PROGRAMME)

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) ने 'स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम' (एसवीईपी) के द्वारा जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं एक स्थायी मॉडल विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

अन्य जानकारी

- यह 2016 में **ग्रामीण विकास मंत्रालय** द्वारा **दीनदयाल अंत्योदय** योजना - **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)** के तहत एक उप-योजना के रूप में शुरू किया गया था।

उद्देश्य	• ग्रामीण गरीबों को उद्यम स्थापित करने और उद्यमों के स्थिर होने तक सहायता प्रदान करके गरीबी से बाहर आने में सहायता करना। • यह उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय सामुदायिक कैडर बनाते हुए वित्तीय सहायता और व्यवसाय प्रबंधन एवं सॉफ्ट कौशल में प्रशिक्षण के साथ स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने पर भी केंद्रित है।
स्तंभ	• यह ग्रामीण स्टार्ट-अप के तीन प्रमुख स्तंभों को संबोधित करता है – वित्त, इनक्यूबेशन और कौशल पारिस्थितिक तंत्र।
विशेषताएं	• एसवीईपी व्यक्तिगत और समूह उद्यमों दोनों को बढ़ावा देता है और मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में उद्यमों को बढ़ावा देता है। • सामुदायिक संसाधन व्यक्ति - उद्यम संवर्धन (सीआरपी-ईपी): ये प्रमाणित स्थानीय व्यक्ति हैं जो उद्यमियों को व्यवसाय सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं। • **ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी):** यह सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की निगरानी और प्रबंधन, एसवीईपी ऋण का मूल्यांकन करने और संबंधित ब्लॉक में उद्यम से संबंधित जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया है।
तकनीकी सहायता:	• भारतीय उद्यमिता संस्थान (ईडीआईआई), अहमदाबाद एसवीईपी का तकनीकी सहायता भागीदार है।

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) (NATIONAL LAND MONETIZATION CORPORATION)

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

अन्य जानकारी

- राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) को **5000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी और 150 करोड़ रुपये की चुकता शेयर पूंजी के** साथ **भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी** के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- इसकी **स्थापना और प्रशासन वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा किया जाएगा**।
- यह **अधिशेष भूमि और भवन परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा** -
  - केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई)
  - अन्य सरकारी एजेंसियां।

एनएलएमसी की संरचना:

- एनएलएमसी के पास सीपीएसई और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से भूमि परिसंपत्तियों का पेशेवर प्रबंधन और मुद्रीकरण करने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता होगी।
- **एनएलएमसी के निदेशक मंडल** में कंपनी के पेशेवर संचालन और प्रबंधन को सक्षम करने के लिए केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- एनएलएमसी के अध्यक्ष और गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी।

एनएलएमसी के मुख्य कार्य:

- एनएलएमसी से अपेक्षा की जाती है कि वह बंद हो रहे केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की अधिशेष भूमि और भवन परिसंपत्तियों और रणनीतिक विनिवेश के अंतर्गत सरकारी स्वामित्व वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की अधिशेष गैर-प्रमुख भूमि परिसंपत्तियों का स्वामित्व, धारिता, प्रबंधन और मुद्रीकरण करे।
- इससे सीपीएसई को बंद करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और सरकारी स्वामित्व वाले सीपीएसई की रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया सुगम होगी।
- इन परिसंपत्तियों को रखने, प्रबंधित करने और मुद्रीकृत करने के लिए इन परिसंपत्तियों को एनएलएमसी को हस्तांतरित किया जा सकता है।
- एनएलएमसी अन्य सरकारी संस्थाओं (सीपीएसई सहित) को उनकी अधिशेष गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों की पहचान करने और अधिकतम मूल्य प्राप्ति के लिए पेशेवर और कुशल तरीके से मुद्रीकरण करने में सलाह और समर्थन भी देगा।

एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम (MSME INNOVATIVE SCHEME)

हाल ही में, **एमएसएमई (मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम) मंत्रालय** ने **एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022 के साथ एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम (इनक्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर) शुरू की है।**

अन्य जानकारी

- **लक्ष्य**
  - एमएसएमई क्षेत्र की अप्रयुक्त रचनात्मकता को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए,
  - नवाचार गतिविधियों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना, विकास संबंधी विचार जो समाज को सीधे लाभान्वित कर सकते हैं को एक व्यवहार्य व्यवसाय के रूप में बदलना और उसका मार्गदर्शन करना।
- **इस योजना के तहत तीन उप-योजनाएँ शामिल हैं:**

इनक्यूबेशन	• इसका उद्देश्य अप्रयुक्त रचनात्मकता को बढ़ावा देना, समर्थन करना और एमएसएमई में ऐसे नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना है जो प्रूफ ऑफ़ कांसेप्ट स्तर पर अपने विचारों को फलीभूत करने का प्रयास कर रहें हैं। • प्रति आइडिया 15 लाख रुपये तक और संबंधित संयंत्रों और मशीनों के लिए एक करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
डिज़ाइन	• इसका उद्देश्य भारतीय विनिर्माण क्षेत्र और डिजाइन विशेषज्ञता / डिजाइन समुदाय को एक साझे मंच पर लाना है। • डिजाइन परियोजनाओं के लिए 40 लाख रुपये तक और छात्र परियोजनाओं के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार)	• इसका उद्देश्य एमएसएमई के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भारतीय अर्थव्यवस्था में रचनात्मक बौद्धिक प्रयास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत में आईपी संस्कृति में सुधार करना है। • विदेशी पेटेंट के लिए 5 लाख रुपये, घरेलू पेटेंट के लिए एक लाख रुपये, जीआई पंजीकरण के लिए दो लाख रुपये, डिजाइन पंजीकरण के लिए 15,000 रुपये, प्रतिपूर्ति के रूप में ट्रेडमार्क के लिए 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता ।

राष्ट्रीय रेल योजना विजन 2030

भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना (एनआरपी)- 2030 तैयार की है। राष्ट्रीय रेल योजना (एनआरपी) 2030 तक 'फ्यूचर रेडी (भविष्योन्मुख)' रेलवे प्रणाली के लिए विकसित की गयी है।

राष्ट्रीय रेल योजना विजन 2030 की मुख्य विशेषताएं:

- **परिचालन क्षमताओं और वाणिज्यिक नीतिगत पहलों दोनों के आधार पर माल ढुलाई में रेलवे की मोडल हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाने के लिए रणनीतियां बनाना**।
- **औसत मालगाड़ी की** गति को 50 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाकर माल पारगमन समय को काफी कम करना।
- योजना के भाग के रूप में, **2024** तक कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं **जैसे 100% विद्युतीकरण**, **भीड़भाड़ वाले मार्गों की मल्टी-ट्रैकिंग, दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई मार्गों** पर गति को 160 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाने और स्वर्णिम चतुर्भुज-स्वर्ण विकर्ण (जीक्यू/जीडी) पर सभी लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करने के लिए विजन 2024 शुरू किया गया है।
- **नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर** और हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की पहचान करना।
- माल ढुलाई के लिए वैगनों के साथ-साथ यात्री यातायात के लिए रोलिंग स्टॉक की आवश्यकता का विश्लेषण करना।
- 100% विद्युतीकरण (हरित ऊर्जा) और माल ढुलाई मोडल हिस्सेदारी बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोकोमोटिव आवश्यकताओं का आकलन करना।
- रोलिंग स्टॉक के प्रचालन और स्वामित्व, माल ढुलाई और यात्री टर्मिनल के विकास, ट्रैक अवसंरचना के विकास/प्रचालन जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की सतत भागीदारी।

विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियां (SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANIES)

सरकार कथित तौर पर विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियों (एसपीएसी) के लिए एक नियामक ढांचे पर विचार कर रही है।

अन्य जानकारी

- एसपीएसी या **ब्लैंक-चेक कंपनी एक इकाई है** जिसे **विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में फर्म का अधिग्रहण करने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है।**
- एसपीएसी **का उद्देश्य बिना किसी परिचालन या राजस्व के प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश/Initial Public Offering (आईपीओ) के माध्यम से धन जुटाना है।**
- जनता से जो पैसा जुटाया जाता है, उसे एस्क्रो खाते में रखा जाता है जिसे अधिग्रहण करते समय एक्सेस किया जा सकता है।
- यदि आईपीओ के दो साल के भीतर अधिग्रहण नहीं किया जाता है, तो एसपीएसी को डीलिस्ट कर दिया जाता है, और निवेशकों को पैसा वापस कर दिया जाता है।

ये आकर्षक क्यों हैं?

- एसपीएसी **महत्वपूर्ण शेल कंपनियां** होती हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारक जो इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है, वह इसमें शामिल लोग हैं जो इसे स्पोंसर करते हैं।
- विश्व स्तर पर, प्रसिद्ध नामचीन ने एसपीएसी में भाग लिया है।

चिकित्सा उपकरण मार्केटिग प्रथाओं के लिए समान संहिता का मसौदा (DRAFT UNIFORM CODE FOR MEDICAL DEVICE MARKETING PRACTICES)

फार्मास्यूटिकल्स विभाग (डीओपी) ने मेडिकल डिवाइस मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (यूसीएमडीएमपी) के लिए एक समान संहिता का मसौदा प्रकाशित किया है।

अन्य जानकारी

- संहिता का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण उद्योग में **निष्पक्ष विपणन प्रथाओं को विनियमित करने के उद्देश्य से एक स्वैच्छिक संहिता बनाना** है।
- **इसकी आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि चिकित्सा उपकरण उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स से विशिष्ट रूप से अलग है**।
- इसलिए, चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए नैतिक विपणन अभ्यास आवश्यकताओं को सटीक रूप से समझने के लिये एक **अलग संहिता की आवश्यकता थी**।

संहिता के मुख्य प्रावधान:

- चिकित्सा पेशेवरों के साथ अधिक सहयोग की अनुमति देता है
- चिकित्सा उपकरण कंपनियों को परामर्श सेवाओं, नैदानिक अध्ययन और अनुसंधान, कंपनी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण और निरंतर चिकित्सा शिक्षा सत्रों में भागीदारी जैसी गतिविधियों के लिए चिकित्सा पेशेवरों के साथ सहयोग करने की अनुमति देता है।
  - चिकित्सा पेशेवरों को उपहार पर रोक
  - **संहिता में यह स्पष्ट कर दिया है कि चिकित्सा उपकरण** उद्योग द्वारा अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए **डॉक्टरों या उनके परिवारों को कोई उपहार या लाभ के रूप में** भुगतान नहीं किया जा सकता है।
  - ये उपहार थिएटर टिकट, लाइव कॉमेडी शो या संगीत के टिकट, खेल आयोजनों के टिकट, गोल्फ, स्कीइंग, क्रूज, स्पा उपचार या छुट्टियां हो सकते हैं।
- **हालांकि, व्यवसायों को कभी-कभी डॉक्टरों को मामूली, उपयोगी शैक्षिक सामग्री देने की अनुमति दी जाएगी** जो रोगियों के लिए फायदेमंद हैं।

भारतनेट परियोजना

सरकार भारतनेट परियोजना के लिए संशोधित सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल लाने की योजना बना रही है।

अन्य जानकारी:

- भारतनेट परियोजना **एनओएफएन (नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क) का नया ब्रांड नाम** है जिसे देश की सभी **ग्राम पंचायतों (लगभग 2.6 लाख)** को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।
- इसे **दूरसंचार विभाग (डीओटी) के तहत भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल)** नामक **एक स्पेशल पर्पज विह्किल द्वारा कार्यान्वित किया** जा रहा है।
- इसे **यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) द्वारा वित्त** पोषित किया जा रहा है।

फाइबर ऑप्टिक प्रौद्योगिकी:

- **फाइबर ऑप्टिक्स एक ऐसी तकनीकी है जो** कांच या प्लास्टिक से बने फाइबर तारों के जरिए तरंगों (पल्स) के द्वारा **लंबी दूरी** तक जानकारी प्रसारित करने की अनुमति देती है।
- फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली के तीन मुख्य घटक हैं-**ऑप्टिकल ट्रांसमीटर, फाइबर ऑप्टिक केबल और ऑप्टिकल रिसीवर** होते हैं।
- **विद्युत संकेतों को ऑप्टिकल ट्रांसमीटरों द्वारा ऑप्टिकल संकेतों में बदल दिया जाता है।**
- फाइबर ऑप्टिक केबल **ऑप्टिकल ट्रांसमीटर से ऑप्टिकल रिसीवर तक ऑप्टिकल सिग्नल को ले जाता है।**
- **ऑप्टिकल सिग्नल को ऑप्टिकल रिसीवर द्वारा विद्युत संकेत में वापस परिवर्तित किया जाता है**।
- ऑप्टिकल फाइबर लचीले होते हैं और **केबलों में बंडल किए जा सकते** हैं, इनका उपयोग संचार और नेटवर्किंग माध्यम के रूप में किया जाता है।

चिप्स टू स्टार्टअप (C2S) कार्यक्रम

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने अपने चिप्स टू स्टार्टअप (सी2एस) कार्यक्रम के तहत 100 शिक्षाविदों, अनुसंधान एवं विकास संगठनों, स्टार्ट-अप और एमएसएमई से आवेदन मांगे हैं।

अन्य जानकारी

- **उद्देश्य:** कार्यक्रम का उद्देश्य वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन (वीएलएसआई) और एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन के क्षेत्र में 85,000 उच्च गुणवत्ता वाले एवं योग्य इंजीनियरों को प्रशिक्षित करना है।
- योजना 175 एएसआईसी (एप्लिकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट), 20 सिस्टम ऑन चिप्स (एसओसी) के वर्किंग प्रोटोटाइप और 5 साल के लिए एक आईपी कोर रिपॉजिटरी विकसित करने की है।
- **भाग लेने वाले संस्थान:** यह कार्यक्रम देश भर में लगभग 100 शैक्षणिक संस्थानों / आर एंड डी संगठनों (आईआईटी, एनआईटी, सरकारी / निजी कॉलेजों और आर एंड डी संगठनों सहित) में लागू किया जाएगा। स्टार्टअप और एमएसएमई भी अकादमिक-उद्योग सहयोगी परियोजना, ग्रैंड चैलेंज/हैकाथॉन/आरएफपी के तहत अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।
- **नोडल कार्यान्वयन एजेंसी:** सी-डैक ।
- **सी2एस कार्यक्रमके तहत प्रस्तावों की तीन श्रेणियां,** संस्थानों की विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल) और डिजाइन अनुभव के आधार पर तीन श्रेणियों में तीन प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं:
  - एसओसी /सिस्टम / एएसआईसी / पुन: प्रयोज्य आईपी कोर का डिजाइन और विकास
  - आईपी/एसओसी/एएसआईसी के अनुप्रयोग-उन्मुख कार्य प्रोटोटाइप का विकास।
  - एएसआईसी/एफपीजीए के प्रूफ ऑफ़ कांसेप्ट उन्मुख अनुसंधान एवं विकास ।

सागरमाला कार्यक्रम

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम सागरमाला ने **सात वर्ष पूरे कर लिए हैं।**

अन्य जानकारी

- सागरमाला **औद्योगिक विकास को गतिमान करने के लिए देश की तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों का लाभ उठाने के लिए परियोजनाओं की एक श्रृंखला है।**
- सागरमाला की अवधारणा को **25 मार्च, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया** गया था। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, **भारत की 7,500 किलोमीटर की तटरेखा, 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्ग**और समुद्री क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान (एनपीपी) तैयार किया गया था, जिसे अप्रैल, 2016 में मैरीटाइम इंडिया समिट 2016 में जारी किया गया।

उद्देश्य:

- **बंदरगाह आधुनिकीकरण और नए बंदरगाह विकास**
- **बंदरगाह कनेक्टिविटी को बढ़ावा और** बंदरगाह उन्मुख औद्योगिकीकरण एवं तटीय सामुदायिक विकास
- **सागरमाला कार्यक्रम** के तहत पहचान की गई परियोजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित बंदरगाहों, राज्य सरकारों/समुद्री बोर्डों, केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा मुख्य रूप से निजी या सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से किया जाएगा।
- **राज्य सरकार और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की एजेंसियों** द्वारा बंदरगाह अवसंरचना परियोजनाओं, तटीय परियोजनाओं, सड़क एवं रेल परियोजनाओं, मत्स्यन हार्बर, कौशल विकास परियोजनाओं, क्रूज टर्मिनल और रो-पैक्स फेरी सेवाओं आदि जैसी अनूठी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारतमाला और सागरमालामें अंतर?

- **भारतमाला देश भर में सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए एक अम्ब्रेला कार्यक्रम** है, जबकि **सागरमाला तट रेखा** के **साथ बंदरगाहों को विकसित और आधुनिक बनाने के लिए सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम** है।
- 'भारतमाला परियोजना' के तहत 2022 तक लगभग 35,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण या उन्नयन किया जाना है।
- इसके **अलावा'सागरमाला परियोजना' के तहत तटीय क्षेत्रों और बंदरगाहों से सटे क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है**।

क्वालकॉम सेमीकंडक्टर मेंटरशिप प्रोग्राम

क्वालकॉम ग्रुप ऑफ कंपनीज (नैस्डैक: क्यूकॉम) का क्वालकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (क्वालकॉम) क्वालकॉम® सेमीकंडक्टर मेंटरशिप प्रोग्राम ('क्यूएसएमपीएल') 2022 शुरू किया है।

अन्य जानकारी

- **सी-डैक (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग) के** सहयोग से क्वालकॉम इंडिया की पहल।
- **उद्देश्य:** चयनित सेमीकंडक्टर स्टार्टअप को मेंटरशिप, तकनीकी प्रशिक्षण और उद्योग आउटरीच प्रदान करके उनका समर्थन करना।
- **विशेषताएं :**
  - **कार्यक्रम के तहत, क्वालकॉम इंडिया** क्यूएसएमपी 2022 के लिए 10 भारतीय सेमीकंडक्टर स्टार्टअप को शॉर्टलिस्ट करेगा।
  - शॉर्टलिस्ट**प्रत्येक स्टार्टअप को** उत्पाद विकास और योजना मार्गदर्शन के लिए क्वालकॉम इंडिया के साथ संबद्ध किया जाएगा। **समय-समय पर, स्टार्टअप और मेंटर व्यक्तिगत रूप से या आभासी रूप से एक साथ सहयोग करेंगे**।
  - **शॉर्टलिस्ट किए गए स्टार्टअप्स को क्वालकॉम इंडिया के नेतृत्व में** गैर-तकनीकी विषयों जैसे पिच, आईपीआर, मार्केटिंग, सरकारी प्रोत्साहन/अवसर, टीमों को बढ़ाने के अलावा अर्धचालक डिजाइन, परीक्षण और सत्यापन जैसे "मास्टरक्लास" कार्यशालाओं से भी लाभ होगा।

राष्ट्रीय ओपन एक्सेस रजिस्ट्री

नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री (एनओएआर) 1 मई 2022 से सफलतापूर्वक लाइव हो गई है।

अन्य जानकारी	• यह एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से भारत में अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए अल्पकालिक ओपन पहुंच का प्रबंधन किया जा रहा है। • **विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू** किया गया। • **नोडल एजेंसी:** पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीओएसओसीओ) द्वारा संचालित राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी)।
विशेषताएं	• ओपन एक्सेस प्रतिभागियों, व्यापारियों, पावर एक्सचेंजों और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य लोड डिस्पैच केंद्रों सहित सभी हितधारकों के पास प्लेटफ़ॉर्म तक पहुंच है। • अंतरराज्यीय अल्पकालिक ओपन एक्सेस लेनदेन से जुड़े भुगतान करने के लिए, एक भुगतान गेटवे भी इस प्लेटफ़ॉर्म में एकीकृत है।

लाभ	• एनओएआर तेजी से विद्युत बाजारों और नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) संसाधनों के ग्रिड एकीकरण को सक्षम करने के लिए आवश्यक होगा। • इसके अतिरिक्त, यह ओपन-एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बाजार में भाग लेना आसान और तेज बना देगा, जो भारत में कुल मांग का लगभग 10% है।

नाविक ग्रैंड चैलेंज (NAVIC GRAND CHALLENGE)

वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (एनएसएसी) की बैठक में नाविक ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया।

अन्य जानकारी

- **NavIC ग्रैंड चैलेंज** का उद्देश्य NavIC को जियो-पोजिशनिंग समाधान के रूप में अपनाने को बढ़ावा देना है, जो डिजिटल आत्मनिर्भरताका एक प्रमुख घटक है।
- ग्रैंड चैलेंज के लिए आवेदन स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट (www.startupindia.gov.in) पर आमंत्रित हैं और इसका उद्देश्य उन स्टार्टअप्स के समाधानों की पहचान करना और विकसित करना है जो **NavIC** सक्षम ड्रोन विकसित करने में लगे हुए हैं।

राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (एनएसएसी):

- इसका गठन **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)** द्वारा किया गया था।
- यह सरकार को सतत आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा **करने के लिए देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने एवं एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सलाह देता** है।
- **परिषद की संरचना:**
  - **अध्यक्ष:** वाणिज्य और उद्योग मंत्री।
  - **परिषद के संयोजक:** संयुक्त सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग।
  - **पदेन सदस्य:** संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे नहीं हों.
  - गैर-सरकारी सदस्य, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।

सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए नए दिशानिर्देश (NEW GUIDELINES FOR MICRO & SMALL ENTERPRISES CLUSTER DEVELOPMENT PROGRAMME)

सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी है। **यह कार्यक्रम 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के दौरान लागू किया जाएगा।**

अन्य जानकारी

- सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के साथ-साथ क्षमता निर्माण की एक प्रमुख रणनीति के रूप में क्लस्टर विकास दृष्टिकोण अपनाया है।
- **नोडल मंत्रालय: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)।**

उद्देश्य	• प्रौद्योगिकी, कौशल और गुणवत्ता आदि में सुधार जैसे सामान्य मुद्दों को संबोधित करके एमएसई की स्थिरता और विकास का समर्थन करना। • स्वयं सहायता समूहों के गठन, एसोसिएशन के उन्नयन आदि के माध्यम से सामान्य सहायक कार्यवाही के जरिए एमएसई की क्षमता का निर्माण करना। • एमएसई के नए/मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/समूहों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन/उन्नयन करना। • सामान्य सुविधा केंद्रों (परीक्षण, प्रशिक्षण केंद्र, कच्चे माल के लिये डिपोआदि) स्थापित करना।
एमएसई-सीडीपी के लिए नए दिशानिर्देश	• केंद्र सरकार का अनुदान कुछ शर्तों के तहत परियोजना की लागत के 70% और 60% तक सीमित होगा। • इसी तरह के प्रतिबंध एक नए औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए लगाए गए हैं।

प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना (TECHNOLOGY DEVELOPMENT FUND SCHEME)

रक्षा मंत्री ने प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) योजना के तहत वित्त पोषण को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये प्रति परियोजना करने को मंजूरी दे दी है।

अन्य जानकारी

- **उद्देश्य:** रक्षा अनुप्रयोग के लिए स्वदेशी अत्याधुनिक प्रणालियों का निर्माण करके आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।
- यह योजना मेक इन इंडिया पहल के तहत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर **रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करेगी**।
- **नोडल मंत्रालय:** रक्षा मंत्रालय
- **निष्पादन एजेंसी:** रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ)।

विशेषताएं :

- इस योजना के भाग के रूप में, डीआरडीओ वर्तमान अनुप्रयोगों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं को उन्नत करने के लिए संसाधन और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। व्यवसायों को कम उत्पादन लागत, बेहतर कार्यक्षमता और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों से लाभ होता है।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- कुल परियोजना लागत का 90% तक इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पहले 10 करोड़ रुपये तक की राशि तक सीमित थी, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- 49% से अधिक विदेशी निवेश वाली फर्म को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

भारत में नमक उद्योग (SALT INDUSTRY IN INDIA)

नमक उद्योग मांग को पूरा करने और नमक किसानों और श्रमिकों के संकट से निपटने में भारी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

अन्य जानकारी

- **केंद्रीय नियंत्रण: नमक** 7वीं अनुसूची में **संघ सूची** के अंतर्गत है।
- **नोडल एजेंसी:** नमक आयुक्त का संगठन (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय)।

- भारत विश्व में नमक उत्पादन के मामले में **संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है।**
- समुद्री नमक देश में कुल नमक उत्पादन का लगभग 70% है।
- **गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा और राजस्थान राज्य में नमक निर्माण गतिविधियां संचालित होती हैं।**
- गुजरात प्रति वर्ष लगभग 28.5 मिलियन टन नमक का उत्पादन करता है जो **देश के कुल उत्पादन का 80% से अधिक है।**
- **हिमाचल और राजस्थान में, नमक खनन द्वारा उत्पादित किया जाता है** जबकि गुजरात सहित अन्य राज्यों में, नमक का उत्पादन समुद्री जल की सौर-वाष्पीकरण प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

व्यापार सुधार कार्य योजना (BUSINESS REFORMS ACTION PLAN)

वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (बीआरएपी) 2020 के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आकलन की घोषणा की है।

अन्य जानकारी

- **उद्देश्य:** निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देना, व्यापार के अनुकूल वातावरण को विकसित करना और व्यापार सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन में राज्यों का प्रदर्शन के आधार पर आकलन करके स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तत्व को शामिल करना एवं व्यवसाय सुगमता को बढ़ाना।
- **जारीकर्ता :**वर्ष 2014 से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा।
- **पैरामीटर:** इसमें 301 सुधार बिंदु शामिल हैं जो 15 व्यावसायिक नियामक क्षेत्रों जैसे सूचना तक पहुंच, एकल खिड़की प्रणाली, श्रम, पर्यावरण, क्षेत्रीय सुधार और एक विशिष्ट व्यवसाय के जीवनचक्र में शामिल अन्य सुधारों को कवर करते हैं।
- **बीआरएपी 2020 में पहली बार क्षेत्रीय सुधार पेश किए** गए हैं, जिसमें 9 क्षेत्रों के अंतर्गत 72 सुधारों की पहचान की गई है: व्यापार लाइसेंस, स्वास्थ्य सेवा, कानूनी मेट्रोलॉजी, सिनेमा हॉल, आतिथ्य, फायर एनओसी, दूरसंचार, मूवी शूटिंग और पर्यटन।
- **श्रेणियाँ:** रिपोर्ट राज्यों केरैंक की घोषणा करने की बजाए 1) टॉप अचीवर्स, 2) अचीवर्स, 3) एस्पायरर्स और 4) इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम में वर्गीकृत करती है।

मुख्य निष्कर्ष	• राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में **सात राज्यों** आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु को 'टॉप अचीवर्स' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। • **अचीवर्स :** हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश रैंकिंग में अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत राज्य हैं। • **इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम:** छह राज्य /केन्द्रशासित प्रदेश - मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर। • **एस्पायरर्स:** सात राज्यों - गोवा, असम, केरल, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल को 'एस्पायरर्स' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

उद्यमी भारत कार्यक्रम (UDYAMI BHARAT PROGRAMME)

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने 'उद्यमी भारत' कार्यक्रम में भाग लिया और एमएसएमई के लिए कई प्रमुख पहलों की शुरुआत की।

अन्य जानकारी

- **उद्देश्य:** एमएसएमई को वैश्विक बाजार के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय मानकों के उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- यह **वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारतीय एमएसएमई की भागीदारी को बढ़ाएगा** और उन्हें अपनी निर्यात क्षमता को समझने में मदद करेगा।

एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने का कार्यक्रम (रैंप) योजना	• **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना। • **वित्त पोषण:** यह विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम है। • **उद्देश्य:** बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार, केंद्र और राज्यों में संस्थानों और शासन को सशक्त करना, केंद्र-राज्य लिंकेज और साझेदारी में सुधार करना, विलंबित भुगतान के मुद्दों को संबोधित करना एवं ग्रीनिंग (हरित उपायों) के जरिए एमएसएमई को सहायता प्रदान करना।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	• पीएमईजीपी के तहत, गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में सहायता करके बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। **केवीआईसी नोडल निकाय है।** • अब, आवेदक आकांक्षी जिलों से आवेदन कर सकते हैं जो ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। इसके अलावा, अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख (विनिर्माण के लिए) और 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख (सेवा क्षेत्र के लिए) कर दी गई है।
एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022	• **उद्देश्य:** व्यक्तियों की अप्रयुक्त रचनात्मकता को बढ़ावा देना और समर्थन करना, एमएसएमई के बीच नवीनतम प्रौद्योगिकियों और नवाचार को बढ़ावा देना। • चयनित इनक्यूबेट विचारों को प्रति अनुमोदित विचार 15 लाख रुपये तक का वित्त पोषण सहायता प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम

(NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT PROGRAMME)

वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम की गतिविधियों की समीक्षा के लिए गठित शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की पहली बैठक की अध्यक्षता की।

अन्य जानकारी

- यह भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य नए औद्योगिक शहरों को "स्मार्ट शहरों" के रूप में विकसित करना और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को शामिल करना है।
- **उद्देश्य:**
  - औद्योगिक उत्पादन का विस्तार करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, और उद्योगों के लिए प्लॉट स्तर पर प्लग एंड प्ले बुनियादी ढांचा प्रदान करके नए और बढ़ते कार्यबल के लिए बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक सुविधाएं प्रदान करना।

- **ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहर (जीआईसी):** यह भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य टिकाऊ, 'प्लग एन प्ले', आईसीटी सक्षम ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहरों (जीआईसी) का निर्माण करना है ताकि उद्योगों को गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढांचा प्रदान करके देश में विनिर्माण निवेश को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- **निवेश आकर्षित करना:** इन शहरों में विकसित भूमि, विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के लिए तत्काल आवंटन के लिए उपलब्ध होंगे, जिससे पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

- **फंडिंग:** एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने एनआईसीडीपी का समर्थन करने के लिए $ 250 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी)।
- एनआईसीडीसी लिमिटेड डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) है।
- **शीर्ष निगरानी प्राधिकरण:** कार्यक्रम की गतिविधियों की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की स्थापना की गई है।
- **मौजूदा गलियारे:** इसमें विभिन्न निर्माणाधीन और प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे हैं जैसे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी), बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा (बीएमआईसी) आदि।
- **एनआईसीडीसी**: राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी), एक परियोजना विकास एजेंसी है और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) परियोजना विकास और कार्यान्वयन गतिविधियों को पूरा करने के लिए धन प्रदान करता है।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी) (पूर्व में डीएमआईसीडीसी):

- **यह 2008 में स्थापित डीएमआईसी के लिए परियोजना विकास एजेंसी और डीएमआईसी ट्रस्ट के लिए** ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल एक विशेष प्रयोजन वाहन है।
- **अन्य औद्योगिक गलियारों को शामिल करने के लिए 2016 में इसका विस्तार किया गया था** और इस प्रकार इसे एनआईसीडीसी नाम दिया गया है।
- **राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी):** यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक शीर्ष निकाय है।
- इसे 2007 में डीएमआईसी ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था और 2016 में इसका नाम बदल दिया गया।

बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल : BUILD-OPERATE-TRANSFER (BOT) MODEL

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल का उपयोग करके निजी भागीदारों के लिये कम से कम दो राजमार्ग उन्नयन परियोजनाओं को शुरू करने की योजना बनाई थी।

सम्बंधित अन्य जानकारी

- बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) अनुबंध एक **मॉडल है जिसका उपयोग बड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है, आमतौर पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से विकसित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं।**
- बीओटी के तहत, एक इकाई- आमतौर पर सरकार- किसी निजी कंपनी को किसी परियोजना के वित्तपोषण, निर्माण और संचालन के लिए रियायत देती है।

- कंपनी अपने निवेश को वसूल करने और सरकार को परियोजना का नियंत्रण हस्तांतरित करने के लक्ष्य के साथ कुछ अवधि (शायद 20 या 30 साल) के लिए परियोजना का संचालन करती है।

एनएचएआई, बीओटी मॉडल को किस प्रकार लागू करने की योजना बना रहा है?

- सरकार ने रियायत अवधि के दौरान हर पांच वर्ष में किसी परियोजना की राजस्व क्षमता का आकलन करने का फैसला किया है, जबकि पहले यह अवधि 10 वर्ष थी।
- इसका मतलब यह होगा कि रियायत अवधि (या अवधि जब तक सड़क डेवलपर्स टोल एकत्र कर सकते हैं) अनुबंध की अवधि में जल्दी बढ़ा दी जाती है, जिससे निजी कंपनी के लिए राजस्व की गारंटी सुनिश्चित होती है।

महत्वपूर्ण पीपीपी मॉडल:

इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) मॉडल	• इस मॉडल के तहत लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है। सरकार ने निजी कंपनियों से इंजीनियरिंग विशेषज्ञता के लिए बोलियां आमंत्रित करती है। कच्चे माल की खरीद और निर्माण लागत सरकार द्वारा पूरी की जाती हैं। • निजी क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम होती है और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता के प्रावधान तक सीमित है। इस मॉडल की एक प्रमुख समस्या सरकार पर उच्च वित्तीय बोझ है।
हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम)	• एचएएम ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) और बीओटी (निर्माण, संचालन, हस्तांतरण) मॉडल का मिश्रण है। एचएएम मॉडल के तहत, परियोजना लागत का 40% सरकार द्वारा निजी डेवलपर को निर्माण सहायता के रूप में भुगतान किया जाता है, और शेष 60% डेवलपर द्वारा प्रदान किया जाता है।

भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि योजना

(INDIA INFRASTRUCTURE PROJECT DEVELOPMENT FUND SCHEME)

आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं की वित्तीय सहायता के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम (आईआईपीडीएफ योजना) को अधिसूचित किया है।

संबंधित अन्य जानकारी

- **आईआईपीडीएफ योजना को 2007 में शुरू किया गया था।**
- यह 2022-23 से 2024-25 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है।
- यह परियोजना विकास लागतों को पूरा करने के लिए **पीपीपी परियोजनाओं के प्रायोजक प्राधिकरणों के लिए उपलब्ध है।**
- प्रायोजक निकायों के लिए पीपीपी परियोजना विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए पीपीपी सेल के निर्माण और सशक्तिकरण के साथ ही बड़े नीतिगत और नियामक मुद्दों को भी संबोधित करना आवश्यक है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण परियोजना विकास गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- **महत्व:** प्रायोजक निकाय पीपीपी लेनदेन लागत के एक हिस्से को कवर करने के लिए धन प्राप्त करने में सक्षम होगा, जिससे उनके बजट पर खरीद से संबंधित लागतों का प्रभाव कम हो जाएगा।
- **वित्तीय परिव्यय:**

- आईआईपीडीएफ परियोजना विकास व्यय का 75% तक प्रायोजक निकायों को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान करेगा। शेष 25% प्रायोजक निकाय द्वारा सह-वित्त पोषित किया जाएगा।
- बोली प्रक्रिया के सफल समापन पर, परियोजना विकास व्यय की वसूली सफल बोली दाता से की जाएगी।
- हालांकि, बोली की विफलता के मामले में, ऋण को अनुदान में परिवर्तित किया जाएगा।

- यदि प्रायोजक निकाय किसी कारण से बोली प्रक्रिया को पूरा नहीं करता है, तो योगदान की गई पूरी राशि आईआईपीडीएफ को वापस कर दी जाएगी।

ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) सिस्टम

ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) SYSTEM

भारी उद्योग मंत्रालय ने पीएलआई (Production Linked Incentive) आवेदक की ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) प्रणाली से पीएलआई ऑटो पोर्टल पर घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा को कैप्चर करने के लिए स्वचालित ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर शुरू किया है।

- **अन्य जानकारी**
- पीएलआई योजना के सभी अनुमोदित आवेदकों की अपनी ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) प्रणाली होती है।
- ईआरपी सॉफ्टवेयर की एक श्रेणी है जिसका उपयोग व्यवसायिक ईकाइयां अपने कार्यों का प्रबंधन करने के लिए करती हैं।
- आवेदक के वर्तमान ईआरपी सिस्टम से पीएलआई ऑटो पोर्टल पर घरेलू मूल्य वर्धन (डीवीए) से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा के सुरक्षित हस्तांतरण की सुविधा के लिए, सरकार ने अब स्वचालित ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर सिस्टम लॉन्च किया है।
- यह सुविधा कागजी कार्यवाही से छुटकारा पाने के लिए स्वचालन का उपयोग करती है। एक तरफ, यह आवेदकों के अनुपालन बोझ को कम करेगी, और दूसरी ओर, यह दावों के निपटान को गति प्रदान करेगी।

ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई योजना:

- **2021 में लॉन्च ।**
- **नोडल मंत्रालय: भारी उद्योग मंत्रालय।**
- **उद्देश्य:** इस योजना में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोटर वाहन विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव है।
- **पात्रता:** यह योजना केवल उन पात्र एएटी उत्पादों को प्रोत्साहित करती है जिनके लिए न्यूनतम 50% घरेलू मूल्य वर्धन (डीवीए) प्राप्त किया जाता है।
- यह मानदंड भारत के बाहर से आयात को कम करेगा, भारत में एएटी उत्पादों के लिए स्थानीयकरण को सक्षम करेगा और भारतीय मोटर वाहन उद्योग को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनने में सक्षम बनाएगा।

भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2022 मसौदा (DRAFT INDIAN PORTS BILL, 2022)

भारत सरकार ने बंदरगाहों से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2022 का मसौदा तैयार किया है।

अन्य जानकारी

- मसौदा विधेयक **मौजूदा भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 को निरस्त करने और इसे प्रतिस्थापित करने** के लिये है।

- **समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के तहत राष्ट्र के दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने के** लिए, जिसमें भारत एक पक्ष है, यह बंदरगाहों पर प्रदूषण की रोकथाम और बचाव के लिए बंदरगाहों से संबंधित कानूनों में संशोधन का प्रावधान करता है।
- **इसका उद्देश्य** भारत के गैर-प्रमुख बंदरगाहों के कुशल प्रबंधन, नियंत्रण और प्रशासन के लिए राज्य समुद्री बोर्डों को मजबूत करना है।
- **इसका उद्देश्य बंदरगाह क्षेत्र के संगठित वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना** करना और बंदरगाह से संबंधित विवादों को हल करने के लिए न्यायिक तंत्र प्रदान करना है।
- **यह भारत के समुद्र तट का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित** करने के लिये आवश्यक और सहायक मुद्दों को संबोधित करेगा।

भारत के लिए बंदरगाहों का महत्व:

- भारत की **7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्ग है**। यह प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों के रणनीतिक स्थान पर स्थित है।
- **मात्रा के हिसाब से भारत का लगभग 95% और मूल्य के हिसाब से 65% व्यापार** बंदरगाहों द्वारा समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है।

बिस्फेनॉल- सीएसआईआर-एनसीएल में एक पायलट प्लांट

केंद्रीय मंत्री ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनसीएल) द्वारा स्थापित बिस्फेनॉल ए (बीपीए) पायलट प्लांट का उद्घाटन किया और भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस भी लॉन्च की।

सम्बंधित अन्य जानकारी

- **बिस्फेनॉल ए (बीपीए) एक रसायन है जो मुख्य रूप से पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक**, एपॉक्सी रेजिन और अन्य इंजीनियरिंग प्लास्टिक के उत्पादन मेंउपयोग के लिये बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है।
- बिस्फेनॉल-ए की मांग पूरे वैश्विक बाजार में 2027 तक 7.1 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो विश्लेषण अवधि 2020-2027 में 2% की सीएजीआर से बढ़ रहा है।
- भारत में इसकी 1,35,000 टन की कुल अनुमानित वार्षिक मांग आयात की जाती है।
- इसलिए, यह पायलट संयंत्र इस महत्वपूर्ण कच्चे माल के आयात प्रतिस्थापन को सक्षम करेगा और भारत की आत्मनिर्भर पहल में मदद करेगा।

हाइड्रोजन ईंधन/फ्यूल सेल बस (Hydrogen Fuel Cell Bus)

- **विकास :** वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और निजी फर्म केपीआईटी लिमिटेड द्वारा।
- **कार्य प्रक्रिया:** ईंधन सेल, बस को विद्युत देने के लिए हाइड्रोजन और हवा का उपयोग करता है और बस से एकमात्र अपशिष्ट पानी निकलता है, इसलिए यह संभवतः परिवहन का सबसे पर्यावरण अनुकूल तरीका है।
- **ईंधन सेल के लाभ:** कम लागत, शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, ऑन-रोड उत्सर्जन को खत्म करने के लिए उत्कृष्ट साधन।

अफीम बाजार

समाचार: केंद्र सरकार ने पहली बार बजाज हेल्थकेयर नामक एक निजी कंपनी को बिना डंठल वाले पोस्ता कैप्सूल से कॉन्संट्रेटेड पोस्ता स्ट्रॉ (CPS) एल्कलॉइड्स और एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (APIs) बनाने की अनुमति दी है।

संबंधित अन्य जानकारी

- सीपीएस एक मशीनीकृत प्रणाली है जिसके तहत पूरी फसल को मशीन से काटा जाता है, एल्कलॉइड निष्कर्षण के लिए कारखानों में स्थानांतरित किया जाता है और कानूनी रूप से उत्पादित अफीम के डायवर्जन को समाप्त किया जाता है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी का महत्व:

- मॉर्फिन और कोडीन (Morphine and Codeine) जैसे विभिन्न एल्कलॉइड्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना।
- एल्कलॉइड निष्कर्षण के लिए आधुनिक तकनीकी लाना।
- अफीम का आयात कम करना।
  - भारत में अफीम की खेती के तहत घटते क्षेत्र की भरपाई करना।
- अफीम पोस्ता दाना और उसके व्युत्पन्न से प्राप्त एक प्राकृतिक पदार्थ है।
  - अफीम से प्राप्त एल्कलॉइड का उपयोग खांसी की सीरप, कैंसर की दवा और दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है।
  - भारत सहित केवल 12 देश कानूनी रूप से औषधीय उपयोग के लिए इसकी खेती की अनुमति देते हैं।
    - इसका उपयोग अवैध रूप से धूम्रपान, शराब पीने या गोलियों के रूप में खाने के लिए किया जाता है।
- अवैध व्यापार की संभावना और व्यसन के जोखिम के कारण, अफीम पोस्ता की खेती को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है।
  - वर्तमान में, पोस्ता और अफीम की खेती व प्रसंस्करण को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances - NDPS) अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

शेल कंपनी

समाचार: सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जो बड़ी संख्या में चीन से जुड़ी शेल कंपनियों को निगमित करने का मास्टरमाइंड था।

शेल कंपनी से संबंधित अन्य जानकारी:

- ये **सक्रिय व्यावसायिक संचालन या महत्वपूर्ण परिसंपत्ति के बिना** एक कॉर्पोरेट इकाई है और वे अवैध नहीं हैं।
- ये **जानबूझकर करों को कम करने या यहां तक कि नए व्यवसायों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन की गई वित्तीय व्यवस्थाएं हैं**।
- अतीत में, शेल कंपनियां आमतौर पर शून्य या कम कराधान वाले देशों में पंजीकृत होती थीं।
- **2013 के कंपनी अधिनियम में "शेल कंपनी" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।**

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO)

- **कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार,** भारत सरकार के माध्यम से गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) की स्थापना की गई है।
- एसएफआईओ के पास **कंपनी कानून के उल्लंघन के लिए लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति भी है।**
- यह **कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन** है, जिसमें अकाउंटेंसी, फोरेंसिक ऑडिटिंग, बैंकिंग, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, जांच, कंपनी कानून, पूंजी बाजार और कराधान आदि के क्षेत्र में सफेदपोश अपराधों/धोखाधड़ियों का पता लगाने व मुकदमा चलाने या मुकदमा चलाने की सिफारिश करने वाले विशेषज्ञ शामिल है।
- SFIO का **नेतृत्व भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर के विभागाध्यक्ष के रूप में एक निदेशक द्वारा किया जाता है।**
- **कंपनी अधिनियम, 2013** की धारा **211** में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) को वैधानिक दर्जा दिया गया है। एसएफआईओ के पास कंपनी कानून के उल्लंघन के लिए **लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति भी है।**

भारत का पहला लिथियम सेल संयंत्र

समाचार: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (MeitY) राज्य मंत्री आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा का उद्घाटन करेंगे।

संबंधित अन्य जानकारी

- यह **अत्याधुनिक सुविधा चेन्नई स्थित** मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 165 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्थापित की गई है।
- यह सुविधा 2015 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मंदिर शहर में स्थापित **दो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूहों में से एक में स्थित है।**
- वर्तमान में इस संयंत्र की स्थापित क्षमता **270 मेगावाट है और** यह **प्रतिदिन 10Ah क्षमता के 20,000 सेल का उत्पादन कर सकता है।**
- इन सेलों का इस्तेमाल पावर बैंक में होता है और यह क्षमता भारत की मौजूदा जरूरत का करीब 60 फीसदी है।
- वर्तमान में भारत **चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और हांगकांग** से लिथियम आयन सेल की पूरी आवश्यकताओं का आयात करता है ।
- अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे- मोबाइल फोन, सुनने योग्य और पहनने योग्य उपकरणों के लिए भी सेल का उत्पादन किया जाएगा।

लिथियम

- 1817 में स्वीडिश रसायनज्ञ जोहान अगस्त अरफवेडसन द्वारा पेटलाइट खनिज में खोजा गया, लिथियम लवणीय निक्षेपों में भी पाया जाता है।
- लिथियम **पेग्माटाइट अयस्कों** में भी पाया जाता है, जैसे कि **स्पोड्यूमिन (LiAlSi2O6) और लेपिडोलाइट (अलग-अलग संरचना वाले), या एंबलीगोनाइट (LiAlFPO4) अयस्कों में।**

भावनगर सीएनजी टर्मिनल

समाचार: प्रधानमंत्री ने **गुजरात के भावनगर में "दुनिया के पहले सीएनजी (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) टर्मिनल" की आधारशिला रखी है।**

संबंधित अन्य जानकारी

- **अवस्थिति: यह गुजरात के भावनगर बंदरगाह** (खंभात की खाड़ी के पश्चिम में) के पास है।
- **इसमें शामिल हितधारक:** इसे मुंबई स्थित पद्मनाभन मफतलाल समूह और यूके के फ़ॉरसाइट समूह के एक संघ द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत बनाया जाएगा। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (जीएमबी) भी परियोजना का समर्थन करेगा।
- **क्षमता:** इसकी कार्गो हैंडलिंग क्षमता 1.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) होगी।
- **विशेषताएं:** इसमें अल्ट्रा-मॉडर्न कंटेनर टर्मिनल, एक बहुउद्देशीय टर्मिनल, एक रो-रो टर्मिनल और एक लिक्विड टर्मिनल के अलावा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लॉक गेट सिस्टम होगा।
- **समयरेखा:** इसका निर्माण 2023 में शुरू होगा और 2026 तक यह चालू हो जाएगा।
- **महत्व: यह** धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर) के करीब स्थित है और वहां स्थित उद्योगों का समर्थन करेगा।

क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया

समाचार: क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में **अपनी रजत जयंती मनाने के लिए तैयार है।**

संबंधित अन्य जानकारी

- भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना 1997 में भारत **सरकार और भारतीय उद्योग का प्रतिनिधि करने वाले संयुक्त रूप से तीन प्रमुख उद्योग संघों यानी एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM), भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन (FICCI) द्वारा किया गया था। श्री रतन टाटा इसके पहले अध्यक्ष बने।**
- QCI को प्रत्यायन के लिए एक **राष्ट्रीय निकाय के रूप में स्थापित किया गया था**। यह **1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के** तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संगठन है ।
- **क्यूसीआई ने एक बड़ा अभियान- गुणवत्ता से आत्म निर्भारत** : भारत का गुणवत्ता आंदोलन **शुरू किया है**।
- इस अभियान का उद्देश्य भारत के गुणवत्ता केंद्रों का जश्न मनाना है, भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है और लोगों को उन कई पहलों के बारे में सूचित करना है जिसे भारत अपने सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से अपना रहा है।

स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना

समाचार: उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप्स (CGSS) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की स्थापना को अधिसूचित किया है।

संबंधित अन्य जानकारी

- यह योजना **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)** से **पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) द्वारा विस्तारित ऋणों के लिए स्टार्टअप्स के लिए** क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी ।
- **उद्देश्य:** योग्य उधारकर्ताओं को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा दिए गए ऋणों के लिए एक निर्दिष्ट सीमा तक क्रेडिट गारंटी प्रदान करना।
- **पात्रता:** डीपीआईआईटी द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना में परिभाषित सभी स्टार्टअप के लिए।
- **क्रेडिट गारंटी कवर:** इस योजना के तहत कवरेज लेन-देन आधारित और छत्रक आधारित होगा। अलग-अलग मामलों में एक्सपोजर प्रति मामला 10 करोड़ रुपये या वास्तविक बकाया ऋण राशि, जो भी कम हो, पर कैप किया जाएगा।
- **लेन-देन-आधारित गारंटी** बैंकों और एनबीएफसी को पात्र स्टार्टअप्स को पैसा उधार देने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
  - दूसरी ओर, सेबी के एआईएफ नियमों के तहत पंजीकृत वेंचर डेब्ट फंड्स (वीडीएफ) को छत्रक-आधारित गारंटी कवर से गारंटी मिलेगी।
- इस योजना की समीक्षा, निर्देशन और परिचालन निरीक्षण के लिए, DPIIT एक **प्रबंधन समिति (MC) और एक जोखिम मूल्यांकन समिति (REC) का** गठन करेगा।
- **ऑपरेटिंग एजेंसी:** नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) योजना का संचालन करेगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना ट्रस्ट (NHAI INVIT)

समाचार: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट (एनएचएआई इनविट) अतिरिक्त ₹3,800 करोड़ जुटाने की सोच रहा है और लगभग 1,500 करोड़ रुपये 24 साल की लंबी अवधि की परिपक्वता के साथ गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCDs) जारी करने के माध्यम से जुटाए जा रहे हैं।

एनएचएआई इनविट के बारे में :

- NHAI InvIT सरकार की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) का समर्थन करने के लिए **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा प्रायोजित बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट** है ।
- **NHAI का InvIT** भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 और SEBI (भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड) के नियमों के तहत **NHAI द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है ।**
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2019 में NHAI के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) को मंजूरी दी थी।

InvITs के बारे में

- **इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के समान संस्थान हैं**, जो **निवेशकों की विभिन्न श्रेणियों से निवेश** प्राप्त **करते हैं** और **उन्हें पूर्ण** एवं **राजस्व पैदा करने वाली बुनियादी ढांचा** परियोजनाओं में निवेश करते हैं, जिससे निवेशक को रिटर्न मिलता है।
- पूंजी बाजार नियामक ने 26 सितंबर, 2014 को सेबी (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) विनियम, 2014 को अधिसूचित किया, और इन **ट्रस्टों** को **बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश की सुविधा में मदद करने की संभावना है**।
- **म्युचुअल फंड की तरह संरचित इनके पास एक ट्रस्टी, प्रायोजक,** निवेश प्रबंधक और परियोजना प्रबंधक होते हैं।
- यद्यपि ट्रस्टी (सेबी द्वारा प्रमाणित) के पास किसी InvIT के प्रदर्शन का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी होती है, किंतु प्रायोजक उस कंपनी के प्रमोटर होते हैं जिसने InvIT की स्थापना की थी।

भारत में कोयला

समाचार: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन-स्रोत के उपयोग को ट्रैक करने वाली फर्म ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर (जीईएम) के विश्लेषण के अनुसार, औसतन भारत की कोयला खदानें क्षमता का केवल दो तिहाई उपयोग करती हैं, जबकि कुछ बड़ी खदानें केवल 1 प्रतिशत का उपयोग करती हैं।

संबंधित अन्य जानकारी

- भारत के पास **दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा कोयले का भंडार है।**
- भारत **कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। (शीर्ष पांच उत्पादक हैं: चीन, भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया)।**
- भारत **2019 में कोयले का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता भी था,**
- **झारखंड** भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है।
- शीर्ष कोयला उत्पादक राज्यों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र शामिल हैं।
- **कोकिंग कोल:** कोकिंग कोल, जिसे मेटलर्जिकल कोल के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग कोक बनाने के लिए किया जाता है, जो स्टील के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण स्थिर आदानों में से एक है।
- कोयले में निहित वाष्पशील हाइड्रोकार्बन को हटाने के लिए **ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोयले को बेक करके कोक का उत्पादन किया जाता है।**

- परिणामी कोक यांत्रिक रूप से मजबूत, झरझरा और रासायनिक रूप से प्रतिक्रियाशील होता है, जो स्थिर ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन के लिए सभी महत्वपूर्ण गुण रखता हैं।

- **नॉन-कोकिंग कोल:** यह बिना कोकिंग गुणों वाला कोयला है। इसे वाष्प कोयला या थर्मल कोयला भी कहा जाता है और बिजली उत्पन्न करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है।
- इसका उपयोग सीमेंट, उर्वरक और अन्य हीटिंग उद्देश्यों में किया जा सकता है।

कोयले के प्रकार:

एन्थ्रेसाइट	• एन्थ्रेसाइट **सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95 प्रतिशत होती है।** • यह नीली लौ के साथ धीरे-धीरे प्रज्वलित होता है और इसका **कैलोरी मान सबसे अधिक होता है।** • यह **जम्मू-कश्मीर** में कम मात्रा में पाया जाता है।
बिटुमिनस	• बिटुमिनस **में 60 से 80 प्रतिशत कार्बन सामग्री** और निम्न स्तर की नमी होती है। • यह व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और इसका **उच्च कैलोरी मान होता है।** • यह **झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है** ।
लिग्नाइट	• लिग्नाइट प्राय: **भूरे रंग का होता है**। इसमें **40 से 55 प्रतिशत कार्बन सामग्री होती है।** • यह एक **मध्यवर्ती चरण है** जो काष्ठ पदार्थ के कोयले में परिवर्तन के दौरान होता है। • इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह **जलने पर धुंआ देता है।** • यह **राजस्थान, लखीमपुर (असम) और तमिलनाडु में पाया जाता है।**
पीट	• पीट में **कार्बन की मात्रा 40 प्रतिशत से कम होती है**। • यह **लकड़ी से कोयले में रूपांतरण का पहला चरण है**। • इसका **कैलोरी मान कम होता है** और यह लकड़ी की तरह जलता है।

भारत में कोयला खदानें:

- **कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण:** कोकिंग कोल खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में भारत में सभी कोयला खदानों के सरकारी अधिग्रहण का प्रावधान है।
- **कोयला खदानों का विराष्ट्रीयकरण:** उपरोक्त दोनों अधिनियमों को निरसन एवं संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 2017 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
- **संसद ने कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 अधिनियमित किया,** जो सरकार को नीलामी के माध्यम से कोयला खदानों का आवंटन करने में सक्षम बनाता है।

सकल बिजली की खरीद के लिए योजना शुरू की गई

समाचार: बिजली मंत्रालय ने शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलॉटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया) के तहत 5 साल के लिए कुल 4500 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए एक योजना शुरू की है।

संबंधित अन्य जानकारी

- शक्ति योजना को **अत्यधिक दबाव वाले बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति करने के लिए शुरू किया गया था** जो **कोयले की कम आपूर्ति** का सामना कर रहे **हैं।**
- बिजली की कमी का सामना कर रहे राज्यों को इस योजना से लाभ होगा, जो उत्पादन संयंत्रों को उनकी क्षमता बढ़ाने में भी मदद करेगा।
- इस योजना के लिए नोडल एजेंसी पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड होगी।

सागर परिक्रमा

समाचार: हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री 'सागर परिक्रमा' का उद्घाटन करेंगे।

संबंधित अन्य जानकारी

- इसका आयोजन **मत्स्य मंत्रालय, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के साथ-साथ गुजरात सरकार, भारतीय तट रक्षक, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण और गुजरात समुद्री बोर्ड द्वारा किया गया।**
- **उद्देश्य:** यह सभी मछुआरों, मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए पूर्व-निर्धारित समुद्री मार्ग के माध्यम से सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाने वाली एक नेविगेशन यात्रा है।
- यह यात्रा देश की खाद्य सुरक्षा, तटीय मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए समुद्री मत्स्य संसाधनों का उपयोग करने के बीच एक स्थायी संतुलन खोजने पर केंद्रित होगी।
- **शुरुआत:** यह पहल आजादी के 75 साल और भारत के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए **'आजादी का अमृत महोत्सव' के एक भाग के रूप में शुरू की गई है।**

वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर

समाचार: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर (वर्चुअल SGKC) और इनोवेशन पार्क लॉन्च किया है।

संबंधित अन्य जानकारी

- **स्थापना:** विद्युत मंत्रालय और राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) के समर्थन से पावरग्रिड द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी (USAID) से तकनीकी सहायता।
- **अवस्थिति:** यह केंद्र पावरग्रिड के भीतर स्थित है।
- **केंद्र का उद्देश्य:** स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों में नवाचार, उद्यमशीलता और अनुसंधान को बढ़ावा देने और बिजली वितरण क्षेत्र में क्षमता निर्माण में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनना।

राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन:

- इसे **2015 में विद्युत मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।**
- **उद्देश्य** : देश में बड़े पैमाने पर स्मार्ट ग्रिड पहलों के प्रमुख मुद्दों को संबोधित करना और भारतीय विद्युत बुनियादी ढांचे को लागत प्रभावी, उत्तरदायी और विश्वसनीय बनाना।

समार्ट ग्रिड:

- **"स्मार्ट ग्रिड" शब्द एक विद्युत ग्रिड को संदर्भित करता है जिसमें ऑटोमेशन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियां होती हैं जो** उत्पादन **के बिंदु से खपत के बिंदु तक बिजली प्रवाह की निगरानी करती हैं** और बिजली प्रवाह को नियंत्रित करती हैं या उत्पादन से मेल खाने के लिये वास्तविक समय में या लगभग वास्तविक समय में लोड को कम करती हैं।
- **स्मार्ट मीटर, स्मार्ट उपकरण** , नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा कुशल संसाधन कुछ ऐसे ऊर्जा प्रबंधन उपकरण हैं जिनमें कुछ स्मार्ट ग्रिड शामिल हैं।

- **ये कार्रवाइयां टीएंडडी नुकसान (T&D losses) को कम कर सकती हैं, अधिकतम लोड का प्रबंधन कर सकती हैं, सेवा की गुणवत्ता बढ़ा सकती हैं, विश्वसनीयता बढ़ा सकती हैं,** संपत्ति का बेहतर प्रबंधन कर सकती हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत कर सकती हैं, बिजली तक पहुंच बढ़ा सकती हैं और सेल्फ हीलिंग ग्रिड बना सकती हैं।

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना

समाचार: पीएम मोदी ने विद्युत मंत्रालय की फ्लैगशिप रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) लॉन्च की।

संबंधित अन्य जानकारी:

- इसे **डिस्कॉम (निजी क्षेत्र के डिस्कॉम को छोड़कर) की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए** आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- इस योजना का **उद्देश्य बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है।**
- वित्त वर्ष 26 तक पांच वर्षों में 3.03 ट्रिलियन रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ यह योजना , **डिस्कॉम को वितरण बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने** और मजबूत करने और अंतिम उपभोक्ताओं को बिजली की **आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम बनाएगी ।**
- 2024-25 तक **एटीएंडसी (कुल तकनीकी और वाणिज्यिक)** घाटे को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर और एसीएसएआरआर (आपूर्ति की औसत लागत-औसत राजस्व प्राप्ति) के अंतर को शून्य तक कम करना है।
  - योज के लिए आरईसी और पीएफसी को नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है।
- **आरडीएसएस देश भर में स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य करता है** । केंद्र ने 2025 तक 250 मिलियन स्मार्ट मीटर लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
- इस नई योजना के लागू होने से अन्य सभी पिछली योजनाएं जैसे एकीकृत विद्युत विकास योजना, **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय)** समाहित हो जाएगी।
- यह डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) के आपूर्ति बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए **सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है।**
- सभी मौजूदा विद्युत क्षेत्र सुधार योजनाएँ, जैसे- **एकीकृत विद्युत विकास योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना को इस अम्ब्रेला प्रोग्राम में मर्ज कर दिया जाएगा।**
- यह योजना **2025-26 तक** उपलब्ध रहेगी ।
- आरडीएसएस एक **सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी योजना** है और आरडीएसएस के प्रमुख उद्देश्य एटीएंडसी घाटे को 12-15% तक कम करना, 2024-25 तक लागत-राजस्व अंतर को समाप्त करना और बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता व विश्वसनीयता में सुधार करना है।

हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस नियम

समाचार: हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है।

संबंधित अन्य जानकारी

- **नोडल एजेंसी:** विद्युत मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सिंगल विंडो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस सिस्टम स्थापित करने और संचालित करने के लिए पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन (POSOCO) को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया है।
- **उद्देश्य:** सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना।

नियमों के प्रमुख प्रावधान:

- किसी भी उपभोक्ता को ग्रीन ओपन एक्सेस की अनुमति है और ग्रीन एनर्जी के लिए ओपन एक्सेस ट्रांजेक्शन की सीमा 1 मेगावाट से घटाकर 100 kW कर दी गई है, ताकि छोटे उपभोक्ता भी ओपन एक्सेस के जरिए अक्षय ऊर्जा खरीद सकें।
- उपभोक्ता **डिस्कॉम से हरित ऊर्जा की मांग-आपूर्ति के हकदार हैं**।
- डिस्कॉम **पात्र उपभोक्ताओं को हरित ऊर्जा की खरीद और आपूर्ति करने के लिए बाध्य** होंगे।
- ग्रीन ओपन एक्सेस के लिए स्वीकृति 15 दिनों में दी जानी है अन्यथा इसे प्रदान किया गया माना जाएगा।
- वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को स्वैच्छिक आधार पर हरित ऊर्जा खरीदने की अनुमति है।
- वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में सभी बाध्य संस्थाओं पर एक **समान नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ)** होगा।
- इसके आरपीओ की पूर्ति के लिए **ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया को भी शामिल किया गया है ।**
- हरित ऊर्जा का उपभोग करने पर **हरित प्रमाण पत्र** प्रदान किया जाएगा ।

हरित ऊर्जा के लिए टैरिफ कौन निर्धारित करेगा?

- **विद्युत अधिनियम 2003** के अनुसार , **हरित ऊर्जा के लिए शुल्क उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।**
- टैरिफ में उपभोक्ताओं को हरित ऊर्जा प्रदान करने के लिए वितरण लाइसेंसधारी की विवेकपूर्ण लागत को कवर करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा की औसत सामूहिक बिजली खरीद लागत, क्रॉस-सब्सिडी शुल्क, यदि कोई हो, और सेवा शुल्क शामिल होंगे।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन

समाचार: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन के लिए खान मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

संबंधित अन्य जानकारी

- यह संशोधन **ग्लूकोनाइट, पोटाश, एमराल्ड, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स (पीजीएम), एंडलूसाइट , सिलिमेनाइट और मोलिब्डेनम जैसे कुछ खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर निर्दिष्ट करता है ।**
- देश में पहली बार ग्लूकोनाइट , पोटाश, एमराल्ड, प्लेटिनम धातु समूह, एंडलूसाइट और मोलिब्डेनम के संबंध में खनिज ब्लॉकों की नीलामी सुनिश्चित होगी ।

इन खनिजों का उपयोग:

- ग्लूकोनाइट और पोटाश जैसे खनिजों का उपयोग कृषि में उर्वरक के रूप में किया जाता है।
- प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स (पीजीएम) विभिन्न उद्योगों और नए अभिनव अनुप्रयोगों में उपयोग की जाने वाली उच्च मूल्य वाली धातुएं हैं।
- एंडलूसाइट, मोलिब्डेनम जैसे खनिज औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं।
- इसलिए, इन खनिजों के स्वदेशी खनन को प्रोत्साहित करने से पोटाश उर्वरकों और अन्य खनिजों के आयात में कमी आएगी, जिससे देश की विदेशी निर्भरता कम होगी।

पीएम मित्र पार्क योजना

समाचार: कपड़ा मंत्रालय द्वारा पीएम मित्र पार्क योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

संबंधित अन्य जानकारी

- **कपड़ा मंत्रालय द्वारा** पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क (पीएम मित्र) पार्क योजना लागू की गई है।

- **उद्देश्य:** पीएम मित्र पार्क का उद्देश्य **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 9**: "लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, स्थायी औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना" **को प्राप्त करने में भारत की मदद करना** है।
- पीएम मित्र योजना **प्रधान मंत्री के 5एफ विजन- फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन से प्रेरित है।**
- **एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा** एक पार्क विकसित किया जाएगा जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के पास होगा और यह सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में होगा।

विशेषताएँ:

- **इन पार्कों में विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा होगा** जो अत्याधुनिक तकनीकी को आकर्षित करेगा और कपड़ा क्षेत्र में एफडीआई और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देगा।
- 1 स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण/रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक **एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर प्रदान करेगा।**
- **प्रत्येक पार्क में एक इनक्यूबेशन सेंटर**, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस और एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य टेक्सटाइल संबंधी सुविधाएं जैसे डिजाइन सेंटर और टेस्टिंग सेंटर होंगे।
- मास्टर डेवलपर न केवल औद्योगिक पार्क का विकास करेगा बल्कि रियायत अवधि के दौरान उसका रखरखाव भी करेगा।
- **पीएम मित्र पार्कों के लिए स्थलों का चयन वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर एक चुनौती पद्धति द्वारा किया जाएगा** ।
- इसका उद्देश्य प्रति पार्क ~ **1 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करना है।**

भारतीय चाय संघ

समाचार: केंद्रीय मंत्री ने भारतीय चाय संघ (आईटीए) के अंतरराष्ट्रीय लघु चाय उत्पादक सम्मेलन को संबोधित किया।

आईटीए के बारे में

- **1881 में स्थापित,** ITA **भारत में चाय उत्पादकों का प्रमुख और सबसे पुराना संगठन है।**
- इसने नीतियां बनाने और उद्योग के विकास और विकास के लिए कार्यवाही शुरू करने की दिशा में **एक बहुआयामी भूमिका निभाई है ।**

भारतीय चाय उद्योग की स्थिति:

- भारत विश्व स्तर पर चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- **खपत:** भारत दुनिया के शीर्ष चाय उपभोग करने वाले देशों में भी शामिल है, देश में उत्पादित चाय का 80% घरेलू आबादी द्वारा उपभोग किया जाता है।
- **भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग:** दार्जिलिंग चाय को दुनिया भर में "**चाय की शैम्पेन**" के रूप में भी जाना जाता है, इसकी फूलों की खुशबू के कारण यह **पहला जीआई टैग उत्पाद था**।
- दार्जिलिंग चाय के अन्य दो रूपों **यानी हरी और सफेद चाय** को **भी जीआई टैग** प्राप्त **हैं** ।
- **उद्योग का विनियमन:** भारतीय चाय बोर्ड भारत में चाय उद्योग के विकास और प्रचार के लिए प्रभारी निकाय है।

भारतीय चाय बोर्ड:

- **यह वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है** जिसे भारत में चाय उद्योग के विकास के लिए 1953 में स्थापित किया गया था। इसने 1954 में काम करना शुरू किया।
- **विजन:** इसका विजन और मिशन देश को दुनिया भर में चाय का अग्रणी उत्पादक बनाना है, जिसके लिए इसने कई कार्यक्रम और योजनाएं स्थापित की हैं।

- **सदस्य: संसद सदस्यों** , **चाय उत्पादकों** , **चाय व्यापारियों** , चाय दलालों, **उपभोक्ताओं** , और प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों से **सरकारों के प्रतिनिधियों** और ट्रेड यूनियनों **से लिए गए 31 सदस्यों** (अध्यक्ष सहित) **से बोर्ड का गठन किया गया है।**
- **हर तीन साल में बोर्ड का पुनर्गठन होता है** ।
- **भारत में कार्यालय:** बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और भारत भर में 17 अन्य कार्यालय हैं।
- **विदेशी कार्यालय:** वर्तमान में चाय बोर्ड के दो विदेशी कार्यालय दुबई और मास्को में स्थित हैं।

राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन

समाचार: हाल ही में, कपड़ा मंत्रालय ने उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एनआईटीआरए) और भारतीय तकनीकी वस्त्र संघ (आईटीटीए) के साथ साझेदारी में एक पूर्ण दिवसीय कार्यक्रम "तकनीकी वस्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन- प्रोटेक" का आयोजन किया।

संबंधित अन्य जानकारी

- टेक्निकल टेक्सटाइल्स ऐसे **टेक्सटाइल उत्पाद होते हैं जो मुख्य रूप से सौंदर्य अपील के बजाय उनकी कार्यक्षमता और उपयोग के लिए निर्मित होते हैं।**
- **इन उत्पादों को व्यापक रूप से 12 विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:** एग्रोटेक , ओकोटेक , बिल्डटेक , मेडिटेक , जियोटेक , क्लॉथटेक , मोबिलटेक , होमटेक , स्पोर्टटेक, इंडुटेक , प्रोटेक , पैकटेक ।

भारत में तकनीकी वस्त्र मिशन:

- **उद्देश्य:** कपड़ा मंत्रालय ने इस क्षेत्र की असाधारण विकास दर का लाभ उठाते हुए भारत में तकनीकी वस्त्रों के प्रवेश स्तर को बढ़ाने के लिए NTTM लॉन्च किया है।
- भारतीय तकनीकी वस्त्र क्षेत्र की **वार्षिक औसत वृद्धि दर (एएजीआर) 12% है जो विश्व औसत 4% की तीन गुना है।**
- इस **मिशन का उद्देश्य** भारत को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।
- **मिशन में निम्नलिखित चार घटक शामिल होंगे:**
  1. अनुसंधान, नवाचार और विकास
  2. संवर्धन और बाजार विकास
  3. निर्यात प्रोत्साहन
  4. शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास।
- **कार्यान्वयन:** NTTM को वित्त वर्ष 2020-21 से लेकर वित्त वर्ष 2023-24 तक चार साल की कार्यान्वयन अवधि के साथ अनुमोदित किया गया है। मिशन का कुल परिव्यय INR 1480 Cr है।
- **लक्ष्य:** मिशन का लक्ष्य तकनीकी कपड़ा क्षेत्र के घरेलू बाजार का आकार वर्ष 2024 तक 15-20% प्रति वर्ष की औसत वृद्धि दर के साथ $ 40-50 बिलियन तक ले जाना है।

तकनीकी वस्त्र:

- **तकनीकी वस्त्र** ऐसे **वस्त्र सामग्री और उत्पाद हैं जो मुख्य रूप से** सौंदर्य विशेषताओं के बजाय तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों के लिए निर्मित होते हैं।
- तकनीकी वस्त्र उत्पादों को उनके अनुप्रयोग क्षेत्रों के आधार पर **12 व्यापक श्रेणियों** (एग्रोटेक , बिल्डटेक , क्लॉथटेक , जियोटेक , होमटेक , इंडुटेक , मोबिलटेक , मेडिटेक , प्रोटेक , स्पोर्टटेक , ओकोटेक , पैकटेक) में विभाजित किया गया है।
- भारत 250 बिलियन अमरीकी डालर के **विश्व बाजार के आकार का लगभग 6% साझा करता है ।**

व्यवसाय-20 (B20)

समाचार: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ साझेदारी में B20 इंडोनेशिया ग्लोबल डायलॉग पर एक सम्मेलन की मेजबानी की।

संबंधित अन्य जानकारी

- 2010 में स्थापित, यह **वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक G20 संवाद मंच है।**
- **उद्देश्य** : आर्थिक संवृद्धि और विकास को गति देने के लिए प्रत्येक चक्रीय अध्यक्षता द्वारा प्राथमिकताओं पर ठोस कार्यवाही योग्य नीतिगत सिफारिशें प्रदान करना।

डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना

चर्चा में क्यों: हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना के तहत घरेलू कंपनियों, स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई से आवेदन आमंत्रित किए थे.

अर्धचालक उद्योग के बारे में:

- अर्धचालक, जो एकीकृत परिपथों, माइक्रोचिप्स या सिर्फ चिप्स के मूल भाग हैं, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार है।
- **अनुप्रयोग: वे** उद्योग 4.0 के तहत चिकित्सा उपकरणों, संचार प्रणालियों, कंप्यूटिंग, रक्षा, परिवहन, स्वच्छ ऊर्जा आदि या भविष्य की तकनीकों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और उन्नत वायरलेस नेटवर्क के साथ डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण के पीछे की प्रेरक शक्ति हैं। सभी में अर्धचालकों की आवश्यकता होती है।
- **बाजार वितरण:** यह एक बहुत ही जटिल और प्रौद्योगिकी-गहन क्षेत्र है जिसमें कुछ कंपनियों और देशों का प्रभुत्व है (चित्र देखें)।
- **अत्यधिक महत्वपूर्ण:** उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, मांग और आपूर्ति के असंतुलन, प्रतिभा की कमी आदि के कारण, आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों को हल करने के लिए सेमीकंडक्टर उद्योग के स्थानीयकरण के कदम को गति मिली है।

डीएलआई योजना और इसके घटकों के बारे में:

- डीएलआई योजना **सेमीकंडक्टर निर्माण के भारत के स्थानीयकरण का एक घटक है** , जिसे भारत में **सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास** कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था**, जिसका बजट 76,000 करोड़ ($10 बिलियन) है।**
- अगले पांच वर्षों में, डीएलआई का लक्ष्य कम से कम 20 घरेलू सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों की सहायता करना है, जिनकी वार्षिक बिक्री 1500 अरब डॉलर से अधिक हो।
- **नोडल एजेंसी:** सी-डैक (उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र)।
- इस **योजना के तीन घटक हैं:**

चिप डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट	• अत्याधुनिक डिजाइन अवसंरचना की मेजबानी करने और समर्थित कंपनियों तक इसकी पहुंच को सुगम बनाने के लिए सी-डैक इंडिया चिप सेंटर स्थापित करेगा।
उत्पाद डिजाइन से जुड़ा प्रोत्साहन	• स्वीकृत सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग आवेदकों को प्रति आवेदन ₹15 करोड़ की सीमा के अधीन पात्र व्यय के 50% तक की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव	• 5 वर्षों में शुद्ध बिक्री कारोबार का 6% से 4% का प्रोत्साहन, प्रति आवेदन ₹30 करोड़ की सीमा के अधीन अनुमोदित आवेदकों को प्रदान किया जाएगा, जिनके सेमीकंडक्टर डिज़ाइन एकीकृत सर्किट (ICs), चिपसेट, चिप्स पर सिस्टम (SoCs), सिस्टम और आईपी कोर और सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में तैनात किए गए हैं।

- **यह योजना** प्रोत्साहन का दावा करने के बाद **कंपनियों को अपनी घरेलू स्थिति (3 साल के लिए) बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी** और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के उत्पादों की पहचान करने और उनके स्वदेशीकरण व तैनाती के लिए रणनीतियों को लागू करने के लिए एक श्रेणीबद्ध व पूर्वव्यापी दृष्टिकोण अपनाएगी।

भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम:

- कैबिनेट ने हाल ही में "**भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम**" में संशोधनों को मंजूरी दी ।
- **उद्देश्य:** भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में निवेश में तेजी लाना।
- **कार्यक्रम की विशेषताएं :** भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम संशोधित कार्यक्रम के तहत , एक समान वित्तीय सहायता:
  - भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की स्थापना और डिस्प्ले फैब्रिकेशन की स्थापना के लिए इस योजना के तहत सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिए परियोजना लागत का 50% प्रदान किया जाएगा;
  - भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब्रिकेशन और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए इस योजना के तहत पूंजीगत व्यय का 50%।

खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल)

समाचार : काबिल अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में लिथियम खदानों में निवेश के अवसर तलाश रहा है।

संबंधित अन्य जानकारी

- **खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल) एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसकी** स्थापना 3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, **नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड (एमईसीएल) की भागीदारी के साथ की गई है। .**
- KABIL का कार्य लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, नियोडिमियम, अन्य दुर्लभ पृथ्वी तत्त्व आदि जैसे **महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रकृति की विदेशी खनिज संपत्तियों की पहचान और अधिग्रहण करना है।**
- KABIL पहले से ही ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली जैसे देशों के साथ काम कर रहा है, जो महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों से संपन्न हैं।
- **इस पहल का महत्व:**
  - महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के क्षेत्र में खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना (आत्मा निर्भार भारत) ।
  - गतिशीलता, नवीकरणीय ऊर्जा, चिकित्सा, एयरोस्पेस, विमानन आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना।
- **महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज:**

महत्वपूर्ण खनिज	रणनीतिक खनिज
• एक खनिज को महत्वपूर्ण के रूप में तब लेबल किया जाता है जब आपूर्ति की कमी में जोखिम और अर्थव्यवस्था पर संबंधित प्रभाव अन्य कच्चे माल की तुलना में (अपेक्षाकृत) अधिक होता है। • **उदाहरण:** 1. बेरिलियम 2. जर्मेनियम 3. दुर्लभ मृदा तत्त्व (भारी और हल्का) 4. रेनियम 5. टैंटलम 6. ग्रेफाइट।	• विकल्प की सीमित उपलब्धता और हाइब्रिड कारों, पवन टरबाइन मैग्नेट और रक्षा उपकरण जैसे उच्च-प्रौद्योगिकी उत्पादों में इनकी मांग के कारण इन खनिजों को सामरिक कहा जाता है। • **उदाहरण:** 1. एंटीमनी 2. मोलिब्डेनम 3. बोरेट्स 4. निकेल 5. क्रोमियम 6. कोबाल्ट 7. सिल्वर 8. कॉपर 9. दुर्लभ पृथ्वी तत्व।

भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना-द्वितीय चरण

समाचार : सामान्य प्रौद्योगिकी विकास और सेवा बुनियादी ढांचे को सहायता प्रदान करने के लिए **भारी उद्योग मंत्रालय** द्वारा इस योजना को अधिसूचित किया गया है।

संबंधित अन्य जानकारी

- **चरण II का उद्देश्य:** चरण I पायलट योजना द्वारा बनाए गए प्रभाव का विस्तार और परिवर्धन करना, जिससे एक मजबूत व विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के निर्माण के माध्यम से अधिक गति प्रदान किया जा सके।
  - प्रौद्योगिकी विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए योजना के चरण I को 2014 में अधिसूचित किया गया था।
- **चरण II के तहत छह घटक**
  1. प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टल के माध्यम से प्रौद्योगिकियों की पहचान
  2. उत्कृष्टता के नए उन्नत केंद्रों की स्थापना और मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों का संवर्धन
  3. पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में स्किलिंग को बढ़ावा देना।
  4. सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्रों (सीईएफसी) की स्थापना और मौजूदा सीईएफसी का संवर्धन
  5. मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों का विस्तार ।
  6. प्रौद्योगिकी विकास के लिए उद्योग त्वरक की स्थापना
- पूंजीगत वस्तु **उद्योग सभी विनिर्माण उद्योगों की** "जननी" **है और राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता** के लिए सामरिक महत्व वाला है।
  - भारत का पूंजीगत वस्तु क्षेत्र **विनिर्माण क्षेत्र में कम से कम 25% योगदान देता है।**
  - लगभग 1.4 मिलियन प्रत्यक्ष और 7 मिलियन अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।

पूंजीगत वस्तु/माल

- कैपिटल गुड्स **उन उत्पादों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग अन्य उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है लेकिन नए उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है।**
- इनमें **मशीन टूल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, प्रोसेस प्लांट इक्विपमेंट आदि शामिल हैं।**

एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना

समाचार: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना "एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना" (Raising and Accelerating MSME Performance : RAMP) को मंजूरी दे दी है।

संबंधित अन्य जानकारी

- यह **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।**
- **पृष्ठभूमि:** RAMP कार्यक्रम यूके सिन्हा समिति, केवी कामथ समिति और प्रधान मंत्री (पीएम-ईएसी) की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया था।
- **अनुदान:** यह एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम है।
- **उद्देश्य:** बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार, केंद्र और राज्य में संस्थानों व शासन को मजबूत करने, केंद्र-राज्य लिंकेज और साझेदारी में सुधार, विलंबित भुगतान के मुद्दों को संबोधित करने और एमएसएमई को हरा-भरा करके एमएसएमई को सहायता प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताऐं:

- **परिणाम क्षेत्र:** यह कार्यक्रम दो परिणाम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा :
  1. एमएसएमई कार्यक्रम के संस्थानों और शासन को मजबूत करना;
  2. बाजार पहुँच, फर्म क्षमताओं और वित्त तक पहुंच का समर्थन करना।
- **संवितरण से जुड़े संकेतक (DLI):** विश्व बैंक से रैम्प के लिए धन का संवितरण कई संकेतकों को पूरा करने पर किया जाएगा जैसे कि एमएसएमई क्षेत्र केंद्र-राज्य सहयोग में तेजी लाना; विलंबित भुगतान की घटनाओं को कम करना, दूसरों के बीच एमएसएमई योजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाना।
- **सामरिक निवेश योजना (एसआईपी):** रैम्प का महत्वपूर्ण घटक एसआईपी की तैयारी है। एसआईपी में एमएसएमई की पहचान और संग्रहण के लिए एक आउटरीच योजना शामिल होगी, प्रमुख बाधाओं और अंतरालों की पहचान करना, मील के पत्थर निर्धारित करना और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण और गैर-कृषि व्यवसाय, थोक और खुदरा व्यापार आदि सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में हस्तक्षेप के लिए आवश्यक बजट पेश करना।
- **कार्यक्रम की निगरानी :** यह एमएसएमई मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद द्वारा किया जाएगा, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों से प्रतिनिधित्व होंगे और एक सचिवालय द्वारा समर्थित होगा।

एमएसएमई के बारे में:

- **आर्थिक योगदान:**
  - यह भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 29% योगदान देता है।
  - यह 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है (कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता)।
- **हालांकि, विभिन्न पुरानी और आधुनिक चुनौतियों के कारण उनकी व्यवहार्यता संदिग्ध बनी हुई है:**
  - देश में वित्तीय वर्ष 2020- 21 और 2021-22 (9 मार्च, 2022 तक) के दौरान एमएसएमई के रूप में केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के साथ पंजीकृत 5,907 व्यवसाय बंद हो गए। इस का 99.1 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यम थे, 0.75 प्रतिशत छोटे व्यवसाय थे।
  - यह संख्या अधिक हो सकती है यदि कोई उन संस्थाओं को ध्यान में रखे जो MSMEs के रूप में पंजीकृत नहीं हैं।

MSMEs को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल:

- **प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी): इसका** उद्देश्य बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए स्वरोजगार उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटी एसएमई):** एमएसई द्वारा बैंक को गारंटी शुल्क के भुगतान पर व्यक्तिगत एमएसई के लिए ₹ 100 लाख की सीमा तक संपार्श्विक मुक्त ऋण(Collateral free loan) उपलब्ध है।
- **ZED प्रमाणन योजना:** इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करते हुए निरंतर सुधार की रक्षा के लिए जीरो डिफेक्ट और जीरो इफ़ेक्ट प्रथाओं को शामिल करके गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण के लिए MSMEs को सक्षम करना है।
- **ऑनलाइन पोर्टल "चैंपियंस":** इसमें ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें एमएसएमई की शिकायत निवारण और हैंडहोल्डिंग शामिल है।
- **सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी):** इस योजना का उद्देश्य टिकाऊ और हरित निर्माण प्रौद्योगिकी, बाजार पहुंच, कौशल और गुणवत्ता आदि में प्रगति को संबोधित करके एमएसई की वृद्धि करना है। एमएसई के मौजूदा समूहों और औद्योगिक क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं का निर्माण करना ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई को प्रोत्साहन

समाचार: केंद्र सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना "पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) और सिक्किम में एमएसएमई को बढ़ावा" के नए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है।

संबंधित अन्य जानकारी

- **दर्ज़ा :** केंद्रीय क्षेत्र की योजना।
- **उद्देश्य:** एनईआर और सिक्किम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ-साथ क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **नोडल मंत्रालय:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)।
- **योजना के तत्व:**

केंद्रों की स्थापना और मौजूदा मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों का आधुनिकीकरण :	• इस योजना में नए केंद्रों की स्थापना और मौजूदा मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है । • 13.50 करोड़ तक की अधिकतम सहायता के साथ केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता 90% होगी।
नए और मौजूदा औद्योगिक एस्टेट का विकास	• नए और मौजूदा औद्योगिक एस्टेट और फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार की वित्तीय सहायता 90% होगी।
पर्यटन क्षेत्र का विकास	• रसोई, बेकरी, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग, रेफ्रिजरेशन और कोल्ड स्टोरेज जैसी सामान्य सेवाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। • सरकार की वित्तीय सहायता 90% एवं अधिकतम सहायता 4.50 करोड़ रुपये तक सीमित होगी।

तापी-पार-नर्मदा नदी जोड़ो परियोजना

समाचार : 1980 की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के तहत इंटरलिंकिंग परियोजना की कल्पना की गई है और पश्चिमी घाटों के अधिशेष क्षेत्रों से सौराष्ट्र और कच्छ के कमी वाले क्षेत्रों में नदी के पानी को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

संबंधित अन्य जानकारी

- **NPP, जिसे नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट (NRLP) के रूप में भी जाना जाता है,** अंतर-बेसिन जल हस्तांतरण परियोजनाओं के माध्यम से जल 'अधिशेष' बेसिनों से, जहाँ बाढ़ की स्थिति होती है, पानी की कमी वाले बेसिनों में, जहाँ सूखा/कमी है, अंतर-बेसिन जल हस्तांतरण की परिकल्पना करता है।
- इसमें तीन नदियों - **पार (महाराष्ट्र में नासिक से निकलने वाली), तापी (सतपुड़ा से निकलने वाली) और नर्मदा (मध्य प्रदेश से निकलने वाली) को जोड़ने का प्रस्ताव है।**
- इसमें **सात बांधों** (झेरी , मोहनकवचली , पाइखेड़ , चस्मांडवा , चिक्कर , दबदार और केलवन) का निर्माण, जिनमें से एक महाराष्ट्र में है और अन्य गुजरात में हैं, **शामिल है**।
- **महत्व:**
  - यह सरदार सरोवर बांध के पानी को बचाने में मदद करेगा जो वर्तमान में सौराष्ट्र में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है।
  - यह चार बांध स्थलों पर स्थापित बिजलीघरों के माध्यम से जल विद्युत उत्पादन में सहायता करेगा।
  - जलाशयों से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ राहत भी मिलेगी।
- हालांकि, भूमि के डूबने, विस्थापन और आजीविका के नुकसान के बारे में आदिवासियों द्वारा चिंता व्यक्त की गई है

भारत में अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) विनिर्माण (SEMICONDUCTOR MANUFACTURING IN INDIA)

समाचार: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सरकार के **76,000** करोड़ रुपये के सेमीकंडक्टर मिशन को चलाने और मार्गदर्शन करने के लिए एक सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की।

संबंधित अन्य जानकारी

- समिति की **अध्यक्षता MeitY के मंत्री करेंगे**, जिसमें सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के सदस्य होंगे। राज्य मंत्री (MeitY) उपाध्यक्ष होंगे।
- भारत में एक स्थायी अर्धचालक और प्रदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए, समिति एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण, निवेश को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण आगत (इनपुट) प्रदान करेगी –
- वित्तपोषण तंत्र, वैश्विक सहभागिता,
- शोध और नवाचार, और अर्धचालक आदि के लिए बौद्धिक संपदा सृजन।

अर्धचालक (Semiconductor) के बारे में :

- एक अर्धचालक को एक **ऐसी सामग्री के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कम मात्रा में विद्युत प्रवाह संचालित करने की विशेषताएँ और क्षमता होती है।**
- बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक घटक जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर और कई फोटोवोल्टिक सेल में अर्धचालक पदार्थ होते हैं।
- **श्रृंखला पर नियंत्रित अर्धचालक उपकरण की विद्युत चालकता को स्थायी या गतिशील रूप से एक विस्तृत** किया जा सकता है।
- अर्धचालक की बुनियादी आवश्यकता यह है कि यह विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक नहीं होना चाहिए, न ही यह विद्युत का बहुत खराब चालक होना चाहिए।

- **अर्धचालक नकारात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉनों के असंतुलन के कारण काम करते हैं।** इलेक्ट्रॉनों का यह असंतुलन अर्धचालक सामग्री की सतहों के दो सिरों पर धनात्मक आवेश (जहाँ अधिक प्रोटॉन हैं) और ऋणात्मक आवेश (जहाँ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हैं) उत्पन्न करता है।

भारत में अर्धचालक विनिर्माण के लिए की गई पहलें:

सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम (Semicon India Program) **(भारत में अर्धचालक और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए कार्यक्रम):**	• INR 76,000 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ, इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर्स, प्रदर्शन निर्माण और डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। • **कार्यक्रम के तहत, चार योजनाओं की शुरुआत की गई है** ○ भारत में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने की योजना, ○ भारत में डिस्प्ले फैब स्थापित करने की योजना ○ मिश्रित अर्धचालकों की स्थापना के लिए योजना / सिलिकॉन फोटोनिक्स / सेंसर फैब और सेमीकंडक्टर पुर्जे जोड़ना (असेम्बलिंग), परीक्षण, अंकन और पैकेजिंग (Assembling, Testing, Marking and Packaging = ATMP) / भारत में OSAT सुविधाएं ○ डिजाइन से संबद्ध /जुड़ा प्रोत्साहन (Design Linked Incentive- DLI) योजना (चिप डिजाइन अवसंरचना सहायता (Chip Design Infrastructure Support), उत्पाद डिजाइन से संबद्ध प्रोत्साहन (Product Design Linked Incentive) और परिनियोजन से संबद्ध प्रोत्साहन (Deployment Linked Incentive))।
भारत अर्धचालक मिशन (India Semiconductor Mission) (ISM):	• सेमीकंडक्टर (अर्धचालक) विकसित करने और डिस्प्ले विनिर्माण सुविधाओं और अर्धचालक डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए भारत की दीर्घकालिक रणनीतियों को चलाने के लिए इसे डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के भीतर एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में स्थापित किया गया है। • यह योजनाओं के कुशल, सुसंगत और सुचारू कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा।
विदेशी पूँजी को आकर्षित करना:	• 2021 की शुरुआत में, भारत सरकार ने इच्छुक आवेदकों से भारत में सेमीकंडक्टर वेफर/ डिवाइस फैब्रिकेशन प्लांट = उपकरण निर्माण संयंत्र (FABs) स्थापित करने (और/या विस्तार) करने या भारत के बाहर उनका अधिग्रहण करने के प्रस्ताव मांगे। • रुचि की अभिव्यक्ति के बारे में अधिसूचना कोरियाई, जापानी, हिब्रू और चीनी में उपलब्ध थी, जो विदेशी प्रतिभागियों से अपेक्षित निवेश रुचि का संकेत है। ○ साथ ही, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी है।
संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना : Modified Special Incentive Package Scheme (M-SIPS):	• अर्धचालक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, 2017-18 के केंद्रीय बजट ने M-SIPS और इलेक्ट्रॉनिक विभाग निधि (EDF) जैसी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए आवंटन में वृद्धि की।

शून्य दोष शून्य प्रभाव (ZED) प्रमाणन योजना (ZERO DEFECT ZERO EFFECT (ZED) CERTIFICATION SCHEME)

समाचार: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने भारतीय कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और उन्हें पूँजी तक आसानी से पहुँचने में मदद करने के उद्देश्य से एक संशोधित **ज़ेड (ZED) प्रमाणन योजना** (मूल रूप से **2016** में शुरू की गई) शुरू की।

संबंधित अन्य जानकारी :

- इस योजना में उत्पादों और प्रक्रियाओं दोनों में **डिजाइन और आईपीआर सहित उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रदूषण कम करने, ऊर्जा दक्षता, वित्तीय स्थिति, मानव संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञता शामिल है।**
- परिचालन स्तर के संकेतकों और परिचालन स्तर पर संगठनात्मक स्तर के संकेतकों पर **परिभाषित एनेबलर (समर्थकर्ता) और परिणाम मापदंडों पर एमएसएमई का मूल्यांकन और रेटिंग (मूल्य निरूपण) किया जाएगा।**
- आकलन के आधार पर, **MSME को ब्रॉन्ज-सिल्वर-गोल्ड-डायमंड-प्लैटिनम (कांस्य-रजत-स्वर्ण-हीरा-प्लैटिनम) उद्यमों के रूप में रैंक किया जाएगा।**
- ZED परिपक्वता आकलन मॉडल के तहत ZED रेटिंग के लिए 50 पैरामीटर और ZED रक्षा रेटिंग के लिए अतिरिक्त 25 पैरामीटर हैं।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** ZED के कार्यान्वयन के लिए **भारतीय गुणवत्ता परिषद** (QCI) को राष्ट्रीय निगरानी और कार्यान्वयन इकाई (NMIU) के रूप में नियुक्त किया गया है।
- ZED प्रमाणन की लागत पर MSMEs को निम्नलिखित संरचना के अनुसार सब्सिडी मिलेगी:
  - सूक्ष्म उद्यम: 80%
  - लघु उद्यम: 60%
  - मध्यम उद्यम: 50%
- उत्तर-पूर्व क्षेत्र/हिमालयी क्षेत्र/ वामपंथी अतिवाद (Left Wing Extremism-LWE) से ग्रसित क्षेत्र/द्वीप क्षेत्रों/आकांक्षी जिलों में **महिलाओं/एससी/एसटी उद्यमियों या एमएसएमई के लिए अतिरिक्त सब्सिडी का भी प्रावधान है।**
- इसमें विनिर्माण (प्रथम चरण) और सेवा क्षेत्र (द्वितीय चरण) दोनों शामिल होंगे।

केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार (ROW) अनुमोदन के लिये "गतिशक्ति संचार" पोर्टल (GATI SHAKTI SANCHAR PORTAL FOR CENTRALIZED RIGHT OF WAY (ROW) APPROVALS)

समाचार: दूरसंचार विभाग (DoT) ने केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार (**RoW**) अनुमोदन के लिए **गति शक्ति संचार पोर्टल** लॉन्च किया।

संबंधित अन्य जानकारी

- **पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान** के अनुरूप, पोर्टल देश भर में डिजिटल संचार बुनियादी ढाँचे की सुचारू तैनाती को सुगमता प्रदान करेगा।
- यह केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों, स्थानीय निकायों और सेवा प्रदाताओं सहित सभी हितधारकों के बीच एक **सहयोगी संस्थागत तंत्र** है।
- मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा विकसित।

गति शक्ति संचार पोर्टल के लाभ:

- 5G नेटवर्क के समय पर रोलआउट (शुरुआत) के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रतिक्रियात्मकता और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना।
- पोर्टल आवेदन जमा करने और स्थिति की जाँच करने के लिए एकल इंटरफ़ेस के माध्यम से **राइट ऑफ़ वे (आरओडब्ल्यू)** आवेदन और अनुमतियों को सुव्यवस्थित करेगा -
  - इन्फ्रास्ट्रक्चर रोलआउट (अवसंरचना निर्माण की शुरुआत) को गति देने के लिए, दूरसंचार उद्योग **आरओडब्ल्यू अनुमतियों के लिए समय पर अनुमोदन** प्राप्त करने पर निर्भर करता है।
  - **हालाँकि, उद्योग धीमें (सुस्त) आरओडब्ल्यू अनुमोदन समय, पहुँच प्रतिबंध (वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों में), आरओडब्ल्यू दृष्टिकोण में गैर-एकरूपता, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय आदि** जैसी चुनौतियों का सामना करता है।
  - दूर-दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल को तेजी से बिछाने, टॉवर घनत्व में वृद्धि आदि की सुविधा के द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 की परिकल्पना के अनुसार **"सभी के लिए ब्रॉडबैंड"** प्राप्त करना।
- **नीति में तीन मिशनों की परिकल्पना की गई है:**
  1. **कनेक्ट इंडिया (भारत को जोड़ना):** मजबूत डिजिटल संचार अवसंरचना का निर्माण।
  3. **प्रोपेल इंडिया (भारत को आगे बढ़ाना):** नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज (अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और सेवाओं) को सक्षम बनाना।
  4. **सिक्योर भारत (भारत को सुरक्षित बनाना):** डिजिटल संचार की संप्रभुता, संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिककरण (पीएमएफएमई) योजना (PRADHAN MANTRI FORMALISATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISES (PMFME) SCHEME)

समाचार: आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएमएफएमई योजना के दो साल पूरे हो गए।

PMFME के बारे में :

- यह मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **योजना का उद्देश्य:**
  - तकनीकी ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण और सहायता सेवाओं के माध्यम से **उद्यमियों की क्षमता निर्माण;**
  - स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, उत्पादक सहकारी समितियों और सहकारी समितियों को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ **समर्थन** ताकि सूक्ष्म उद्यमों को सामान्य सेवाओं तक पहुँच की अनुमति मिल सके;
  - मौजूदा व्यवसायों को नियामक ढाँचे और अनुपालन के तहत पंजीकरण के लिए एक औपचारिक ढाँचे में संक्रमण में सहायता करने में **सहयोग** करना;
  - प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण **उद्यमियों की ऋण तक पहुँच बढ़ाना;**
  - ब्रांडिंग और मार्केटिंग (विपणन) को बढ़ाकर, एक संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण।
- **इसे 2020-21 से 2024-25 तक पाँच साल की अवधि में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय** के साथ लागू किया जा रहा है।
- व्यय को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के साथ 90:10 के अनुपात में, विधायिका वाले संघ शासित प्रदेशों के साथ 60:40 के अनुपात में और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र द्वारा 100% साझा किया जाना है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ:

- लगभग 2 लाख FME को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (साख संबद्ध राजसहायता) के रूप में प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- अपनी इकाई के उन्नयन की इच्छुक मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (साख संबद्ध पूँजीगत राजसहायता) का लाभ उठा सकती हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति यूनिट है।
- कार्यशील पूँजी (working capital) और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए 40,000/- रुपये प्रति एसएचजी सदस्य की दर से बीज पूँजी (Seed capital) (प्रारंभिक वित्तपोषण) प्रदान की जाएगी।
- 'किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organizations- FPOs / स्वयं सहायता समूह = एसएचजी / उत्पादक सहकारी समितियों को मूल्य श्रृंखला के साथ पूँजी निवेश के लिए 35% का क्रेडिट लिंक्ड (साख संबद्ध) अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- योजना अपशिष्ट से धन उत्पादों, लघु वन उत्पादों और आकांक्षी जिलों पर भी जोर देती है।
- **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल बैंक** है।
- अनौपचारिक क्षेत्र में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ भी योजना के तहत सहायता के लिए पात्र हैं।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संशोधित उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के बारे में

- **खाद्य प्रसंस्करण की परिभाषा के अनुसार,** यह कृषि उत्पादों को भोज्य खाद्य में बदलने या एक खाद्य पदार्थ में अधिक मूल्य जोड़कर इसे दूसरे में बदलने की प्रक्रिया है।
- **इसे दो उपश्रेणियों में विभाजित किया गया है:**
  1. **विनिर्मित प्रक्रियाएँ**, जहाँ किसी उत्पाद की भौतिक विशेषताओं को विपणन योग्य मूल्य के साथ खाद्य उत्पादों में बदल दिया जाता है।
  2. **मूल्य वर्धित प्रक्रियाएं,** जैसे कि शेल्फ लाइफ या शेल (जीवनावधि) को लम्बा करना और उपभोग के लिए तैयार करना हैं।
- **भारत में स्थिति:**
  - भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ा है और इसका उत्पादन **2025-26** तक **535** अरब डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
  - **2019-20** को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र लगभग **11.18%** की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है और **2025** तक **470** बिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है।
  - भारत दुनिया का शीर्ष मसालों का उत्पादक और निर्यातक है।
  - दूध, दाल और जूट के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। **यह फलों और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे और अनाज के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है** (भारत सरकार, **2019**)।
  - अप्रैल **2000** से मार्च **2022** तक, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को **FDI** में **11.08** बिलियन डॉलर प्राप्त हुए।

ड्राफ्ट कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022 (DRAFT COFFEE (PROMOTION AND DEVELOPMENT) BILL, 2022)

समाचार: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कॉफी अधिनियम, **1942** को नए कॉफी (संवर्धन और विकास विधेयक), **2022** से बदलने की योजना बना रहा है, जिसे संसद के वर्तमान मानसून सत्र के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

कॉफी अधिनियम 1942 के बारे में:

- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संघर्षरत भारतीय कॉफी उद्योग को युद्ध के कारण होने वाली आर्थिक मंदी से बचाने के लिए इसे पेश किया गया था।
- अधिनियम के माध्यम से, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कॉफी बोर्ड की स्थापना की गई थी।

नए कानून की आवश्यकता:

- **संवृद्धि और व्यापार करने में आसानी के लिए:** नया कानून "प्रतिबंधात्मक और अनावश्यक" प्रावधानों को हटा देगा और उद्योग की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कॉफी अधिनियम, 1942 का एक सरलीकृत संस्करण पेश करेगा।
- **कॉफी उत्पादकों को सुविधा:** हालाँकि नया कानून कॉफी बोर्ड को बंद नहीं करेगा, लेकिन कॉफी उत्पादकों को सभी कृषि योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए इसे वाणिज्य मंत्रालय से कृषि मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- **बोर्ड के कार्यों के कई नए क्षेत्रों को संबोधित करना:** इनमें भारतीय कॉफी उद्योग को "वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं" के साथ संरेखित करने के लिए उत्पादन, गुणवत्ता सुधार, कॉफी उत्पादकों के कौशल विकास, वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के लिए समर्थन शामिल है।
- नए क्षेत्रों में नकदी फसल के विस्तार, धारणीय खेती, उत्पादन के साथ-साथ उत्पादकता, निर्यात और कॉफी के विपणन के माध्यम से **कॉफी उद्योग का समग्र प्रचार और विकास**।
- इससे न केवल अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे बल्कि संपूर्ण कॉफी मूल्य श्रृंखला को भी लाभ होगा।
- कम सरकारी प्रतिबंधों के साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय कॉफी की बिक्री और खपत को बढ़ावा देना।

भारतीय कॉफी बोर्ड (मुख्यालय: बेंगलुरु):

- इसमें अध्यक्ष सहित 33 सदस्य होते हैं।
- **बोर्ड के कार्यकलाप:**
  - उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाना।
  - भारतीय कॉफी के लिए उच्च मूल्य प्रतिफल प्राप्त करने के लिए निर्यात संवर्धन।
  - घरेलू बाजार के विकास में सहयोग करना।
- **1991 में भारत द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने से पहले**, कॉफी बोर्ड ने भारत और विदेश दोनों में, कॉफी बोर्ड का पूरी तरह से कमोडिटी के विपणन पर नियंत्रण किया।
  - कॉफी अधिनियम द्वारा शुरू की गई पूलिंग प्रणाली के तहत बोर्ड द्वारा देखे जाने वाले अधिशेष पूल में प्रत्येक बागान मालिक को अपनी पूरी फसल का योगदान करना आवश्यक था।
  - बोर्ड ने निर्यात के लिए कुल पूल का 70% और नीलामी के माध्यम से घरेलू बाजारों के लिए 30% का विपणन किया और पूल फंड बनाया गया।
- **बाद में**, संशोधनों की एक श्रृंखला के माध्यम से बोर्ड के अधिकार को कम कर दिया गया और कॉफी बाजार को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया।
  - पूलिंग सिस्टम को 1996 में समाप्त कर दिया गया था, और तब उत्पादकों को प्रसंस्करण कंपनियों को सीधे बेचने की अनुमति दी गई थी।
  - निर्यातकों को अभी भी कॉफी बोर्ड से प्रमाणपत्र की आवश्यकता है, इस तथ्य के बावजूद कि यह अब एक सलाहकार संगठन के रूप में अधिक कार्य करता है।

भारत में कॉफी का उत्पादन:

- भारतीय कॉफी 1600 ईस्वी के दौरान शुरू हुई जब पवित्र संत **बाबा बुदान ने कर्नाटक की चंद्रगिरि पहाड़ियों में यमन से लाये गए कॉफी बीन्स लगाए**। 18वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों ने कॉफी के व्यावसायिक बागान शुरू किए।

- **कॉफी की अरेबिका और रोबस्टा दोनों किस्मों का उत्पादन भारत में होता है।** अरेबिका का उच्च बाजार मूल्य है, लेकिन उत्पादन में रोबस्टा का हिस्सा **72%** है, जिससे यह सबसे व्यापक रूप से उत्पादित कॉफी है।
- कॉफी उद्योग भारत में **20** लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।
- **बागवानी की दशाएँ:**
  - कॉफी की पूरी खेती छाया में उगाई जाती है, हाथ से चुनी जाती है, और भारत में धूप में सुखाई जाती है, जो ऐसा करने वाला दुनिया का एकमात्र देश है।
  - छायादार पेड़ ढलान वाले इलाके में मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, गहरी परतों से पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करके मिट्टी को समृद्ध करते हैं, कॉफी को तापमान में मौसमी उतार-चढ़ाव से बचाते हैं, और विविध वनस्पतियों और जीवों की मेजबानी करते हैं।

कारक	अरेबिका	रोबस्टा
मृदा	गहरी, उर्वर, कार्बनिक पदार्थ से भरपूर, अच्छी जल निकासी वाली और थोड़ी अम्लीय	गहरी, उपजाऊ, कार्बनिक पदार्थों से भरपूर, अच्छी जल निकासी वाली और थोड़ी अम्लीय
ढाल	हल्की से मध्यम ढाल	मंद ढलान से समतल खेत तक
ऊंचाई	1000-1500 मी	500-1000 मी
तापमान	15^0 C – 25^0 C; शांत, समान	20^0 C – 30^0 C; गर्म, आर्द्र
सापेक्षिक आर्द्रता	70-80%	80-90%
वार्षिक वर्षा	1600-2500 मिमी	1000-2000 मिमी

भारत का कॉफी उत्पादन और निर्यात:

- **कर्नाटक सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक (70%) है, इसके बाद केरल (23%) और तमिलनाडु (6%) का स्थान है।**
- भारत का कॉफी उत्पादन **2022-23** में एक साल पहले के मुकाबले **15%** बढ़कर **393,400** टन होने का अनुमान है।
- कॉफ़ी निर्यात ने पिछले वर्ष की तुलना में **2021-22** में **42%** की वृद्धि दर्ज करने के साथ कोविड-प्रेरित गिरावट की आशंका को उलट दिया, और पहली बार एक अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर लिया।

लैंडलॉर्ड बंदरगाह मॉडल (LANDLORD PORT MODEL)

समाचार: **जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (JNP) भारत का पहला 100%** लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट बन गया।

संबंधित अन्य जानकारी

- **लैंडलॉर्ड बंदरगाह मॉडल की विशेषता इसकी मिश्रित सार्वजनिक-निजी नीति है।**
- इसके तहत, **बंदरगाह प्राधिकरण नियामक निकाय और बंदरगाह के मालिक** के रूप में कार्य करता है, जबकि बंदरगाह **संचालन (विशेष रूप से कार्गो हैंडलिंग)** निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है।

- इसका उद्देश्य **निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करना** और **प्रमुख बंदरगाहों के प्रशासन में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना** है।

जेएनपी के बारे में:

- जेएनपी **नवी मुंबई (महाराष्ट्र) में है, जिसे 1989 में कमीशन किया गया था।**
- यह एक कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है जो कुल कंटेनरीकृत **कार्गो की मात्रा का लगभग 50% हिस्सा संभालता** है।
- भारतीय बंदरगाह अधिनियम, **1908** के अनुसार भारत में बंदरगाहों को प्रमुख (केंद्र सरकार के तहत) और छोटे बंदरगाहों (राज्य सरकार के तहत) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बंदरगाह के लिए अन्य पीपीपी मॉडल:

सेवा बंदरगाह मॉडल (Service port model)	• बंदरगाह प्राधिकरण भूमि और सभी उपलब्ध संपत्तियों- अचल और सचल- का मालिक है और सभी विनियामक और बंदरगाह कार्यों को करता है। यहां, पोर्ट ट्रस्ट स्थान का मालिक और कार्गो टर्मिनल ऑपरेटर (संचालक) दोनों है।
उपकरण बंदरगाह मॉडल (Tool port model)	• बंदरगाह प्राधिकरण बंदरगाह के बुनियादी ढाँचे के साथ-साथ अधिरचना का भी मालिक है, उसका विकास और रखरखाव करता है, इसमें कार्गो हैंडलिंग उपकरण जैसे क्रेन और फोर्कलिफ्ट ट्रक आदि भी शामिल हैं।
निगमित बंदरगाह (Corporatized ports)	• बंदरगाहों का पूरी तरह से निजीकरण किया जा रहा है, सिवाय इसके कि स्वामित्व सार्वजनिक रहता है और अक्सर बहुसंख्यक शेयरधारक माना जाता है।

भारत में सोने (स्वर्ण) का खनन (GOLD MINING IN INDIA)

समाचार: केंद्र **2030** तक विकसित किए जाने वाले संभावित सोने वाले क्षेत्रों की पहचान करने और निजी भागीदारी के साथ देश में सोने के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत रोडमैप की योजना बना रहा है।

भारत में स्वर्ण उद्योग का अवलोकन:

- **चीन के बाद भारत सोने का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता** है।
- भारत की सोने की खदान का उत्पादन प्रति वर्ष **20** टन तक पहुँचने की क्षमता है, जो **2020** में **1.6** टन थी।
- **स्वर्ण भंडार और संसाधन: राष्ट्रीय खनिज सूची डेटा के अनुसार,** देश में कुल स्वर्ण अयस्क भंडार **501.83** मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है।
  - **धारवाड़ क्रेटॉन सोने के खनिजीकरण के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण भूवैज्ञानिक संरचना है,** जो भारत में पाए जाने वाले कुल भंडार का **88%** हिस्सा है और कर्नाटक राज्य में स्थित है।
  - **अधिकांश स्वर्ण खनिज संसाधन (50% से अधिक आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो सकते हैं)** कर्नाटक में पाए जाते हैं, इसके बाद राजस्थान में **33%,** बिहार में **6%** और आंध्र प्रदेश में **5%,** शेष **6%** आठ अतिरिक्त राज्यों के बीच फैला हुआ हैं।
- **2021-22 के दौरान भारत का सोने का आयात पिछले वर्ष के 34.6 बिलियन डॉलर से 33.41% बढ़कर 46.16 बिलियन डॉलर हो गया।** इस प्रकार, भारत के लिए स्वर्ण उद्योग में आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आगे बढ़ना महत्त्वपूर्ण है।

भारत की उत्पादकता चुनौती (PRODUCTIVITY CHALLENGE OF INDIA)

समाचार: भारतीय उत्पादकता रिपोर्ट आरबीआई और सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स द्वारा जारी की गई थी।

संबंधित अन्य जानकारी

- **उत्पादकता** को वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन (निर्गत) और निवेश (आगत) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है- मानव और अन्य -उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त।
    - दूसरे शब्दों में, यह मापता है कि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के दिए गए स्तर का उत्पादन करने के लिए श्रम और पूँजी जैसे उत्पादन इनपुट का कितनी कुशलता से उपयोग किया जा रहा है।

उत्पादकता उपायों के विभिन्न प्रकार हैं:

श्रम उत्पादकता	• इसे इस रूप में परिभाषित किया गया है -**श्रमिकों की संख्या या काम किए गए घंटों की संख्या के आउटपुट का अनुपात।** • उत्पादन (आउटपुट) के माप के रूप में सकल घरेलू उत्पाद और निवेश (इनपुट) के माप के रूप में श्रमिकों की संख्या, श्रम उत्पादकता प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से निकटता से संबंधित है, जो किसी देश में जीवन स्तर के मानक का एक उपाय है।
कुल कारक उत्पादकता (Total Factor Productivity) (TFP)	• **यह कुल उत्पादन / निर्गत (आउटपुट) का एक माप है जो निवेश / आगत (इनपुट) के भारित औसत से विभाजित होता है; अर्थात्, श्रम और पूँजी।** टीएफपी में सुधार से उत्पादन लागत में कमी आती है, उत्पादन स्तर में वृद्धि होती है और जीडीपी में वृद्धि होती है। • इसके अलावा, टीएफपी वृद्धि अक्सर नवाचार और तकनीकी प्रगति से जुड़ी होती है, जो प्रति व्यक्ति आय वृद्धि के दीर्घकालिक चालक हैं।

उत्पादकता का महत्त्व

- **आर्थिक विकास को प्रेरित करता है:** अत्यधिक उत्पादक अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि वह समान संख्या में संसाधनों के साथ अधिक वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम है या कम संसाधनों के साथ समान स्तर की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है।
- SDG **प्राप्त करना:** सतत विकास के लिए **2030** के एजेंडा को ध्यान में रखते हुए उत्पादकता को मजबूत करना विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह गरीबी को समाप्त करने (लक्ष्य **1**), भुखमरी को समाप्त करने (लक्ष्य **2**), असमानता को कम करने (लक्ष्य **10**) आदि में मदद करेगा।
- **बेहतर नीति निर्माण:** संवृद्धि-समर्थक (प्रो-ग्रोथ) संरचनात्मक परिवर्तन की सुगमता के लिए भारत के विकास पथ की पहचान करने के लिए उद्योग स्तर पर कारक निवेश और उत्पादकता में परिवर्तन का विश्लेषण करना आवश्यक है।
- **बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता और व्यापार प्रदर्शन:** उत्पादकता में एक तीव्र, पर्याप्त वृद्धि भारत की उत्पादन इकाइयों को वैश्विक निर्यात बाजारों में बहुत बड़े तरीके से प्रवेश करने में सक्षम बनाएगी।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भाग लेने के लिए:** बढ़ी हुई उत्पादकता भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में बेहतर स्थिति में लाने में मदद करेगी और घरेलू उत्पादकों को विस्थापित करने वाले आयात से तीव्र प्रतिस्पर्धा को दूर करेगी।
- **बढ़ी हुई उत्पादकता हर किसी को प्रभावित करती है:** व्यवसायों के लिए (उच्च लाभ और अधिक निवेश के अवसर लाता है), श्रमिकों के लिए (उच्च वेतन और बेहतर काम करने की स्थिति में अनुवाद), सरकार के लिए (उच्च कर राजस्व)।

ड्राफ्ट कोयला लॉजिस्टिक नीति 2022 (DRAFT COAL LOGISTIC POLICY 2022)

समाचार: हाल ही में कोयला मंत्रालय ने ड्राफ्ट कोल (कोयला) लॉजिस्टिक नीति, **2022** पर फीडबैक मांगा है।

ड्राफ्ट कोल (कोयला) लॉजिस्टिक पॉलिसी, 2022 **के बारे में:**

- **कोल लॉजिस्टिक्स का अर्थ है कोयले का मूल से गंतव्य तक परिवहन के एकल/बहुआयामी मोड के माध्यम से परिवहन** और इसमें बिजली संयंत्रों, इस्पात निर्माण आदि को वितरण के उद्देश्य से भंडारण, लोडिंग शामिल है।
- नीति का उद्देश्य खदान से अंतिम उपयोग संयंत्र तक कोयले के मौजूदा कोयला निकासी बुनियादी ढाँचे और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन में अंतराल की पहचान करना, मूल्यांकन करना और समाप्त करना है।
- मसौदा नीति के विजन में त्वरित और समावेशी विकास के लिए तकनीकी रूप से सक्षम, एकीकृत, लागत प्रभावी, लचीला, टिकाऊ और विश्वसनीय लॉजिस्टिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की परिकल्पना की गई है।
- कोल इंडिया द्वारा **2017** में शुरू किए गए '**कोल विजन 2030**' के अनुसार, घरेलू कोयले की माँग **2030** तक **1,300-1,900** मीट्रिक टन प्रति वर्ष होने का अनुमान लगाया गया था।

कोयला लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार के लिए नीतिगत रणनीतियां अपनाई जाएंगी:

- **स्मार्ट कोल लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर:** खदान से खपत बिंदु तक प्रत्येक टन कोयले पर पूर्ण निगरानी सुनिश्चित करने के लिए इसे स्थापित करने की आवश्यकता है।
  - 'स्मार्ट कोल लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर' को प्रौद्योगिकी-सक्षम कोयला लॉजिस्टिक्स श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो खदान से गंतव्य तक लॉजिस्टिक प्रक्रियाओं के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है।
- **हरित परिवहन पहल:** कोयले के सड़क परिवहन से कन्वेयर, रेलवे और जलमार्गों में मॉडल परिवर्तन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **रेलवे टैरिफ (शुल्क) को युक्तिसंगत बनाएं:** बंदरगाहों से पहले और आखिरी मील कनेक्टिविटी के लिए रेलवे टैरिफ युक्तिकरण से कोयले के लिए आरएसआर (रेल-समुद्र-रेल मार्ग) की व्यवहार्यता में वृद्धि हो सकती है।
- **परिवहन का मल्टी मॉडल नेटवर्क:** नीति में एक मल्टी-मॉडल एकीकृत राष्ट्रीय कोयला निकासी योजना तैयार करने का प्रस्ताव है।
  - योजना तैयार करने के लिए एक तकनीकी सहायता इकाई और एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की स्थापना की जाएगी।
- **डेटा-संचालित प्रणालियाँ:** उच्च लॉजिस्टिक दक्षता को सक्षम करने के लिए लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी के लिए डेटा संचालित प्रणालियों का विकास।
- **मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू):** रेल और सड़कों के आरओडब्ल्यू और प्रथम-मील निकासी की योजना खान आवंटन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में बनाई गई है।
- **अन्य पहलें:**
  - रेलवे साइडिंग जैसी सामान्य उपयोगकर्ता सुविधाएं जहाँ **2-3** खदानें एक-दूसरे के करीब हैं।
  - कन्वेयर के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जहाँ यह उपयोग करने के लिए किफायती है।

कोयला लॉजिस्टिक्स में सुधार के लिए की गई पहलें:

- **माल संचालन सूचना प्रणाली** (Freight Operations Information System- **FOIS**)**:** यह मालगाड़ियों की आवाजाही की निगरानी करने में मदद करती है जो माल और अन्य शुल्कों की गणना भी करती है।
- **सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स** (**CRIS**) **FOIS** के लिए फ्रेट बिजनेस डेटा इंटीग्रेशन (**FBDI**) भी प्रदान करता है जिसका उपयोग ग्राहक अपने आंतरिक **MIS** नेटवर्क के साथ एकीकरण के लिए कर सकते हैं।

- **पीएम गति शक्ति:** यह योजना कोयले की निकासी के लिए लॉजिस्टिक लागत में कमी के लिए किए जाने वाले आवश्यक हस्तक्षेपों पर समग्र रूप से ध्यान देगी और इस प्रकार कोयला क्षेत्र में दक्षता लाभ प्राप्त करेगी।

मार्ग पोर्टल (MAARG PORTAL)

समाचार: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने **MAARG पोर्टल** पर पंजीकरण के लिए स्टार्ट-अप आवेदन आमंत्रित किए हैं।

संबंधित अन्य जानकारी

- **MAARG (मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलिएंस एंड ग्रोथ) पोर्टल** विभिन्न क्षेत्रों, कार्यों, चरणों, भौगोलिक और पृष्ठभूमि में स्टार्टअप्स के लिए मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करता है।
- **पोर्टल के उद्देश्य:**
  - स्टार्टअप्स को क्षेत्र केंद्रित मार्गदर्शन, हैंडहोल्डिंग (संभालना) और सहायता प्रदान करना।
  - मेंटर-मेंटी एंगेजमेंट की समय पर ट्रैकिंग के लिए कुशल मेंटरशिप (परामर्श) और एक तंत्र को सुगम बनाना।
  - इसमें कस्टमाइजेबल मेंटरशिप प्रोग्राम (अनुकूलित परामर्श कार्यक्रम), मेंटर्स के योगदान के लिए मान्यता आदि शामिल हैं।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (THE EASTERN RAJASTHAN CANAL PROJECT)

समाचार: राजस्थान के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से **पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की माँग की है।**

संबंधित अन्य जानकारी:

- **पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का लक्ष्य बारिश के मौसम में दक्षिणी राजस्थान की नदियों जैसे चंबल और कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध सहित इसकी सहायक नदियों में उपलब्ध अतिरिक्त पानी का संचयन करना है** और इस पानी का उपयोग राज्य के दक्षिण-पूर्वी जिलों में करना है जहाँ पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की कमी है।
- **राज्य के जल संसाधन विभाग, राजस्थान** के अनुसार, राज्य **342.52** लाख हेक्टेयर के भौगोलिक क्षेत्र के साथ भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो पूरे देश का **10.4** प्रतिशत है, जबकि भारत के सतही जल का केवल **1.16** प्रतिशत और भूजल का **1.72** प्रतिशत ही रखता है।
- डायवर्जन स्ट्रक्चर्स, इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर, लिंकिंग चैनल्स और पम्पिंग मेन फीडर चैनलों के निर्माण की मदद से, **ERCP** का उद्देश्य जल चैनलों का एक नेटवर्क बनाना है जो राजस्थान के **23.67** प्रतिशत क्षेत्र के साथ-साथ राज्य की **41.13** प्रतिशत आबादी को कवर करेगा।

परियोजना की घोषणा:

- **2017-18** के बजट में, राजस्थान में तत्कालीन वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने कहा था कि ईआरसीपी **13** जिलों- झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर की दीर्घकालिक सिंचाई और पेयजल जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।
- इसके बाद, परियोजना को **2017** में केंद्रीय जल आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था।

परियोजना के लाभ:

- **ERCP का इरादा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल तालिका में सुधार करना** भी है, जो इन क्षेत्रों के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
- यह **दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC) पर विशेष जोर देता है,** उम्मीद करता है कि स्थायी जल स्रोत बढ़ेंगे और इन क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ने में मदद करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप निवेश और राजस्व प्राप्त होगा।

- राज्य के जल निकायों में, केवल चंबल नदी बेसिन में अतिरिक्त पानी है लेकिन इस पानी का सीधे दोहन नहीं किया जा सकता क्योंकि कोटा बैराज के आसपास के क्षेत्र को मगरमच्छ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है।

राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा:

- भारत सरकार ने लोगों के लाभ के लिए चिन्हित राष्ट्रीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से कार्यान्वित की जाने वाली राष्ट्रीय परियोजनाओं की एक योजना को अनुमोदित किया है।
- ऐसी परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा केंद्रीय अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो ऐसी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए अनुमानित लागत का **90%** होगा।
- यह दर्जा **जल शक्ति मंत्रालय** द्वारा प्रदान किया जाता है।
- **चयन के लिए मानदंड:**
  - **अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएँ जहाँ भारत में पानी का उपयोग एक संधि द्वारा आवश्यक हो** या जहाँ देश के हित में योजना बनाना और परियोजना को जल्दी पूरा करना आवश्यक हो।
  - **अंतर्राज्यीय परियोजनाएँ जो लागतों के बंटवारे, पुनर्वास, बिजली उत्पादन के पहलुओं आदि से संबंधित अंतर्राज्यीय मुद्दों के समाधान न होने के कारण लटक रही हैं,** जिनमें नदी जोड़ने वाली परियोजनाएँ भी शामिल हैं।
  - **2,00,000 हेक्टेयर (हेक्टेयर) से अधिक की अतिरिक्त क्षमता वाली अंतर्राज्यीय परियोजनाएँ** और जिनमें जल के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद नहीं है और जहाँ जल विज्ञान (hydrology) स्थापित है।

उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (NATIONAL PROGRAM ON ADVANCED CHEMISTRY CELL BATTERY STORAGE)

खबर: कैबिनेट (मंत्रिमंडल) ने हाल ही में **18100** करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम **(उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना)** के परिव्यय को मंजूरी दी है.

संबंधित अन्य जानकारी:

- यह **उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी** भंडारण के विनिर्माताओं के लिए है ताकि आयात को कम किया जा सके।
- मंत्रिमंडल ने **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए भारी उद्योग विभाग** के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- इसे '**उन्नत रसायन सेल बैटरी भण्डारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम**' भी कहा जाता है।

उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना:

- **लक्ष्य:** ACC की **50**-गीगावाट घंटा (**GWh**) और "निके" **ACC** की **5 GWh** की निर्माण क्षमता हासिल करना।
  - प्रत्येक चयनित एसीसी बैटरी स्टोरेज निर्माता को कम से कम पाँच (**5**) **GWh** क्षमता की एसीसी निर्माण सुविधा स्थापित करने और पाँच साल के भीतर परियोजना स्तर पर न्यूनतम **60%** घरेलू मूल्यवर्धन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा।
- **चयन:** एसीसी बैटरी भण्डारण विनिर्माताओं का चयन एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
- **अन्य विशेषताएँ:** निर्माण सुविधा को दो साल की अवधि के भीतर चालू करना होगा और उसके बाद पाँच साल की अवधि में प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा।
  - विशिष्ट ऊर्जा घनत्व और चक्रों में वृद्धि और स्थानीय मूल्यवर्धन में वृद्धि के साथ प्रोत्साहन राशि बढ़ेगी।
- **एसीसी बैटरियों के बारे में:** ये उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकी की नई पीढ़ी हैं जो विद्युत ऊर्जा को या तो विद्युत रासायनिक या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहीत कर सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती हैं।

राजस्थान पर्यटन इकाइयों को उद्योग का दर्जा / टैग (INDUSTRY TAG FOR RAJASTHAN TOURISM UNITS)

समाचार: इस वर्ष की शुरुआत में राजस्थान में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को मिले 'उद्योग का दर्जा' ने राज्य की उन पर्यटन इकाइयों को निश्चित रूप से बढ़ावा दिया है, जिन्हें महामारी के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ा था।

संबंधित अन्य जानकारी:

- पर्यटन संचालकों पर लगाए जाने वाले बिजली शुल्क और अन्य करों को अब अन्य उद्योगों के बराबर लाया गया है, जबकि पहले बहुत अधिक वाणिज्यिक दरें लगाई जाती थीं।
- एक 'उद्योग' के रूप में पर्यटन क्षेत्र को रियायतें राज्य के खजाने पर प्रति वर्ष **₹700** करोड़ का वित्तीय बोझ लाएगी।

"उद्योग की प्रस्थिति / दर्जा" के बारे में

- 'उद्योग की प्रस्थिति / दर्जा' शब्द को **वास्तव में भारत में किसी भी कानून में विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है**।
- उद्योग का दर्जा प्रदान करने के लिए **मूल रूप से राज्य/केंद्रीय औद्योगिक नीति में शामिल करना आवश्यक है।**
- **कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करना, बड़े निवेशकों** को वित्तपोषण भागीदार बनाने में सक्षम बनाना, और डेवलपर्स को उनके **मौजूदा ऋणों को पुनर्वित्त (रीफाइनेंस)** करने की अनुमति देना तत्काल लाभों में से हैं।
- **अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट (वहनीय आवास खंड) को 2018 में इंडस्ट्री का दर्जा मिला**।
- हाल ही में राज्य सरकारों द्वारा उद्योग का दर्जा प्रदान करने के दो मामले सामने आए-
  1. **उत्तर प्रदेश सरकार** (12 मई को रिपोर्ट) ने वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को 'उद्योग का दर्जा' प्रदान किया है।
  2. खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला **मिजोरम** पहला राज्य बना।

महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE) (CII)

समाचार: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने **ICICI** बैंक, **HDFC** बैंक और **UPI** प्रबंध इकाई **NPCI** के **IT** संसाधनों को 'महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना' घोषित किया है।

संबंधित अन्य जानकारी

- **2000 का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम "महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना"** को एक कंप्यूटर संसाधन के रूप में परिभाषित करता है, जिसकी अक्षमता या विनाश का राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर दुर्बलकारी प्रभाव पड़ेगा।
- अधिनियम के तहत, सरकार के पास उस डिजिटल संपत्ति की सुरक्षा के लिए किसी भी डेटा, डेटाबेस, आईटी नेटवर्क या संचार अवसंरचना को **CII** के रूप में घोषित करने की शक्ति है।
- **जुर्माना:** कोई भी व्यक्ति जो कानून का उल्लंघन करते हुए संरक्षित प्रणाली तक पहुँच हासिल करता है या सुरक्षित पहुँच हासिल करने का प्रयास करता है, उसे **10** साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

भारत में CII किस प्रकार सुरक्षित हैं?

- **राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) 2014 में बनाया गया था।**
- यह देश की महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (**CII**) की सुरक्षा के लिए सभी उपाय करने वाली **नोडल एजेंसी** है।
- **NCIIPC के कार्य:**
  - सीआईआई को अनधिकृत पहुँच, संशोधन, उपयोग, प्रकटीकरण, व्यवधान, अक्षमता या विकर्षण से बचाने के लिए और
  - नीतिगत मार्गदर्शन, विशेषज्ञता साझा करने और प्रारंभिक चेतावनी या अलर्ट के लिए स्थितिजन्य जागरूकता के लिए **CII** को राष्ट्रीय स्तर के खतरों की निगरानी और पूर्वानुमान करना।

खुला एकरेज/एकड़ (क्षेत्र) लाइसेंसिंग कार्यक्रम (OPEN ACREAGE LICENSING PROGRAMME)

समाचार: सरकार ने खुला एकरेज लाइसेंसिंग कार्यक्रम का आठवां दौर शुरू किया है।

संबंधित अन्य जानकारी

- हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (**HELP**) को **2016** में प्रख्यापित किया गया था।
- **इसे 2022 तक हाइड्रोकार्बन आयात निर्भरता को 10% तक कम करने की दृष्टि से लॉन्च किया गया था**।
- इसका उद्देश्य **भारत के तलछटी बेसिन में तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देना है।**
- भारतीय अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) क्षेत्र में **"ईज ऑफ डूइंग बिजनेस"** को बढ़ाने के लिए, इसने रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट मॉडल को अपनाया है और प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (पीएससी) के पहले के मॉडल को बदल दिया है।
- **ओपन एकरेज लाइसेंसिंग (OAL) तंत्र** को **HELP** के हिस्से के रूप में पेश किया गया है।
- **नेशनल डेटा रिपॉजिटरी (NDR) में उपलब्ध एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (E&P) डेटा का मूल्यांकन** करके और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (**EoI**) सबमिट / जमा करके, यह निवेशकों को उनकी पसंद के ब्लॉक बनाने में सक्षम बनाता है।
- बाद में औपचारिक बोली प्रक्रिया के माध्यम से इन ब्लॉकों को **द्विवार्षिक रूप से पेश किया जाता है**।

कार्यक्रम की विशिष्ट विशेषताएँ:

- पारंपरिक तेल और गैस, कोल-बेड मीथेन, शेल ऑयल, गैस हाइड्रेट्स आदि सहित सभी हाइड्रोकार्बन की खोज और उत्पादन **एक ही लाइसेंस द्वारा कवर किया जाएगा**।
- **कम और वर्गीकृत रॉयल्टी दरें** - गहरे और अति-गहरे पानी में अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए पहले सात वर्षों के लिए रॉयल्टी से छूट दी गई थी।
  - उसके बाद, गहरे पानी और अति-गहरे पानी वाले क्षेत्र क्रमशः **5%** और **2%** रॉयल्टी के अधीन हैं।
- **तेल की खोज और उत्पादन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से छूट।**
  - उत्पादित गैस का पूर्ण विपणन और मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता।
  - अन्वेषण और उत्पादन के लिए विस्तारित अवधि यानी अंतर्देशीय/उथले पानी के लिए **8** साल और गहरे पानी/सीमांत क्षेत्रों के लिए **10** साल।
- **OALP बिड राउंड (बोली का दौर)-VIII, जिसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बिडिंग के लिए 10 ब्लॉक लॉन्च किए**, अब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है।
- वर्तमान बोली में शामिल दस ब्लॉक नौ तलछटी घाटियों में वितरित हैं और इसमें दो भूमि-आधारित, चार उथले-पानी, दो गहरे-पानी वाले, और दो अति-गहरे-पानी वाले ब्लॉक शामिल हैं।

भंडारण (विकास और विनियमन) अधिनियम (WAREHOUSING (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT)

समाचार: केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने **2007** के वेयरहाउसिंग (विकास और विनियमन) अधिनियम में प्रमुख संशोधनों का सुझाव दिया है।

संबंधित अन्य जानकारी

- भण्डारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, **2007 2010** में लागू हुआ।
- सरकार ने अवसंरचनात्मक और प्रक्रियात्मक मानकों को निर्धारित करके वैज्ञानिक भंडारण सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के तहत वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (**WDRA**) का गठन किया।
- भारतीय खाद्य निगम जैसे कैप्टिव गोदामों को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।

अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

- **गोदामों का अनिवार्य पंजीकरण:** डब्ल्यूडीआरए वर्तमान में एक वैकल्पिक सेवा के रूप में गोदाम पंजीकरण की पेशकश करता है। प्रस्तावित संशोधन के बाद पूरे देश में सभी तीसरे पक्ष के गोदामों को धीरे-धीरे पंजीकृत किया जाएगा। प्राधिकरण के पास पंजीकरण से किसी भी वर्ग के गोदामों को छूट देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा।
- WRDA **की संरचना:** वर्तमान में, **WRDA** में **एक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य** होते हैं। संशोधन के बाद प्राधिकरण में **खाद्य और आर्थिक मामलों के विभागों में संयुक्त सचिवों और सेबी के कार्यकारी निदेशक सहित तीन पदेन अंशकालिक सदस्यों को जोड़ा जाएगा।**
  - इसके अतिरिक्त, संशोधन **WRDA** को जाँच करने, प्रवर्तन कार्यवाही करने, वित्तीय दंड लगाने, वित्तीय दंड की वसूली करने और निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करेगा।
- **जेल की अवधि को समाप्त करना:** सरकार ने विभिन्न अपराधों के लिए तीन साल तक के कारावास को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने को मौजूदा **₹1** लाख से काफी बढ़ा दिया है।
- **कोई प्रत्यायन (मान्यता देने वाली) एजेंसियां नहीं:** प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य मान्यता देने वाली एजेंसियों को खत्म करना है क्योंकि प्रक्रिया समय लेने वाली थी, कदाचार से ग्रस्त थी और शिकायतों को जन्म देती थी।
- **प्रस्तावित संशोधनों के बाद, गोदाम पंजीकरण के लिए आवेदन सीधे डब्ल्यूडीआरए को भेजा जाएगा,** एक नई ऑनलाइन आवेदन प्रणाली जो फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस है, लागू की जाएगी, और औसत पंजीकरण समय कम हो जाएगा।

सुपर वासुकी (SUPER VASUKI)

समाचार: भारतीय रेलवे ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह के हिस्से के रूप में **3.5** किलोमीटर लंबी मालगाड़ी, सुपर वासुकी का परीक्षण किया, जिसमें **27,000** टन से अधिक कोयला ले जाने वाले **295** वैगन थे।

संबंधित अन्य जानकारी

- सुपर वासुकी दक्षिण पूर्व **मध्य रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है।**
- यह रेलवे द्वारा चलाई गई **अब तक की सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी है,** ट्रेन को जोड़ने पर एक स्टेशन को पार करने में लगभग **4** मिनट लगते हैं।
- इसका गठन मालगाड़ियों के पाँच रेक को एक इकाई के रूप में समाहित करके किया गया था।
- रेलवे इस व्यवस्था (लंबी मालगाड़ियों) का अधिक बार उपयोग करने की योजना बना रहा है, विशेष रूप से बिजली स्टेशनों में ईंधन की कमी को रोकने के लिए चरम माँग के मौसम में कोयले की ढुलाई के लिए।
- **महत्त्व:** इससे पहले **2022** में कोयले की कमी ने देश को गंभीर बिजली संकट में धकेल दिया था।
  - सुपर वासुकी द्वारा लाए गए कोयले की मात्रा पूरे एक दिन के लिए **3000** मेगावाट बिजली संयंत्र को जलाने के लिए पर्याप्त है।
  - यह मौजूदा रेलवे रेक की क्षमता का तीन गुना है (प्रत्येक में **100** टन क्षमता वाले **90** डिब्बें) जो एक यात्रा में लगभग **9,000** टन कोयला ले जाती है।

4. सेवा क्षेत्र

डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क

समाचार: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार (DPIIT) विभाग के सचिव के अनुसार, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है।

विषय के बारे में:

- **नोडल एजेंसी: यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** की एक पहल है।
- **ओएनडीसी एक ऐसा नेटवर्क है जिसका उद्देश्य** किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र ओपन स्पेसिफिकेशंस और ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करके **ओपन-सोर्स पद्धति पर विकसित ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है**।

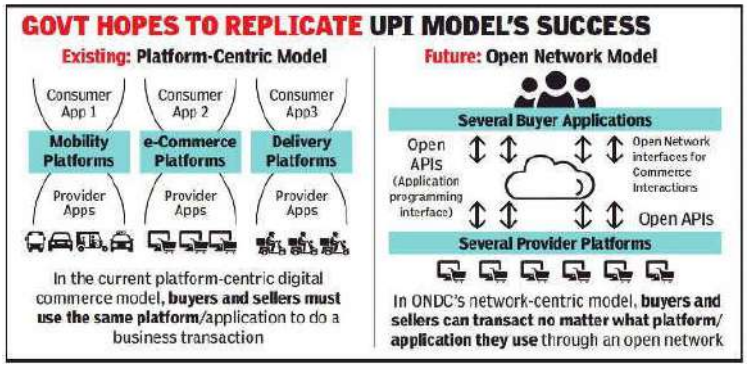

- **विशेषताएँ:**
  - इसके अनुसार, सभी विक्रेता और खरीदार प्लेटफॉर्म एक ही ओपन प्रोटोकॉल के माध्यम से कार्य करेंगे और ओएनडीसी के माध्यम से जुड़ने में सक्षम होंगे।
  - इसके अलावा, भले ही किसी एक उत्पाद को खरीदने की आवश्यकता हो, फिर भी ओएनडीसी उत्पाद के लिए सभी उपलब्ध प्लेटफॉर्म पेश करेगा ताकि ग्राहक अपनी इच्छा के अनुसार चयन कर सके।
- **महत्व: इस प्रकार, यह प्लेटफॉर्म सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों** और छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन मार्केटप्लेस में शामिल करने, डिजिटल एकाधिकार के प्रसार को कम करने और नए अवसरों को उपलब्ध कराने में सहायक होगा।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए)

समाचार: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण **(सीसीपीए) ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (जीएसके) कंज्यूमर हेल्थकेयर को** सेंसोडाइन उत्पादों के विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है, जिसमें विदेशी दंत चिकित्सकों को उत्पाद का समर्थन करते हुए दिखाया गया है।

विषय के बारे में

- प्राधिकरण का गठन **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10(1) के तहत** किया गया है।
- **उद्देश्य:** अनुचित व्यापार प्रथाओं, और जनता और उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल, झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कस कर उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना।
- **लक्ष्य:** एक श्रेणी के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना।
- इसे उपभोक्ता अधिकारों के हनन की जांच करने और शिकायतों/अभियोगों को स्थापित करने का अधिकार होगा।
  - असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश देना, अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का आदेश देना,
  - भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं/समर्थकों/प्रकाशकों पर जुर्माना लगाना ।
- **संरचना:** इसमें प्रमुख के रूप में एक मुख्य आयुक्त और सदस्य के रूप में दो अन्य आयुक्त होंगे, जिनमें से एक वस्तुओं से संबंधित मामलों को देखेगा जबकि दूसरा सेवाओं से संबंधित मामलों को देखेगा।

- सीसीपीए के पास एक जांच विभाग होगा जिसका नेतृत्व महानिदेशक करेंगे।
- जिला कलेक्टरों को भी उपभोक्ता अधिकारों के हनन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों की शिकायतों की जांच करने की शक्ति होगी।

- **इसका मुख्यालय दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में** होगा तथा केंद्र सरकार देश के अन्य हिस्सों में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर सकती है।

ई-कॉमर्स का प्रचार और विनियमन

समाचार: हाल ही में **वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 'भारत में ई-कॉमर्स के प्रचार और विनियमन'** पर अपनी रिपोर्ट पेश की है ।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- समिति ने डिजिटल इकोनोमी कंपनियों द्वारा डेटा के संग्रह और उपयोग सहित व्यावसायिक प्रथाओं को नियंत्रित करने के लिए एक **नया डिजिटल बाजार अधिनियम** लाने या इससे जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम में कुछ दिशानिर्देश जोड़ने का प्रस्ताव दिया है।
- **समिति ने विनियमन के लिए एक्स-पोस्ट (ex-post) मॉडल के बजाय प्रत्याशित (ex-ante)मॉडल का प्रस्ताव दिया है।**
  - बिग टेक के लिए एक आचार संहिता विनियमन के **प्रत्याशित (ex-ante) मॉडल** का हिस्सा है, जिसमें डेटा संग्रह और उपयोग के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं।
  - यह सुनिश्चित करेगा कि एकत्र किए गए किसी भी उपभोक्ता डेटा का उपयोग केवल उपभोक्ता के हितों के लिए किया जाए।
  - यह ऐसी बड़ी तकनीकी कंपनियों या व्यावसायिक प्लेटफ़ॉर्म को "द्वारपाल" के रूप में वर्गीकृत करेगा जो छोटी कंपनियों को ग्राहकों से जुड़ने की अनुमति देते हैं। इससे ऑनलाइन बाजारों के नियमन में सुधार होगा।
- वर्तमान में, प्लेटफ़ॉर्म-टू-बिज़नेस (पी2बी) उपयोगकर्ता संबंध को नियंत्रित करने वाले विनियमों की कमी और विनियमन के **पूर्व-पोस्ट (ex-post)** मॉडल पर अत्यधिक निर्भरता, विशेष रूप से द्वारपालों सहित, अक्सर विकसित और तेज़ गति वाले बाजारों में प्रतिस्पर्धा को उचित रूप से कायम रखने में सहायक नहीं होती।

भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र ;

- इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने का नाम ई-कॉमर्स है।
- ई-कॉमर्स भुगतान 2021- 2025 के बीच 18.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ने का अनुमान है।
- 2030 तक, यह 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 2024 तक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2026 तक 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- ई-कॉमर्स पर एफडीआई नीति के अनुसार, ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।

भारत में ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम:

- **उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020 :** उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा ई-कॉमर्स व्यवसायों को प्रत्येक उत्पाद सूची के आगे मूल देश का नाम दर्शाने के लिए निर्देशित किया गया था। इसके अतिरिक्त व्यवसायों को उन मानदंडों का खुलासा करने की आवश्यकता होगी जो यह चुनने के लिए उपयोग किए जाते हैं कि कौन से उत्पादों को उनके प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया जाए।
- **ONDC:** ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खुदरा विक्रेताओं की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए, DPIIT द्वारा विक्रेता खोज और मूल्य खोज के लिए प्रोटोकॉल सेट करने हेतु ONDC का उपयोग करने की योजना बनाई जा रही है।
- **अन्य** : राष्ट्रीय खुदरा नीति, सरकारी ई-मार्केटप्लेस, डिजिटल इंडिया आदि।

व्यापार मंडल

समाचार: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने नवगठित **व्यापार मंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता की।**

विषय के बारे में:

- **2019 में व्यापार विकास और संवर्धन परिषद का व्यापार मंडल के साथ** विलय करके **व्यापार मंडल (बीओटी) का पुनर्गठन किया गया था।**
- यह भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्यों से **विदेश व्यापार नीति** से जुड़े नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देता है।
- यह राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को विनिर्माण और निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापार नीति पर राज्य-उन्मुख दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- यह भारत के व्यापार पर प्रभाव डालने वाले वैश्विक विकास के संबंध में राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों का आकलन करने के लिए भारत सरकार के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- यह व्यापारिक संगठनों, संघों, निर्यात प्रोत्साहन परिषदों और राज्य और संघीय सरकारों के साथ व्यापार संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण तंत्र है।

राष्ट्रीय रसद (लोजिस्टिक्स) नीति 2022

समाचार: भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने **विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय रसद नीति (एनएलपी) 2022 का शुभारंभ किया है।**

विषय के बारे में

- रसद में नियोजन, समन्वय, भंडारण और संसाधनों जैसे - लोग, कच्चे माल, इनवेंटरी, उपकरण, आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उत्पादन से खपत, वितरण या अन्य उत्पादन स्थल तक स्थानांतरित करना शामिल है।

राष्ट्रीय रसद नीति:

उद्देश्य

- 2030 तक लॉजिस्टिक्स की लागत को जीडीपी के 14-18% से घटाकर 8% की वैश्विक सर्वोत्तम पद्धति तक कम करना। यूएस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर जैसे देशों और कुछ यूरोपीय देशों में लॉजिस्टिक्स लागत-जीडीपी अनुपात से काफी कम है।
- 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होने के लिए देश की रसद प्रदर्शन सूचकांक (LPI) रैंकिंग में सुधार करना।
- कुशल लोजिस्टिक इकोसिस्टम को सक्षम करने के लिए डेटा-संचालित निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) बनाना।

नीति के प्रमुख निर्माण आधार:

यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP)	• इसका उद्देश्य सभी लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र की डिजिटल सेवाओं को एक ही पोर्टल पर लाना है, जिससे निर्माताओं और निर्यातकों को लंबी और बोझिल प्रक्रियाओं से मुक्त किया जा सके।
रसद सेवाओं में आसानी (ई-लॉग्स)	• इसका उद्देश्य उद्योगों को परिचालन संबंधी समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए सरकारी एजेंसियों से सीधे संपर्क करने की अनुमति देना है।

व्यापक रसद कार्य-योजना	• इसमें एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम, भौतिक संपत्तियों का मानकीकरण, सेवा मानकों की बेंचमार्किंग, मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास आदि शामिल हैं।
डिजिटल एकीकरण प्रणाली	• इससे वर्क फलो तेज और निर्बाध होगा, जिससे लोजिस्टिक्स अत्यधिक कुशल हो जाएगी।

मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी)

समाचार: वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 2022-23 में पीपीपी मोड के माध्यम से चार स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के कार्यान्वयन के लिए अनुबंध दिये जाएंगे।

पृष्ठभूमि:

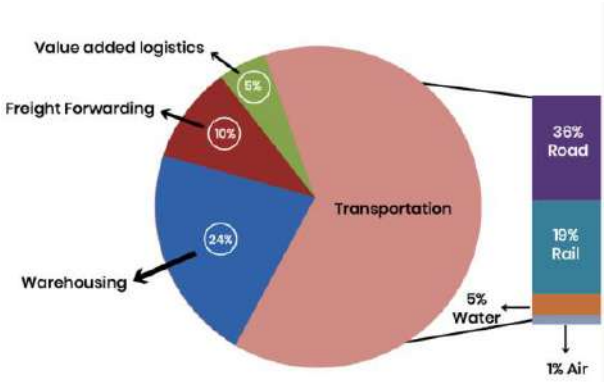

- **लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम** (LEEP) के तहत एमएमएलपी की स्थापना की जाएगी। LEEP को 2015 में भारत की रसद दक्षता में सुधार के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) अगले कुछ वर्षों में देश भर में कुल 35 MMLP स्थापित करने की योजना बना रहा हैं ।
- सरकार ने **एशियाई विकास बैंक (ADB) को** एक प्रमुख भागीदार के रूप में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया है।
- पहला एमएमएलपी असम में बनाया जाएगा, जो 407 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना है।

समाचार :

- अगले तीन वर्षों के दौरान **100 पीएम गति-शक्ति कार्गो टर्मिनल** विकसित किए जाएंगे।
- **सभी ओपेरेटर्स के बीच होने वाले डेटा एक्सचेंज को** यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, जिसे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के लिए डिजाइन किया गया है।
- **यह विभिन्न तरीकों के माध्यम से वस्तुओं की कुशल आवाजाही** प्रदान करेगा, रसद लागत और समय को कम करेगा, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री प्रबंधन में सहायता करेगा और अनावश्यक दस्तावेज़ीकरण को समाप्त करेगा।

मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी):

- **एक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क** गोदामों, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, फ्रेट या कंटेनर टर्मिनलों और बल्क कार्गो टर्मिनलों से बनी एक **इंटरमोडल फ्रेट-हैंडलिंग सुविधा है जो भूमि, रेल, जल** और हवा **द्वारा वस्तु की आवाजाही को सुगम बनाती है।**
- **नतीजतन, रसद की लागत युक्तिसंगत (रेशनलाइज्ड) हो जाती है**, और रसद अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाती है।

लॉजिस्टिक्स:

- यह अर्थव्यवस्था के उत्पादन और खपत केंद्रों को **जोड़ने वाली सहायक गतिविधि है ।**
- भारत की रसद लागत लगभग 14% है।
- यूएस जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में रसद लागत सकल घरेलू उत्पाद का केवल 8%-10% है।
- भारत में अवरुद्ध परिवहन नेटवर्क, परिवहन साधनों के विषम मिश्रण, अपर्याप्त भंडारण और भूमि संबंधी समस्याएँ हैं।

ड्राफ्ट भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022

समाचार: दूरसंचार विभाग (DoT) ने भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का मसौदा जारी कर दिया है।

विषय के बारे में

- यह विधेयक दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले तीन अलग-अलग अधिनियमों - **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933, और टेलीग्राफ वायर, (गैरकानूनी संरक्षण) अधिनियम 1950** को समेकित करता है।

मुख्य प्रावधान:

- **दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा में ओटीटी को शामिल करना: यह** विधेयक दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा में उपग्रह-आधारित संचार सेवाओं, इंटरनेट और व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ओवर-द-टॉप (या ओटीटी) संचार प्लेटफार्मों को शामिल करने का प्रस्ताव करता है।
    - इसलिए ओटीटी संचार सेवाओं को अब एक लाइसेंस लेना होगा और भारत में दूरसंचार कंपनियों को नियंत्रित करने वाली समान शर्तों जैसे सेवा की गुणवत्ता और सुरक्षा नियम आदि के अधीन होना होगा।
- **स्पेक्ट्रम का आवंटन:** विधेयक में स्पेक्ट्रम आवंटित करने के लिए स्पष्ट वैधानिक ढांचा और विनियम निर्धारित किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि स्पेक्ट्रम मुख्य रूप से नीलामी के जरिए दिया जाना चाहिए।
    - यह विधेयक सरकार और जनहित से संबंधित रक्षा, परिवहन और अनुसंधान जैसी चीजों के लिए विशिष्ट कार्यों को प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से सौंपने का सुझाव देता है।
- **स्पेक्ट्रम की ट्रेडिंग:** यह विधेयक शेयरिंग, ट्रेडिंग, लीजिंग, असाइन किए गए स्पेक्ट्रम के सरेंडर और अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम को वापस करने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है।
    - यदि सरकार को यह लगता है कि आवंटित स्पेक्ट्रम समय के साथ असंतोषजनक कारणों से अप्रयुक्त रहा है, तो सरकार के पास स्पेक्ट्रम आवंटन को आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त करने का भी अधिकार होगा।
    - कानून में यह भी कहा गया है कि यदि कोई टेलीकॉम इकाई दिवालिया होने या ऋणशोधन अक्षमता की घोषणा करती है तो उसे दिया गया स्पेक्ट्रम केंद्र के नियंत्रण में वापस आ जाएगा।
- **राइट ऑफ़ वे (Right of Way):** विधेयक कानून के माध्यम से एक '**राइट ऑफ़ वे**' (आरओडब्ल्यू) हासिल करने का प्रयास करता है जिसे राज्य और नगरपालिका-निगम स्तर पर लागू किया जा सकता है।
    - यह एक ऐसा ढांचा तैयार करता है जहां भूमि का स्वामित्व रखने वाली किसी सार्वजनिक संस्था को " **राइट ऑफ़ वे**" की अनुमति तुरंत प्रदान करनी होगी बशर्ते उसके पास इनकार करने का कोई उचित कारण हो।
- **साइबर सुरक्षा:** साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए, विधेयक यह प्रावधान करता है कि दूरसंचार सेवाओं के माध्यम से संदेश भेजने वाले व्यक्ति की पहचान इसे प्राप्त करने वाले उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध हो।
- **टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड (TDF)** : यह विधेयक **यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) को टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड (TDF) से बदलने का प्रस्ताव करता है।**
    - USOF सभी टेलीकॉम फंड ऑपरेटरों के समायोजित सकल राजस्व पर 5% सार्वभौमिक सेवा कर से अर्जित राशि का पूल है।
    - **USOF का उपयोग बड़े पैमाने पर ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया गया है।** हालाँकि, TDF के साथ, इसका उद्देश्य कम सेवा वाले शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना, अनुसंधान एवं विकास करना और कौशल विकास आदि करना है।

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022

समाचार: सरकार ने हाल ही में लोकसभा में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन करने के लिए **प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश किया**।

विषय के बारे में

- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था।**
- **स्थापना: 2003**
- **संरचना:** केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 6 सदस्य।
- **मुख्यालय: नई दिल्ली**
- **पूर्ववर्ती एजेंसी:** एकाधिकारी तथा प्रतिबंधकारी व्यापार आयोग
- **शासनादेश:** प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करना जो -
  - उद्यमों को प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते करने और अपनी प्रभुत्व का दुरुपयोग करने से रोकता है।
  - **ऐसे विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) को नियंत्रित करता है** जिसका भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार एक निश्चित सीमा से ऊपर के सौदों के लिए सीसीआई से मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है।
- मौजूदा प्रतिस्पर्धा कानूनी ढांचे की समीक्षा करने और नई आर्थिक चुनौतियों के अनुसार इसे सशक्त करने हेतु 2018 में **श्री इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता में एक प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति** का गठन किया गया था।
  - विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों का आधार, समिति द्वारा 2019 में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट थी।
- केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मलासीतारमण ने मुंबई में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम) का उद्घाटन किया।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- **कुछ परिभाषाओं में परिवर्तन:** स्पष्टता प्रदान करने के लिए "उद्यम", "प्रासंगिक उत्पाद बाजार", "समूह", "नियंत्रण" आदि। उदाहरण के लिए "नियंत्रण" के अर्थ का विस्तार करके इसमें प्रबंधन, मामलों, या रणनीतिक वाणिज्यिक निर्णयों पर 'भौतिक प्रभाव' का प्रयोग करने की क्षमता को शामिल किया गया है।
- **संयोजनों (Combinations) के अनुमोदन के लिए समय सीमा में कमी:** संयोजनों के शीघ्र अनुमोदन के लिए 210 दिन की समय सीमा को घटाकर 150 दिन कर दिया गया है और आयोग के पास प्रारंभिक राय देने के लिए 20 दिन का समय है। संयोजन में संस्थाओं का अधिग्रहण, विलय या समामेलन शामिल है।
- **संयोजन की परिभाषा का विस्तार: इसमें अब** 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के लेनदेन शामिल हैं।
- **'सौदे का मूल्य' सीमा का प्रावधान: इसके तहत** यदि सौदे का मूल्य 2,000 करोड़ से अधिक हो और यदि किसी भी पक्ष का "भारत में पर्याप्त व्यवसाय संचालन" हो **तो** प्रस्तावित विधेयक एक "सौदे का मूल्य" सीमा का प्रावधान करेगा, जिसके लिए सीसीआई को अधिसूचित करना आवश्यक होगा। इसके अलावा सीसीआई आवश्यकता मानदंड निर्धारित करने के लिए विनियम तैयार करेगा ताकि इस बात का आकलन किया जा सके कि क्या किसी उद्यम का 'भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन' है।
- **बढ़ा हुआ जुर्माना: उदाहरण के लिए गलत बयान देने या जानकारी प्रस्तुत करने में चूक करने पर** पहले के 1 करोड़ रुपये की तुलना में अब 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- **महानिदेशक (डीजी) की नियुक्ति: यह विधेयक** सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ सीसीआई को महानिदेशक नियुक्त करने का अधिकार देता है। महानिदेशक के पास तलाशी और जब्ती अभियान (छापे) सहित जांच करने की शक्ति होगी। इससे पूर्व अधिनियम के अनुसार CCI के महानिदेशक को नियुक्त करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था।
- **निपटान और प्रतिबद्धता ढांचे का परिचय:** यह प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों (उत्पादक संघ (कार्टेल) को छोड़कर) और प्रभुत्व के दुरुपयोग पर लागू होगा। मामले में सभी हितधारकों को सुनने के बाद प्रतिबद्धता या निपटान के संबंध में सीसीआई का निर्णय अपील योग्य नहीं होगा।
- **"लिनियेन्सी प्लस" तंत्र की शुरूआत: यदि कोई** आवेदक किसी असंबद्ध बाजार में किसी अलग उत्पादक संघ (कार्टेल) के अस्तित्व का खुलासा करेगा, उसे सीसीआई के जुर्माने पर अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

- **खुले बाजार में खरीदारी और शेयर बाजार के लेनदेन के विषय में** आयोग को पहले से सूचित करने की आवश्यकता से छूट देना।
- **गन जंपिंग प्रावधानों का विस्तारित दायरा:** गन-जंपिंग के लिए जुर्माना संपत्ति या टर्नओवर के पहले के 1% के मुकाबले सौदे के मूल्य का 1% होगा।

विधेयक में अन्य प्रावधान:

- सीसीआई के आदेशों के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष अपील करने के लिए **किसी भी दंड राशि का 25% जमा करना आवश्यक होगा।**
- सीसीआई को यह अधिकार दिया गया है कि वह उन मामलों पर विचार करने से इंकार कर सकता है जिनमें काफी हद तक वही तथ्य और मुद्दे हों जिन पर वह पहले ही निर्णय ले चुका है।
- सीसीआई के समक्ष प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों और प्रभुत्व के दुरुपयोग की सूचना देने के लिए **3 वर्ष की समय सीमा।**
- सीसीआई के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को आयोग के समक्ष कार्यवाही के अधीन उद्यम में किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिए पद धारण करने के बाद 2 वर्ष (पहले 1 वर्ष) की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
- **प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सदस्यों के लिए अतिरिक्त योग्यता** ।
- **प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों के दायरे को व्यापक बनाना** और ऐसे समझौतों के तहत प्रतिस्पर्धा-विरोधी क्षैतिज समझौते (हॉरिजॉन्टल एग्रीमंट) में सहायक पक्ष को शामिल करना।

सामान्य नेटवर्क एक्सेस

समाचार: हाल ही में, **केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने** जनरल नेटवर्क एक्सेस (जीएनए) के लिए एक नियामक ढांचा बनाने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव जारी किया।

विषय के बारे में

- **इंटरस्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क तक ओपन एक्सेस को जनरल नेटवर्क एक्सेस (GNA) कहा जाता है।**
- इसका उद्देश्य **फिक्स्ड पॉइंट-टू-पॉइंट ट्रांसमिशन एक्सेस को खत्म करना है**। इसके बजाय, यह उत्पादकों और खरीदारों को ऊर्जा प्रदान करने या इसे वापस लेने की सुविधा देते हुए, पूरे ट्रांसमिशन कॉरिडोर तक पहुंच या इससे वापस लेने की सुविधा प्रदान करता है।

सामान्य नेटवर्क एक्सेस (GNA) के नियामक ढांचे के लाभ:

सर्वप्रथम, GNA सिस्टम में मौजूदा समस्याओं को खत्म करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि एक उत्पादक केवल बिजली उत्पादन पर ध्यान दे और उपभोक्ता इसे खरीदने पर ध्यान दे।

दूसरा, GNA ग्रिड बाधाओं के अधीन शेड्यूलिंग के मामले में बिजली के खरीदारों और विक्रेताओं के लिए अधिक विकल्प और ओपन एक्सेस की सुविधा प्रदान करता है और इसमें वर्तमान **पॉइंट-टू-पॉइंट ओपन एक्सेस व्यवस्था** की समस्या नहीं है।

ड्राफ्ट विमान सुरक्षा नियम, 2022

समाचार: नागर विमानन **मंत्रालय ने** ड्राफ्ट विमान सुरक्षा नियम, 2022 को अधिसूचित किया है।

विषय के बारे में

सितंबर 2020 में संसद द्वारा पारित विमान संशोधन अधिनियम, 2020 में बीसीएएस, नागर विमानन महानिदेशालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई थी जिसके बाद विमान सुरक्षा नियम, 2011 के स्थान पर ड्राफ्ट विमान सुरक्षा नियम, 2022 के गठन की आवश्यकता महसूस की गई।

इससे उन्हें जुर्माना लगाने का अधिकार प्राप्त हुआ जो पहले केवल अदालतों के पास था। इसके अतिरिक्त, अधिनियम द्वारा अधिकतम जुर्माना 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है।

ड्राफ्ट विमान सुरक्षा नियम, 2022 के प्रमुख प्रावधान:

यह नियम नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) को सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए हवाई अड्डों और एयरलाइनों पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार देते हैं।

- उदाहरण के लिए, यदि हवाईअड्डे और एयरलाइंस सुरक्षा कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित नहीं करते हैं या सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने से पहले परिचालन शुरू करते हैं, तो बीसीएएस उनपर 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।

प्रस्तावित नियमों के अनुसार बीसीएएस के पास किसी कंपनी की हवाईअड्डा सुरक्षा मंजूरी और सुरक्षा कार्यक्रम को रद्द करने या निलंबित करने का अधिकार होगा।

प्रत्येक संस्थान को अपनी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों को अनधिकृत उपयोग से सुरक्षित रखना चाहिए और साइबर सुरक्षा से जुड़े खतरों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण विमानन सुरक्षा जानकारी को लीक होने से रोकना चाहिए।

राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन

समाचार: पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन (एनडीटीएम) की स्थापना के लिए एक मसौदा रिपोर्ट पर हितधारकों से अंतिम टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

पृष्ठभूमि:

- पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन उद्योग और डोमेन विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने, संदर्भ, मिशन, विज़न, उद्देश्यों और एनडीटीएम के समग्र दायरे को परिभाषित करने के लिए **जुलाई, 2021 में एनडीटीएम के लिए एक अंतर-मंत्रालयी टास्क फोर्स का गठन किया था।**
- टास्क फोर्स ने एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ परिकल्पित एनडीटीएम के कार्यान्वयन के लिए डोमेन और प्रौद्योगिकी सिद्धांतों, मानकों, डिजिटल स्टैक, शासन संरचना और योजना को निर्धारित किया गया है।

मसौदे में कहा गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र द्वारा विकसित अधिकांश पर्यटन प्रणालियों में समन्वय की कमी है।

- नतीजतन, पर्यटन का इकोसिस्टम सूचना के आदान-प्रदान के मिश्रित लाभों का लाभ नहीं ले पाता है। समान भाषा का उपयोग न करने के कारण वर्तमान में डेटा सिस्टम का एक दूसरे के बीच समन्वय नहीं है जिसके कारण डेटा एनालिटिक्स और नीति-निर्माण नहीं हो पाता है।

ड्राफ्ट एनडीटीएम विजन की मुख्य विशेषताएं:

- राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में विस्तृत राष्ट्रीय और राज्य पर्यटन संगठनों, पर्यटन सेवा प्रदाताओं, पर्यटन स्थलों, उत्पादों, अनुभवों और पर्यटकों की सूचना और सेवाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाकर पर्यटन क्षेत्र में डिजिटलीकरण का **पूरी क्षमता के साथ उपयोग करना है**।
- एनडीटीएम का विज़न डिजिटल राजमार्गों के माध्यम से पर्यटन इकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों के बीच मौजूदा सूचना अंतर को समाप्त करना है।

राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन के सिद्धांत:

डोमेन सिद्धांत	• मूल्य-संचालित अर्थात लाभार्थियों का हित। • एक कनेक्टिड इकोसिस्टम के लक्ष्य को साकार करने के लिए सेवाओं को एकीकृत करना। • परिणाम-संचालित अर्थात सेवा के सर्वोत्तम स्तर निर्धारित करना तथा परिणामों की सर्वोत्तम बेंचमार्किंग करना।

	• किफ़ायती विकल्प • उपकरण के प्रकार, भाषाई बाधाओं, भूगोल और अभिगम्यता के अनुरूप विविधता और समावेशन।
डिजाइन और स्थापत्य कला सिद्धांत	• केंद्र और राज्यों, सार्वजनिक और निजी और अन्य तंत्रों में फैले इको सिस्टम का दृष्टिकोण। • सभी प्रतिभागी हितधारकों के लिए सुनिश्चित सेवा स्तर। • सिंगल-सोर्स-ऑफ-ट्रुथ और सिस्टम-ऑफ-रिकॉर्ड्स के आधार पर निर्मित डिजिटल इको सिस्टम को डिजाइन करने के लिए फेडरेटेड आर्किटेक्चर मॉडल को अपनाना। • मुक्त और इंटरऑपरेबल रहे। • स्वचालित रिकवरी और अनुकूलन के निर्माण द्वारा विफलताओं का सामना करने के लिए लचीला। • न्यूनतम, पुन: प्रयोज्य, अनबंडल्ड और साझा करने योग्य संरचना • नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों का उचित उपयोग।
प्रौद्योगिकी सिद्धांत	• संपत्ति के रूप में डेटा। • डेटा साझा करना। • मानक: इको सिस्टम के साथ उपयोग होने वाली मौजूदा प्रौद्योगिकी और डेटा मानकों को निर्दिष्ट करना। • अनुपालन सुनिश्चित करने के तरीकों को परिभाषित करना। • सुरक्षित और विश्वास आधारित।

डिजिटल इंडिया

समाचार: डिजिटल इंडिया सप्ताह को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि डिजिटल टेक्नॉलॉजी और लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ने भारत को बिचौलियों से 2.23 लाख करोड़ रुपये बचाने में मदद की है।

डिजिटल इंडिया:

- यह भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्रालय **द्वारा शुरू किया गया (2015)** एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- यह डिजिटल पहुंच, डिजिटल समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करेगा और डिजिटल विभाजन को समाप्त करेगा।
- यह एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की कई परियोजनाएं शामिल हैं।

विज़न:

- प्रत्येक नागरिक के उपयोग में आने वाला एक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर।
- मांग आधारित शासन और सेवाएं।
- नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण।

कार्यक्रम के दौरान शुरू की गई पहल:

डिजिटल इंडिया भाषिणी	• यह भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को आसान करेगा।
डिजिटल इंडिया जेनेसिस (इनोवेटिव स्टार्टअप्स के लिए जेन-नेक्स्ट सपोर्ट)	• यह एक राष्ट्रीय डीप-टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, जो भारत के टियर- II और टियर- III शहरों में स्टार्टअप्स की खोज, सहायता व विकास करेगा और उसे सफल बनाएगा।
इंडियास्टैक.ग्लोबल	• यह इंडिया स्टैक के तहत कार्यान्वित प्रमुख परियोजनाओं जैसे आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, कोविन टीकाकरण प्लेटफॉर्म आदि की ग्लोबल रिपोज़िटरी है। • इंडिया स्टैक ओपन एपीआई और डिजिटल पब्लिक गुड्स के एक सेट का नाम है।
myScheme	• यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म हैं जहां सरकारी योजनाओं की खोज की जा सकती है।
C2S (चिप्स टू स्टार्टअप) प्रोग्राम	• इसका उद्देश्य स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तरों पर सेमीकंडक्टर चिप्स के डिजाइन के क्षेत्र में विशेष जनशक्ति को प्रशिक्षित करना और भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन में शामिल स्टार्टअप्स के विकास हेतु एक्सलरेटर के रूप में कार्य करना है। • यह **भारत सेमीकंडक्टर मिशन का हिस्सा है।** • C2S कार्यक्रम के तहत समर्थन पाने वाले 30 संस्थानों के पहले समूह की घोषणा की गई।
मेरी पहचान	• **एक नागरिक के लॉगिन के लिए नेशनल सिंगल साइन-ऑन (NSSO)** - यह एक उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण सेवा है जिसमें क्रेडेंशियल्स का एक सिंगल सेट कई ऑनलाइन एप्लिकेशन या सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।

सेवा के रूप में सॉफ़्टवेयर (SAAS)

समाचार : हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और EY द्वारा जारी "इंडिया: द नेक्स्ट ग्लोबल सास कैपिटल" शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में भारतीय सास उद्योग के अद्वितीय मूल्य और भारतीय सास द्वारा लाये गए बड़े बदलावों पर प्रकाश डाला गया है।

सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर (SaaS):

- SaaS एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जहां एक क्लाउड प्रदाता एप्लिकेशन को होस्ट करता है और उन्हें लक्षित उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन एक्सेस करने योग्य बनाता है। उदाहरण के लिए इसमें गिटहब, एडोब क्रिएटिव क्लाउड और गूगल वर्कस्पेस जैसी सेवाएं शामिल हैं।
- **सास की मुख्य विशेषताएं :**
  - यह एक सॉफ्टवेयर विक्रेता से किराए पर लिया जाता है जो तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है।
  - यह सदस्यता के आधार पर प्रदान किया जाता है।
  - सॉफ्टवेयर को कई उपकरणों पर चलाया जा सकता है।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस (IaaS) क्लाउड कंप्यूटिंग के तीन मुख्य प्रकारों में से एक है, जहां एक व्यवसाय अपने संचालन के प्रबंधन, एप्लिकेशन विकसित करने, डेटा संग्रहीत करने आदि के लिए पूरा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर किराये पर लेता है।

- **एक सेवा के रूप में प्लेटफ़ॉर्म (PaaS)** जहां ऐप बनाने और उन्हें आगे समर्थन देने के लिए क्लाउड वातावरण (हार्डवेयर, सॉफ़्टवेयर, विकास उपकरण और इन्फ्रास्ट्रक्चर) प्रदान किया जाता है।

भारत में सास (SaaS) क्षेत्र:

- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत **तीसरा सबसे बड़ा** सास इको सिस्टम **है**।
- 2026 तक चीन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सास राष्ट्र बनने की राह पर है।
- 2018 में 01 की तुलना में वर्तमान में भारत में **18 SaaS यूनिकॉर्न हैं।**
- SaaS कंपनियों की संख्या 2019 की तुलना में 2021 में दोगुनी से अधिक हो गई है।

धर्मशाला घोषणा

समाचार: पर्यटन पर राष्ट्रीय **सम्मेलन के दौरान** एक **'धर्मशाला घोषणापत्र' का अंगीकरण किया** गया जो पर्यटन क्षेत्र में देश के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों को निर्धारित करता है।

घोषणापत्र की मुख्य बातें:

- पर्यटन क्षेत्र 2024 के मध्य तक पूर्व-महामारी स्तर पर वापस आ जाएगा।
- 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन से 250 अरब डॉलर का योगदान।
- 2047 तक $1 ट्रिलियन के राजस्व लक्ष्य के साथ भारत को विश्व में अग्रणी बनाना।
- सतत और उत्तरदाई पर्यटन पर ध्यान देना।
- वीजा सुधार, यात्रा में आसानी, हवाई अड्डों पर यात्रियों के अनुकूल इमिग्रेशन सुविधाओं और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए मुक्त प्रबंध सहित आवश्यक कदम उठाना।
- यात्रा और पर्यटन से सकल घरेलू उत्पाद में 6.8% के कुल योगदान के साथ, भारत 2019 में 185 देशों में से 10वें स्थान पर था।
- 39 मिलियन नौकरियों (2020 तक) के साथ, यह व्यापार, निवेश, सामाजिक समावेश आदि पर गहरे प्रभाव के साथ एक **श्रम प्रधान उद्योग है।**

SYMPHONE

समाचार: विश्व पर्यटन दिवस 2022 (27 सितंबर) के अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) ने उत्तर पूर्व भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस '**SymphoNE**' का शुभारंभ किया।

विषय के बारे में:

- **SymphoNE का उद्देश्य एक वन स्टॉप सोल्युशन विकसित करना है ताकि पर्यटकों को सेवा देते समय** पर्यटकों और टूर ऑपरेटरों के सामने आने वाली सभी समययाओं का समाधान किया जा सके।
- **1980 से 27 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है।**
- 1970 में इस दिन पहली बार संगठन के नियमों को अपनाया गया, जिससे पांच साल बाद संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल)

समाचार: अमेरिकन एक्सप्रेस ने अपने कार्ड धारकों को लिखा है कि वह अपने कार्ड से संबंधित वित्तीय जानकारी नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) को रिपोर्ट करेगा, जिससे कार्ड धारकों को डर है कि उनकी गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है।

विषय के बारे में:

- **NeSL एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ("IU") है जिसे इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ("IBBI") द्वारा नियुक्त किया गया है।** NeSL को 25 सितंबर, 2017 को IBBI द्वारा पहली **इंफॉर्मेशन यूटिलिटी** के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- **यह एक केंद्र सरकार के स्वामित्व वाला व्यवसाय है** और यह **इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (इंफॉर्मेशन यूटिलिटी) विनियम, 2017 और इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 ("आईबीसी") द्वारा शासित है।**
- एनईएसएल का मुख्य उद्देश्य कानूनी साक्ष्य के लिए एक मध्यस्थ (क्लियरिंगहाउस) के रूप में काम करना तथा किसी भी ऐसे दावे या ऋण के बारे में जानकारी एकत्र करना है, जो ऋण सम्बद्ध पक्ष द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया गया हो और जो एक वित्तीय या परिचालन लेनदार द्वारा प्रस्तुत किया गया हो।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के विनियमों के अनुसार दिसंबर 2017 से प्रत्येक बैंक को कार्डधारकों की वित्तीय जानकारी NeSL को भेजनी होगी।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GEM)

समाचार: हर साल जून के पहले दिन को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है।

विषय के बारे में

- GeM एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है जिसे **2016 में लॉन्च किया गया था।**
- **नोडल मंत्रालय:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
- **इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) के तकनीकी सहयोग से आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) द्वारा** विकसित किया गया है।
- यह **सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए वन-स्टॉप पोर्टल के रूप में कार्य करता है।**
- पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों और विभागों सहित सभी सरकारी खरीदारों के लिए उपलब्ध है।
- निजी विक्रेता पोर्टल के माध्यम से सरकारी संगठनों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन निजी खरीदार प्लेटफॉर्म पर खरीदारी नहीं कर सकते।

1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम

समाचार: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अरहर दाल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उपयोग किया है।

विषय के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में अधिनियमित किया गया था।
- **आवश्यक वस्तु:** आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है।
  - अधिनियम की धारा 2 (ए) में कहा गया है कि "आवश्यक वस्तु" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तु है।
- **कानूनी क्षेत्राधिकार:**
  - अधिनियम संघीय सरकार को अनुसूची से किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने का अधिकार देता है।
  - केंद्र सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से किसी भी उत्पाद को जनहित में आवश्यक घोषित कर सकती है।
- **उद्देश्य:** केंद्र सरकार द्वारा ECA 1955 का उपयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के व्यापार पर राज्य सरकारों को नियंत्रण देकर महंगाई को रोकने के लिए किया जाता है।
- **प्रभाव** : किसी वस्तु को आवश्यक घोषित करके सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है और स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित कर सकती है।

5. भारतीय बीमा बाजार

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

समाचार : प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ने सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के 7 साल पूरे कर लिए हैं।

पीएमएसबीवाई :

- वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया। **नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है।**
- **पात्रता:** 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग
- **प्रीमियम:** सदस्य को रु. 12/- प्रति वर्ष का प्रीमियम जमा करना होगा और यह राशि सब्सक्राइबर के बैंक खाते से स्वतः कट जाएगी।
- **राशि: यह** आकस्मिक मृत्यु या कुल स्थायी विकलांगता के लिए दो लाख रुपये और स्थायी आंशिक विकलांगता के मामले में एक लाख रुपये का कवर प्रदान करती है।
- **कार्यान्वयन:** यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों या किसी अन्य ऐसी सामान्य बीमा कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक अनुमोदन और बैंकों के साथ साझेदारी के साथ तुलनीय शर्तों पर योजना पेश करने को तैयार हो।

ईपीएफओ विनिमय दरें 2020-21

समाचार: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दर 8.5% पर बरकरार रखने का ऐलान किया है।

विषय के बारे में:

- ईपीएफ एक **सेवानिवृत्ति लाभ योजना है** जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों वेतन के एक निश्चित प्रतिशत का योगदान करते हैं।
- इस संबंध में हर साल ईपीएफओ वित्त मंत्रालय के परामर्श से अपनी वार्षिक ब्याज दरें जारी करता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- इसमें ऐसा हर प्रतिष्ठान शामिल हो सकता है जिसमें 20 या अधिक लोग कार्यरत हैं और कुछ शर्तों और छूट के अधीन कुछ ऐसे संगठन भी शामिल हो सकते हैं, जिनमें 20 से कम कर्मचारी हों।
- ईपीएफ योगदान की गणना के लिए अधिकतम वेतन सीमा 15,000/- रुपये है।
- **कर्मचारी उच्च दर पर योगदान कर सकता है लेकिन नियोक्ता उच्च दर पर भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है**
- **अंतरराष्ट्रीय कामगारों के लिए कोई वेतन सीमा (₹15,000) नहीं** है ।
- **अंशदान करने वाली इकाई के आधार पर EPF अंशदान के दो भाग होते हैं - कर्मचारी का योगदान और नियोक्ता का योगदान।**
- **कर्मचारी** अपने ईपीएफ खाते में मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 12% योगदान देता है।
- **यदि प्रतिष्ठान में 20 से कम कर्मचारी हैं या (क) जूट (ख)** बीड़ी (ग) ईंट (घ) कॉयर और (ङ) ग्वार गम कारखानों जैसे उद्योगों के लिए कर्मचारी को 10% योगदान देना होगा।

ईपीएफओ:

- ईपीएफओ ग्राहकों और किए गए वित्तीय लेनदेन की मात्रा के मामले में **दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है।**

- वर्तमान में यह अपने सदस्यों से संबंधित 19.34 करोड़ खातों (वार्षिक रिपोर्ट 2016-17) का रखरखाव करता है।
- **श्रम और रोजगार मंत्रालय** के प्रशासनिक नियंत्रण में है ।
- ईपीएफओ बोर्ड मुख्य रूप से तीन योजनाओं का संचालन करता है- ईपीएफ योजना 1952, पेंशन योजना 1995 (ईपीएस) और बीमा योजना 1976 (ईडीएलआई)।

यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन)

- यह एक सदस्य को आवंटित कई सदस्य पहचान संख्या (सदस्य आईडी / पीएफ खाता संख्या) को एक यूनिवर्सल खाता संख्या के तहत लिंक करता है।
- यह ईपीएफओ द्वारा अलग-अलग प्रतिष्ठानों द्वारा एक व्यक्ति को आवंटित कई सदस्य आईडी के लिए एक समग्र पहचान संख्या के रूप में कार्य करने के लिए आवंटित किया जाता है।

बीमा लोकपाल नियम 2017

समाचार: वित्त मंत्रालय ने बीमा लोकपाल नियम, 2017 में संशोधन को अधिसूचित किया है।

विषय के बारे में:

- वर्तमान में, विभिन्न स्थानों पर 17 बीमा लोकपाल हैं और किसी भी व्यक्ति को बीमाकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है।
- इस संबंध में यह **बीमा सेवाओं से संबन्धित शिकायतों के समय पर, लागत प्रभावी और निष्पक्ष समाधान के लिए पॉलिसीधारकों को बेहतर विकल्प देने का एक प्रयास है।**
- हाल के नियमों का उद्देश्य बीमा दलालों को बीमा लोकपाल के दायरे में लाना और पॉलिसी धारकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा देना था।

बीमा लोकपाल के बारे में:

- **व्यक्तिगत पॉलिसीधारकों के लिए लागत प्रभावी, कुशल और निष्पक्ष तरीके से न्यायलय प्रणाली से बाहर उनकी शिकायतों का निपटारा करने के लिए** एक बीमा लोकपाल बनाया गया है।
- **महत्वपूर्ण विशेषताएं:** बीमा लोकपाल बीमा उद्योग, सिविल सेवा, प्रशासनिक सेवा या न्यायिक सेवा का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा।
  - **तीन साल** की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा ।
  - वह पुनर्नियुक्ति का पात्र है, बशर्ते उसने **सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त न की हो**।
  - उसे अपने कार्यकाल के दौरान घोर कदाचार के आधार पर पद से हटाया जा सकता है।
  - उन्हें प्रति माह दो लाख पच्चीस हजार रुपये का निश्चित वेतन दिया जाएगा।
  - वह पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों का विवरण देने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- **वह निम्नलिखित से संबंधित शिकायतें प्राप्त करेगा/करेगी और उन पर विचार करेगा/करेगी:**
  - बीमाकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली बीमा सेवाओं में कमी या विवाद
  - बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों या नियमों का उल्लंघन
  - आईआरडीएआई विनियम, 2017 का उल्लंघन।
  - पॉलिसी अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लंघन।

चयन: लोकपाल का चयन एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे- (ए) आईआरडीएआई के अध्यक्ष, जो चयन समिति के अध्यक्ष होंगे; (बी) जीवन बीमा परिषद और सामान्य बीमा परिषद में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि।

बीमा लोकपाल नियमों में बड़े बदलाव:

- शिकायतें अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से लोकपाल को प्रस्तुत की जा सकती हैं।
- पॉलिसीधारकों अपनी शिकायतों की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकें, इसके लिए एक शिकायत प्रबंधन प्रणाली का विकास।
- पहले मात्र विवादों के लिए की जाने वाली शिकायतों का दायरा बढ़ाकर अब इसमें बीमाकर्ताओं, एजेंटों, दलालों और अन्य मध्यस्थों की ओर से सेवाओं में कमियों के लिए भी लोकपाल को शिकायत की जा सकेगी।
- बीमा दलालों को लोकपाल तंत्र के दायरे में लाया गया।
- बीमा लोकपाल का निर्णय बीमाकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा।
- लोकपालों को बीमा दलालों के विरुद्ध भी निर्णय देने का अधिकार दिया गया।

कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014

समाचार: नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने **कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 की वैधता को बरकरार रखा।**

विषय के बारे में

- कर्मचारी पेंशन योजना 1995 या **EPS-95 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है** जिसे **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा नवंबर 1995 में पेश किया गया था।**
- यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के लिए पात्र बनाती है।
- **2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन (** मूल वेतन और महंगाई भत्ता) को **प्रति माह 15,000 रुपये कर दिया था**। संशोधन से पहले, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन की सीमा 6,500 रुपये प्रति माह थी।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र ने केरल, राजस्थान और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें 2014 की योजना को रद्द कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसला की मुख्य विशेषताएं:

- सुप्रीम **कोर्ट ने 2014 की कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना की वैधता को बरकरार रखा,** लेकिन पेंशन फंड में शामिल होने के लिए 15,000/- रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया।
- **जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उन्हें छह महीने के भीतर ऐसा करना होगा** ।
- योग्य कर्मचारी **जो कटऑफ तिथि तक इस योजना में शामिल नहीं हो सके, उन्हें एक अतिरिक्त मौका दिया जाना चाहिए** क्योंकि केरल, राजस्थान और दिल्ली के उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के मद्देनजर इस मुद्दे पर स्पष्टता की कमी थी।

उन्नत निर्यात क्रेडिट जोखिम बीमा कवर प्रदान करने की योजना

समाचार: एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (ECGC) ने छोटे निर्यातकों को समर्थन देने के लिए 90% की सीमा तक का निर्यात क्रेडिट जोखिम बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की है।

विषय के बारे में

- **यह एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक्स होल टर्न ओवर पेकेजिंग क्रेडिट एंड पोस्ट शिपमेंट** (ECIB- WTPC & PS) के तहत एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन द्वारा लाँच किया गया है।
- **उद्देश्य:** छोटे निर्यातकों को 90% तक का बढ़ी हुई निर्यात ऋण जोखिम बीमा कवरेज प्रदान करना।

- **पात्रता:** 20 करोड़ रुपये की सीमा तक फंड-बेस्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट वर्किंग केपिटल का उपयोग करने वाले **निर्माता और निर्यातक** (पैकेजिंग क्रेडिट और पोस्ट शिपमेंट सीमा प्रति निर्यातक/निर्यातक-समूह) बढ़ी हुई बीमा कवरेज के लिए पात्र होंगे तथा इसमें रत्न, आभूषण, हीरा उद्योग और व्यापारी निर्यातक शामिल नहीं हैं।

महत्व:

- इस योजना से ऐसे कई छोटे निर्यातकों को मदद मिलने की उम्मीद है जो निर्यात ऋण प्राप्त करने के लिए ECGC WT-ECIB सुविधा वाले बैंकों का उपयोग करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, यह छोटे निर्यातकों को अपने मौजूदा उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता लाने और अपने मौजूदा बाजारों और खरीदारों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की सुविधा देगी।

अटल पेंशन योजना

समाचार: हाल ही में, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक गजट अधिसूचना में कहा गया है कि जल्द ही आयकर दाता अटल पेंशन योजना (APY) का लाभ नहीं ले सकेंगे।

विषय के बारे में

- इसे **2015 में लॉन्च किया गया था।**
- **उद्देश्य:** असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोग मुख्य रूप से निम्न-आय वर्ग के होते हैं।
- **पात्रता:**
  - 18-40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जिसका बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाता है।
  - भारत सरकार का सह-योगदान 5 वर्षों के लिए और उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थी और आयकर दाता नहीं हैं।
- **प्रशासक:** पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)।
- **कवरेज:**
  - यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापक रूप से लागू की गई है।
  - अटल पेंशन योजना (APY) उन सभी बैंक खाताधारकों के लिए है जो किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थी नहीं हैं।
- **गारंटीकृत पेंशन:**
  - कार्यक्रम के तहत न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन की राशि लाभार्थी के योगदान के आधार पर 1,000 से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह है तथा यह 60 वर्ष की आयु से शुरू होगी।
  - ग्राहक की मृत्यु के बाद, ग्राहक के पति या पत्नी को समान पेंशन प्राप्त होगी, और यदि ग्राहक और पति/पत्नी दोनों का निधन हो जाता है, तो नामांकित व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु तक ग्राहक की पेंशन राशि प्राप्त होगी।
- **हालिया निर्णय:**
  - **पात्रता: कोई भी नागरिक, जो आयकरदाता है या रह चुका है**, अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा।
  - **यह नियम 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा** ।
  - हालांकि, उन्हें अपने संबंधित खातों में जमा धन प्राप्त होगा।

6. वित्तीय और सुरक्षा बाजार

AT-1 बांड

समाचार: मार्च **2020** में, खबर सामने आई कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के यस बैंक के पुनर्निर्माण योजना में **9,000** करोड़ रुपये के **AT-1** बॉन्ड को बट्टे खाते में डालना शामिल होगा।

AT-1 बॉण्ड के बारे में

- AT-1 बॉण्ड एक प्रकार के **असुरक्षित, स्थायी बांड हैं। बैंक ये बॉण्ड 'बेसल-III' मानदंडों को पूरा करने के उद्देश्य से अपने मूल पूंजी आधार को बढ़ाने के लिये जारी करते हैं।**
- ऐसे दो मार्ग हैं जिनके माध्यम से इन बॉण्ड्स को प्राप्त किया जा सकता है:-
  1. धन जुटाने की मांग करने वाले बैंकों द्वारा AT-1 बॉण्ड के आरंभिक निजी प्लेसमेंट ऑफर।
  2. द्वितीयक बाज़ार में पहले से कारोबार कर रहे AT-1 बॉण्ड्स की खरीदारी होती है।
- **रिटर्न और जोखिम:** ये बांड निवेशकों को उच्च रिटर्न प्रदान करते हैं लेकिन अन्य ऋण उत्पादों की तुलना में, इन माध्यमों में उच्च जोखिम भी होता है।
- AT1 **बॉन्ड अन्य सभी ऋणों के अधीनस्थ हैं और केवल सामान्य इक्विटी से वरिष्ठ हैं।**
  - म्युचुअल फंड (एमएफ) एटी**1** बांड में सबसे बड़े निवेशकों में से हैं।
  - इन बांडों में एक कॉल विकल्प होता है, जिसका उपयोग बैंकों द्वारा इन बांडों को निवेशकों से वापस खरीदने के लिए किया जा सकता है।
- **निवेशक इन बॉण्ड्स को जारीकर्त्ता बैंक को वापस नहीं कर सकते हैं और नकद धनवापसी प्राप्त नहीं कर सकते हैं यानी इसके धारकों के लिये कोई 'पुट ऑप्शन' उपलब्ध नहीं है।**
- यदि बैंकों का पूंजी अनुपात पूर्व निर्धारित सीमा स्तर से नीचे आता है, तो वे किसी विशिष्ट वर्ष के लिए ब्याज भुगतान छोड़ने या बांड के अंकित मूल्य को कम करने का विकल्प चुन सकते हैं।
- अगर आरबीआई को लगता है कि बैंक के डूबने का खतरा है और उसे बचाने की जरूरत है, तो वह किसी बैंक को अपने निवेशकों से पहले इनपुट एकत्र किए बिना अपने बकाया **AT-1** बॉन्ड को रद्द करने के लिए कह सकता है।

अर्ध-इक्विटी सुविधा:

- अधिक उधार देने के लिए, बैंकों को अपनी इक्विटी पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि, अतिरिक्त इक्विटी जारी करने से इक्विटी पर बैंक का रिटर्न कमजोर होगा।
- इसके बजाय, बैंक AT1 बॉन्ड जारी करते हैं, जिसे वे अपनी टियर 1 पूंजी की गणना के लिए इक्विटी के रूप में मान सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीद

समाचार: हाल ही में, भारत सरकार ने 'इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीद' (ईजीआर) जारी करने के लिये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (वॉल्ट प्रबंधक) विनियम, **2021** को अधिसूचित किया है।

इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीद के बारे में:

- ई.जी.आर. प्राप्त करने के लिये **भौतिक स्वर्ण को वॉल्ट में जमा करना होगा, जो एक प्रकार का लॉकर है**। इस **रसीद को भौतिक स्वर्ण की जमा राशि के आधार पर जारी किया जाता** है।
- **इससे भारत में स्वर्ण एक्सचेंज के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा।**

गोल्ड एक्सचेंज:

- भौतिक सोने के एवज में जारी किए गए ईजीआर की खरीद-विक्रय के लिये गोल्ड एक्सचेंज एक राष्ट्रीय मंच होगा। निवेशक स्टॉक एक्सचेंज और प्रस्तावित गोल्ड एक्सचेंज पर ई.जी.आर. में व्यापार कर सकते हैं।

- **गोल्ड एक्सचेंज पर इसका लेन-देन तीन प्रकार से किया जा सकता है-** भौतिक सोने का ई.जी.आर. में रूपांतरण, स्टॉक एक्सचेंज पर ई.जी.आर. का व्यापार तथा ई.जी.आर. का भौतिक सोने में रूपांतरण।
- प्रस्तावित गोल्ड एक्सचेंज का विनियमन सेबी द्वारा किया जाएगा। इसमें वॉल्टिंग, सोने की गुणवत्ता की जाँच और डिलीवरी मानकों का निर्धारण शामिल है।

प्रमुख विशेषताएं:

- व्यापार और ईजीआर को सोने में परिवर्तित करने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज विभिन्न मूल्यवर्ग के साथ अनुबंध पेश कर सकते हैं।
- निवेशकों की सुविधा के लिए, सेबी ने वॉल्ट प्रबंधकों के बीच फंगिबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी की शुरुआत की है।
- भौतिक सोने के यूनिक बार रिफरेंस संख्या को ईजीआर से नहीं जोड़ा जाएगा।
- एक स्थान पर जमा भौतिक सोना किसी भी वाल्ट प्रबंधक के किसी भिन्न स्थान से निकाला जा सकता है।

लाभ:

- गोल्ड एक्सचेंज से मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों के साथ-साथ पूरे स्वर्ण बाजार विनियामक के लिए कुशल और पारदर्शी मूल्य खोज, निवेश तरलता, सोने की गुणवत्ता में आश्वासन जैसे कई लाभों की संभावना है।

सारथी मोबाइल ऐप

समाचार: हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों को शिक्षित करने वाला एक मोबाइल एप सारथी लॉन्च किया है।

सारथी मोबाइल ऐप के बारे में

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य निवेशकों के बीच प्रतिभूति बाज़ार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
- यह ऐप केवाईसी प्रक्रिया, व्यापार और निपटान, म्यूचुअल फंड (एमएफ), हालिया बाज़ार के विकास, निवेशक शिकायत निवारण तंत्र आदि के बारे में भी बताएगा।
- इस एप्लिकेशन में **हिंदी और अंग्रेजी** दोनों भाषाओं का उपयोग किया जा सकता है।
- भविष्य में ऐप को स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा।

महत्व:

- हाल ही में व्यक्तिगत निवेशकों के बाज़ार में प्रवेश करने में वृद्धि देखी गई है। इन व्यक्तिगत निवेशकों की मदद के लिए ऐप लॉन्च किया गया था। साथ ही नए निवेशक ट्रेडिंग करने के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में मोबाइल एप के जरिए उनकी मदद की जा रही है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

- सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- **कार्य:** इसका मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है।
- **संरचना:** सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष और कई अन्य पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य होते हैं।
- सेबी समय पर जब भी आवश्यक हो के दबाव वाले मुद्दों को देखने के लिये, विभिन्न समितियों की नियुक्ति भी करता है।

सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स)

समाचार: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अपनी वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन सुविधाओं का एक नया संस्करण पेश करके मौजूदा निवेशक शिकायत प्रणाली स्कोर्स के निरीक्षण करने की योजना बना रहा है।

स्कोर्स के बारे में:

- स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसे निवेशकों को मुख्य रूप से सूचीबद्ध कंपनियों और पंजीकृत बिचौलियों के विरुद्ध प्रतिभूति बाज़ार से संबंधित शिकायतें दर्ज करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसे जून 2011 में चालू किया गया था।

जमानत बॉण्ड

समाचार: हाल ही में बजट **2022-23** में सरकार ने सरकारी खरीद और सोने के आयात के मामले में बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में ज़मानत बीमा बॉण्ड के उपयोग की अनुमति दी है।

जमानत बॉण्ड के बारे में

- ज़मानती बॉण्ड **एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध है जिसे तीन पक्षों द्वारा दर्ज किया जाता है- मुख्य, बाध्यकारी और ज़मानती।**
- **बाध्यकारी पक्ष आमतौर पर एक सरकारी संस्था होती है, जिसको भविष्य के कार्य प्रदर्शन के खिलाफ गारंटी के रूप में ज़मानती बॉण्ड प्राप्त करने के लिये आमतौर पर एक व्यवसाय के मालिक या ठेकेदार की आवश्यकता होती है।**
- ज़मानती बॉण्ड मुख्य रूप से बुनियादी ढाँचे के विकास से संबंधित है, यह **आपूर्तिकर्त्ताओं और कार्य-ठेकेदारों के लिये अप्रत्यक्ष लागत को कम करने हेतु उनके विकल्पों में विविधता लाने व बैंक गारंटी के विकल्प** के रूप में कार्य करता है।
- **बीमा प्रदाता ठेकेदार की ओर से परियोजना प्रदान करने वाले संगठन को एक जमानत बांड प्रदान करता है।**
- ज़मानती बॉण्ड लाभार्थी को उन कृत्यों या घटनाओं से बचाता है जो मुख्य पक्ष को अंतर्निहित दायित्वों से वंचित करते हैं। वे निर्माण या सेवा अनुबंधों से **लेकर लाइसेंसिंग और वाणिज्यिक उपक्रमों** तक विभिन्न दायित्वों के प्रदर्शन की गारंटी देते हैं।

प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ)

समाचार: भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) **10** से **14** मार्च**, 2022** तक चलने की संभावना है।

प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के बारे में

- आईपीओ या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निजी तौर पर आयोजित कंपनी, या सरकार के स्वामित्व वाली एलआईसी जैसी कंपनी, जनता या नए निवेशकों को शेयरों की पेशकश करके धन जुटाती है।
- आईपीओ के बाद, यह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है।

कोई कंपनी आईपीओ कैसे फाइल कर सकती है?

- आईपीओ लेते समय कंपनी को सेबी के पास अपना ऑफर दस्तावेज दाखिल करना होता है।
- प्रस्ताव दस्तावेज में कंपनी, इसके प्रवर्तकों, इसकी परियोजनाओं, अन्य के साथ वित्तीय विवरण के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी शामिल है।

कंपनियाँ जो आईपीओ जारी कर सकती हैं:

- निवेशकों की सुरक्षा के लिये सेबी ने ऐसे नियम निर्धारित किये हैं जिनके लिये कंपनियों को धन जुटाने हेतु जनता के पास जाने से पहले कुछ मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होती है।
- अन्य शर्तों के अलावा कंपनी के पास पिछले पूर्ण तीन वर्षों में से प्रत्येक में कम-से-कम **3** करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति और **1** करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिये तथा तत्काल पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में से कम-से-कम तीन में इसका न्यूनतम औसत कर-पूर्व लाभ **15** करोड़ रुपए होना चाहिये।

आईपीओ में निवेश की अनुमति:

- **क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी)**: निवेशकों की एक श्रेणी है जिसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई), म्यूचुअल फंड, वाणिज्यिक बैंक, बीमा कंपनियाँ, पेंशन फंड आदि शामिल हैं।
- वे व्यक्ति जो किसी इश्यू में **2** लाख रुपए तक निवेश करते हैं, उन्हें खुदरा निवेशक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- **2** लाख रुपए से अधिक का निवेश करने वाले खुदरा निवेशकों को उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- **नोट:** निवेशक बनने के लिए आपकी आयु **18** वर्ष होनी चाहिए। निवेश करने के लिए ब्रोकरेज खाते की आवश्यकता होती है, और आपकी आयु कम से कम **18** वर्ष होनी चाहिए।

किसी कंपनी को सूचीबद्ध करने के क्या फायदे हैं?

- जबकि स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों को अधिक नियमित प्रकटीकरण करने की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप सख्त अनुपालन की आवश्यकता होती हैं। यह कंपनी को पूंजी जुटाने के साथ-साथ अपने शेयरधारक आधार में विविधता लाने और बढ़ाने में मदद कर सकता है।
- सूचीबद्ध कंपनी के मौजूदा निवेशकों के लिए एक निकास प्रदान करती है। फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरिंग या एफपीओ के माध्यम से, एक सूचीबद्ध कंपनी भविष्य के विकास और विस्तार के लिए इक्विटी जुटा सकती है।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद

समाचार: केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की **26**वीं बैठक की अध्यक्षता की।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के बारे में

- यह वित्त मंत्रालय के तहत एक गैर-सांविधिक शीर्ष परिषद है तथा इसकी स्थापना वर्ष **2010** में एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी।
- **इतिहास:** एफएसडीसी की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर गठित रघुराम राजन समिति (**2008)** द्वारा किया गया था।

एफएसडीसी की संरचना:

- इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है तथा इसके सदस्यों में वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामकों (आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीए) के प्रमुख, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हैं।
- वर्ष **2018** में सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के ज़िम्मेदार राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) के अध्यक्ष तथा राजस्व सचिव को शामिल करने के उद्देश्य से एफएसडीसी का पुनर्गठन किया।
- एफएसडीसी उप-समिति की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर द्वारा की जाती है।
- आवश्यकता पड़ने पर यह परिषद विशेषज्ञों को भी अपनी बैठक में आमंत्रित कर सकती है।

कार्य:

- वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर-नियामक समन्वय बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिये प्रक्रिया को मज़बूत एवं संस्थागत बनाना।
- अर्थव्यवस्था के वृहद-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करना। यह बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज का आकलन करती है।

मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम

समाचार: पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम (एमएआरएस) को डिजाइन करने के लिए ईवाई एक्चुरियल सर्विसेज एलएलपी को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।

मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम के बारे में

- यह एक अलग योजना है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत ग्राहकों को गारंटीकृत न्यूनतम दर की वापसी की पेशकश कर सकती है, खासकर उन्हें जो जोखिम उठाने से बचते हैं।
- एनपीएस वर्तमान में मौजूदा बाज़ार स्थितियों के आधार पर वार्षिक रिटर्न देता है।
- एमएआरएस बचतकर्ताओं और वेतनभोगी वर्ग के लोगों को उनके निवेश के लिए एक विकल्प प्रदान करेगा।
- **रिटर्न:** वास्तविक रिटर्न बाज़ार की स्थितियों पर निर्भर करेगा।
  - यह गारंटीकृत रिटर्न केवल भविष्य के योगदानों (संभावित रूप से) पर लागू हो सकता है।
  - किसी भी कमी को प्रायोजक द्वारा पूरा करने के साथ ही अधिशेष ग्राहकों के खाते में जमा किया जाएगा।

पेश किये जाने वाले विकल्प:

1. निश्चित गारंटी ऑप्शन के तहत संचय चरण के साथ गारंटीकृत रिटर्न तय किया जाता है।
2. फ्लोटिंग गारंटी ऑप्शन के तहत रिटर्न की गारंटीड दर बचत चरण के साथ तय नहीं होती है। फ्लोटिंग गारंटी सेवानिवृत्ति तक **1** वर्ष की ब्याज दर के विकास पर निर्भर करती है।

- लॉक-इन पीरियड प्रत्येक योगदान पर लागू हो सकता है और उस अवधि के आधार पर लागू किया जाएगा जब से वह योगदान दिया गया है।
  - यह लचीलेपन के लिये कई लॉक-इन पीरियड विकल्पों (या कंपित गारंटी अवधि) पर भी विचार कर सकता है।
  - सब्सक्राइबर के पास लॉक-इन पीरियड के बाद वापसी या निवेशित रहने का विकल्प हो सकता है। हालाँकि लॉक-इन पीरियड के बाद निवेश पर कोई गारंटी लागू नहीं होगी।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

- केंद्र सरकार द्वारा जनवरी **2004** से (सशस्त्र बलों को छोड़कर) एनपीएस की शुरुआत की गई।
- एनपीएस को **2009** से भारत के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया गया था।
- एनपीएस प्रत्येक ग्राहक के लिए बनाए गए एक अद्वितीय व्यक्तिगत पेंशन खाते यानी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) पर आधारित है।
- **18-70** वर्ष की आयु का भारत का नागरिक या तो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में या अपने नियोक्ता के सहयोग से एनपीएस में शामिल हो सकता है।
- **एनपीएस की संरचना द्विस्तरीय है:**
  - **टियर-** 1 **खाता:** यह गैर-निकासी योग्य स्थायी सेवानिवृत्ति खाता है।
  - **टियर-** 2 **खाता:** यह एक स्वैच्छिक निकासी योग्य खाता है।
- व्यक्तिगत पेंशन खाते में योगदान किसी के कामकाजी जीवन के दौरान किया जा सकता है।

- यह या तो व्यक्ति या नियोक्ता द्वारा या नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा समान या असमान अनुपात में एक साथ किया जा सकता है।
- योजना के तहत संचित कोष का उपयोग ग्राहक की सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति पर पेंशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

- पीएफआरडीए, जो पेंशन नियामक है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का संचालन करता है।
- पीएफआरडीए द्वारा स्थापित नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (एनपीएसटी) एनपीएस के तहत सभी संपत्तियों का पंजीकृत मालिक है।

फिनक्लुवेशन

समाचार: हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) द्वारा फिनक्लुवेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है।

फिनक्लुवेशन के बारे में

- फिनक्लुवेशन, भाग लेने वाले स्टार्टअप के साथ समावेशी वित्तीय समाधान उपलब्ध कराने हेतु आईपीपीबी का एक स्थायी मंच होगा।
- वित्तीय समावेशन के लिये लक्षित सार्थक वित्तीय उत्पादों के निर्माण की दिशा में स्टार्टअप्स समुदाय को प्रोत्साहित करने हेतु एक शक्तिशाली मंच की स्थापना करने की यह उद्योग की प्रथम पहल है।
- फिनक्लूवेशन स्टार्ट-अप्स को आईपीपीबी और डाक विभाग (**DoP**) विशेषज्ञों के साथ मिलकर समाधान विकसित करने और पोस्टल नेटवर्क और आईपीपीबी के प्रौद्योगिकी स्टैक का उपयोग करके पायलट संचालन करने की अनुमति देगा।
- यह स्टार्टअप्स को भाग लेने, विचार करने, विकसित करने और ग्राहकों के लिए ले जा सकने वाले सहज और अनुकूलित उत्पादों और सेवाओं के लिए आमंत्रित करता है।

स्टार्टअप्स को निम्नलिखित ट्रैक्स के साथ संरेखित समाधान विकसित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है:

- **क्रेडिटाइज़ेशन-** लक्षित ग्राहकों के साथ संयोजित नवोन्मेषी तथा समावेशी क्रेडिट उत्पादों का विकास करना एवं उन्हें डाक नेटवर्क के माध्यम से उनके द्वार तक पहुँचाना।
- **डिजिटाइज़ेशन-** डिजिटल भुगतान प्रौद्योगिकियों के साथ पारंपरिक सेवाओं के समन्वयन के माध्यम से सुविधा प्रदान करना, उदाहरण के लिये अंतः पारस्परिक बैंकिंग सेवा के रूप में पारंपरिक मनीऑर्डर सेवा उपलब्ध कराना।
- **बाज़ार आधारित समाधान-** बाज़ार आधारित कोई भी समाधान जो लक्षित ग्राहकों की सेवा करने में आईपीपीबी और/या डाक विभाग से संबंधित किसी अन्य समस्या का समाधान करने में सहायता कर सकती है।
- फिनक्लुवेशन मेंटर स्टार्टअप्स के साथ मिलकर कार्य करेंगे ताकि ग्राहकों की ज़रूरतों के हिसाब से उत्पादों में बदलाव किया जा सके और आईपीपीबी और डीओपी के ऑपरेटिंग मॉडल के साथ बाज़ार में प्रवेश की रणनीति बनाई जा सके।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना 2018 में हुई थी।
- आईपीपीबी को वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ लॉन्च किया गया था।
- बैंकों की स्थापना भारत में आम आदमी के लिये सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बनाने की दृष्टि से की गई है।
- आईपीपीबी का मूल उद्देश्य है बैंक के अभाव और ऐसी बाधाओं को दूर करना तथा 160,000 डाकघरों (ग्रामीण क्षेत्रों में 145,000) वाले नेटवर्क का लाभ उठाते हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है।
- आईपीपीबी की पहुंच इंडिया स्टैक के प्रमुख स्तंभों पर बनाई गई है - सीबीएस-एकीकृत स्मार्ट फोन और बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से सरल और सुरक्षित तरीके से पेपरलेस, कैशलेस और उपस्थिति-रहित बैंकिंग को सक्षम करना।
- **आईपीपीबी का आदर्श वाक्य** - प्रत्येक ग्राहक महत्वपूर्ण है; प्रत्येक लेन-देन महत्वपूर्ण है, और प्रत्येक जमा मूल्यवान है।

निधि कंपनियां

समाचार: भारत सरकार ने निधि (संशोधन) नियम, **2022** जारी किया है। यह संशोधन आम जनता के हितों की रक्षा के लिए निधि नियम, **2014** में बदलाव करता है।

निधि कंपनियों के बारे में

- निधि कंपनियां एक प्रकार की गैर-बैंक ऋणदाता हैं जो विशेष रूप से अपने सदस्यों से धन जुटाती हैं और उन्हें अपने प्रशासन में सुधार और सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए ऋण देती हैं।
- वे संचालन संबंधी मुद्दों और धन के वितरण के लिए कंपनी मामलों के विभाग (डीसीए) द्वारा और जमा लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (**RBI**) द्वारा शासित होते हैं।
- निधि कंपनी बनने के लिए संस्था को पहले एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, जिसके पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तुलना में अधिक प्रकटीकरण आवश्यकताएं हैं।
- निधि कंपनियों में केवल व्यक्तिगत सदस्य हो सकते हैं, और उन्हें कंपनियों को धन उधार देने की अनुमति नहीं है।

निधि (संशोधन) नियम, 2022 **के प्रमुख प्रावधान:**

- **10** लाख रुपये की शेयर पूंजी के साथ एक निधि के रूप में स्थापित एक सार्वजनिक कंपनी को पहले खुद को केंद्र सरकार द्वारा निधि के रूप में घोषित करने की आवश्यकता है। यह इसके निगमन के **120** दिनों के भीतर **200** की न्यूनतम सदस्यता और **₹2** मिलियन की निवल स्वाधिकृत निधि दिखाते हुए एक आवेदन जमा करके किया जा सकता है।
- निधि कंपनी के प्रमोटरों और निदेशकों को नियमों में निर्धारित फिट और उचित व्यक्ति के मानदंडों को पूरा करना होगा।
- नियमों ने डीम्ड अनुमोदन की अवधारणा पेश की। इसका मतलब यह है कि अगर आवेदन दाखिल करने के **45** दिनों के भीतर निधि कंपनियों के रूप में प्रमाणन के लिए आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो मंजूरी को स्वीकृत माना जाएगा।

विकास वित्तीय संस्थान

समाचार: सरकार समर्थित नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) के वित्त वर्ष **2023** की पहली तिमाही से परिचालन शुरू करने के साथ, वर्ष के लिए **1** ट्रिलियन रुपये के बुनियादी ढांचा ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विकास वित्तीय संस्थान के बारे में

- एनएबीएफआईडी को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट, **2021** के तहत एक विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई) के रूप में स्थापित किया गया है।
- इसकी अधिकृत शेयर पूंजी **1** लाख करोड़ रुपये है।
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, **1934** की धारा **45L** और **45N** के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) के रूप में आरबीआई इसे विनियमित और पर्यवेक्षण करेगा।
- एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी के बाद यह **5**वां एआईएफआई होगा।
- इसका मुख्यालय मुंबई में है।

एंकर निवेशक

समाचार: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने **₹10,000** करोड़ से अधिक के मुद्दों के लिए **30** दिनों की लॉक-इन अवधि **30** जून तक रखते हुए एंकर निवेशकों के लिए मानदंडों में ढील दी है।

एंकर निवेशक के बारे में

- खुदरा और अन्य निवेशकों के लिए सदस्यता अवधि से पहले शेयर प्राप्त करते हैं और स्टॉक सूचीबद्ध होने के बाद पूर्व निर्धारित समय के लिए उन शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में रखना आवश्यक होता है।
- सेबी के नियमों के अनुसार, आईपीओ में एक एंकर निवेशक एक योग्य संस्थागत खरीदार (क्यूआईबी) होता है, जैसे कि एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, म्यूचुअल फंड या बीमा कंपनी, जो आईपीओ को आम जनता के लिए उपलब्ध कराने से पहले निवेश करता है।
- प्रारंभिक निवेशकों के रूप में, वे निवेशकों के लिए आईपीओ प्रक्रिया को अधिक आकर्षक बनाते हैं, और उनमें विश्वास जगाते हैं।
- जिन एंकर निवेशकों को जनता के लिए आईपीओ खुलने से एक दिन पहले गारंटीकृत आवंटन मिलता है, उन्हें आम तौर पर क्यूआईबी कोटा का **60%** आवंटित किया जाता है।
- लाभदायक ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनियां आईपीओ का **50%** क्यूआईबी को आवंटित कर सकती हैं।
- एंकर श्रेणी में मांग आईपीओ की सफलता का संकेत है।

फ्रंट-रनिंग

समाचार: हाल ही में, एएमसी के लेन-देन को सामने से चलाने सहित म्यूचुअल फंड अनियमितताओं का मामला सामने आया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से कठोर कार्रवाई करने की उम्मीद है, जिसमें फंड हाउस के शीर्ष कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शामिल हो सकती है।

फ्रंट-रनिंग के बारे में

- फ्रंट-रनिंग एक संदिग्ध बाजार अभ्यास है जिसमें एक डीलर, व्यापारी या कर्मचारी शेयरों को खरीदने या बेचने के लिए एक बड़े ऑर्डर के बारे में सीखता है जो एक फंड या प्रमुख निवेशक द्वारा रखा जाएगा और "सामने" व्यापार में प्रवेश करेगा।
- बड़े ऑर्डर के कारण आमतौर पर स्टॉक की कीमत बदल जाती है।
  - सामने वाला बाजार में बड़ा ऑर्डर आने से ठीक पहले शेयरों को खरीदकर और कीमत बढ़ने पर उन्हें बेचकर अवैध लाभ कमाने के लिए अपने अंदरूनी ज्ञान का लाभ उठाता है।
  - विक्रय मूल्यों को नीचे लाने के लिए विक्रय ट्रेडों के साथ एक विपरीत रणनीति का उपयोग किया जाता है।
- **चिंताएं:** अंदरूनी लोगों द्वारा फ्रंट-रनिंग किसी फंड में निवेशकों को स्टॉक खरीदने के लिए मिलने वाली कीमतों पर बोली लगाने या उन्हें बेचने के लिए मिलने वाली कीमतों को कम करने पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- **फ्रंट-रनिंग के खिलाफ विनियम:** सेबी (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, **2003** स्पष्ट रूप से फ्रंट-रनिंग को परिभाषित करता है और इसे धोखाधड़ी और अनुचित अभ्यास के रूप में परिभाषित करता है। सेबी ने फ्रंट-रनर के खिलाफ आदेश पारित करने के लिए इस धारा को कई बार लागू किया है।

कानूनी इकाई पहचानकर्ता

समाचार: हाल ही में, आरबीआई ने एनबीएफसी और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के बड़े कर्जदारों के लिए एलईआई पर दिशानिर्देशों का विस्तार किया है।

- **कानूनी इकाई पहचानकर्ता के बारे में**
- एलईआई एक **20**-वर्ण का अल्फा-न्यूमेरिक कोड है जिसका उपयोग एक वैश्विक संदर्भ डेटा प्रणाली बनाने के लिए किया जाता है जो किसी भी अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक कानूनी इकाई की विशिष्ट रूप से पहचान करता है जो वित्तीय लेनदेन के पक्ष में है।
- एलईआई बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार करता है।

सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना

समाचार: भारत सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से **2022-23** के लिये सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड किश्तों में जारी करेगी।

- **सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना के बारे में**
- इसे नवंबर **2015** में लॉन्च किया गया।
- **उद्देश्य:** भौतिक सोने की मांग को कम करना और घरेलू बचत के एक हिस्से (जिसका उपयोग स्वर्ण की खरीद के लिये किया जाता है) को वित्तीय बचत में बदलना |
- **निर्गमन:**
  - गोल्ड/स्वर्ण बॉण्ड सरकारी प्रतिभूति (जीएस) अधिनियम, 2006 के तहत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी किये जाते हैं।
  - ये भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं।
  - बॉण्ड की बिक्री वाणिज्यिक बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), नामित डाकघरों (जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है) और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के ज़रिये या तो सीधे अथवा एजेंटों के माध्यम से की जाती है।
- **पात्रता:** इन बॉण्डों की बिक्री निवासी व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ), न्यासों/ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों तक ही सीमित है।

विशेषताएं:

- **निर्गम मूल्य:** गोल्ड/स्वर्ण बॉण्ड की कीमत इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा **999** शुद्धता वाले सोने (**24** कैरट) के लिये प्रकाशित मूल्य पर आधारित होती है।
- **निवेश सीमा**:
  - गोल्ड बॉण्ड एक ग्राम यूनिट के गुणकों में खरीदे जा सकते हैं जिसमें विभिन्न निवेशकों के लिये एक निश्चित सीमा निर्धारित होती है।
  - खुदरा (व्यक्तिगत) तथा हिंदू अविभाजित परिवारों के लिये खरीद की अधिकतम सीमा 4 किलोग्राम है।
  - ट्रस्ट एवं इसी तरह के निकायों के लिये प्रति वित्त वर्ष 20 किलोग्राम की अधिकतम सीमा लागू होती है।
  - न्यूनतम स्वीकार्य निवेश सीमा 1 ग्राम सोना है।
- **अवधि:** इन बॉण्डों की परिपक्वता अवधि **8** वर्ष होती है तथा **5** वर्ष के बाद इस निवेश से बाहर निकलने का विकल्प उपलब्ध होता है।
- **ब्याज दर:** निवेशकों को प्रतिवर्ष **2.5** प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर लागू होती है, जो छह माह पर देय होती है।
- गोल्ड बॉण्ड पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर कर/टैक्स आयकर अधिनियम, **1961** के प्रावधान के अनुसार अदा करना होगा।

लाभ:

- ऋण के लिये बॉण्ड का उपयोग संपार्श्विक (जमानत या गारंटी) के रूप में किया जा सकता है।
- किसी भी व्यक्ति को सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड के विमोचन पर होने वाले पूंजीगत लाभ को कर मुक्त कर दिया गया है।

पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स)

समाचार: पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) के माध्यम से मई के अंत, **2022** तक भारतीय पूंजी बाज़ार में निवेश घटकर **86,706** करोड़ रुपए रह गया है।

पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में

- पी-नोट्स विदेशी निवेशकों को पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा जारी किये गए ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स (ओडीआई) हैं जो सीधे खुद को पंजीकृत किये बिना भारतीय शेयर बाज़ारों का हिस्सा बनना चाहते हैं।
- पी-नोट्स में भारतीय स्टॉक उनकी अंतर्निहित संपत्ति के रूप में होते हैं।
- एफपीआई अनिवासी होते हैं जो भारतीय प्रतिभूतियों जैसे शेयर, सरकारी बॉण्ड, कॉरपोरेट बॉण्ड आदि में निवेश करते हैं।
- हालांकि पी-नोट धारकों के लिये सरल पंजीकरण आवश्यकताएं हैं, उन्हें भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड की उचित त्वरित प्रक्रिया से गुजरना होगा।

गिफ्ट सिटी

समाचार: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश को वैश्विक स्तर पर अपनी आर्थिक और रणनीतिक गतिविधियों का विस्तार करने की जरूरत है और गिफ्ट सिटी, एक उभरता हुआ वैश्विक वित्तीय केंद्र, इस उद्देश्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।.

गिफ्ट सिटी के बारे में

- गिफ्ट (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) सिटी गांधीनगर, गुजरात में स्थित है।
- इसमें एक बहु-सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) शामिल है जिसमें भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) और एक विशेष घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) है।
- शहर में सामाजिक बुनियादी ढाँचे में स्कूल, चिकित्सा सुविधाएँ, प्रस्तावित अस्पताल, इनडोर और आउटडोर खेल सुविधाओं के साथ गिफ्ट सिटी बिज़नेस क्लब शामिल हैं। साथ ही इसमें एकीकृत सुनियोजित आवासीय परियोजनाएँ भी शामिल हैं जो गिफ्ट सिटी को वास्तव में "वॉक टू वर्क" शहर बनाती हैं।

गिफ्ट आईएफएससी:

- गिफ्ट सिटी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) चालू हो गया है।
- गिफ्ट आईएफएससी पूंजी बाजार, अपतटीय बीमा, अपतटीय बैंकिंग और संपत्ति प्रबंधन, विमान और जहाज पट्टे, और सहायक सेवाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है।
- इसमें **11** अरब डॉलर से अधिक की संयुक्त औसत दैनिक ट्रेडिंग मात्रा के साथ दो अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज हैं। जल्द ही एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भी लॉन्च होने जा रहा है।
- **नोट**: आईएफएससी घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। ऐसे केंद्र सीमाओं के पार वित्त, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के प्रवाह से निपटते हैं।

हाइब्रिड प्रतिभूतियां

समाचार: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हाइब्रिड प्रतिभूति पर केवी कामत की अध्यक्षता में **20** सदस्यीय समिति का गठन किया है।

हाइब्रिड प्रतिभूति के बारे में

- यह हाइब्रिड प्रतिभूतियों के प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिश करेगा।
- हाइब्रिड प्रतिभूतियों का उद्देश्य हाइब्रिड प्रतिभूतियों के विकास को बढ़ावा देना, जारी करने में आसानी और घरेलू और वैश्विक पूंजी को आकर्षित करना है।
- हाइब्रिड प्रतिभूतियां निवेश उपकरण हैं जो दो या दो से अधिक विभिन्न वित्तीय साधनों, आमतौर पर इक्विटी और बॉन्ड (ऋण) विशेषताओं को जोड़ती हैं।
- उदाहरण के लिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (**InvITs**), रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (**REITs**), प्रेफर्ड स्टॉक्स आदि।

गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड

समाचार: जुलाई, **2022** में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) से **457** करोड़ रुपए का शुद्ध बहिर्वाह हुआ क्योंकि निवेशकों ने पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन रणनीति के हिस्से के रूप में अन्य परिसंपत्ति वर्गों में अपना पैसा निवेश किया।

गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में

- गोल्ड ईटीएफ (जिसका उद्देश्य घरेलू भौतिक सोने की कीमत को आंकलन करना है) निष्क्रिय निवेश साधन हैं जो सोने की कीमतों पर आधारित होते हैं तथा सोने को बुलियन में निवेश करते हैं।
- गोल्ड ईटीएफ भौतिक सोने का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयाँ हैं जो कागज या डीमैट रूप में हो सकती हैं।
- एक गोल्ड ईटीएफ इकाई 1 ग्राम सोने के बराबर होती है और इसमें उच्च शुद्धता का भौतिक सोना होता है।
- वे स्टॉक निवेश के लचीलेपन और सोने के निवेश की सहजता को संयोजित करते हैं।

लाभ:

- ईटीएफ की हिस्सेदारी में पूरी पारदर्शिता है।
- गोल्ड ईटीएफ में भौतिक सोने के निवेश की तुलना में बहुत कम खर्च होता है।
- ईटीएफ पर संपत्ति कर, सुरक्षा लेनदेन कर, वैट और बिक्री कर नहीं लगाया जाता है।
- ईटीएफ सुरक्षित और संरक्षित होने के कारण चोरी का कोई डर नहीं है क्योंकि धारक के डीमैट खाते में इकाइयाँ होती हैं।

डिजिटल ऋण मानदंड

समाचार: भारतीय रिजर्व बैंक (**RBI**) ने डिजिटल ऋण देने को सुरक्षित बनाने के लिए एक नियामक ढांचे का अनावरण किया।

डिजिटल ऋण मानदंड के बारे में

- यह ढांचा डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित है जिसमें आरबीआई विनियमित संस्थाएं (आरई) और ऋण सेवा प्रदाता (एलएसपी) शामिल हैं।
- एलएसपी को विभिन्न अनुमत क्रेडिट सुविधा सेवाओं का विस्तार करने के लिए विनियमित संस्थाओं द्वारा नियुक्त किया गया है।

मानदंड:

- सभी ऋण संवितरण और पुनर्भुगतान एलएसपी या किसी अन्य तीसरे पक्ष की भागीदारी के बिना विशेष रूप से उधारकर्ता के बैंक खातों और आरई के बीच होना चाहिए।
- क्रेडिट मध्यस्थता प्रक्रिया में एलएसपी को देय किसी भी शुल्क या शुल्क का भुगतान सीधे आरई द्वारा किया जाएगा न कि उधारकर्ता द्वारा।
- ऋण अनुबंध निष्पादित करने से पहले उधारकर्ता को एक मानकीकृत मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) प्रदान किया जाना चाहिए।
- वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर), डिजिटल ऋणों की एक सर्व-समावेशी लागत को उधारकर्ताओं के सामने प्रकट करना आवश्यक है। इसे केएफएस का भी हिस्सा बनना चाहिए।
- यह उधारकर्ता की स्पष्ट सहमति के बिना क्रेडिट सीमा में स्वचालित वृद्धि को प्रतिबंधित करता है।
- यह एक अनुग्रह अवधि की पुष्टि करता है, जिसे ऋण अनुबंध में शामिल किया जाना चाहिए, जिसके दौरान उधारकर्ता बिना किसी शुल्क के मूलधन और आनुपातिक एपीआर का भुगतान करके अपने डिजिटल ऋण को रद्द कर सकते हैं।
- **शिकायत निवारण:** फिनटेक/डिजिटल उधार संबंधी शिकायतों से निपटने के लिए **Res** द्वारा नियुक्त **LSP** के पास एक उपयुक्त नोडल शिकायत निवारण अधिकारी होना चाहिए।.
    - ऐसे शिकायत निवारण अधिकारी को अपने संबंधित डिजिटल ऋण आवेदन (डीएलए) के खिलाफ शिकायतों से भी निपटना चाहिए।

- **डेटा गोपनीयता:** डीएलए द्वारा एकत्र किया गया डेटा आवश्यकता-आधारित होना चाहिए, ऑडिट ट्रेल्स स्पष्ट होने चाहिए, और केवल उधारकर्ता की पूर्व स्पष्ट सहमति के साथ ही किया जाना चाहिए।
    - डीएलए/एलएसपी उधारकर्ताओं को विशिष्ट डेटा के उपयोग से सहमत या असहमत होने का विकल्प प्रदान कर सकते हैं, साथ ही साथ पहले दी गई सहमति को वापस लेने और उनके द्वारा प्रदान किए गए किसी भी डेटा को हटाने का अनुरोध करने का विकल्प प्रदान कर सकते हैं।
    - डीएलए के माध्यम से प्राप्त किसी भी ऋण के प्रकार या अवधि के बावजूद, आरई को क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को इसकी रिपोर्ट करना आवश्यक है।
    - आरई को सीआईसी को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है कि वे किसी भी नए डिजिटल ऋण उत्पाद को मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर विस्तारित करते हैं जिसमें अल्पकालिक क्रेडिट या आस्थगित भुगतान शामिल हैं।

ब्लू बॉन्ड

समाचार: सेबी ने ब्लू बॉन्ड की अवधारणा को स्थायी वित्त के एक तरीके के रूप में प्रस्तावित किया है, जिसमें कहा गया है कि इस तरह की प्रतिभूतियों का उपयोग समुद्री संसाधन खनन और सतत् मत्स्य पालन सहित विभिन्न नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

ब्लू बॉन्ड के बारे में

- ब्लू बॉन्ड सरकारों, विकास बैंकों या अन्य द्वारा जारी किया गया एक ऋण साधन है, जो निवेशकों से पूंजी जुटाने के लिए समुद्री और महासागर-आधारित परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है, जिनके सकारात्मक पर्यावरणीय, आर्थिक और जलवायु लाभ हैं।
- पारंपरिक बॉन्ड के मामले में, निवेशक बॉन्ड जारीकर्ता को पैसा उधार देते हैं, जो बांड की अवधि और निश्चित दिन पर पूंजी के लिए हर साल ब्याज चुकाने के लिए सहमत होता है।
- इसी तरह, ब्लू बॉन्ड में, सतत ब्लू इकोनॉमी परियोजनाओं में निवेश से आय अर्जित की जाती है।
- इसके अलावा, ब्लू बांड जारी करने से निवेशक अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने और महासागर और मानव जाति के लिए लाभ उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं।
- सेशेल्स गणराज्य ने **2018** में दुनिया का पहला सॉवरेन ब्लू बॉन्ड लॉन्च किया, जिससे छोटे द्वीप राज्य की नीली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कुल **$15** मिलियन जुटाए गए।

ब्लू बॉन्ड के लाभ:

- यह नीली अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए निजी क्षेत्र की पूंजी को जुटाने का अवसर प्रदान करता है।
- यह महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है जबकि परियोजनाओं के लिए बहुत आवश्यक धन उपलब्ध कराता है।
- यह एसडीजी **14** (पानी के नीचे जीवन) की दिशा में प्रगति को उत्प्रेरित करेगा।

हेज फंड

समाचार: हाल ही में, यह शब्द समाचारों में था।

हेज फंड के बारे में

- हेज फंड निजी निवेशकों की एक सीमित साझेदारी है, जिनके धन का प्रबंधन पेशेवर फंड प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, जो औसत से अधिक निवेश रिटर्न अर्जित करने के लिए गैर-पारंपरिक परिसंपत्तियों का लाभ उठाने या व्यापार सहित रणनीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करते हैं।
- हेज फंड निवेश को अक्सर एक जोखिम भरा वैकल्पिक निवेश विकल्प माना जाता है। आमतौर पर उच्च न्यूनतम निवेश या शुद्ध मूल्य की आवश्यकता होती है, जो अक्सर धनी ग्राहकों को लक्षित करता है।

- भारत में हेज फंडों को आवश्यक रूप से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

बाजार में विभिन्न प्रकार के हेज फंड:

- **घरेलू हेज फंड:** घरेलू हेज फंड केवल उन निवेशकों के लिए खुले हैं जो मूल देश के कराधान के अधीन हैं।
- **ऑफशोर हेज फंड:** ऑफशोर हेज फंड आपके अपने देश के बाहर स्थापित किया जाता है, अधिमानतः कम कराधान वाले देश में।
- **फंड्स ऑफ फंड:** फंड्स ऑफ फंड मूल रूप से म्यूचुअल फंड है जो व्यक्तिगत अंतर्निहित प्रतिभूतियों के बजाय अन्य हेज म्यूचुअल फंड में निवेश करता है।

हेज फंड बनाम म्युचुअल फंड:

- हेज फंड म्युचुअल फंड से भिन्न होते हैं। हेज फंड को प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा कड़ाई से विनियमित नहीं किया जाता है जैसा कि म्यूचुअल फंड करते हैं।
- म्यूचुअल फंड स्टॉक, बांड, या अल्पकालिक निवेश के विविध पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक व्यावहारिक लागत प्रभावी तरीका है। यह आम जनता और औसत निवेशक के लिए उपलब्ध हैं।
- हेज फंड केवल मान्यता प्राप्त निवेशकों से पैसा स्वीकार कर सकते हैं, जिसमें वार्षिक आय वाले व्यक्ति शामिल हैं जो **$ 200,000** से अधिक हैं या उनके प्राथमिक निवास को छोड़कर **$ 1** मिलियन से अधिक की कुल संपत्ति है।
- हेज फंड भूमि, रियल एस्टेट, स्टॉक, डेरिवेटिव और मुद्राओं में निवेश कर सकता है, जबकि म्यूचुअल फंड लंबी अवधि की निवेश रणनीतियों के लिए स्टॉक या बॉन्ड का उपयोग अपने उपकरणों के रूप में करते हैं।
- म्यूचुअल फंड के विपरीत जहां एक निवेशक किसी भी समय शेयरों को बेचने का चयन कर सकता है, हेज फंड आम तौर पर शेयरों को भुनाने के अवसरों को सीमित करते हैं और अक्सर शेयरों को भुनाए जाने से पहले एक वर्ष की लॉक अवधि लगाते हैं।

आईबीबीआई विनियमों में संशोधन

भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने दबाव वाली कंपनियों के मूल्य को बढ़ाने के लिए अपने नियमों में संशोधन किया है।

आईबीबीआई विनियमों में संशोधन के बारे में

- लेनदारों की समिति (सीओसी) अब इस बात की जांच कर सकती है कि परिसमापन अवधि के दौरान कॉरपोरेट देनदार (सीडी) के लिए समझौता या व्यवस्था का पता लगाया जा सकता है या नहीं।
- जून **2022** तक **1,703** कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएं (सीआईआरपी) परिसमापन में समाप्त हो गईं।
- नियामक ने एक समाधान पेशेवर और सीओसी को उन मामलों में संबंधित सीडी की एक या अधिक संपत्तियों की बिक्री की जांच करने की अनुमति दी है जहां पूरे व्यवसाय के लिए कोई समाधान योजना नहीं है।
- सीडी की एक या एक से अधिक परिसंपत्तियों की बिक्री को शामिल करने के लिए एक समाधान योजना को एक या अधिक सफल समाधान आवेदकों के लिए सक्षम किया जाएगा जो शेष परिसंपत्तियों के उचित उपचार के लिए प्रदान करेंगे।
- एक समाधान पेशेवर (आरपी) को संबंधित कंपनी के ज्ञात (बही-खातों के आधार पर) लेनदारों से सक्रिय रूप से दावों की तलाश करनी होगी जो ऋण की स्पष्ट तस्वीर उपलब्ध कराने में मदद करेगा।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड :

- इसकी स्थापना दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) के तहत 2016 में हुई थी।
- यह संहिता के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है जो कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवालियापन समाधान से संबंधित कानूनों को समयबद्ध तरीके से समेकित और संशोधित

करता है ताकि ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम किया जा सके, उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके, ऋण की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित किया जा सके।

- यह एक अनूठा नियामक है क्योंकि यह एक पेशे के साथ-साथ प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करता है।
- यह दिवाला पेशेवरों, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों, दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं और सूचना उपयोगिताओं पर नियामक निरीक्षण करता है।
- इसे देश में मूल्यांकनकर्ताओं के पेशे के विनियमन और विकास के लिए कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के तहत 'प्राधिकरण' के रूप में भी नामित किया गया है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी)

समाचार: आईबीसी के तहत तनावग्रस्त फर्मों के प्रस्ताव से वित्तीय लेनदारों की वसूली पिछली तिमाही में उनके स्वीकृत दावों के **10.2%** के रिकॉर्ड तिमाही निचले स्तर पर आ गई।

खबरों में आगे:

- मार्च तिमाही में वित्तीय लेनदारों के लिए 1,288 करोड़ रुपये की वसूली पहली बार 1,316 करोड़ रुपये के परिसंपत्तियों के परिसमापन मूल्य से नीचे गिर गई।
  - वित्तीय लेनदार वे होते हैं जिनके पास कंपनी के साथ सख्त वित्तीय अनुबंध होता है, जैसे कि ऋण या ऋण सुरक्षा।
- पूर्ण रूप से, मार्च तिमाही तक वित्तीय लेनदारों के लिए संचयी वसूली ₹7.56 ट्रिलियन के कुल स्वीकृत दावों में से 2.25 ट्रिलियन रुपये थी।

दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी)

- इसे **2016** में एक संसदीय अधिनियम के परिणामस्वरूप लागू किया गया था जिसे खराब ऋणों के मुद्दे को संबोधित करने और दिवालियापन को हल करने के लिए एक-स्टॉप समाधान के रूप में तैयार किया गया था।
- कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत दिवालियापन और पुनर्गठन को नियंत्रित करने वाले कानूनों को समेकित और संशोधित किया गया है।
- यह ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, ऋण की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए दिवालियापन को हल करने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करता है।

आईबीसी के चार स्तंभ:

1. न्यायिक प्राधिकरण (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या एनसीएलटी और ऋण वसूली न्यायाधिकरण या डीआरटी)। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलटी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकरण है।
2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) दिवालिया पेशेवर एजेंसियों के नियामक के रूप में।
3. दिवाला सेवाओं के व्यवसायीकरण के लिए दिवाला पेशेवर (आईपी) और दिवाला पेशेवर संघ (आईपीए)।
4. ऋण और चूक पर उच्च गुणवत्ता, प्रमाणित जानकारी के लिए सूचना उपयोगिताओं (आईयू) (राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के रूप में)।

प्री-पैक इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (पीपीआईआरपी)

- प्री-पैक का आशय एक सार्वजनिक बोली प्रक्रिया के बजाय सुरक्षित लेनदारों और निवेशकों के बीच एक समझौते के माध्यम से तनावग्रस्त कंपनी के ऋण के समाधान से है।
- यह कब्जे वाले ऋणी मॉडल का अनुसरण करता है और परिचालन लेनदारों को बकाया राशि का **100%** भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में सीडी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को स्विस चुनौती की अनुमति देता है।

सीमा पार दिवालियापन:

- यह विशेष परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें एक दिवालिया देनदार के पास एक से अधिक देशों में संपत्ति और / या लेनदार होते हैं।
- आईबीसी के तहत, यह धारा **234** और **235** द्वारा विनियमित है, लेकिन वे प्रकृति में तदर्थ हैं और देरी के लिए अतिसंवेदनशील हैं।

ई-बिल

समाचार: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल इंडिया ईको-सिस्टम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बिल) प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया।

ई-बिल के बारे में

- यह वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक के कार्यालय में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) प्रभाग द्वारा विकसित किया गया है।
- **उद्देश्य:** सरकार के सभी विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं को किसी भी समय कहीं से भी अपने बिल/दावे जमा करने की सुविधा प्रदान करना।

सिस्टम के उद्देश्य:

- सरकार के सभी विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं को किसी भी समय कहीं से भी अपने बिल/दावे जमा करने की सुविधा प्रदान करना।
- आपूर्तिकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच भौतिकीय इंटरफेस को हटाना।
- बिलों/दावों के प्रसंस्करण में दक्षता बढ़ाना।
- "फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट" पद्धति के माध्यम से बिलों के प्रसंस्करण को कम करना।

महत्व:

- इस ई-बिल प्रणाली के तहत, विक्रेता/आपूर्तिकर्ता किसी भी समय डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से अपने बिलों को सहायक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।
- जिनके पास डिजिटल हस्ताक्षर नहीं है, उनके लिए आधार का उपयोग कर ई-हस्ताक्षर की सुविधा भी प्रदान की गई है।

एम दामोदरन समिति

समाचार: सरकार ने उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश द्वारा निवेश को बढ़ाने के लिए विनियामक और अन्य मुद्दों को संबोधित करने के लिए उचित उपायों की जांच करने और सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

एम दामोदरन समिति के बारे में

- वित्त मंत्रालय ने कहा कि छह सदस्यीय पैनल की अध्यक्षता सेबी के पूर्व अध्यक्ष एम दामोदरन करेंगे।
- समिति स्टार्ट-अप और उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश में और तेजी लाने के उपाय सुझाएगी।
- अपने बजट भाषण 2022-23 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश को बढ़ाने के लिए उचित उपायों की जांच करने और सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया।

इंम्पैक्ट इनवेस्टिंग

समाचार: हाल ही में, इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स काउंसिल (आईआईसी) के एक अध्ययन ने सुझाव दिया कि अपने एसडीजी **2030** लक्ष्यों की उपलब्धियों में तेजी लाने के लिए इम्पैक्ट इनवेस्टिंग क्षेत्र में भारत की मजबूत क्षमता का लाभ उठाया जाए।

इम्पैक्ट इनवेस्टिंग के बारे में

- अध्ययन यह भी बताता है कि भारतीय उद्यमी प्रभाव के लिए प्रौद्योगिकी समाधान लागू कर रहे हैं।
- ये विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयुक्त इंजीनियरिंग समाधानों से उत्पन्न होते हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं: जलवायु शमन और अनुकूलन कृषि स्वास्थ्य देखभाल निदान और उपकरण।

इंम्पैक्ट इनवेस्टिंग :

- यह निवेश का एक तरीका है जो वित्तीय लाभ के अलावा कुछ लाभकारी सामाजिक या पर्यावरणीय प्रभावों का उत्पादन करता है।
- प्रभाव निवेशक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति कंपनी के समर्पण, या समग्र रूप से समाज को लाभान्वित करने के दायित्व को ध्यान में रखते हैं।
- निवेशक के रणनीतिक उद्देश्यों के आधार पर, इसे उभरते हुए और साथ ही विकसित बाजारों में बनाया जा सकता है और बाजार से नीचे बाजार दर पर रिटर्न की एक श्रृंखला को लक्षित किया जा सकता है।
- बढ़ता प्रभाव वाला निवेश बाजार टिकाऊ कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, संरक्षण, माइक्रोफाइनेंस, और आवास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सहित सस्ती और सुलभ बुनियादी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में दुनिया की सबसे अधिक दबाव वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए पूंजी प्रदान करता है।

इम्पैक्ट इनवेस्टिंग के कुछ उदाहरण:

- **एजुकेट गर्ल्स डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड:** शिक्षा के लिए दुनिया का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड (डीआईबी), एजुकेट गर्ल्स डीआईबी, एक योजना के रूप में लॉन्च किया गया था।
- राजस्थान में रुफ-ऑफ-कन्सेप्ट परियोजना।
- **हेल्थकेयर में सीड फंडिंग: 2020** में टेलीमेडिसिन, क्लाउड-सक्षम डायग्नोस्टिक टेस्ट आदि जैसे हेल्थकेयर सेगमेंट में भारत में सीड-स्टेज सौदों की संख्या में लगभग **85** प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

निवेशक दीदी

समाचार: हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने 'निवेशक दीदी' पहल के तहत भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया।

निवेशक दीदी के बारे में

- लॉन्च किया गया: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के तहत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) के सहयोग से।
- **उद्देश्य:**'महिलाओं के लिये, महिलाओं के द्वारा' की अवधारणा के साथ वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिये ।
- यह महिलाओं के लिये महिलाओं की विचारधारा पर आधारित है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ अपने प्रश्नों को एक महिला के साथ साझा करने में अधिक सहज महसूस करती हैं।
- पहल के हिस्से के रूप में, आईपीपीबी ने श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध डल झील के आसपास के स्थानीय निवासियों के बीच भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया।

सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

समाचार: सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड या सीडीएसएल ने हाल ही में अपनी कुछ आंतरिक मशीनों पर साइबर हमले का पता लगाया है।

सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** सीडीएसएल या सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की स्थापना **1999** में हुई थी।
- यह अपने अन्य राज्य के स्वामित्व वाली समकक्ष नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ-साथ एक सरकार-पंजीकृत शेयर डिपॉजिटरी है।
- यह एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन या एमआईआई है जिसे पूंजी बाजार संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जो एक्सचेंजों, समाशोधन निगमों, डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, जारीकर्ताओं और निवेशकों सहित सभी बाजार सहभागियों को सेवाएं प्रदान करता है।

डिपॉजिटरी:

- डिपॉजिटरी एक ऐसा संगठन है जो एक पंजीकृत डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से निवेशकों के अनुरोध पर निवेशकों की प्रतिभूतियों (जैसे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां, म्यूचुअल फंड यूनिट आदि) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखता है। यह प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित सेवाएं भी प्रदान करता है।

खुदरा प्रत्यक्ष योजना

समाचार: आरबीआई द्वारा खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट (आरडीजी) खाताधारकों की कीमतों और उद्धरणों की पेशकश करके सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार बनाने वाली योजना की घोषणा की गई थी जो उन्हें खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की अनुमति देते हैं।

खुदरा प्रत्यक्ष योजना के बारे में

- प्राथमिक डीलर एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म (ऑड-लॉट और रिक्वेस्ट फॉर कोट्स सेगमेंट) पर बाजार समय के दौरान खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता धारकों (आरडीजीएच) के धारकों से खरीद/बिक्री अनुरोधों का जवाब देने के लिए जिम्मेदार हैं।
- प्राथमिक डीलर खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत आयोजित आरडीजी खाताधारकों के अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) सत्यापन पर भरोसा करेंगे।

जी-सेक में खुदरा भागीदारी:

- सरकार ने वित्त वर्ष **2021-22** के केंद्रीय बजट में, कई वैधानिक अधिनियमों, जैसे कि **2007** के सरकारी प्रतिभूति अधिनियम और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम, **1992** को एक एकल प्रतिभूति बाजार कोड में तर्कसंगत बनाने और संयोजित करने का प्रस्ताव दिया।
- परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म "रिटेल डायरेक्ट" के उपयोग के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) बाजार (प्राथमिक और द्वितीयक दोनों) में खुदरा निवेशकों की भागीदारी को मंजूरी दी।
    - भारत ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया, इस तरह के खंड को लागू करने में अमेरिका और ब्राजील में शामिल हो गया।
    - जी-सेक बाजार 2001 से छोटे निवेशकों के लिए खुला है, लेकिन इसकी उच्च मात्रा और विशिष्ट प्रकृति के कारण, यह वास्तव में बंद नहीं हुआ है और मुख्य रूप से संस्थागत निवेशकों तक ही सीमित है।
    - आरबीआई ने नवंबर 2021 में अपनी रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च की।

रिटेल डायरेक्ट योजना के बारे में:

- यह एकमात्र समाधान है जो व्यक्तिगत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने में सक्षम बनाता है।
- खुदरा निवेशक योजना के तहत सीधे और मुफ्त में जी-सेक खरीद सकते हैं। निवेशक पहले गिल्ट म्यूचुअल फंड के जरिए सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकते थे।
- योजना एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करती है:
  - 'खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता' (आरडीजी खाता) खोलना और उसका रखरखाव करना;
  - सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम तक पहुंच;
  - एनडीएस-ओएम तक पहुंच।
- कार्यक्रम 1999 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के योग्य अनिवासी खुदरा निवेशकों के लिए खुला है।
- **प्राथमिक बाजार में भागीदारी:** सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामी में भागीदारी के लिए गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार प्रतिभूतियों का आवंटन किया जाएगा।
- **द्वितीयक बाजार लेनदेन:** पंजीकृत निवेशक एनडीएस-ओएम (ऑड लॉट सेगमेंट/आरएफक्यू) के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर द्वितीयक बाजार लेनदेन लिंक का उपयोग कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा:

- **खुदरा निवेशक**: शब्द खुदरा निवेशक व्यक्तिगत निवेशकों या खुदरा व्यापारियों को संदर्भित करता है। ये गैर-पेशेवर निवेशक हैं जो स्टॉक, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) जैसी संपत्ति खरीदते हैं।
- **गिल्ट खाता:** एक "गिल्ट खाता" का अर्थ है एक इकाई या एक व्यक्ति द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को रखने के लिए खोला और रखा गया खाता।
- **प्राथमिक डीलर:** एक प्राथमिक डीलर एक बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान है जिसे राष्ट्रीय सरकार के साथ प्रतिभूतियों का व्यापार करने के लिए अनुमोदित किया गया है।
- **जी-सेक:** ये सरकार द्वारा पैसा उधार लेने के लिए जारी किए गए ऋण साधन हैं। दो प्रमुख श्रेणियां हैं:
  - **ट्रेजरी बिल:** अल्पकालिक लिखत जो **91** दिनों, **182** दिनों या **364** दिनों में परिपक्व होते हैं, और
  - **दिनांकित प्रतिभूतियां:** लंबी अवधि के साधन, जो **5** वर्ष से **40** वर्ष के बीच परिपक्व होते हैं।
  - खुदरा निवेशकों को प्राथमिक और द्वितीयक दोनों सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) बाजारों में निवेश करने के लिए ऑनलाइन पहुंच प्रदान करने से इस सेगमेंट में खुदरा निवेशकों की भागीदारी को और बढ़ावा मिलेगा और गहन होगा।
- "एनडीएस-ओएम" या नेगोशिएटेड डीलिंग सेगमेंट - ऑर्डर मैचिंग: इसका अर्थ है द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए आरबीआई की स्क्रीन आधारित, अनाम इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मिलान प्रणाली।

वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)

- पारंपरिक इक्विटी, बॉण्ड और नकदी के अलावा अन्य परिसंपत्तियों में निवेश करने हेतु एआईएफ कई अलग-अलग निवेशकों से धन इकट्ठा करता है। इन परिसंपत्तियों में निजी इक्विटी, हेज फंड, रियल एस्टेट, कमोडिटीज़ या अन्य गैर-पारंपरिक निवेश शामिल हो सकते हैं।एआईएफ को सामान्यतः उच्च-नेट-वर्थ व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों हेतु विपणन किया जाता है, जिनके पास अधिक जटिल एवं कम तरल परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिये जानकारी तथा संसाधन होते हैं।

पैसिव फंड्स

समाचार: सेबी ने एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) और इंडेक्स फंड्स के पारदर्शिता, तरलता और परिचालन पहलुओं से संबंधित मामलों को कवर करने वाले पैसिव फंड्स पर एक परिपत्र जारी किया है।

पैसिव फंड्स के बारे में

- पैसिव फंड ऐसे निवेश साधन हैं जो बाजार सूचकांक या विशिष्ट बाजार खंड को दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) और इंडेक्स फंड्स।
- एक सक्रिय फंड के विपरीत फंड मैनेजर फंड में रखी जाने वाली प्रतिभूतियों का चयन नहीं करता है।
- परिणामस्वरूप, निष्क्रिय निधियों में निवेश आम तौर पर सक्रिय निधियों की तुलना में अधिक किफायती होता है, जिसके प्रबंधन के लिए समय लगने वाले अनुसंधान और संभावित निवेश अवसरों के विश्लेषण की आवश्यकता होती है।

वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी)

समाचार: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) के स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) की स्थापना के लिए एक सरकारी प्रस्ताव पारित किया है।

वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) के बारे में:

- एफएसआईबी की स्थापना वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के तहत निम्न के लिए की गई है:
  - वित्तीय सेवा संस्थानों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs), सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं (PSIs) और वित्तीय संस्थानों (FIs) सहित) के बोर्डों पर पूर्णकालिक निदेशकों और गैर-कार्यकारी अध्यक्षों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना।
  - इन संस्थानों में कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कुछ अन्य मामलों पर सलाह देना।
  - सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों में कॉर्पोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।
- एफएसआईबी के गठन के बाद, बीबीबी की सभी संपत्तियां, हित और देनदारियां एफएसआईबी को स्थानांतरित कर दी जाती हैं।

एफएसआईबी के अन्य प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:

- उपरोक्त निदेशकों के लिए नियुक्तियों, स्थानांतरण, कार्यालय की शर्तों के विस्तार, और रोजगार की समाप्ति से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सलाह देना।
- बोर्ड स्तर पर पीएसबी, एफआई और पीएसआई के लिए आदर्श प्रबंधन संरचना के बारे में सरकार को सलाह देना।
- एफआई, पीएसआई और पीएसबी के प्रदर्शन के बारे में जानकारी रखने वाला एक डेटाबेस तैयार करना।
- पीएसबी, एफआई और पीएसआई में पूर्णकालिक निदेशकों के लिए आचार संहिता और आचार संहिता के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में सरकार को सलाह देना।
- पीएसबी, वित्तीय संस्थानों और पीएसआई को व्यावसायिक रणनीति विकसित करने और पूंजी जुटाने की योजना आदि के संदर्भ में मदद करना।

- **एफएसआईबी की संरचना:**
- एफएसआईबी के अध्यक्ष, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, जो होंगे::
  - बैंकिंग क्षेत्र या नियामक संस्थान से सेवानिवृत्त अधिकारी, या
  - वित्तीय क्षेत्र के पर्याप्त ज्ञान के साथ एक प्रतिष्ठित व्यवसायी व्यक्ति, या
  - बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुभव के साथ सार्वजनिक प्रशासन में कम से कम 25 वर्ष का अनुभव रखने वाला व्यक्ति।

- **पदेन सदस्य:** डीएफएस के प्रभारी सचिव, लोक उद्यम विभाग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के अध्यक्ष, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर।
- **3** व्यक्ति जिन्हें पीएसबी और एफआई से संबंधित विषय वस्तु का ज्ञान है और **3** व्यक्ति जिन्हें पीएसआई से संबंधित विषय वस्तु का ज्ञान है (केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा) अंशकालिक सदस्य के रूप में।

जल व्यापार

समाचार: नीति आयोग सोना, चांदी और कच्चे तेल जैसे कमोडिटी एक्सचेंजों पर पानी में ट्रेडिंग के संबंध में एक मसौदा नीति पर काम कर रहा है।

जल व्यापार के बारे में

- जल व्यापार का तात्पर्य जल पहुंच अधिकारों को खरीदने, बेचने या पट्टे पर देने से है, जिससे जल एक उपयोगकर्ता से दूसरे उपयोगकर्ता को हस्तांतरित किया जा सके।
- जल का बाजार मूल्य उसकी मांग और आपूर्ति को दर्शाता है।
- यह पहले से ही ऑस्ट्रेलिया, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है।
- 2020 में, शिकागो स्टॉक एक्सचेंज में पहला व्यापार योग्य जल मूल्य वायदा सूचकांक लॉन्च किया गया था।

सेबी ने कृषि उत्पादों में वायदा कारोबार पर रोक लगाई

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट के स्टॉक एक्सचेंजों को प्रमुख कृषि जिंसों में डेरिवेटिव अनुबंधों में व्यापार को तुरंत निलंबित करने के निर्देश जारी किए हैं।

वायदा कारोबार के बारे में:

- एक वर्ष के लिए धान (गैर-बासमती), गेहूं, चना, सरसों के बीज और इसके डेरिवेटिव, सोयाबीन और इसके डेरिवेटिव, कच्चा पाम तेल और मूंग कृषि जिंस हैं।
- **डेरिवेटिव अनुबंध:** ये दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच होते हैं जहां डेरिवेटिव मूल्य एक अंतर्निहित परिसंपत्ति पर आधारित होता है, इस मामले में कृषि वस्तुएं।
- **मूल्य में उतार-चढ़ाव:** डेरिवेटिव की कीमतें अंतर्निहित परिसंपत्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव से स्थापित होती हैं।
- **प्लेटफ़ॉर्म:** डेरिवेटिव का व्यापार किसी एक्सचेंज या काउंटर (ओटीसी) पर किया जा सकता है।

डेरिवेटिव ट्रेडिंग:

- **भविष्य की कीमत पर अटकलें :** डेरिवेटिव ट्रेडिंग तब होता है जब व्यापारी अंतर्निहित संपत्ति को एकमुश्त खरीदने की तुलना में लाभ को अधिकतम करने के लिए डेरिवेटिव अनुबंधों की खरीद या बिक्री के माध्यम से किसी संपत्ति की भविष्य की कीमत पर अटकलें लगाते हैं।
- **हेजिंग:** व्यापारी किसी मौजूदा स्थिति के विरुद्ध जोखिम को कम करने के लिए हेजिंग के लिए डेरिवेटिव का भी उपयोग करते हैं।
- **संपत्ति की गिरती कीमतों से लाभ कमाना**: डेरिवेटिव के साथ, व्यापारी कम हो सकते हैं और संपत्ति की कीमतों में गिरावट से लाभ कमा सकते हैं। वे किसी भी मौजूदा लंबी स्थिति के खिलाफ बचाव के लिए डेरिवेटिव का भी उपयोग करते हैं।
- **अंतिम उद्देश्य लाभ कमाना है:** इसे बाजार में मूल्य अनुशासन लाने के लिए एक निवारक के रूप में देखा जाता है।

सेबी के आदेश का क्या मतलब है?

- अगले आदेश तक कोई नया अनुबंध पेश नहीं किया जाएगा

- चल रहे अनुबंधों के संबंध में, कोई नई स्थिति लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- केवल स्थिति को बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

- यह देखते हुए कि व्यापारियों के पास हेजिंग के लिए एक मंच की कमी होगी, निकट भविष्य में इन वस्तुओं, विशेष रूप से खाद्य तेलों के आयात में गिरावट आएगी।
- इससे बाजार में अवरुद्ध स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति जारी होगी, जिससे कीमतों में कमी आनी चाहिए।
  - सट्टा लाभ के लिए वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित किया जाएगा।

इस कदम के उद्देश्य:

- यह आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए है, जो मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे रहे हैं।
  - भारत दुनिया में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा आयातक है। यह उपाय खाद्य तेल के व्यापारियों और आयातकों के लिए व्यवसाय करना अधिक चुनौतीपूर्ण बना देगा क्योंकि वे अपने जोखिम का प्रबंधन करने के लिए भारतीय एक्सचेंजों पर भरोसा करते हैं।
- जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था कोविड-19 के प्रभावों से उबर रही है, यह माना जा रहा है कि सट्टेबाज कीमतों को बढ़ाने में एक भूमिका निभाते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और विकास का समर्थन करने के लिए इस व्यवहार को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- इन वस्तुओं में व्यापार का निलंबन आर्थिक मामलों के विभाग से एक संचार के बाद होता है, जो मूल्य गतिविधियों की बारीकी से निगरानी कर रहा है।

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज

समाचार: हाल ही में, एफटीएक्स ने अमेरिकी अदालत प्रणाली में दिवालियापन की कार्यवाही के लिए याचिका दायर किया।

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के बारे में:

- एफटीएक्स बहामास आधारित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है।
- यह ग्राहकों को अन्य डिजिटल मुद्राओं या पारंपरिक धन के लिए और इसके विपरीत डिजिटल मुद्राओं का व्यापार करने में सक्षम बनाता है।
- एफटीएक्स के पास एफटीटी नामक एक देशी क्रिप्टोक्यूरेंसी टोकन है, जिसका उपयोग व्यापारी लेनदेन शुल्क का भुगतान करने जैसे कार्यों के लिए करते हैं।
- एफटीएक्स में गिरावट ने क्रिप्टोकरेंसी उद्योग में नियामकों और ग्राहकों के विश्वास को और भी कम कर दिया है।

बिनेंस:

- क्रिप्टोकरेंसी के दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम के संदर्भ में, बिनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है।
- बिनेंस ने शुरुआत में एफटीएक्स के गैर-अमेरिकी संचालन (**FTX.com**) को खरीदने की पेशकश की ताकि इसकी तरलता की समस्याओं से निपटने में मदद मिल सके, लेकिन बाद में प्रस्ताव वापस ले लिया।

फिनफ्लुएंसर

समाचार: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) वित्तीय रूप से प्रभावशाली लोगों के लिये दिशानिर्देशों पर काम कर रहा है, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर बाजार के निवेशकों को सलाह देते हैं।

फिनफ्लुएंसर के बारे में:

- फिनफ्लुएंसर सार्वजनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले लोग हैं जो स्टॉक में पैसे और निवेश के बारे में सलाह एवं व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं।
- उनके वीडियो में बजट बनाना, निवेश करना, संपत्ति खरीदना, क्रिप्टोकरेंसी सलाह और वित्तीय रुझान पर नजर रखना शामिल है।
- उनमें से कुछ के हजारों फॉलोअर्स हैं, और पूरे देश में लाखों लोग उनकी निवेश सलाह का बारीकी से पालन करते हैं।

7. बैंकिंग क्षेत्र

ऑफ़लाइन लघु-मूल्य ई-भुगतान

समाचार: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ऑफ़लाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए रूपरेखा तैयार की है।

ऑफ़लाइन लघु-मूल्य ई-भुगतान के बारे में

उद्देश्य: अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, यह ढांचा **2,000** रुपये की समग्र सीमा के अधीन प्रति लेनदेन **200** रुपये तक ऑफ़लाइन भुगतान की अनुमति देता है।

- ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान के लिए इंटरनेट या टेलीकॉम कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है।
- नए ढांचे के तहत, ऑफ़लाइन भुगतान कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों जैसे किसी भी चैनल/इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके आमने-सामने (निकटता मोड) किया जा सकता है।
- ऐसे लेन-देन के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की आवश्यकता नहीं होगी।
- चूंकि लेन-देन ऑफ़लाइन है, इसलिए ग्राहक को एक समय अंतराल के बाद अलर्ट (एसएमएस और/या ई-मेल के माध्यम से) प्राप्त होंगे।
- आरबीआई ने कहा कि ढांचा 'तत्काल' प्रभावी हो गया।
- यह भी कहा गया है कि अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (पीएसपी) को छोटे मूल्य के ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए नए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

महत्व: आज, डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं का सक्रिय आधार लगभग **120** से **150** मिलियन ग्राहक हैं, लेकिन हमें उन क्षेत्रों के लिए समाधान की आवश्यकता है जहां डेटा या इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, चाहे वह महानगरों में हो या ग्रामीण क्षेत्रों में।

अनुसूचित बैंक

समाचार: हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, **1934** की दूसरी अनुसूची में एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को शामिल करने की घोषणा की है।

अनुसूचित बैंक के बारे में

- अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
- अनुसूचित बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से कम ब्याज वाले ऋण और समाशोधन गृहों में सदस्यता के लिये उत्तरदायी हैं।

भुगतान बैंक:

- भुगतान बैंकों की स्थापना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रवासी श्रमिक कार्यबल, कम आय वाले परिवारों, छोटे उद्यमों, असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाओं और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए मामूली बचत खाते और भुगतान/प्रेषण सेवाओं के प्रस्ताव के तहत की गई थी।
- ये बैंक प्रतिबंधित जमा स्वीकार कर सकते हैं, जो अब प्रति व्यक्ति **200,000** रुपये पर सीमित है लेकिन भविष्य में इसे बढ़ाया जा सकता है।
- ये बैंक ऋण या क्रेडिट कार्ड प्रदान करने में असमर्थ हैं। इस प्रकार के बैंक चालू और बचत दोनों खातों को संभाल सकते हैं।
- भुगतान बैंक एटीएम और डेबिट कार्ड के साथ-साथ ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग भी प्रदान कर सकते हैं।

बैड बैंक

समाचार: घाटे में चल रही बैंकिंग प्रणाली में दबाव वाली परिसंपत्तियों से निपटने के लिए बैड बैंक बजट को **2021** में घोषित एक प्रमुख प्रस्ताव को सभी नियामकीय मंजूरियां मिल गई हैं।

बैड बैंक के बारे में

- **2021-22** के बजट में उधारदाताओं की तनावग्रस्त संपत्तियों को लेने के लिए प्रस्तावित बैड बैंक, एनएआरसीएल की स्थापना की घोषणा की गई थी।
- **₹500** करोड़ और उससे अधिक के खराब ऋणों को रखने के लिए एक बैड बैंक बनाने की योजना है, जिसमें एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) शामिल होगी जो व्यर्थ संपत्तियों का प्रबंधन और वसूली करेगी।
- नई संस्था को सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से बनाया जा रहा है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व वाली एनएआरसीएल को समाधान प्रक्रिया में इंडिया डेट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड (आईडीआरसीएल) की मदद से प्रधान एजेंट के रूप में मदद मिलेगी।
- हाल ही में, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमि और गैर-प्रमुख संपत्तियों के तेजी से मुद्रीकरण के लिए एक राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) की स्थापना की है।
- एनएलएमसी, जिसे भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया जाएगा, के पास शुरू में **5,000** करोड़ की अधिकृत शेयर पूंजी और **150** करोड़ की सदस्यता वाली पूंजी होगी।

एनएआरसीएल मौजूदा एआरसी से कैसे अलग है?

- प्रस्तावित बैड बैंक का चरित्र सार्वजनिक क्षेत्र का होगा क्योंकि यह विचार सरकार द्वारा दिया गया है और बहुसंख्यक स्वामित्व राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के पास रहने की संभावना है।
- वर्तमान में, एआरसी आमतौर पर ऋणों पर भारी छूट चाहते हैं। प्रस्तावित बैड बैंक की स्थापना के साथ, मूल्यांकन का मुद्दा आने की संभावना नहीं है क्योंकि यह एक सरकारी पहल है।
- सरकार समर्थित एआरसी के पास बड़े खाते खरीदने के लिए अधिक धन होगा और इस प्रकार बैंकों को इन खातों को अपने खाते में रखने से मुक्त कर देगी।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां

समाचार: आरबीआई ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए नियामक ढांचे में संशोधन किया है।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के बारे में

- यह एआरसी के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने के लिए सुदर्शन सेन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित था।

मुख्य दिशानिर्देश हैं:

- एआरसीएस को **2016** की दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत **1000** करोड़ रुपये के न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाले फंड के साथ समाधान आवेदकों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी।
- इससे पहले, एआरसी को वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) के तहत आरबीआई की मंजूरी के बिना प्रतिभूतिकरण या संपत्ति पुनर्निर्माण से संबंधित गतिविधियों के अलावा किसी भी अन्य गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं थी।
- आईबीसी कंपनियों और व्यक्तियों के बीच दिवालियापन को हल करने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करता है।
- एआरसी की स्थापना के लिए चरणबद्ध तरीके से न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को मौजूदा **100** करोड़ रुपये से बढ़ाकर **300** करोड़ रुपये कर दिया गया।
- कॉर्पोरेट प्रशासन को नियंत्रित करने वाले नियमों में परिवर्तन, जैसे कि एक लेखा परीक्षा समिति का निर्माण जो केवल गैर-कार्यकारी निदेशकों से बना होगा।

संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)

- यह एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर-निष्पादित संपत्ति खरीदता है ताकि वे अपनी बैलेंसशीट को सुस्पष्ट रख सकें। । इससे बैंकों को सामान्य बैंकिंग गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है।
- संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां या एआरसी आरबीआई के तहत पंजीकृत हैं।
- **कानूनी आधार:** वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 भारत में एआरसी की स्थापना के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।

गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियां

समाचार: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले **5** वर्षों में, **10** लाख करोड़ रुपये के बट्टे खाते में डालने से बैंकों को अपनी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) को कम करने में मदद मिली है।

गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के बारे में

- गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) एक ऋण या अग्रिम है जिसके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए अतिदेय रहा।
- बैंकों को एनपीए को घटिया, संदिग्ध और हानि वाली परिसंपत्तियों में वर्गीकृत करना आवश्यक है।

घटिया संपत्ति	• ऐसी परिसंपत्तियां जो 12 महीने से कम या उसके बराबर की अवधि के लिए एनपीए बनी हुई हैं।
संदिग्ध संपत्ति	• किसी संपत्ति को संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि वह 12 महीने की अवधि के लिए घटिया श्रेणी में बनी हुई है।
हानि संपत्ति	• आरबीआई के अनुसार, हानि परिसंपत्ति को संग्रह योग्य नहीं माना जाता है और इतना कम मूल्य का माना जाता है कि इसे बैंक योग्य संपत्ति के रूप में जारी रखने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि कुछ बचाव या वसूली मूल्य हो सकता है।

डिजिटल रुपया - केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)

समाचार: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल रुपया - एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) - **2022-23** के बाद लॉन्च करने की घोषणा की है।

डिजिटल रुपया के बारे में

- केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) या राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा, बस एक देश की फिएट करेंसी का डिजिटल रूप है।
- कागज की मुद्रा छापने या सिक्कों को ढालने के बजाय, केंद्रीय बैंक इलेक्ट्रॉनिक टोकन जारी करता है। यह टोकन मूल्य सरकार के पूर्ण विश्वास और क्रेडिट द्वारा समर्थित है।
- सीबीडीसी ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा समर्थित किया जाएगा।

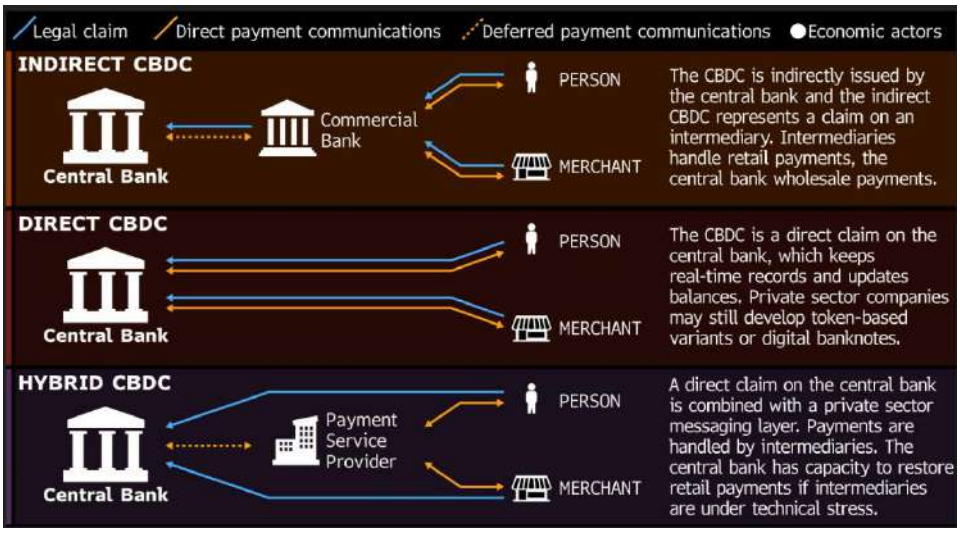

अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान:

क्रिप्टो संपत्ति की परिभाषा: वित्त विधेयक, **2022** ने पहली बार क्रिप्टो संपत्ति की परिभाषा प्रदान की है।

- "वर्चुअल डिजिटल एसेट्स" शब्द का उपयोग क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों का उपयोग करके बनाए गए किसी भी डेटा, कोड, संख्या या टोकन का वर्णन करने के लिए किया जाता है या किसी अन्य तरीके से विचार के साथ या बिना आदान-प्रदान किए गए मूल्य का डिजिटल प्रतिनिधित्व प्रदान करता है और जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित, संग्रहीत या कारोबार किया जा सकता है।
- संक्षेप में, आभासी डिजिटल संपत्ति की एक परिभाषा जो कि अपूरणीय टोकन (एनएफटी), मेटावर्स में आइटम, डिजिटल मुद्राओं और टोकन जैसी उभरती डिजिटल संपत्तियों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है, को वित्त विधेयक में शामिल किया गया है।

क्रिप्टो एसेट्स पर टैक्स: वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया है कि किसी भी वर्चुअल/क्रिप्टोकरेंसी एसेट के ट्रांसफर पर **30%** टैक्स लगेगा। अधिग्रहण की लागत को छोड़कर कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी, और लेन-देन में कोई नुकसान आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- क्रिप्टो सौदों में मनी ट्रेल की निगरानी के लिए, क्रिप्टोकरंसीज का उपयोग करके प्रत्येक लेनदेन पर स्रोत पर 1% कर कटौती (टीडीएस) लगाया जाएगा।
- इसके अलावा, आभासी डिजिटल संपत्ति में उपहारों पर प्राप्तकर्ता के हाथों कर लगाया जाएगा

स्विफ्ट

समाचार: यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ने के बीच विशेषज्ञों ने कहा है कि अमेरिका अंतिम उपाय के रूप में रूस को सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (स्विफ्ट) से बाहर कर सकता है।

स्विफ्ट के बारे में:

- इसकी स्थापना वर्ष **1973** में हुई थी।
- स्विफ्ट एक मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका उपयोग बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा वैश्विक स्तर पर वित्तीय लेनदेन से संबंधित सूचनाओं के त्वरित और दोषरहित आदान-प्रदान के लिए किया जाता है।
- **200** देशों और क्षेत्रों में लगभग **11,000** सदस्य बैंक हैं जो स्विफ्ट का उपयोग करते हैं।
- इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है।

स्विफ्ट कैसे काम करता है?

- प्लेटफ़ॉर्म पर प्रत्येक प्रतिभागी को एक अद्वितीय आठ अंकों वाला स्विफ्ट कोड या एक बैंक पहचान कोड (बीआईसी) दिया जाता है।
- **नोट:** स्विफ्ट एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो संदेश भेजता है और कोई प्रतिभूति या पैसा नहीं रखता है। यह लेन-देन की सुविधा के लिए मानकीकृत और विश्वसनीय संचार की सुविधा प्रदान करता है।

स्विफ्ट कैसे संचालित होता है?

- स्विफ्ट का स्वामित्व और संचालन इसके शेयरधारकों, वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जाता है जो वैश्विक स्तर पर लगभग **3,500** व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
    - दुनिया भर के बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए शेयरधारकों द्वारा चुने गए **25** स्वतंत्र निदेशकों का एक बोर्ड कंपनी को नियंत्रित करता है और इसके प्रबंधन की जांच करता है।
- यह **G10** देशों के केंद्रीय बैंकों, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम द्वारा नियंत्रित है। इन दस देशों का समूह **11** औद्योगिक देशों (बेल्जियम, कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) से बना है जो आर्थिक एवं मौद्रिक मामलों पर परामर्श और सहयोग करते हैं।
- **2012** में, इस ढांचे की समीक्षा की गई और स्विफ्ट ओवरसाइट फोरम की स्थापना की गई थी जिसमें जी -**10** केंद्रीय बैंक भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की गणराज्य और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के केंद्रीय बैंकों से जुड़े हुए हैं।
- स्विफ्ट बैंकों, डिपॉजिटरीज, ब्रोकरेज संस्थानों और व्यापारिक घरानों, ट्रेजरी बाजार प्रतिभागियों और सेवा प्रदाताओं, प्रतिभूति डीलरों, एक्सचेंजों, कॉर्पोरेट व्यापार घरानों, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों, क्लियरिंग हाउस, विदेशी मुद्रा और मनी ब्रोकरों को सेवाएं प्रदान करता है।

- किसी देश को स्विफ्ट से बाहर रखने पर क्या होता है**?**
- यदि किसी देश को स्विफ्ट से बाहर रखा जाता है, तो उसकी विदेशी फंडिंग प्रभावित होगी, जिससे यह पूरी तरह से घरेलू निवेशकों पर निर्भर हो जाएगा।
- यह विशेष रूप से परेशानी भरा है जब संस्थागत निवेशक लगातार नए क्षेत्रों में नए बाजारों की तलाश कर रहे होते हैं।

घरेलू प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक (डी-एसआईबीएस)

समाचार: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसीबैंक को 'घरेलू प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंकों' (डी-एसआईबी) के रूप में बनाए रखा है।

घरेलू प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक (डी-एसआईबीएस) के बारे में

- कुछ बैंक अपने आकार, क्रॉस-ज्यूरिडिक्शनल गतिविधियों, कार्यान्वयन संबंधी जटिलता की कमी, प्रतिस्थापन और परस्पर जुड़ाव के कारण प्रणालीगत रूप से काफी महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं।
- ऐसे बैंक जिनकी संपत्ति जीडीपी के **2%** से अधिक है, उन्हें इस समूह का हिस्सा माना जाता है।

- ढांचे के अनुसार, **2015** से, केंद्रीय बैंक को डी-एसआईबी के रूप में नामित बैंकों के नामों का खुलासा करना होगा।

मौद्रिक नीति समिति

समाचार: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सदस्य जयंत वर्मा ने आरबीआई के उदार नीतिगत रुख का विरोध किया है।

मौद्रिक नीति समिति के बारे में

- **गठन:** संशोधित (**2016** में) आरबीआई अधिनियम, **1934** की धारा **45ZB** के तहत केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का गठन करने का अधिकार है।
- **कार्य:** एमपीसी को एमएसएफ, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और चलनिधि समायोजन सुविधा सहित विभिन्न नीतिगत दरों को तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

एमपीसी की संरचना:

- समिति में छह सदस्य होंगे।
- छह में से तीन सदस्यों को सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। एमपीसी में सरकार के किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाएगी।
- अन्य तीन सदस्य आरबीआई से होंगे, जिसमें गवर्नर पदेन अध्यक्ष होंगे। मौद्रिक नीति के प्रभारी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एक सदस्य होंगे, साथ ही केंद्रीय बैंक के एक कार्यकारी निदेशक भी होंगे।

सदस्यों का चयन और कार्यकाल:

- **चयन:** एमपीसी के लिए सरकार के नामितों का चयन कैबिनेट सचिव के अधीन एक खोज-सह-चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें आरबीआई के गवर्नर और आर्थिक मामलों के सचिव और अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे।
- **कार्यकाल:** एमपीसी के सदस्य चार साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं, और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं।

एमपीसी का निर्णय अधिकार:

- निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे और प्रत्येक सदस्य का मत होगा।
- आरबीआई गवर्नर की भूमिका: आरबीआई गवर्नर समिति की अध्यक्षता करेंगे। हालांकि, राज्यपाल के पास पैनल के अन्य सदस्यों को खारिज करने के लिए वीटो शक्ति नहीं होगी, लेकिन टाई होने की स्थिति में उनके पास निर्णायक मतदान होगा।

सूक्ष्म वित्तीय ऋणों के लिये आरबीआई का नियामक ढाँचा

समाचार: आरबीआई ने नए सूक्ष्म वित्तीय ऋण मानदंड जारी किए हैं।

इन मानदंडों के अनुसार:

- सभी संस्थाएं, बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), और सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) समान विनियमों के अधीन हैं।
- **3** लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिये गए संपार्श्विक-मुक्त ऋण को इंगित करने हेतु आरबीआई ने माइक्रोफाइनेंस ऋण की परिभाषा को संशोधित किया।
- अंतिम उपयोग और आवेदन/प्रसंस्करण/संवितरण के तरीके पर ध्यान दिए बिना कम आय वाले परिवारों को दिए जाने वाले सभी संपार्श्विक-मुक्त ऋणों को माइक्रोफाइनेंस ऋण माना जाता है।
- संशोधित मानदंडों के अनुसार, विनियमित संस्थाओं (आरई) को माइक्रोफाइनेंस ऋणों के मूल्य निर्धारण, ब्याज दर की उच्चतम सीमा और माइक्रोफाइनेंस ऋणों पर लागू होने वाले अन्य सभी शुल्कों के संबंध में एक बोर्ड-अनुमोदित नीति बनानी चाहिये।

सूक्ष्म वित्त:

- माइक्रोफाइनेंस नामक वित्तीय सेवा के माध्यम से कम आय वाले और वंचित परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- एमएफआई वित्तीय संस्थान हैं जो उधारकर्ताओं को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के बिना मामूली ऋण प्रदान करते हैं।
- "छोटे ऋण" की परिभाषा देशों के बीच भिन्न होती है। भारत में, **1** लाख रुपये से कम के सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माना जा सकता है।
- माइक्रोक्रेडिट विभिन्न संस्थागत चैनलों के माध्यम से प्रदान किया जाता है जैसे:
    - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) (लघु वित्त बैंक (एसएफबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) सहित)।
    - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)।
    - सहकारी बैंक।
    - माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई) एनबीएफसी के साथ-साथ अन्य रूपों में पंजीकृत हैं।

स्थायी जमा सुविधा

समाचार: भारतीय रिज़र्व बैंक (**RBI**) ने **3.75** प्रतिशत की ब्याज दर पर, तरलता को अवशोषित करने के लिए एक अतिरिक्त उपकरण, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) की शुरुआत की है।

स्थायी जमा सुविधा के बारे में

पृष्ठभूमि: 2018 में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की संशोधित धारा **17** ने रिजर्व बैंक को एसडीएफ पेश करने का अधिकार दिया।

उद्देश्य: यह बिना किसी संपार्श्विक के तरलता को अवशोषित करने के लिए एक अतिरिक्त उपकरण है। आरबीआई पर बाध्यकारी संपार्श्विक बाधा को दूर करके, एसडीएफ मौद्रिक नीति के परिचालन ढांचे को मजबूत करता है।

- उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली एक समिति ने **2014** में एसडीएफ का सुझाव दिया था।

एसडीएफ सुविधा कैसे संचालित होगी?

- एसडीएफ निश्चित दर रिवर्स रेपो (एफआरआरआर) को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) कॉरिडोर के तल के रूप में प्रतिस्थापित करेगा।
- वर्तमान में, एसडीएफ दर पॉलिसी रेपो दर से **25** आधार अंक (बीपीएस) कम होगी।
- पात्र प्रतिभागी निश्चित दर पर आरबीआई के पास रात भर के लिए जमा कर सकते हैं। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक उचित मूल्य निर्धारण के साथ एसडीएफ के तहत लंबी अवधि के लिए तरलता को अवशोषित करने के लिए लचीलेपन को बरकरार रखता है, जब भी आवश्यकता होती है।
- दोनों स्थायी सुविधाएं - एमएसएफ (मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी) और एसडीएफ साल भर, सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध रहेंगी।

रिजर्व रेपो रेट का क्या होगा?

- रेपो दर (पुनर्खरीद दर) निश्चित ब्याज दर है जिस पर यह बैंकों को सरकार के संपार्श्विक और तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध रातोंरात तरलता प्रदान करती है।
- दूसरे शब्दों में, जब बैंकों को धन की अल्पकालिक आवश्यकता होती है, तो वे उन सरकारी प्रतिभूतियों को रख सकते हैं जिन्हें वे केंद्रीय बैंक के पास रखते हैं और रेपो दर पर इन प्रतिभूतियों के विरुद्ध पैसा उधार लेते हैं।
- रेपो दर कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साधनों में से एक है जिसका उपयोग आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए किया जाता है।
- फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो (एफआरआरआर) दर आरबीआई के टूलकिट में एक उपकरण के रूप में बनी रहेगी, और समय-समय पर घोषित उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग उसके विवेक पर होगा।
- यह इंगित करता है कि एफआरआरआर और एसडीएफ आरबीआई के तरलता प्रबंधन ढांचे को लचीलापन देंगे।

रेपो रेट का महंगाई पर क्या असर पड़ता है?

- मुद्रास्फीति को आम तौर पर मांग-संचालित कीमतों में वृद्धि या आपूर्ति-पक्ष के कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले इनपुट की कीमत बढ़ाते हैं जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति होती है।
- रेपो दर में परिवर्तन जो ब्याज दरों और उपलब्ध धन की राशि को प्रभावित करते हैं।
- यह मुख्य रूप से मांग पक्ष को प्रभावित करता है, ऋण की लागत और बचत के आकर्षण को बढ़ाकर खपत को कम करता है।

डिजिटल बैंकिंग इकाइयां

समाचार: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल देश के **75** जिलों में **75** डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने की अपनी बजट घोषणा को दोहराया है।

डिजिटल बैंकिंग इकाइयां के बारे में

- डीयूबी एक बैंक की एक विशेष व्यावसायिक इकाई है जिसमें कुछ न्यूनतम डिजिटल बैंकिंग उत्पाद और सेवाएँ होती हैं।
- एक बैंक इन इकाइयों से पूरे वर्ष किसी भी समय विशिष्ट डिजिटल उत्पादों की पेशकश कर सकता है और मौजूदा वित्तीय सेवा उत्पाद भी प्रदान कर सकता है।
- पिछले डिजिटल बैंकिंग अनुभव वाले वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के अलावा) को टियर **1** से टियर **6** केंद्रों में डीबीयू खोलने की अनुमति है, जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से प्रतिबंधित न हो, प्रत्येक मामले में आरबीआई से अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना।

इन इकाइयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं:

- आरबीआई के अनुसार, प्रत्येक डीबीयू को डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का एक न्यूनतम सेट प्रदान करना आवश्यक है। ऐसे उत्पादों को डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट की बैलेंस शीट की देनदारियों और संपत्ति दोनों पक्षों पर प्रदर्शित होना चाहिए।
- सेवाओं में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास ट्रांज़िट सिस्टम कार्ड, चालू खाते, सावधि जमा और आवर्ती जमा खाते शामिल हैं। ग्राहकों, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के लिए डिजिटल किट भी हैं।

डीबीयू नियो बैंकों से कैसे भिन्न हैं?

- वर्तमान में, नियो बैंक के रूप में काम कर रहे फिनटेक डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन वे ऐसा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ साझेदारी में करते हैं। भारत में सेवाएं प्रदान करने वाले गैर-बैंकों में से कुछ हैं ज्यूपिटर, फाई मनी, नियो, राजोरपे एक्सआई।
- **महत्व:** डीबीयू अंतिम-व्यक्ति तक वित्तीय समावेशन को सक्षम कर सकते हैं क्योंकि एक ऋणदाता अधिक लागत प्रभावी तरीके से व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंच सकता है।

तरीके और साधन अग्रिम

समाचार: हाल ही में, आरबीआई ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तरीके और साधन अग्रिम अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा कम कर दी है।

तरीके और साधन अग्रिम के बारे में

- डब्ल्यूएमए को **1997** में पेश किया गया था। केंद्र सरकार के नकद शेष की भरपाई के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिल जारी करने की प्रथा को बंद कर दिया गया था।
- आरबीआई अधिनियम **1934** के तहत, डब्ल्यूएमए केंद्र और राज्यों को आरबीआई द्वारा प्राप्तियों और भुगतानों में किसी भी बेमेल से निपटने के लिए दिए गए अस्थायी अग्रिम हैं।
- इस तरह के अग्रिम उस अग्रिम को देने की तारीख से तीन महीने के भीतर चुकाने योग्य होते हैं।
- ब्याज मौजूदा रेपो दर (जिस दर पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है) पर लगाया जाता है।

- डब्ल्यूएमए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) का हिस्सा नहीं है क्योंकि उन्हें वर्ष के भीतर ही भुगतान किया जाता है।

डब्ल्यूएमए के प्रकार:

- डब्ल्यूएमए दो प्रकार के होते हैं- विशेष और सामान्य विशेष डब्ल्यूएमए या विशेष आहरण सुविधा राज्य द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध प्रदान की जाती है। एसडीएफ की सीमा समाप्त होने के बाद राज्य को सामान्य डब्ल्यूएमए मिल जाता है।
- एसडीएफ ब्याज दरें रेपो ब्याज दरों से एक प्रतिशत अंक कम हैं।
- जब कोई राज्य अपनी एसडीएफ और डब्ल्यूएमए सीमा से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करता है, तो ओवरड्राफ्ट सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

डब्ल्यूएमए की सीमाएं:

- डब्ल्यूएमए के माध्यम से उपलब्ध धनराशि राज्य-दर-राज्य कैप के अधीन है। ये प्रतिबंध कुल व्यय, राजस्व घाटा और राज्य की राजकोषीय स्थिति जैसे कारकों पर आधारित हैं।
- डब्ल्यूएमए की सीमाएं सरकार और आरबीआई द्वारा पारस्परिक रूप से तय की जाती हैं और समय-समय पर संशोधित की जाती हैं।
- तनावग्रस्त आर्थिक स्थितियों के कारण राजस्व संग्रह में अनिश्चितता होने पर राज्यों के लिए आरबीआई से अल्पकालिक धन उधार लेने के लिए डब्ल्यूएमए की सीमा में वृद्धि वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- डब्ल्यूएमए फंडिंग बाजार उधारी की तुलना में काफी कम खर्चीला है और बाजार से लंबी अवधि के फंड जुटाने का एक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है।

काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर (सीसीसीबी)

समाचार: आरबीआई ने सीसीसीबी को सक्रिय नहीं करने का फैसला किया है। **2015** में आरबीआई द्वारा सीसीसीबी पर रूपरेखा तैयार की गई थी।

काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर (सीसीसीबी) के बारे में

- बेसल-III मानदंडों का पालन करते हुए, केंद्रीय बैंक किसी देश में बैंकों के लिए कुछ पूंजी पर्याप्तता मानदंड निर्दिष्ट करते हैं।
- • सीसीसीबी ऐसे मानदंडों का एक हिस्सा है और इसकी गणना बैंक की जोखिम-भारित ऋण पुस्तिका के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में की जाती है।
- • सीसीसीबी व्यवस्था के दो उद्देश्य हैं:
  1. समृद्ध समय में, बैंकों को पूंजी का एक भंडार जमा करना चाहिए जिसका उपयोग कठिन क्षेत्र में वास्तविक क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है।
  2. अत्यधिक ऋण वृद्धि के समय बैंकिंग उद्योग को अंधाधुंध उधार देने से रोकना, जो अक्सर प्रणालीगत जोखिम के बढ़ने से जुड़ा हुआ है।

भुगतान विजन 2025

समाचार: हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने ई-भुगतान बढ़ाने के उद्देश्य से भुगतान विजन **2025** का अनावरण किया।

भुगतान विजन 2025 **के बारे में**

- भुगतान विजन 2025, भुगतान विजन 2019-21 की पहल पर आधारित है।
- **थीम**: ई-पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीव्हेयर, एवरीटाइम (4Es)।
- **उद्देश्य:** किसी भी समय और कहीं भी सुविधा के साथ सुलभ भुगतान विकल्पों के साथ उपयोगकर्त्ताओं को सशक्त बनाने के क्षेत्र में भुगतान प्रणाली को उन्नत करने में सहायक।
- भुगतान विज़न 2025 दस्तावेज़ को समग्रता, समावेश, नवाचार, संस्थागतकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण के पांँच प्रमुख लक्ष्य पदों पर प्रस्तुत किया गया है।

- पेमेंट स्पेस में बड़ी तकनीक और फिनटेक का नियमन
- सतत लिंक्ड सेटलमेंट (सीएलएस) में रुपये को शामिल करने की मांग करना (सीएलएस 18 मुद्राओं में क्रॉस-करेंसी सेटलमेंट के लिए सुरक्षा प्रदान करता है)
- बीएनपीएल (अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें) सेवाओं से संबंधित भुगतान संबंधी दिशानिर्देशों का अन्वेषण करना
- सीबीडीसी (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) की शुरुआत की दिशा में काम करना।

सहकारी बैंक

समाचार: सहकारिता मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि सहकारी बैंकों को "द्वितीय श्रेणी" का उपचार नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन्हें प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए आधुनिक और पारदर्शी बैंकिंग तरीके अपनाने चाहिए।

सहकारी बैंक के बारे में

- एक सहकारी बैंक एक वित्तीय इकाई है जो इसके सदस्यों से संबंधित है। सहकारी बैंक के सदस्य बैंक के ग्राहक और मालिक दोनों होते हैं।
- **शासन:** वे संबंधित राज्य के सहकारी सोसायटी अधिनियम या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, **2002** के तहत पंजीकृत हैं और बैंकिंग विनियम अधिनियम, **1949** और बैंकिंग कानून (सहकारी समितियां) अधिनियम, **1955** के तहत शासित हैं।

सहकारी बैंकों की विशेषताएं:

- **ग्राहक के स्वामित्व वाली संस्थाएं:** सहकारी बैंक के सदस्य बैंक के ग्राहक और मालिक दोनों होते हैं।
- **लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण:** इन बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों के पास होता है, जो लोकतांत्रिक तरीके से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। सदस्यों के पास आमतौर पर "एक व्यक्ति, एक वोट" के सहकारी सिद्धांत के अनुसार समान मतदान अधिकार होते हैं।
- **लाभ आवंटन:** वार्षिक लाभ, लाभ या अधिशेष का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा आमतौर पर आरक्षित करने के लिये आवंटित किया जाता है और इस लाभ का एक हिस्सा सहकारी सदस्यों को भी कानूनी और वैधानिक सीमाओं के साथ वितरित किया जा सकता है।
- **वित्तीय समावेशन:** उन्होंने बैंक रहित ग्रामीण लोगों के वित्तीय समावेशन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ता ऋण प्रदान करते हैं।
- यूसीबी के लिए जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के लिए न्यूनतम पूंजी **9%** से **15%** तक भिन्न हो सकती है और टीयर -**4** यूसीबी को बेसल **III** निर्धारित मानदंडों का पालन करना होगा।

आरबीआई द्वारा नियुक्त एक समिति ने यूसीबी के लिये **4** स्तरीय संरचना का सुझाव दिया।

- टियर **1:** सभी यूसीबी जिनके पास **100** करोड़ रुपए तक जमा हैं।
- टियर **2: 100** करोड़ रुपए से **1,000** करोड़ रुपए के बीच जमा राशि वाले यूसीबी।
- टियर **3: 1,000** करोड़ रुपए से **10,000** करोड़ रुपए के बीच जमा राशि वाले यूसीबी।
- टियर **4: 10,000** करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि वाले यूसीबी।

आरबीआई ने रुपए में व्यापार निपटान की अनुमति दी

समाचार: हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने तत्काल प्रभाव से रुपए (आईएनआर) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिये एक तंत्र स्थापित किया है।

रुपया भुगतान तंत्र के बारे में

- केंद्रीय बैंक ने रुपये में निर्यात और आयात के चालान, भुगतान और निपटान के लिए यह अतिरिक्त व्यवस्था की है।
- इस कदम का उद्देश्य भारत से निर्यात पर जोर देने के साथ वैश्विक व्यापार के विकास को बढ़ावा देना और भारतीय रुपये में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन करना है।
- प्राधिकृत डीलर बैंकों को इस तंत्र को लागू करने से पहले आरबीआई के विदेशी मुद्रा विभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना था।
- ढांचे के तहत सभी निर्यात और आयात को रुपये में मूल्य और चालान करने की अनुमति है।

- भारतीय अधिकृत डीलर (एडी) बैंक अब रुपये वोस्ट्रो खाते खोलने में सक्षम हैं। परिणामस्वरूप, भारत में एडी बैंक किसी भी देश के साथ व्यापार लेनदेन को व्यवस्थित करने के लिए व्यापार भागीदार देश के प्रतिनिधि बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते खोल सकते हैं।

बैंक धोखाधड़ी की जाँच हेतु रजिस्ट्री

समाचार: हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों, फोन और धोखाधड़ी करने वाले द्वारा उपयोग किये जाने वाले विभिन्न तरीकों का डेटाबेस बनाने के लिये फ्रॉड रजिस्ट्री स्थापित करने पर विचार किया है।

बैंक धोखाधड़ी की जाँच हेतु रजिस्ट्री के बारे में

- रजिस्ट्री संदिग्ध वेबसाइटों, फोन और स्कैमर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली अन्य तकनीकों की एक सूची संकलित करेगी।
- भुगतान प्रणाली के प्रतिभागियों के पास इस रजिस्ट्री तक पहुंच होगी ताकि वे लगभग रीयल-टाइम में धोखाधड़ी को ट्रैक कर सकें।
- ग्राहकों को नए जोखिमों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से, एकत्रित धोखाधड़ी डेटा को सार्वजनिक किया जाएगा।
- **लाभ:** डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों के बीच उपभोक्ता संरक्षण में सुधार करना।

आई-बैंक

समाचार: बड़े आई-बैंकों को इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) को लेकर दिलचस्पी मिल रही है। इसलिए, छोटे आई-बैंक बड़े आईपीओ पार्टी में शामिल हो गए।

आई-बैंक के बारे में

- निवेश बैंक (आई-बैंक) एक वित्तीय सेवा कंपनी है जो बड़े और जटिल वित्तीय लेनदेन में मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है।
- यह बैंक आमतौर पर शामिल होता है
  - जब कोई स्टार्टअप कंपनी आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी करती है और
  - जब एक निगम का एक प्रतियोगी के साथ विलय हो जाता है।
- यह स्टोरफ्रंट सामुदायिक बैंकिंग प्रदान करता है और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों की निवेश आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।
- वैश्विक निवेश बैंकों में जेपी मॉर्गन चेस, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टेनली, सिटीग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, क्रेडिट सुइस और ड्यूश बैंक शामिल हैं।

कार्य:

- आई-बैंक के सलाहकार प्रभाग को इसकी सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान किया जाता है।
- यह बाजार में कितना अच्छा प्रदर्शन करता है, इसके आधार पर ट्रेडिंग डिवीजन कमीशन प्राप्त करता है।
- खुदरा बैंकिंग विभाग उपभोक्ताओं और व्यवसायों को पैसे उधार देकर पैसे कमाते हैं।
- वित्तीय सलाहकार, ट्रेडर और सेल्सपर्सन ऐसे करियर में शामिल हैं जिन्हें निवेश बैंकों में अनुभव रखने वाले पेशेवर आगे बढ़ा सकते हैं।
- निवेश बैंक एक निगम और वित्तीय बाजारों के बीच मध्यस्थ के रूप में अपने काम के लिए जाने जाते हैं।
- कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए बड़े निवेशकों की पहचान करके, वे व्यवसायों के लिए ऋण वित्तपोषण भी स्थापित करते हैं।
- हितों के टकराव को रोकने के लिए एक 'चाइनीज वॉल' कंपनी के व्यापारिक प्रभाग से निवेश बैंकिंग गतिविधियों को अलग करती है।

कार्ड टोकनाइजेशन

समाचार: भारतीय रिजर्व बैंक (**RBI**) ने संकेत दिया कि वह कार्ड-आधारित भुगतानों के टोकनाइजेशन के कार्यान्वयन के लिए **1** अक्टूबर की समय सीमा का विस्तार नहीं करेगा।

कार्ड टोकनाइजेशन के बारे में

- टोकनाइज़ेशन वास्तविक क्रेडिट और डेबिट कार्ड के विवरण को "टोकन" नामक एक वैकल्पिक कोड के साथ बदलने को संदर्भित करता है, जो कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस के संयोजन के लिये अद्वितीय होगा।
- कार्डधारक टोकन अनुरोधकर्ता या संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफॉर्म पर अनुरोध करके अपने कार्ड को टोकनयुक्त करवा सकता है।
- कार्ड नेटवर्क, जैसे मास्टरकार्ड, वीजा, रुपे, या अमेरिकन एक्सप्रेस, कार्ड जारीकर्ता की स्वीकृति के साथ एक टोकन जारी करेगा जो कार्ड विवरण, टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस से मेल खाता है।

लाभ:

- टोकनाइजेशन न केवल भुगतान लेनदेन के अनुभव को अंतिम उपयोगकर्ता के लिए अधिक सुरक्षित बनाने में सहायता करता है बल्कि व्यापारियों को एक सुसंगत उपयोगकर्ता अनुभव और गति और सुरक्षा के साथ उच्च लेनदेन अनुमोदन दर प्रदान करने में भी सहायता करता है।.
    - चूंकि लेन-देन की प्रक्रिया के दौरान वास्तविक कार्ड डेटा व्यापारी को नहीं दिया जाता है, इसलिए टोकनयुक्त कार्ड लेनदेन को सुरक्षित माना जाता है।

लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) खाते के माध्यम से उचित मूल्य

समाचार: भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए एक नई निवेश श्रेणी प्रस्तावित की है- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) खाता। यह वैश्विक लेखा मानकों के साथ उधारदाताओं के निवेश पोर्टफोलियो नियमों को संरेखित करने की पहल का एक हिस्सा है।

लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के बारे में

पृष्ठभूमि: वर्तमान में, वर्तमान में बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

1. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),
2. ट्रेडिंग के लिए धारित (एचटीएम) और
3. बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)।

एफवीटीपीएल खाता: एक नई निवेश श्रेणी जिसे लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) कहा जाता है, को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए प्रस्तावित किया गया है। हेल्ड-फॉर-ट्रेडिंग (एचएफटी) वर्गीकरण अब एफवीटीपीएल वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा।

- एचएफटी श्रेणी बैंकों द्वारा कम समय में उन्हें बेचने के इरादे से खरीदी गई ऋण प्रतिभूतियों के लिए थी।
- एफवीटीपीएल अवशिष्ट श्रेणी होगी जहां सभी निवेश जो एचटीएम या एएफएस में शामिल करने के योग्य नहीं हैं, उन्हें वर्गीकृत किया जाएगा। इस श्रेणी में अन्य के साथ-साथ प्रतिभूतिकरण रसीदें (एसआर), म्युचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड, इक्विटी शेयर, डेरिवेटिव (जिनमें हेजिंग के लिए किए गए शामिल हैं) जैसे निवेश शामिल हो सकते हैं।

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम):

- परिपक्वता तक उन्हें रखने के इरादे से, निश्चित या निर्धारित भुगतान और निश्चित परिपक्वता वाले ऋण उपकरणों को अब आरबीआई के अनुसार एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। एचटीएम के तहत अब कॉर्पोरेट बॉन्ड रखने की अनुमति है, जो पहले नहीं था।

एएफएस:

- किसी बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित ऋण लिखत या परिपक्वता से पहले बेचे गए एएफएस के लिए पात्र होंगे। इक्विटी उपकरणों को भी एएफएस के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।

दक्ष

समाचार: आरबीआई ने उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली दक्ष का शुभारंभ किया।

दक्ष के बारे में

- दक्ष एक वेब-आधारित एंड-टू-एंड वर्कफ़्लो एप्लिकेशन है जो बैंकों, एनबीएफसी, आदि जैसी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई)में अनुपालन संस्कृति में और सुधार लाने के उद्देश्य से अधिक केंद्रित तरीके से अनुपालन आवश्यकताओं की निगरानी करता है।
- एप्लिकेशन किसी भी समय कहीं से भी सुरक्षित पहुंच के साथ-साथ निर्बाध संचार, निरीक्षण योजना, निष्पादन और विश्लेषण को भी सक्षम करेगा।
- दक्ष, जो क्षमता और दक्षता को दर्शाता है, अनुप्रयोग की अंतर्निहित क्षमताओं का सटीक वर्णन करता है।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण

समाचार: सरकार ने हाल ही में **100** करोड़ रुपये से ऊपर के मामलों को हल करने के लिए **3** ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में विशेष पीठों का गठन किया है।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण के बारे में

- सरकार ने चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में डीआरटी में इन विशेष बेंचों का निर्माण किया है।
- बैंकों द्वारा उच्च मूल्य वाले मामलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए ऐसा किया गया है।

डीआरटी के बारे में:

- ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम (आरडीबी अधिनियम), **1993** मूल क्षेत्राधिकार के साथ डीआरटी और अपीलीय अधिकार क्षेत्र के साथ ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) की स्थापना का प्रावधान करता है।
- इन न्यायाधिकरणों का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की शीघ्र न्यायनिर्णयन और वसूली प्रदान करना है।
- इसके अतिरिक्त, यह वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, **2002** के तहत इसके सामने लाए गए विवादों का न्यायनिर्णयन करता है।
- वर्तमान में पूरे देश में **5** डीआरएटी और **39** डीआरटी कार्यरत हैं।

नियो बैंक

समाचार: नियो बैंक (जैसे, रेज़रपेएक्स) फिनटेक फर्म हैं। यह एक तरह का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई शाखा नहीं है। नियो बैंकों के पास स्वयं का बैंक लाइसेंस नहीं है, लेकिन वे बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए पारंपरिक बैंक के नेटवर्क से जुड़ते हैं।

नियो बैंक के बारे में

- नियोबैंक वित्तीय संस्थान हैं जो ग्राहकों को पारंपरिक बैंकों का एक सस्ता विकल्प देते हैं, यानी भौतिक (शाखाओं और एटीएम के माध्यम से) और डिजिटल बैंकिंग दोनों।
- वित्तीय सेवा क्षेत्र में उभरते तकनीकी नवाचारों का वर्णन करने के लिए फिनटेक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- नियो बैंक ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की वैयक्तिकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करके स्थापित बैंकिंग प्रणाली को उलट रहे हैं।
- **नियोबैंक के लाभ:** सेवा नवाचार और अनुकूलन को प्रोत्साहित करें, छोटे बैंकों को समान अवसर प्रदान करना, और वित्तीय समावेशन को बढ़ाएं क्योंकि ये संस्थान मुख्य रूप से खुदरा ग्राहकों और एमएसएमई जैसे आबादी के कम सेवा वाले क्षेत्रों की सेवा करते हैं।
- **चुनौतियाँ/चिंताएँ**: सीमित संख्या में उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करते हैं, ऐसे उपभोक्ताओं की सेवा करने में असमर्थ हैं जो तकनीक-प्रेमी नहीं हैं, आरबीआई द्वारा सीधे विनियमित नहीं हैं, भौतिक शाखाओं की कमी के कारण ग्राहकों के भरोसे की कमी है, आदि।

बैंक-एनबीएफसी सह-उधार

समाचार: हाल ही में कई बैंकों ने पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ सह-उधार 'मास्टर समझौते' किये हैं। वर्ष **2020** में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने एक पूर्व समझौते के आधार पर सह-उधार मॉडल की अनुमति दी थी।

बैंक-एनबीएफसी सह-उधार के बारे में:

- सह-उधार या सह-उत्पत्ति एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ बैंक और गैर-बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लिये ऋण के संयुक्त योगदान की व्यवस्था करते हैं।
- देश के सबसे बड़े ऋणदाता एसबीआई ने किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरण खरीदने में मदद करने हेतु सह-उधार देने के लिये एक बड़े कॉर्पोरेट घराने की एक छोटी एनबीएफसी अदानी कैपिटल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।

'सह-उधार मॉडल (सीएलएम)' और इसकी विशेषताएं:

अर्थ	• सीएलएम के तहत, बैंकों को एक पूर्व समझौते के आधार पर सभी पंजीकृत एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के साथ सह-उधार देने की अनुमति है। सह-उधार देने वाले बैंक अपनी पुस्तकों में बैक-टू-बैक आधार पर व्यक्तिगत ऋणों का अपना हिस्सा लेंगे।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देना	• 2018 में आरबीआई ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रकों को ऋण देने के लिये ऋण की सह-उधार की घोषणा की थी।
न्यूनतम हिस्सा बनाए रखना	• आरबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एनबीएफसी को अपने खातों में व्यक्तिगत ऋण का कम से कम 20% हिस्सा रखना आवश्यक है।
अधिक परिचालन लचीलापन	• एक सहयोगी प्रयास में बैंकों और एनबीएफसी के संबंधित तुलनात्मक लाभों का बेहतर लाभ उठाने के लिए, केंद्रीय बैंक ने ऋणदाताओं को अधिक परिचालन लचीलेपन की अनुमति दी, जबकि उन्हें नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप होने की आवश्यकता थी।
विदेशी बैंकों पर लागू नहीं	• सीएलएम 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों पर लागू नहीं होगा।

आरबीआई ने भुगतान बैंकों, एसएफबीएस को सरकारी एजेंसी का कारोबार करने की अनुमति दी

समाचार: भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में भुगतान बैंकों को सरकारी एजेंसी कारोबार करने की अनुमति दी है।

लघु वित्त बैंकों के बारे में

- इन बैंकों को सरकारी संगठनों के लिए कर संग्रह जैसे संचालन करने की अनुमति होगी।
- केंद्र सरकार ने यह निर्णय वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के परामर्श से लिया है।
- **पात्रता मानदंड:** कोई भी भुगतान बैंक या लघु वित्त बैंक जो सरकार के साथ काम करना चाहता है, उसे केंद्रीय बैंक के साथ एक समझौते पर पहुंचने के बाद इस प्रणाली के तहत आरबीआई एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
- इन बैंकों को नियामक ढांचे का पालन करना आवश्यक है जिसे सरकारी निकाय द्वारा मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है।
- वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा सितंबर **2012** से निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी व्यवसाय के आगे आवंटन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- इस प्रतिबंध को फरवरी **2021** में हटा लिया गया था और इस प्रकार निजी क्षेत्र को ऐसे कार्यों में शामिल होने की अनुमति दी गई है।

ऐसे लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें:

- **एजेंसी बैंकिंग समझौता:** आरबीआई कहता है कि निजी क्षेत्र के अनुसूचित बैंकों को सरकारी एजेंसी व्यवसाय को संभालने के लिए "एजेंसी बैंकिंग समझौते" के लिए आवेदन करना होगा, जैसे कर संग्रह में संचालन।
- **बैंक पीसीए ढांचे के तहत नहीं:** लाइसेंस इस शर्त के अधीन होगा कि आवेदन करते समय या आरबीआई के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करते समय संबंधित बैंक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे या अधिस्थगन के तहत नहीं है।
- **संबंधित एजेंसियों की पसंद के अनुसार चयन:** किसी विशेष सरकारी एजेंसी व्यवसाय के लिए किसी एजेंसी बैंक (अनुसूचित निजी क्षेत्र के एजेंसी बैंक सहित) को मान्यता देने का विकल्प केवल संबंधित केंद्र सरकार के विभागों/राज्य सरकारों के पास है।
- इसके अलावा, सरकारी विभाग/राज्य सरकारें आरबीआई को सूचित करते हुए संबंधित एजेंसी बैंकों को नोटिस देकर इस व्यवस्था को बंद कर सकती हैं।

न्यू अम्ब्रेला एंटिटी

समाचार: आरबीआई ने न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज (एनयूई) की स्थापना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के बारे में:

- एनयूई एक गैर-लाभकारी इकाई होगी जो स्थापित नई भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन और संचालन करेगी, विशेष रूप से खुदरा क्षेत्र में जिसमें एटीएम, व्हाइट-लेबल पीओएस, आधार-आधारित भुगतान और प्रेषण सेवाएं आदि शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, यह परिचालन समाशोधन और निपटान प्रणाली के साथ-साथ नई भुगतान विधियों, मानकों और प्रौद्योगिकियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- धोखाधड़ी को रोकने के लिए, ये खुदरा भुगतान प्रणाली में बदलाव और घरेलू और विदेश दोनों में संबंधित मुद्दों पर नज़र रखेंगे।
- यह मौजूदा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के लिए एक वैकल्पिक तंत्र होगा।

  पात्रता: भारत में रह रहे नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियाँ ही एनयूई के प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के रूप में आवेदन हेतु पात्र होंगी। इसके अलावा इन्हें भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में **3** वर्ष का अनुभव भी होना चाहिये।
- शेयर होल्डिंग के तरीकों में विविधता होनी चाहिये। एनयूई द्वारा भुगतान की गई पूंजी का **25%** से अधिक हिस्सा रखने वाली किसी भी इकाई को प्रमोटर माना जाएगा।

  पूंजी:
  - अम्ब्रेला एंटिटी के पास न्यूनतम **500** करोड़ रुपए की चुकता पूंजी होगी।
  - किसी एकल प्रमोटर या प्रमोटर समूह को इकाई की पूंजी में **40%** से अधिक निवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
  - हर समय न्यूनतम शुद्ध मूल्य **300** करोड़ रुपए रखना होगा।

  शासन संरचना: एनयूई के बोर्ड में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों को फिट एंड प्रॉपर' मानदंडों के साथ-साथ कॉर्पोरेट प्रशासन के मानदंडों के अनुरूप होना चाहिये। आरबीआई ने निदेशकों की नियुक्ति को मंज़ूरी देने और एनयूई के बोर्ड में एक सदस्य को नामित करने का अधिकार बरकरार रखा है।

  विदेशी निवेश: जब तक विदेशी निवेशक मौजूदा दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं तब तक उन्हें एनयूई में निवेश करने की अनुमति है। उदाहरण के लिए: रिलायंस ने इसके लिए आवेदन किया है और गूगल और फेसबुक से विदेशी निवेश प्राप्त करेगा।

भारत में डिजिटल भुगतान की स्थिति:

- दुनिया में रीयल टाइम डिजिटल भुगतान के मामले में भारत का शीर्ष स्थान है।
- भारत ने **25.5** बिलियन रीयल-टाइम भुगतान लेनदेन देखा, इसके बाद **2020** में **15.7** बिलियन लेनदेन के साथ चीन का स्थान रहा।
- भारत में लेन-देन की मात्रा का हिस्सा तत्काल भुगतान के लिए **15.6** प्रतिशत और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के लिए **22.9** प्रतिशत रहा।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है।
- **वैधानिक निकाय:** इसकी स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत की गई है।
- **लाभ कंपनी के लिए नहीं:** इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत "लाभ के लिए नहीं" कंपनी के रूप में शामिल किया गया है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य भारत में एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना तैयार करना है।
- **कार्य:** यह भौतिक के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को बुनियादी ढांचा प्रदान करता है।
- यह संचालन में अधिक दक्षता प्राप्त करने और भुगतान प्रणालियों की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से खुदरा भुगतान प्रणालियों में नवाचार लाने पर केंद्रित है।

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा

समाचार: विभिन्न वित्तीय अनुपातों में सुधार दिखाने के बाद आरबीआई ने 'सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया' को अपनी त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे से हटा दिया है।

पीसीए के बारे में:

- **2002** में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक पीसीए ढांचा पेश किया गया था।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) पीसीए ढांचा **1** अक्टूबर**, 2022** से प्रभावी होगा।

उद्देश्य:

- यह आरबीआई को अपनी वित्तीय स्थिरता को पुनः प्राप्त करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में सक्षम बनाता है।
- इसके अलावा, यह कुशल बाजार अनुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है।

पीसीए लगाने के लिए मानदंड:

- यह एक पर्यवेक्षी उपकरण है और इसे तब लगाया जाता है जब बैंक निम्नलिखित वित्तीय मापदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं:
  - कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो (सीआरएआर),
  - एसेट क्वालिटी यानी नेट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) और
  - प्रॉफिटेबिलिटी यानी रिटर्न ऑन एसेट्स (आरओए)।
  - कुल ऋण स्तर या लेवरेज, जो बैंक के वित्तीय जोखिम को मापता है।

मिस्ड कॉल पे

समाचार: मिस कॉल पे ने एक साधारण मिस्ड कॉल देने के बाद यूपीआई का उपयोग करके भुगतान करने की सुविधा शुरू करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। मिस कॉल पे का समाधान **UPI123** सिस्टम के तहत बनाया गया है।

UPI 123पे के बारे में:

- **UPI 123**पे गैर-स्मार्ट फोन / फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करने के लिए विकसित समाधानों का एक समूह है।
- **UPI 123**पे के माध्यम से, फीचर फोन उपयोगकर्ता अब चार प्रौद्योगिकी विकल्पों के आधार पर लेनदेन करने में सक्षम होंगे।
- उपयोगकर्त्ता चार प्रौद्योगिकी विकल्पों के आधार पर कई लेन-देन करने में सक्षम होंगे, जिनमें- (**1**)आईवीआर (इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस) नंबर, (**2**)मिस्ड कॉल-आधारित दृष्टिकोण, (**3**)फीचर फोन में एप की कार्यक्षमता और (**4**)'नियर वॉइस' आधारित भुगतान शामिल हैं।

मिस्ड कॉल पे:

- मर्चेंट के स्थान पर प्रदर्शित नंबर पर मिस्ड कॉल करके, फीचर फोन उपयोगकर्ता अपने बैंक खातों तक पहुंच सकेंगे और धन प्राप्त करने या स्थानांतरित करने, नियमित खरीदारी करने, बिलों का भुगतान करने आदि जैसे नियमित कार्य कर सकेंगे।
- यह समाधान सहायक बैंक के रूप में बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिसकॉलपे द्वारा विकसित किया गया है।

8. सार्वजनिक वित्त और कराधान

पूंजीगत लाभ कर

समाचार: राजस्व सचिव ने कहा है कि भारत में पूंजीगत लाभ कर संरचना जटिल है, और इस पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।

संबंधित जानकारी :

- यह कर निवेश पर होने वाले लाभ पर लगाया जाता है। इसमें रियल एस्टेट, सोना, स्टॉक, म्यूचुअल फंड और विभिन्न अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय संपत्तियां शामिल हैं।
- यह दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर (एसटीसीजी) में विभाजित है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि जिस निवेश पर कर निर्धारित करना है उसकी अवधि कितनी है।

पूंजीगत लाभ कर और आयकर में अंतर:

- पूंजीगत लाभ कर का प्रतिशत व्यक्ति की समग्र आय स्लैब के आधार पर नहीं बदलता है जैसा आयकर के मामले में होता है। उदाहरण के लिए, निवेश पर लाभ भले ही 10 लाख रूपये हों या 10 करोड़ रूपये, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर, इक्विटी पर लगने वाले अधिभार को छोड़ दें तो, समान रहता है।
- इसके अलावा, एलटीसीजी पर लागू होने वाली कटौतियों का अलग सेट भी है जो सामान्य आय पर लागू नहीं होता है।

समाचार: श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) के तहत "पेंशन दान करें" योजना शुरू की है।

संबंधित जानकारी :

- **"पेंशन दान करें" योजना** में कोई भी नागरिक अपने घर या प्रतिष्ठान में अपने निकटतम सहायक कर्मियों, जैसे घरेलू कामगार, ड्राइवर, सहायक, देखभाल करने वाले, नर्स इत्यादि, की किश्त का अंशदान दान कर सकते हैं।
- दानदाता अंशदान की राशि का भुगतान, जो लाभार्थी की आयु के आधार पर 660 रूपये से लेकर 2,400 रूपये प्रति वर्ष तक हो सकती है, कम से कम एक वर्ष तक के लिए कर सकता है।
- **किश्त का भुगतान maandhan.in ऑनलाइन या देश भर में किसी भी सामान्य सेवा केन्द्र पर व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है।**

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) के बारे में जानकारी :

- **यह 50:50 के अनुपात वाली स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है** जिसमें लाभार्थी अपनी आयु के आधार पर निर्धारित अंशदान का भुगतान करता है और केंद्र सरकार उतनी ही राशी का भुगतान करती है।
- **कार्यान्वयन :** पीएम-एसवाईएम को श्रम और रोजगार मंत्रालय की देखरेख में भारतीय जीवन बीमा निगम और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा लागू किया जाएगा।
- **पात्रता :** 18 से 40 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हों, अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और अपनी आयु के आधार पर 660 रूपये से लेकर 2400 रुपये वार्षिक की दर से जमा करवा सकते हैं।
- **वे नई पेंशन योजना (एनपीएस),** कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) **के तहत न आते हों।** इसके अलावा, वे आयकर का भुगतान न करते हों।

- **लाभ:** 60 वर्ष की आयु के हो जाने पर उन्हें प्रति माह 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलेगी।
- **लाभार्थी:** अधिकांश असंगठित क्षेत्र के कामगार जैसे घरों में काम करने वाले कामगार, स्ट्रीट वेंडर्स, मध्याह्न भोजन बनाने वाले, सर पर भार ढोने वाले, ईंट भट्ठा श्रमिक, मोची, कचरा बीनने वाले, घरेलू नौकर, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, स्वरोजगार करने वाले, कृषि श्रमिक, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, ऑडियो-विजुअल श्रमिक, और इसी तरह के अन्य व्यवसायों में कार्य करने वाले कामगार जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम हों।

ईंधन पर लगने वाले कर की दर

समाचार: पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले कर और ड्यूटी को लेकर केंद्र और राज्य में तनातनी चल रही है। यद्यपि केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया है, लेकिन कुछ राज्यों ने इस पर लगाए गए वैट में कमी नहीं की है।

संबंधित जानकारी :

- सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में बदलाव के अनुसार भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में प्रतिदिन संशोधन करती हैं।
- डीलरों से वसूले जाने वाले मूल्य में तेल विपणन कंपनियों द्वारा निर्धारित आधार मूल्य और भाड़ा मूल्य शामिल होता है।
- पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्य मुख्य रूप से 3 घटकों से बने होते हैं:-
  1. आधार मूल्य (अंतर्राष्ट्रीय तेल की लागत को दर्शाता है)
  2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क
  3. राज्य कर।
- **राज्य द्वारा मूल्यानुसार वैट या बिक्री कर पेट्रोल और डीजल के आधार मूल्य, माल ढुलाई लागत, उत्पाद शुल्क और डीलर कमीशन पर लगाया जाता है।**
- वास्तव में, भारत में पेट्रोल और डीजल की लागत का एक बड़ा हिस्सा केंद्रीय और राज्य कर से बनता है।
- केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क लगाती है, जबकि राज्य पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर बिक्री कर या मूल्य वर्धित कर (वैट) लगाते हैं।
- जहां उत्पाद शुल्क की दरें पूरे देश में एक समान हैं, वहीं राज्य जो बिक्री कर / वैट लगाते हैं वह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।
  - उत्पाद शुल्क को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है: कर घटक (मूल उत्पाद शुल्क) और उपकर और अधिभार घटक।
  - इसमें कर से प्राप्त होने वाली राजस्व आय को ही राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है। केंद्र को किसी भी उपकर या अधिभार से प्राप्त होने वाली राजस्व आय का हिस्सा राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है।
- ईंधन पर लगने वाला उत्पाद शुल्क और वैट केंद्र और राज्य दोनों के लिए राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। आरबीआई के बजट 2020-21 के अध्ययन के अनुसार:
  - ईंधन पर लगाए गए उत्पाद शुल्क से केंद्र को होने वाली आय उसके कर राजस्व की लगभग 18.4 प्रतिशत है।
  - राज्यों की अपनी कर राजस्व आय का औसतन 25 से 35 प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम और शराब से आता है।

सम्बंधित जानकारी:

- उत्पाद शुल्क के विपरीत, बिक्री कर मूल्यानुसार कर है, अर्थात इसका कोई निश्चित मूल्य नहीं है। यह उत्पाद की कीमत के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है।
- मूल्य संरचना के उत्पाद शुल्क ड्यूटी घटक का मूल्य केंद्र निर्धारित करता है।
- बिक्री कर घटक का मूल्य अन्य तीन घटकों पर निर्भर है, अर्थात, डीलरों से ली गई कीमत, डीलर कमीशन और उत्पाद शुल्क ड्यूटी।

विन्डफॉल टैक्स

समाचार: वित्त मंत्रालय ने घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों पर केंद्र द्वारा लगाए गए विंडफॉल टैक्स का बचाव करते हुए कहा है कि यह कोई तदर्थ कदम नहीं था, बल्कि इस उद्योग के साथ पूर्ण विचार विमर्श के बाद लिया गया निर्णय था।

संबंधित जानकारी :

- **पृष्ठभूमि:** इसे 2022 में लागू किया गया था।
- **उद्देश्य:** विंडफॉल टैक्स की शुरूआत कुछ तेल शोधन कंपनियों, जिन्होंने तेल की आसमान छूती वैश्विक कीमतों का लाभ उठाने के लिए ईंधन का निर्यात करने का निर्णय लिया जिससे घरेलू आपूर्ति प्रभावित हुई, द्वारा अर्जित किए "असाधारण लाभ" पर लगाम लगाने के तरीके के रूप में की गई।
- विंडफॉल टैक्स किसी अप्रत्याशित, बाहरी घटना, के परिणामस्वरूप किसी व्यवसाय को हुए लाभ पर कर लगाने के लिए लगाया जाता है। उदाहरण के लिए यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष के कारण ऊर्जा की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होना।
- उदाहरण के लिए, **ये ऐसे लाभ होते हैं जिसका श्रेय कंपनी सीधे किसी निवेश योजना या व्यवसाय में किए गए विस्तार को नहीं दे सकती है।**
- **अमेरिका की कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (सीआरएस) ने विंडफॉल को "बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या व्यय के आय में अनर्जित, अप्रत्याशित लाभ"** के रूप में वर्णित किया है।
- **वैश्विक परिदृश्य:** भारत के अलावा, यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी सहित कई देशों ने या तो पहले ही ऊर्जा कंपनियों के असाधारण लाभ पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगा दिया है या लगाने पर विचार कर रहे हैं।

सेवा शुल्क

समाचार: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और होटल और रेस्तरां में सेवा शुल्क लगाने के संबंध में उपभोक्ताओँ के हितों की रक्षा करने के लिए पांच दिशानिर्देशों की घोषणा की है।

संबंधित जानकारी :

- सेवा शुल्क ग्राहक और रेस्तरां के वेटर कर्मचारी के बीच सीधे तौर पर किया जाने वाला भुगतान है। यह प्राथमिक वस्तु या सेवा की खरीद से संबंधित सेवाओं पर लगाया गया शुल्क है।
- यह ग्राहकों को दी गई सेवा के बदले किए जाने वाले भुगतान के रूप में होता है। यह हॉस्पिटेलिटी और खाद्य एवं पेय उद्योगों द्वारा लिया जाता है।

सेवा शुल्क के संबंध में सीसीपीए के दिशानिर्देश:

- सीसीपीए ने सेवा शुल्क लगाने के संबंध में पांच प्रमुख दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश हैं:-
    1. **कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में स्वतः या स्वाभाविक रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेगा;**
    2. उपभोक्ताओं से किसी अन्य नाम से सेवा शुल्क नहीं लिया जा सकता है;
    3. कोई भी होटल या रेस्तरां इस बात पर जोर नहीं देगा कि उपभोक्ता सेवा शुल्क का भुगतान करें और वे स्पष्ट रूप से यह बताएँगे कि ऐसा करना स्वैच्छिक, वैकल्पिक और ग्राहक के विवेकाधीन है;
    4. सेवा शुल्क के संग्रह के आधार पर उपभोक्ता पर कोई प्रवेश प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा या सेवाओं में किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी; और
    5. सेवा शुल्क को खाद्य बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर नहीं वसूला जाएगा।

उपभोक्ताओं के लिए निवारण तंत्र:

- यदि कोई उपभोक्ता पाता है कि कोई होटल या **रेस्तरां इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सेवा शुल्क लगा रहा है**, तो वह:
    1. संबंधित होटल या रेस्तरां से बिल से सेवा शुल्क हटाने का अनुरोध करें या

2. राष्ट्रीय उपभाक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं जो 1915 पर कॉल के माध्यम से अभियोग-पूर्व स्तर पर वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में काम करती है; या
3. एनसीएच मोबाइल ऐप के जरिए।

राज्य और केंद्रीय करों एवं उद्ग्रहणों में छूट योजना

समाचार: केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र/परिधानों और इससे बनी वस्तुओं के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों एवं उद्ग्रहणों (आरओएससीटीएल) में छूट के लिए योजना को बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 तक कर दिया है।

संबंधित जानकारी :

- वर्ष 2019 में, वस्त्र मंत्रालय ने राज्य और केंद्रीय करों एवं उद्ग्रहणों (आरओएससीटीएल) में छूट योजना को अधिसूचित किया था।
- वर्ष 2017 में जीएसटी की शुरुआत के बाद राज्य उद्ग्रहणों में छूट योजना (आरओएसएल) को इस योजना से बदल दिया गया था।
- इस योजना का उद्देश्य निर्मित वस्तुओं और परिधानों के निर्यात के लिए सभी सन्निहित राज्य और केंद्रीय करों/उद्ग्रहणों की प्रतिपूर्ति करना है।
- आरओएससीटीएल कार्यक्रम हेतु आवेदन करने के लिए **आयातक-निर्यातक कोड (आईईसीज)** आवश्यक हैं।
- इस योजना के अनुसार, निर्यातित वस्तुओं में सन्निहित करों और उद्ग्रहणों की राशि के लिए निर्यातकों को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप प्राप्त होती है।
- निर्यातक इस स्क्रिप का उपयोग करके मशीनरी, उपकरण, या किसी अन्य इनपुट के आयात पर लगने वाले मूल सीमा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

  कवरेज: राज्य करों और उद्ग्रहणों में छूट में ईंधन मंडी कर पर वैट, इनपुट पर भुगतान किया गया सन्निहित एसजीएसटी, इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी, निर्यात दस्तावेज संबंधी स्टांप शुल्क, अपंजीकृत डीलरों से खरीद आदि शामिल हैं।
  - केंद्रीय करों और उद्ग्रहणों में छूट में ईंधन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क ड्यूटी, इनपुट पर भुगतान किए गए सन्निहित सीजीएसटी, अपंजीकृत डीलरों से खरीद, परिवहन क्षेत्र के लिए इनपुट और सन्निहित सीजीएसटी आदि शामिल हैं।

बाह्य वाणिज्यिक उधार

समाचार: भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये में गिरावट को रोकने के उपाय के रूप में बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) जुटाने वाली कंपनियों के लिए मानदंडों में ढील दी थी।

संबंधित जानकारी :

- बाह्य वाणिज्यिक उधार वाणिज्यिक ऋण हैं जो योग्य निवासी संस्थाएं भारत के बाहर मान्यता प्राप्त अनिवासी संस्थाओं से प्राप्त कर सकती हैं।
- बाह्य वाणिज्यिक उधार ऋण, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड, विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड, बायर्ज क्रेडिट और सेलर्ज क्रेडिट आदि के रूप में लिया जा सकता है।
- बाह्य वाणिज्यिक उधार स्वचालित रूप से जारी किए जा सकते हैं, ऐसे मामले में मामलों की समीक्षा प्राधिकृत श्रेणी के डीलर या स्वैच्छिक रूप से की जाती है, ऐसे मामलों में उधारकर्ताओं को अपने अधिकृत डीलरों के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को अपने अनुरोध प्रस्तुत करने होते हैं।
- उधारकर्ताओं को न्यूनतम परिपक्वता अवधि, अधिकतम समग्र लागत सीमा, अंतिम उपयोग आदि से संबंधित मानदंडों का पालन करना होता है।

लाभ:

- बाह्य वाणिज्यिक उधार **बड़ी मात्रा में धन उधार लेने का अवसर प्रदान करते हैं।**
- **पैसा काफी लंबी अवधि तक के लिए सुलभ होता है।**
- **इसके अतिरिक्त, ब्याज की दरें घरेलू निधियों की तुलना में कम होती हैं।**

- **बाह्य वाणिज्यिक उधार विदेशी मुद्राओं के रूप में होते हैं।** अतः, कॉर्पोरेशन मशीनरी आदि के आयात को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा रखने पाते हैं।

संक्रमणकालीन टैक्स क्रेडिट

समाचार: वे करदाता जो पांच वर्ष पहले भारत के माल और सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में आने के दौरान ट्रांजिशनल टैक्स क्रेडिट का लाभ पाने से चूक गए थे, अब उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए नया अवसर मिलेगा।

संबंधित जानकारी

- टैक्स क्रेडिट कंपनी के कर **भुगतान का घटक है जिसे बाद के कर दायित्व को ऑफसेट करने के लिए लागू किया जा सकता है।**
- जब भारत ने वर्ष 2017 में जीएसटी अपनाया, तो कंपनियों को अपनी लेखा बही में क्रेडिट सिटिंग को अंतरित करना पड़ा।
- अतः, पुरानी कर व्यवस्था में अंतिम शेष, जीएसटी के तहत आरंभिक क्रेडिट शेष बन जाएगा।
- **भारत में** चूंकि पिछली अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के स्थान पर जीएसटी लागू किया गया था, **क्रेडिट को एक बार पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था में लाने की अनुमति दी गई थी।**
- दूसरे शब्दों में, **व्यवसायों द्वारा पिछली कर प्रणाली में पहले से भुगतान किए गए करों के भाग को संभावित जीएसटी दायित्वों में से कम कर सकते हैं।**
- कई व्यवसायों ने दावा किया कि वे केवल अपने संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों को प्रस्तुत करना भूल गए थे।

विदेशी मुद्रा भंडार

समाचार: वर्ष 2021 में 642.45 बिलियन डॉलर का भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई, 2022 में घटकर 572.71 बिलियन डॉलर हो गया है। यह केवल 10 महीनों में लगभग 70 बिलियन डॉलर की गिरावट है।

विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में:

- यह **संपत्ति विदेशी मुद्रा में होती है जो केंद्रीय बैंक द्वारा रिजर्व में रखी जाती है।** इनमें विदेशी मुद्राएं, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं।
- यह ध्यान देने योग्य बात है कि अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में रखा जाता है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार के घटक:** भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में चार श्रेणियां हैं: सोना, एसडीआर (आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार), विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (पूंजी बाजार में पूंजी प्रवाह, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारी) और आईएमएफ के पास रिजर्व।

विदेशी मुद्रा भंडार रखने के उद्देश्य:

- मौद्रिक और विनिमय दर प्रबंधन नीतियों में **विश्वास बनाए रखना और प्रोत्साहित करना।**
- यह **राष्ट्रीय या संघीय मुद्रा के पक्ष में हस्तक्षेप करने की क्षमता प्रदान करता है।**
- आपातकालीन स्थितियों में या जब उधार लेना प्रतिबंधित हों ऐसी विकट स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा हाथ में रखकर **बाह्य असुरक्षा को कम किया जा सकता है।**

महत्व:

- यह आर्थिक मोर्चे पर भुगतान शेष (बीओपी) के संकट की स्थिति में भरोसा प्रदान करता है।
- बढ़ते भंडार से रुपये को डॉलर के मुकाबले मजबूत होने में मदद मिली है।

मसाला बॉन्ड

समाचार: केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के 'मसाला बॉन्ड' रुपये मुद्रा वाले बॉन्ड होने के कारण इस वर्ष अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने के कारण प्रभावित नहीं होंगे।

संबंधित जानकारी :

- **मसाला बॉन्ड भारतीय संस्थाओं या कंपनियों द्वारा भारत के बाहर जारी किए गए रुपये मुद्रा वाले बॉन्ड हैं।**

- भारत में, **मसाला बॉन्ड पहली बार** वर्ष 2014 में विश्व बैंक समूह के सदस्य, **अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी)** द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए प्रस्तुत किए गए थे।
- **विदेशों से रुपये मुद्रा में उधार लेने की सुविधा प्रदान करने के लिए**, आरबीआई ने **वर्ष 2015 में बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति के भाग के रूप में** विदेशी मुद्राओं में बॉन्ड जारी करने के लिए रूपरेखा बनाई थी।
- मसाला बॉन्ड ऋण साधन हैं जो विदेशी बॉन्डों के समान ही **विदेशी निवेशकों से स्थानीय मुद्रा में पूंजी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं।**
- **ये बॉन्ड सार्वजनिक और निजी दोनों निकायों द्वारा जारी किए जा सकते हैं।**
- ये बॉन्ड उन विदेशी निवेशकों की खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं जो भारतीय संपत्तियों में निवेश करना चाहते हैं।

  मापदंड: मसाला बॉन्ड को ऐसे किसी भी देश के निवासी द्वारा खरीदा जा सकता है, जो वित्तीय कार्रवाई कार्य बल का सदस्य हों।
  - खरीदने वाला निवेशक ऐसा हों जिसका प्रतिभूति बाजार विनियामक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन का सदस्य हों।

  परिपक्वता अवधि: भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन डॉलर के समतुल्य रुपयों तक खरीदे गए बॉन्ड के लिए परिपक्वता की अवधि तीन वर्ष है।
  - एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन डॉलर के समतुल्य रुपयों से अधिक के खरीदे गए बॉन्ड की परिपक्वता अवधि पांच वर्ष की होती है।
  - जिस तारीख को बॉन्ड जारी करने हेतु लेन-देन किया जाता है और ब्याज के भुगतान का निपटान किया जाता है, उस तारीख को इन बॉन्डों को बाजार मूल्य में परिवर्तित कर दिया जाता है।

  प्रभाव: चूंकि "मसाला बॉन्ड" रुपये मुद्रा वाला बांड हैं, इसलिए विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव इन बॉन्डों को प्रभावित नहीं करेगा।
  - इस प्रकार, यदि रुपये में गिरावट आती है, तो निवेशक को नुकसान उठाना पड़ेगा।

बजटेतर उधारी

समाचार: केंद्र ने राज्यों के बजटेतर उधारी (ओ-बीबी) को समायोजित करने के लिए मानदंडों में ढील दी है।

संबंधित जानकारी :

- **नए मानदंडों के अंतर्गत, वर्ष 2020-21 तक राज्यों द्वारा ली गई बजटेतर उधारी** को समायोजित नहीं किया जा सकता है और केवल वर्ष 2021-22 में ली गई बजटेतर उधारी को 4 वर्षों में मार्च, 2026 तक समायोजित किया जा सकता है।
- इस वर्ष की शुरुआत में, केंद्र ने राज्यों को सूचित किया है कि बजटेतर उधारी को राज्यों के अपने ऋण के बराबर किया जाए और क्रमिक (वर्ष 2020-21 और 2021-22 में) ली गई बजटेतर उधारी को इस वर्ष की ऋण सीमा से इतर समायोजित किया जाएगा।
- किसी राज्य सरकार की बजटेतर उधारी का तात्पर्य उसकी संस्थाओं, विशेष प्रयोजनार्थ अनुषंगी कंपनियों आदि द्वारा लिए गए ऋणों से है, जिसकी अदायगी उधार लेने वाली संस्था द्वारा उत्पन्न नकदी प्रवाह या राजस्व की बजाय अंततः राज्य सरकार को अपने बजट के माध्यम से करनी होती है।
- ऋण को राज्य बजट से बाहर ले जाने से, ये ऋण किसी भी वित्तीय वर्ष में निर्धारित की गई राज्यों की शुद्ध ऋण सीमा में जुड़ जाता है।
- ये ऋण राज्य एफआरबीएम अधिनियम के तहत दिए गए राजकोषीय संकेतकों हेतु निर्धारित लक्ष्यों से अधिक होते हैं और राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे पर इनका प्रभाव पड़ता है।
- वर्ष 2022-2023 के लिए जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गई है और विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिए इसमें 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ा गया है।
- अनुच्छेद 293 (3) के तहत, राज्य सरकारों को नए उधार लेने के लिए केंद्र की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, यदि वे भारत सरकार के ऋणी हैं।

- राज्यों द्वारा बजटेतर उधारी बढ़ाने के कारण:
  - महामारी की वजह से आई मंदी के कारण राजस्व वृद्धि बाधित हुई है और बढ़ता हुए राजस्व व्यय।
  - जीएसटी के कारण स्वायत्त राजकोषीय विस्तार में कमी आई है।

वित्तीय मध्यस्थ निधि

समाचार: महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया (पीपीआर) के लिए वित्तीय मध्यस्थ निधि (एफआईएफ) नामक एक नई निधि की स्थापना की गई है।

संबंधित जानकारी :

- **प्रयोजन :** निम्न और मध्यम आय वाले देशों में महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया (पीपीआर) क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त, दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करना और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आए अंतर को पाटना।
- **न्यासी और मेजबान :** विश्व बैंक न्यासी के रूप में कार्य करेगा और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के तकनीकी सहयोग से इस निधि के सचिवालय की मेजबानी करेगा।
- **वित्त पोषण :** इस निधि को जी 20 के सदस्यों और अन्य के व्यापक समर्थन से विकसित किया गया था। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय कमीशन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत जैसे देशों ने 1.4 बिलियन डॉलर से अधिक की वित्तीय प्रतिबद्धताओं की घोषणा पहले ही कर दी है।
- **क्षेत्र :** इस निधि से प्राप्त धन का उपयोग पशुजन्य रोगों की निगरानी, प्रयोगशालाओं, आपातकालीन संचार, समन्वयन और प्रबंधन, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यबल क्षमता, और सामुदायिक जुड़ाव जैसी चीजों में पीपीआर क्षमताओं को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए किया जाएगा।

लघु बचत योजनाएँ

समाचार: सरकार ने किसान विकास पत्र, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और 2 और 3 वर्ष वाले सावधि जमा सहित पांच लघु बचत साधनों (SSI) पर देय ब्याज दरों में 0.1 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की घोषणा की है।

संबंधित जानकारी :

- लघु बचत योजनाएं बचत हेतु साधनों का समूह है जिसका प्रबंधन केंद्र सरकार करती है जिसका उद्देश्य किसी भी आयु के नागरिकों को नियमित रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- ये लोकप्रिय हैं क्योंकि इनमें न केवल आम तौर पर बैंक सावधि जमा से अधिक ब्याज मिलता हैं बल्कि इनमें सॉवरेन गारंटी और कर लाभ निहित होते हैं।
- विभिन्न लघु बचत योजनाओं के तहत प्राप्त सभी जमाराशियों को राष्ट्रीय लघु बचत कोष में जमा किया जाता है। इस कोष में स्थित राशि का उपयोग केंद्र सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए करती है।

लघु बचत योजनाओं का वर्गीकरण:

डाकघर जमाएँ	• बचत जमा, आवर्ती जमा और 1, 2, 3 और 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा और मासिक आय योजना वाले खाते।
बचत प्रमाणपत्र	• **राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र:** इसमें अर्जित ब्याज को प्रत्येक वर्ष स्वतः योजना में पुनर्निवेशित किया जाता है। • **किसान विकास पत्र:** इसमें कोई भी निवेश कर सकता है। इसमें निवेश 124 महीनों में दोगुना हो जाता है 6.9 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शाता है।
सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ	• **लोक भविष्य निधि :** लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जिसका उद्देश्य सभी को सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित जीवन प्रदान करना है।

सुकन्या समृद्धि खाता	• इसकी शुरूआत वर्ष 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के तहत केवल बालिकाओं के लिए की गई थी। • यह खाता 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम पर खोला जा सकता है। • यह योजना प्रति वर्ष 7.6 प्रतिशत ब्याज की गारंटी देती है और आयकर अधिनियम की धारा 80 ग के तहत कर लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। • **वरिष्ठ नागरिक बचत योजना:** 60 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई भी व्यक्ति इसमें खाता खुलवा सकता है।

दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि

समाचार: दूरसंचार विभाग के निकाय, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) ने आधिकारिक तौर पर दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (TTDF) योजना की शुरूआत की है।

संबंधित जानकारी :

- दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीटीडीएफ) का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को वित्तपोषित करना है और दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण एवं विकास के लिए शिक्षा, स्टार्ट-अप, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के बीच तालमेल बिठाना है।
- यह योजना **स्वदेशी विनिर्माण और प्रौद्योगिकीय स्वामित्व को प्रोत्साहित करने**, प्रौद्योगिकीय सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने, **आयात को कम करने, निर्यात अवसरों में वृद्धि करने** और बौद्धिक संपदा के विकास को बढ़ावा देने का भी प्रयास करती है।
- योजना के भाग के रूप में, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का उद्देश्य अनुसंधान करना, डिजाइन तैयार करना, प्रोटोटाइप बनाना, यूजकेसेज, पायलट, और प्रूफ आरंभिक व्यवहार्यता परीक्षण एवं अन्य साथ-साथ राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मानकों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

यूएसओएफ:

- यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) का गठन संसद के अधिनियम के माध्यम से किया गया था और इसकी स्थापना अप्रैल, 2002 में भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम 2003 के तहत की गई थी।
- इसका उद्देश्य देश के व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- यह दूरसंचार विभाग का संबद्ध कार्यालय है, और इसका अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक होता है।
- **वित्त पोषण पैटर्न :**
  - USOF एक गैर-व्यपगत निधि है।
  - जमा राशि को भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है।
  - संसद द्वारा विधिवत विनियोग के बाद USOF को निधि उपलब्ध कराई जाती है।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना

समाचार: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की सीमा को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान कर दी है जो 4.5 लाख करोड़ रूपसे से बढ़कर 5 लाख करोड़ रूपये हो गई है। यह अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों में उद्यमों के लिए निर्धारित की जा रही है।

संबंधित जानकारी :

- इस योजना की शुरूआत विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईज) को ऋण प्रदान कर, कोरोनोवायरस की वजह से लगे लॉकडाउन से होने वाले संकट को कम करने के लिए मई, 2020 में घोषित **आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के भाग के रूप में की गई थी**।

- **राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा शत प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान किया जा रहा है**, वहीं बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) ऋण प्रदान करती हैं।
- ऋण प्रदान करने के लिए गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (GECL) सुविधा का उपयोग किया जाएगा।
- एनसीजीटीसी योजना में भाग लेने वाली सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (एमएलआई) पर कोई गारंटी शुल्क नहीं लगाएगी।
- इस योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए 9.25 प्रतिशत और एनबीएफसी के लिए 14 प्रतिशत अधिकतम ब्याज दर है।

पात्रता:

- अगस्त, 2020 में मुद्रा ऋण लेने वालों और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण लेने वाले व्यक्तियों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया था।
- कामथ समिति ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र सहित 26 क्षेत्रों की पहचान की जिसके लिए इस योजना को 20 नवंबर को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 2.0 के माध्यम से मार्च, 2021 तक न्यूनतम 50 करोड़ रूपये और 500 करोड़ रूपये से अनधिक बकाया ऋण वाली कंपनियों के लिए बढ़ाया गया।

योजना के लाभ:

- इस योजना से इस क्षेत्र को कम लागत पर ऋण प्राप्त हो पाएगा ताकि एमएसएमई अपनी परिचालनगत देनदारियों को पूरा कर पाएँ और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू कर पाएँ।
- वर्तमान की इस अभूतपूर्व स्थिति के दौरान कामकाज जारी रखने के लिए एमएसएमई की सहायता करना। इस योजना से अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इसके पुनरुद्धार में मदद मिलेगी।

सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क

समाचार: वित्त मंत्री ने पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए अंतिम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड रूपरेखा को स्वीकृति दे दी है।

संबंधित जानकारी

- **लक्ष्य :** मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में ग्रीन बॉन्ड जारी करके 16,000 करोड़ रुपये जुटाना।
- **विशेषताएं:** इस रूपरेखा के अंतर्गत, वित्त मंत्रालय हर वर्ष आरबीआई को हरित परियोजनाओं, जिन पर इन बॉन्डों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग किया जाएगा, पर किए गए व्यय के बारे में सूचित करेगा।
- **पात्र क्षेत्र:** ग्रीन बॉन्ड से प्राप्त आय का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन, जल और अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण निवारण और नियंत्रण और हरित भवनों के लिए किया जाएगा।
- **अपात्र क्षेत्र:** परमाणु ऊर्जा उत्पादन, लैंडफिल परियोजनाएं, अल्कोहल/हथियार/तंबाकू/गेमिंग/पाम ऑयल संबंधी उद्योग और 25 मेगावाट से बड़े पनबिजली संयंत्रों को इस रूपरेखा से बाहर रखा गया है।
- **प्राप्तियां:** ग्रीन बॉन्ड जारी करने से प्राप्त आय को नियमित राजकोष नीति के अनुसार भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जमा किया जाएगा। फिर पात्र हरित परियोजनाओं के लिए भारत की संचित निधि से धन उपलब्ध कराया जाएगा।

सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड रूपरेखा को कौन लागू करेगा?

- वित्त मंत्रालय ने ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी (जीएफडब्ल्यूसी) का गठन किया है जिसमें इससे संबंधित मंत्रालयों से सदस्य भी शामिल है और इसके अध्यक्ष मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं।
- ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें करेगी जिसमें वह परियोजनाओं के चयन और मूल्यांकन तथा रूपरेखा से संबंधित अन्य कार्यों में वित्त मंत्रालय की सहायता करेगी।
- उत्तरदायी मंत्रालय/विभाग विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद परियोजनाओं के प्रारंभिक मूल्यांकन करने के लिए प्रभारी होंगे।
- ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी यह सुनिश्चित करने के लिए, कि प्राप्तियाँ जारी किए जाने की तिथि से 24 माह के भीतर समाप्त हो जाए, समयबद्ध ढंग से इनके आवंटन की समीक्षा करेगी।

ग्रीन बॉन्ड्स ब्लू बॉन्ड्स से कैसे अलग हैं?

- ब्लू बांड समुद्र और उससे जुड़े पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए संवहनीयता बॉन्ड हैं। इसमें निम्नलिखित के लिए परियोजनाएं शामिल की जा सकती हैं:-
    - सतत मत्स्य पालन में सहायता करने के लिए।
    - प्रवाल भित्तियों और अन्य नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के लिए।
    - प्रदूषण और अम्लीकरण को कम करने के लिए।
- सभी ब्लू बॉन्ड्स हरित बॉन्ड होते हैं, लेकिन सभी हरित बॉन्ड्स ब्लू बॉन्ड नहीं होते हैं।

हरित बॉन्ड जलवायु बॉन्ड से किस प्रकार भिन्न हैं?

- हरित बॉन्ड और जलवायु बॉन्ड कभी-कभी एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं।
- कुछ प्राधिकारियों द्वारा जलवायु बॉन्ड शब्द का उपयोग विशेष रूप से कार्बन उत्सर्जन को कम करने या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से की गई पहलों के लिए प्रयोग किया है।
- क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव नामक एक संगठन जलवायु बॉन्ड्स को स्वीकृति देने के लिए मानदंड बनाने पर काम कर रहा है।

जीएसटी परिषद

समाचार: हाल ही में, भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र या राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

माल और सेवा कर (जीएसटी) के बारे में:

- जीएसटी माल और सेवाओं के उपभोग पर लगाया जाने वाला व्यापक, बहु-चरणीय, गंतव्य आधारित, एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर है जिसे देश में 01.07.2017 से लागू किया गया है।
- सम्पूर्ण देश में कर की समान दर स्थापित करने के लिए संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 का उपयोग किया गया था।
- शराब पर उत्पाद शुल्क, संपत्ति कर और स्टांप शुल्क, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, गैसोलीन, विमानन टरबाइन ईंधन, प्राकृतिक गैस, विद्युत शुल्क, बेसिक कस्टम ड्यूटी और अन्य करों को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। इसमें वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और वस्तुओं और सेवाओं पर विलासिता कर जैसे कई अप्रत्यक्ष कर शामिल थे।
- अनुच्छेद 246 क (1) के तहत संघ या राज्य द्वारा लागू किए गए माल और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानमंडल को शक्ति प्रदान की है।
- अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के लिए (अनुच्छेद 246 क (2) के तहत संसद के पास अनन्य शक्ति है।

जीएसटी परिषद:

- संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम के माध्यम से सृजित और अनुच्छेद 279 क (1) के तहत स्थापित यह संवैधानिक निकाय है।
- जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279 क (4) के अनुसार केंद्र और राज्यों को जीएसटी की दरों की सिफारिश करती है।
- **जीएसटी परिषद की संरचना (अनुच्छेद 279 क (2) :** यह जीएसटी को सम्पूर्ण देश में लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों को एक साथ लाती है। इसके सदस्य इस प्रकार हैं-
    - केंद्रीय वित्त मंत्री – अध्यक्ष।
    - केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व या वित्त के प्रभारी- सदस्य।
    - वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री - सदस्य।
    - परिषद के सदस्यों द्वारा आपस में से ही किसी का चयन उपाध्यक्ष पद के लिए किया जाता है - [अनुच्छेद 279 क (3)]
    - जीएसटी परिषद का कार्यालय नई दिल्ली में है और राजस्व सचिव जीएसटी के पदेन सचिव हैं।
- **जीएसटी परिषद में निर्णय प्रक्रिया :** जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों और केंद्र द्वारा मिलकर जीएसटी दरों के संबंध में निर्णय किया जाता है।

- बैठक आयोजित करने के लिए, जीएसटी परिषद के कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत (कोरम) होना आवश्यक है।
- इसके निर्णय उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के भारित वोटों का कम से कम तीन-चौथाई बहुमत के आधार पर किए जाते हैं।
- केंद्र सरकार का मतभार कुल मतों का एक-तिहाई है जबकि सभी राज्यों के मतों का भार दो-तिहाई मत है।

जीएसटी ढांचे पर उच्चतम न्यायालय का फैसला:

- नवीनतम निर्णय के अनुसार, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही जीएसटी पर एक साथ कानून बना सकते हैं:
  - जीएसटी परिषद की सिफारिशें केवल प्रत्ययकारी हैं (बाध्यकारी नहीं)।
  - अनुच्छेद 279 क विशेष रूप से इस बात उल्लेख नहीं करता है कि जीएसटी परिषद के सभी निर्णय पार्टियों के लिए बाध्यकारी हैं।
  - अनुच्छेद 246 क संसद के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है, अर्थात जीएसटी परिषद के निर्णय प्रवर्तनीय नहीं हैं, और केंद्र या राज्य जीएसटी परिषद के निर्णयों को अस्वीकार कर सकते हैं और अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित कर सकते हैं।

सकल घरेलू उत्पाद – सकल मूल्य संवर्धन में अंतर

समाचार: सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए), भारत की अर्थव्यवस्था के दो मापक हैं। इन दोनों में एक बार फिर से काफी भिन्न गति से वृद्धि हुई है इस वजह से इनके बीच अंतर रह गया है। **जीडीपी-जीवीए के बीच अंतर और उनकी उपयोगिता**

संबंधित जानकारी

मापदण्ड	**सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)**	**सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए)**
परिभाषा	जीडीपी एक निश्चित अवधि में किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है।	जीवीए किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है जिसमें से इनपुट और कच्चे माल की लागत को घटा दिया गया हों।
मापन	इसे आउटपुट, आय और व्यय दृष्टिकोण द्वारा मापा जाता है।	इसे आउटपुट रीच द्वारा मापा जाता है और जीडीपी के प्रॉक्सी के रूप में प्रयुक्त होता है।
जीडीपी और जीवीए के बीच तकनीकी संबंध (अंतर): जीडीपी = Σजीवीए + उत्पादों पर शुद्ध कर - उत्पादों पर शुद्ध सब्सिडी।		
प्रयोजन	सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश के समग्र आर्थिक विकास का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत पैमाना है।	जीवीए का उपयोग उत्पादकों की ओर से आर्थिक कार्यकलापों के क्षेत्रवार विवरण को मापने के लिए किया जाता है।

भारत में सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए):

- वर्ष 2015 में, सकल घरेलू उत्पाद माप दृष्टिकोण की व्यापक समीक्षा के भाग के रूप में, बुनियादी कीमतों पर सकल मूल्य संवर्धन (आधार वर्ष 2011-12) भारत में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन का प्राथमिक मापक बन गया है, जो संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली, 2008 (एसएनए) के अनुरूप है।
- भारत पहले कारक लागत पर सकल मूल्य संवर्धन की गणना कर अपने समग्र आर्थिक उत्पादन को मापता था।
- **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ),** जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं दोनों को कवर करता है, आठ व्यापक क्षेत्रों के तहत सकल मूल्य संवर्धन का त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान प्रदान करता है।

सकल घरेलू उत्पाद – सकल मूल्य संवर्धन असमानता और इसके कारण:

- यह सही है कि **जीवीए का उपयोग जीडीपी के स्थानापन्न के रूप में किया जाता है** इसके **बावजूद ये दोनों समान नहीं हैं क्योंकि जहां जीडीपी की गणना बाजार मूल्य पर की जाती है वहीं जीवीए की गणना आधार कीमतों पर की जाती है। इसी कारण जीडीपी और जीवीए अलग-अलग होता है।**
- इसके अलावा, विभिन्न कारणों से वित्त वर्ष 2018 से जीडीपी-जीवीए अलग-अलग आ रहा है-
  - वित्त वर्ष 2021 में, राजसहायता में बढ़ोतरी और लॉकडाउन के कारण करों में आई कमी के कारण सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि सकल मूल्य संवर्धन में हुई वृद्धि से 180 आधार अंक कम थी।
  - इसी प्रकार वित्त वर्ष 2022 में, रिकॉर्ड कर संग्रह और वित्त वर्ष 2021 की तुलना में कम राजसहायता देने के कारण, जीडीपी वृद्धि जीवीए वृद्धि से 60 आधार अंक अधिक थी।
  - इसी प्रकार वित्त वर्ष 2023 में, जीडीपी-जीवीए में अंतर बने रहने की संभावना है, जिसमें निम्नलिखित कारणों से जीडीपी वृद्धि जीवीए वृद्धि से पुनः पिछड़ने की संभावना है-
    - वस्तुओं की कीमतों में विश्वव्यापी वृद्धि के कारण बढ़ती राज सहायता, बढ़ती हुई उर्वरक राज सहायता के कारण।
    - मुद्रास्फीति कम करने के लिए ईंधन कर में कटौती के कारण।

राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए), 2008

- यह संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (यूएनएससी) द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय लेखों हेतु अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय मानकों का नवीनतम संस्करण है।
- यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों और लेखांकन नियमों के आधार पर अर्थशास्त्र के मापकों को सुसंगत, एकरूप बनाने और समष्टि अर्थशास्त्र के एकीकृत सेट में संकलित करने के तरीकों के संबंध में सिफारिशें देता है।

अंतरसंचालनीय विनियामक सैंडबॉक्स (आईओआरएस) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

समाचार: एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) फिनटेक संबंधी अंतर-विनियामक तकनीकी समूह (आईआरटीजी), जिसकी अध्यक्षता आरबीआई का फिनटेक विभाग करता है, और सेबी, आईआरडीएआई, आईएफएससीए, पीएफआरडीए और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि द्वारा तैयार की जाती है।

संबंधित जानकारी :

- यह एक से अधिक वित्तीय विनियामकों के दायरे में आने वाले नए फिनटेक उत्पादों और सेवाओं को विनियमित करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है।
- अंतरसंचालनीय विनियामक सैंडबॉक्स "एक से अधिक वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के नियामक दायरे में आने वाले अभिनव हाइब्रिड वित्तीय उत्पादों/सेवाओं के परीक्षण की सुविधा प्रदान करने वाला तंत्र है।"
- **रूपरेखा की मुख्य विशेषताएं:**
- उत्पाद की प्रमुख विशेषता यह तय करेगी कि वह उत्पाद किस विनियामक के प्रभाव क्षेत्र में आएगा और वह विशेषता किस विनियामक के अधिकार क्षेत्र में आती है। वह विनियामक मुख्य विनियामक (पीआर) होगा और अन्य सहयोगी विनियामक (एआर) होंगे।
- **प्रमुख विशेषता दो प्रकार से निर्धारित की जाएगी:**
  1. मौजूदा उत्पादों जैसे ऋण, जमा आदि में वृद्धि का प्रकार,
  2. अंतरसंचालनीय विनियामक सैंडबॉक्स के तहत परीक्षण करने के लिए कंपनी द्वारा मांगी गई छूट की संख्या।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण वैश्विक महत्वाकांक्षा वाली भारतीय फिनटेक कंपनियों और भारत में आने की इच्छुक विदेशी फिनटेक कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक होगा। फिनटेक संबंधी अंतर-विनियामक तकनीकी समूह मुख्य विनियामक और सहयोगी विनियामक आदि के बीच किसी भी समन्वय संबंधी मुद्दे को हल करेगा।

नगरपालिका वित्तपोषण

समाचार: हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नगरपालिका वित्तपोषण के संबंध में रिपोर्ट जारी की है।

संबंधित जानकारी

- यह रिपोर्ट नगरपालिकाओं के वित्तपोषण के संबंध में अब तक का पहला व्यापक विश्लेषण है और इसमें सभी राज्यों के 201 नगर निगमों (एमसी) को शामिल किया गया है।
- यह रिपोर्ट नगर पालिकाओं की वित्तीय क्षमता को मजबूत करने के लिए कुछ नवीन तरीके भी सुझाती है।

नगर पालिकाओं के वित्तपोषण के संबंध में:

- 74वां संशोधन अधिनियम, 1992, 12वीं अनुसूची के माध्यम से, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए त्रिस्तरीय शासन के रूप में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को संस्थागत बनाता है।
- अधिनियम में 18 विषद कर्तव्यों की सूची भी है जो राज्य सरकारें अपने नगरपालिका कानूनों के माध्यम से नगरपालिकाओं को पूर्णतः या अंशतः सौंप सकती है।
- यद्यपि, इस संशोधन अधिनियम ने संविधान में संबंधित "नगरपालिका वित्त सूची" निर्धारित नहीं की है और इसे पूरी तरह से राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया है।
    - इसके परिणामस्वरूप सभी राज्यों में नगरपालिका वित्त में व्यापक रूप से भिन्नता है।
    - शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गए कार्यों और उन अधिदेशित कार्यों के निर्वहन के लिए उन्हें उपलब्ध कराए गए संसाधनों के बीच कोई मेल नहीं है।

भारत में नगरपालिका वित्त का अवलोकन:

- भारत में नगर निगमों (एमसी) का संयुक्त बजट केंद्र और राज्य सरकारों के बजट की तुलना में बहुत कम है।
- भारत में समग्र नगरपालिका राजस्व में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, जो वर्ष 1946-47 से ही मोटे तौर पर अपरिवर्तित रही है।
- समय के साथ भारत में नगर निगम के राजस्व की संरचना में काफी बदलाव आया है, जिसमें अन्तरण पर निर्भरता बढ़ी है।
- नगर निगमों का कुल ऋण बहुत कम (0.5 प्रतिशत से कम) है और बॉन्ड जारी कर बाजार से पूँजी जुटाना लगभग नगण्य है और यह केवल कुछ बड़े नगर निगमों तक ही सीमित है।

केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला को क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रयोगशाला का दर्जा देना

समाचार: केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (सीआरसीएल) को विश्व सीमा शुल्क संगठन (डबल्यूसीओ) की क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रयोगशाला (आरसीएल) के रूप में मान्यता दी गई।

संबंधित जानकारी :

- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (सीआरसीएल), नई दिल्ली को हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) की क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रयोगशाला (आरसीएल) के रूप में मान्यता दी गई है।

सीआरसीएल के बारे में:

- केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, के नियंत्रणाधीन अधीनस्थ कार्यालय है।
- इसकी स्थापना 1939 ई. में दिल्ली में हुई।
- यह 14 राजस्व प्रयोगशालाओं के प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करती है, जिनमें से दो गाजीपुर और नीमच में सरकार अफीम और अल्कलॉइड वर्क्स में स्थित हैं।
- वर्ष 1955 के बाद, भारत सरकार ने कई स्थानों पर अन्य राजस्व प्रयोगशालाओं की स्थापना की।

क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रयोगशाला के बारे में:

- इनका परंपरागत कार्य टैरिफ वर्गीकरण और ड्यूटी एवं अन्य करों के स्तर को निर्धारित करने के लिए रासायनिक विश्लेषण करना है।
- व्यापार पैटर्न में बदलाव और प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण समय के साथ इनकी भूमिका भी बदल गई है।
- कीटनाशकों, स्थायी जैविक प्रदूषकों, रासायनिक हथियारों के साथ-साथ नशीले पदार्थों और ड्रग रसायनों आदि जैसे खतरनाक माल को नियंत्रित करना आधुनिक सीमा शुल्क प्रयोगशालाओं के मुख्य कार्य है। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण है।

रियायती कॉर्पोरेट कर व्यवस्था

समाचार: वर्ष 2019-20 में प्रारंभ हुई प्रत्येक पांच नई विनिर्माण कंपनियों में से दो ने कॉर्पोरेट टैक्स के तहत 15 प्रतिशत कर वाले कम दर का विकल्प चुना।

संबंधित जानकारी :

- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लगभग 40 प्रतिशत नई पंजीकृत कंपनियों ने 15 प्रतिशत वाली रियायती कॉर्पोरेट कर व्यवस्था को चुना है।
- कर की यह निम्न दर पूंजीगत व्यय चक्र में तेजी लाने, अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ावा देने और रोजगार में वृद्धि करने के लक्ष्य के साथ लागू की गई थी।
- कोविड संकट के कारण और व्यवसायों द्वारा पूंजीगत निवेश न करने का फैसला लेने के कारण इस पहल के लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सका।

नई रियायती कॉर्पोरेट कर दर व्यवस्था:

- भारत वर्ष 2019 से पहले कॉर्पोरेट कर की उच्च दर वाला देश माना जाता था। बड़ी घरेलू कंपनियों ने कॉर्पोरेट कर की लगभग 35 प्रतिशत की प्रभावी दर का भुगतान किया, जबकि छोटे व्यवसायों ने कॉर्पोरेट कर की लगभग 30 प्रतिशत की प्रभावी दर का भुगतान किया।
- वर्ष 2019 में, सरकार ने घरेलू व्यवसायों में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कर अध्यादेश पारित किया।
    - इस अध्यादेश के भाग के रूप में, दो रियायती कर व्यवस्थाएं पेश की गईं। दोनों ही व्यवस्थाएँ वैकल्पिक थी और नई कंपनियों के लिए कर के दर की व्यवस्था का चुनाव करना आवश्यक है जिसके अंतर्गत वे शासित होना चाहती हैं।
- पहली कर व्यवस्था मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए है जिसके तहत लागू होने वाली कर की दर 22 प्रतिशत (25.17 प्रतिशत प्रभावी दर) है।
- धारा 115BAB के तहत नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए बनाई गई रियायती कर की दूसरी व्यवस्था के अनुसार, यह 15 दर प्रतिशत (प्रभावी दर 17.16 प्रतिशत) है।
- नई फर्मों को विनिर्माण, उत्पादन, अनुसंधान या वितरण के लिए 31 मार्च, 2023 तक नया निवेश करना होता है। इस वर्ष के बजट में इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 तक कर दिया है।

कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में	• यह प्रत्यक्ष कर है जो किसी कॉर्पोरेट कंपनी के विदेशी या घरेलू व्यवसाय से हुई सकल आय या लाभ पर लगाया जाता है। • यह आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत शासित है। इसमें विभिन्न प्रकार की कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए कई स्लैब हैं। • कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में पंजीकृत सार्वजनिक और निजी दोनों ही तरह की कंपनियों को कॉर्पोरेट कर का भुगतान करना होता है।
रियायती कर	• रियायती कर व्यवस्था में पुरानी व्यवस्था की तुलना में कम कर वाला स्लैब है।

व्यवस्था के बारे में	• इसके पीछे मूल विचार कॉर्पोरेट और विनिर्माण संस्थाओं के हाथों में अधिक नकदी प्रदान करना है जिससे पूंजी के निवेश का क्रम बना रहे। • सरकार अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की व्यवस्था लाती है। • यह दुनिया भर में माल और सेवाओं के उत्पादन को प्रतिस्पर्धी बनाती है और निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा संग्रहीत करने में अर्थव्यवस्था की मदद भी करती है।

ई-बिल

समाचार: करदाताओं संबंधी डेटा का प्राधिकारियों तक बेहतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, माल और सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत ई-बिल के लिए टर्नओवर की सीमा को आधा कर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो 1 अक्टूबर, 2022 से लागू है।

ई-बिल के लिए सीमा संबंधी निर्णय क्या है?

- 1 अक्टूबर, 2022 से 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक राजस्व वाले व्यवसायों को बी2बी लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। वर्तमान में यह सीमा 20 करोड़ रुपये हैं।
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 1 अगस्त को यह घोषणा की कि धीरे-धीरे ई-बिल को लागू करने के जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार ई-बिल हेतु राजस्व सीमा को घटाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- जीएसटी परिषद ने 20 सितंबर, 2019 को आयोजित अपनी 37वीं बैठक में ई-बिल के मानकों को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- 1 अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये या इससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए बी2बी लेनदेन के लिए ई-बिल अनिवार्य कर दिया गया था बाद में 1 जनवरी, 2021 से इस निर्णय को 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों तक बढ़ा दिया गया।

आईटीआर फॉर्म

समाचार: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सभी करदाताओं के लिए एक ही आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म का प्रस्ताव दिया है। इसने सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रारूप फॉर्म जारी किया है।

आईटीआर फॉर्म के प्रकार:

- अभी सात प्रकार के आईटीआर फॉर्म हैं जिनका उपयोग विभिन्न श्रेणियों के करदाताओं द्वारा किया जाता है।
- आईटीआर फॉर्म 1, जिसे 'सहज' कहा जाता है, लघु और मध्यम आय वाले करदाताओं के लिए है। सहज फॉर्म ऐसे व्यक्ति भर सकते हैं जिनकी वेतन से, एक घर की संपत्ति से / अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) से आय 50 लाख रुपये तक है।
- आईटीआर-2 आवासीय संपत्ति से आय अर्जित करने वाले लोगों द्वारा भरा जाता है।
- आईटीआर-3 उन लोगों के लिए है जिन्होंने आय व्यवसाय / पेशे में लाभ से अर्जित की है।
- आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-1 (सहज) की तरह ही सरल फॉर्म है। इसे व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और व्यवसाय एवं पेशे से 50 लाख रुपये तक की कुल आय वाली फर्मों द्वारा भरा जा सकता है।
- आईटीआर-5 और 6 क्रमशः सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) और व्यवसायों के लिए हैं।
- आईटीआरे-7 ट्रस्ट और गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा भरा जाता है।

प्रस्तावित विलय:

- प्रस्तावित प्रारूप आईटीआर में आईटीआर-7 को छोड़कर शेष आयकर के सभी मौजूदा रिटर्न को मिलाकर एक समान आईटीआर फॉर्म बनाने का प्रस्ताव है।
- नया आईटीआर फॉर्म पुराने फॉर्म आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के साथ उपलब्ध होगा, लेकिन आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-5 और आईटीआर-6 फाइल करने वाले करदाताओं के पास पुराने फॉर्म में फाइल करने का विकल्प नहीं होगा।
- **लाभ:** आईटीआर फॉर्म के विलय में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया गया है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों और अन्य करदाताओं (गैर-व्यावसायिक प्रकार) के लिए रिटर्न फाइल करने को सरल बनाना है, साथ ही फॉर्म भरने संबंधी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समय में कमी लाना है।

गूगल टैक्स

समाचार: अपतटीय डिजिटल अर्थव्यवस्था फर्मों पर भारत की समकरण लेवी (ईएल) या गूगल टैक्स, वर्ष 2023 के बाद भी बना रहेगा, चूंकि ग्लोबल टैक्स डील, जिसे अलग-अलग देशों द्वारा लगाई गई इस तरह की लेवी को प्रतिस्थापित करना था, में कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों आ रही है।

संबंधित जानकारी :

- समकरण लेवी (ईएल) या गूगल टैक्स (वित्त विधेयक, 2016 के माध्यम से लाया गया) विदेशी डिजिटल फर्मों के सीमा पार डिजिटल लेनदेन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए अंतरिम उपाय है।
    - वर्ष 2016 में, भारत ने बिना स्थायी प्रतिष्ठान (पीई) वाली अनिवासी कंपनियों द्वारा डिजिटल विज्ञापन सेवाओं के लिए प्राप्त भुगतान पर, एक वर्ष में 1 लाख रूपये से अधिक होने की स्थिति में, देय समकरण लेवी की शुरुआत की थी।
    - इसे बाद में अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों तक बढ़ा दिया गया जिन पर लेवी की दर 2 प्रतिशत रखी गई।
- 140 देशों ने अंतरराष्ट्रीय कर कानूनों को आधुनिक बनाने और यह गारंटी, कि बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) जहां भी व्यापार करें और मुनाफा कमाएँ वहाँ उचित कर का भुगतान करें, देने के लिए ओईसीडी की दो-स्तंभ योजना के भाग के रूप में वैश्विक कर सुधार का समर्थन किया है।
- **कार्यान्वयन में चुनौतियां :**
    - **अलग-अलग हित:** अमेरिका ने जहाँ कर की वैश्विक न्यूनतम दर को प्राथमिकता दी वहीं यूरोपीय देशों ने डिजिटल कराधान के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
    - वर्तमान में, यू.एस. और यूरोप दोनों में समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनों को पारित करने में सांसदों को कठिनाई आ रही है। उदाहरण के लिए, हंगरी ने हाल ही में यूरोपीय संघ में कर की न्यूनतम कॉर्पोरेट दर का समर्थन करना बंद कर दिया है।

ओसीईडी की दो स्तंभ योजना:

स्तंभ एक अर्थात, कर अधिकारों का पुनर्आवंटन	• 20 बिलियन यूरो से अधिक के वैश्विक कारोबार और 10 प्रतिशत से अधिक की लाभप्रदता वाले लगभग 100 सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय उद्यमों पर लागू होता है, यह उनके लाभ का एक हिस्सा उन स्थानों पर पुन: आवंटित करता है जहां ये उत्पाद बेचते हैं या सेवाएं प्रदान करते हैं।
स्तंभ दो अर्थात, वैश्विक एंटी-बेस क्षरण तंत्र	• वैश्विक स्तर पर 750 मिलियन यूरो से अधिक के राजस्व वाले बड़े बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए वर्ष 2023 से 15 प्रतिशत का 'वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेशन कर' निर्धारित करना। • स्तंभ दो के लिए वर्ष 2022 में कानून बनाना, वर्ष 2023 में लागू करना, वर्ष 2024 में यूटीपीआर (अंडरटैक्सड भुगतान नियम) लागू हो जाने चाहिए।

- हाल ही में, जी 24 समूह में भारत और अन्य विकासशील देशों ने समकरण लेवी जैसे भविष्य में कोई भी डिजिटल सेवा कर नहीं लगाने की संप्रभु प्रतिबद्धता जारी करने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है जिससे ग्लोबल टैक्स डील के कार्यान्वयन में संभावित रूप से देरी हुई है।

समूह 24 (G24) के बारे में:

- यह **अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक मामलों और विकास संबंधी अंतर-सरकारी समूह (जी-24) है** जो ब्रेटन वुड्स इंस्टिट्युशन (बीडब्ल्यूआई) के विचार-विमर्श और निर्णयों में मौद्रिक और विकास के मुद्दों पर विकासशील देशों की स्थिति का समन्वय करता है।
- **भारत भी जी 24 का सदस्य है।**

- जी-24 की स्थापना 1971 में जी 77 समूह द्वारा की गई थी और इसकी शुरूआत औपचारिक रूप से 1972 में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ हुई:
  - अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिति के क्रम को समीक्षाधीन रखना;
  - मौद्रिक क्षेत्र की घटनाओं के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रूपरेखा के भीतर किसी एक देश या देशों के समूह द्वारा लिए जा सकने वाले किसी भी निर्णयों का मूल्यांकन करना।

सबका विश्वास (लैगेसी विवाद समाधान) योजना

समाचार: जीएसटी के पहले के करदाताओं के कर संबंधी विवादों के समाधान के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित महत्वाकांक्षी योजना है।

संबंधित जानकारी :

- सबका विश्वास योजना लैगेसी विवाद समाधान योजना है, जो जीएसटी से पूर्व की कर व्यवस्था में सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 26 अन्य अप्रत्यक्ष कर अधिनियमों से संबंधित मुकदमों के "त्वरित समापन की अनुमति" के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित की गई थी।
- यह योजना इस आदेश के साथ लाई गई थी कि यह बड़ी संख्या में छोटे करदाताओं को कर प्रशासन के साथ उनके लंबित विवादों से मुक्ति दिलाएगी।
- इसकी घोषणा **2019-20 के केंद्रीय बजट में की गई थी और इसे 1 सितंबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक चलाया गया था।**

मुख्य विशेषताएं	• इस योजना के दो प्रमुख घटक थे, अर्थात्, "विवाद समाधान" और "राजक्षमा"। 1. "विवाद समाधान" घटक का उद्देश्य सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जिसे जीएसटी में समाहित कर दिया गया है, के लैगेसी मामलों, जो विभिन्न मंचों पर मुकदमेबाजी में लंबित हैं को समाप्त करना था। 2. योजना के "राजक्षमा" घटक का उद्देश्य करदाताओं को बकाया भुगतान करने का अवसर प्रदान करना और अन्य किसी भी कानूनी परिणामों से मुक्त करना है। • निर्णय या अपील के लिए किसी भी मंच पर लंबित सभी मामलों के लिए यह योजना शुल्क, यदि यह 50 लाख रुपये या उससे कम है, की मांग पर 70 प्रतिशत की, और यदि यह 50 लाख रुपये से अधिक हों तो 50 प्रतिशत की राहत प्रदान करती है।
लाभ	• करदाताओं को ब्याज, जुर्माने और शास्तियों से पूर्ण छूट के रूप में पर्याप्त राहत मिली। • अभियोजन की कार्यवाही से पूरी तरह माफी प्रदान की गई।

9. बाह्य क्षेत्र

डंपिंग रोधी शुल्क

समाचार: भारत ने चीन, ताइवान और वियतनाम से विनाइल टाइलों के आयात के खिलाफ डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। विनाइल टाइल एक प्रकार की टाइल है जिसका उपयोग आवासीय और व्यावसायिक भवनों में फर्श पर बिछाने के लिए किया जाता है।

संबंधित जानकारी

- **जब कोई माल बाजार मूल्य से कम कीमत पर एक देश से दूसरे देश में निर्यात किया जाता है, तो इसे डंपिंग कहा जाता है।** यह एक अनुचित व्यापारिक प्रथा है जिसका विश्व व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- देश यह पता लगाने के लिए डंपिंग रोधी जांच शुरू करते हैं कि क्या सस्ते आयात में वृद्धि से उनके घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचा है।
- यदि यह साबित हो जाता है कि डंपिंग से घरेलू कंपनियों को वास्तव में नुकसान हुआ है, तो देश इन आयातों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाते हैं।
- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की बहुराष्ट्रीय व्यवस्था के तहत डंपिंग रोधी ड्यूटि के उपयोग की अनुमति है।

त्रिपक्षीय विकास कॉर्पोरेशन (टीडीसी) निधि

समाचार: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में निवेश के लिए देशों के सहयोग से निजी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए भारत ने हाल ही में टीडीसी निधि की शुरूआत की है।

संबंधित जानकारी

- **शुरूआत :** विदेश मंत्रालय द्वारा।
- **लक्ष्य :** चीनी विकास साझेदारी मॉडल के स्थान पर विकल्प प्रस्तुत करना, जिसके कारण कुछ विकासशील देश कर्ज के जाल में फँस गए हैं।
- यह निधि निजी क्षेत्र को सूचीबद्ध करेगा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश के लिए देश वित्त पोषण प्रदान करेंगे।
- यूके के साथ शुरू की गई भारत की वैश्विक नवाचार भागीदारी (जीआईपी) जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय संघ जैसे अन्य देशों के साथ त्रिपक्षीय परियोजनाओं के लिए टीडीसी निधि का उपयोग करने का नमूना प्रदान करेगी।
- इसके अलावा, वैश्विक नवाचार भागीदारी में भारत के योगदान को टीडीसी निधि के माध्यम से चैनलाइज किया जाएगा।

वैश्विक नवाचार भागीदारी:

- इसकी शुरूआत भारत और यूके की सरकार द्वारा की गई।
- वैश्विक नवाचार भागीदारी का प्रयोजन भारतीय नवोन्मेषकों को तीसरे देशों में उनके नवाचारों को बढ़ाने में सहायता प्रदान करना है। जिससे नवोन्मेषकों को नए बाजारों का पता लगाने और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिले।
- भारतीय नवोन्मेषकों और उद्यमियों को वैश्विक नवाचार भागीदारी के माध्यम से तकनीकी सहायता, अनुदान, निवेश और परियोजना हेतु आरंभिक राशि प्रदान की जाएगी।
- वे कुछ विकासशील देशों के लिए **मूल्यांकन करेंगे, कार्यान्वयन करेंगे और विकास संबंधी अत्याधुनिक समाधान प्रदान करेंगे।**
- इन नवाचारों का ध्यान सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से संबंधित क्षेत्र पर केंद्रित होगा और जिससे प्राप्तकर्ता देशों को अपने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।
- **वैश्विक नवाचार भागीदारी ई-बाजार नामक खुला और समावेशी ई-मार्केटप्लेस भी विकसित करेगा।** इसका उपयोग सीमा पार नवाचार हस्तांतरण के लिए किया जाएगा।

विशेष आहरण अधिकार

समाचार: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चीनी मुद्रा युआन के वेटेज को विशेष आहरण अधिकार करंसी बास्केट में बढ़ा दिया, जिससे चीनी केंद्रीय बैंक ने अपने वित्तीय बाजारों को और अधिक खोलने का संकल्प लिया है।

संबंधित जानकारी :

- विशेष आहरण अधिकार सदस्य देशों की अन्य आरक्षित संपत्तियों की पूर्ति करने के लिए वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बनाई गई ब्याज-युक्त अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है।
- विशेष आहरण अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की बास्केट पर आधारित है जिसमें यूएस डॉलर, जापानी येन, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और चीनी रेनमिनबी शामिल है।
- यह कोई मुद्रा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विरुद्ध दावा नहीं है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्यों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं के विरुद्ध दावा हो सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष** विशेष आहरण अधिकार बास्केट की मुद्राओं की निर्धारित मुद्रा राशि और उनकी परस्पर वर्तमान बाजार विनिमय दरों के आधार पर **प्रत्येक दिन एसडीआर का मूल्य निर्धारित करता है।**
- हर पांच वर्ष पर एसडीआर बास्केट की जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह वैश्विक व्यापार और वित्तीय प्रणालियों में विभिन्न मुद्राओं के सापेक्ष महत्व को सटीक रूप से दर्शाएं।
- कोष ने कुल 660.7 बिलियन एसडीआर (लगभग 935.7 बिलियन अमेरीकी डॉलर के बराबर) आवंटित किए हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कोटा:**
    - आईएमएफ ने वर्ष 2016 में प्रशासन और कोटा संबंधी सुधार किए थे।
    - जिसके अनुसार, भारत का मतदान अधिकार 2.3 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो गया और चीन का मतदान अधिकार 2.2 प्रतिशत बढ़कर 3.8 प्रतिशत से 6 प्रतिशत हो गया।
    - वर्तमान में, भारत के पास एसडीआर कोटा का 2.75 प्रतिशत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 2.63 प्रतिशत वोट हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष:

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्धग्रस्त देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी।
- अमेरिकी शहर ब्रेटन वुड्स में हुए सम्मेलन में, दो संगठनों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इसके परिणामस्वरूप इन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विन्स कहा जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण वर्ष 1945 में किया गया जो 190 देशों द्वारा शासित और उनके प्रति जवाबदेह है जिसमें विश्व के लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं। भारत दिसंबर, 1945 में इसका सदस्य बना।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है – विनिमय दरों और अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की ऐसी प्रणाली जिसमें देश (और उनके नागरिक) एक दूसरे के साथ लेन-देन कर पाते हैं।
- वर्ष 2012 में, इसके अधिदेश को संशोधित कर अंतरराष्ट्रीय स्थिरता पर प्रभाव डालने वाले सभी व्यापक आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों को इसमें शामिल किया गया।
- **आईएमएफ द्वारा प्रकाशित रिपोर्टें:** वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक, रीजनल इकॉनोमिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, राजकोषीय मॉनिटर।

व्यापार रक्षा विंग

समाचार: हाल ही में वाणिज्य विभाग (डीओसी) के तहत रक्षा विंग (टीडीडबल्यू) के संचालन से भारतीय निर्यातकों को राहत मिली है।

संबंधित जानकारी :

- इसकी स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी।

- इसने भारत के विरूद्ध अन्य देशों द्वारा शुरू की गई पूछताछ के दौरान भारतीय निर्यातकों के साथ एकजुटता व्यक्त करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य किया है।
- यह विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के विभागों के साथ समन्वय करता है और अंतर्राष्ट्रीय जांच प्राधिकारियों, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्राधिकारियों के साथ चर्चा में भारत की रक्षा का प्रतिनिधित्व करता है।

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम

समाचार: उच्चतम न्यायालय ने 6,000 गैर-सरकारी संगठनों को उनके विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकरण का नवीनीकरण न होने संबंधी अपनी शिकायतों के निवारण के लिए सरकार के पास वापस जाने के लिए कहा है।

संबंधित जानकारी :

- **विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम को वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान इस आशंका** में, कि विदेशी शक्तियां स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से धन भेजकर भारत के मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं, अधिनियमित किया गया था ।
- इस कानून में व्यक्तियों और संघों को दिए गए विदेशी दान को विनियमित करने की मांग की गई है ताकि वे "संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों के अनुरूप" कार्य करें।
- इसमें वर्ष 2010 और फिर वर्ष 2020 में संशोधन किया गया।
- **विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम को गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है।**
- मोटे तौर पर, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के अनुसार विदेशी अंशदान पाने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति या गैर सरकारी संगठन को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत करवाना, भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली में विदेशी धन की प्राप्ति के लिए बैंक खाता खुलवाना, और जिस प्रयोजन हेतु इन्हें प्राप्त किया गया है केवल उसी के लिए और अधिनियम यथानिर्धारित अनुसार इन निधियों का उपयोग करना आवश्यक है।
    - एफसीआरए पंजीकरण एक बार प्रदान किए जाने के बाद, पांच वर्षों के लिए वैध रहता है।
    - गैर-सरकारी संगठनों से पंजीकरण की समाप्ति की तिथि के छह माह के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जाती है।
    - नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहने की स्थिति में, पंजीकरण समाप्त माना जाएगा और वह गैर सरकारी संगठन मंत्रालय की अनुमति के बिना विदेशी धन प्राप्त करने या अपने मौजूदा धन का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा।
- उन्हें वार्षिक विवरिणी दाखिल करनी होती है, और वे किसी अन्य गैर सरकारी संगठन को राशि अंतरित नहीं कर सकते।
- **पूर्व संदर्भ श्रेणी:** इसका तात्पर्य है कि किसी भी विदेशी दानदाता को ऐसे किसी गैर सरकारी संगठन को दान देने के लिए गृह मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- इस अधिनियम के अंतर्गत राजनीतिक दलों, सांसदों/ विधायकों, सार्वजनिक पद के उम्मीदवारों, पत्रकारों, समाचार पत्रों और मीडिया कंपनियों, न्यायाधीशों, सरकारी कर्मचारियों और राजनीतिक प्रकृति वाले संगठनों को विदेशी धन स्वीकार करने पर रोक है।

इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज

समाचार: प्रधान मंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में GIFT शहर में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) का शुभारंभ किया।

आईआईबीएक्स के बारे में:

- यह गुजरात के गिफ्ट सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) में स्थित भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है।
- बुलियन का तात्पर्य उच्च शुद्धता वाले भौतिक सोने और चांदी से है जिसे अक्सर बार, सिल्लियों या सिक्कों के रूप में रखा जाता है। इसे कभी-कभी वैध मुद्रा भी माना जा सकता है और इसे अक्सर केंद्रीय बैंकों या संस्थागत निवेशकों द्वारा रिज़र्व के रूप में भी रखा जाता है।

आईआईबीएक्स पर कौन-कौन व्यापार कर सकता है?	• पात्र जौहरियों को आईआईबीएक्स के माध्यम से सोना आयात करने की अनुमति होगी। • पात्र जौहरी बनने के लिए, संस्थाओं की न्यूनतम नेट वर्थ 25 करोड़ रुपये हों और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार का 90 प्रतिशत कीमती धातुओं के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं में किए गए सौदों के माध्यम से आया हों। • पात्र जौहरियों के अलावा, अनिवासी भारतीय और संस्थाएं भी आईएफएससीए के साथ पंजीकरण कराने के बाद एक्सचेंज में भाग ले सकेंगे। • इसके अलावा, जौहरी आईआईबीएक्स पर ट्रेडिंग मेम्बर्स या ट्रेडिंग मेम्बर्स के ग्राहकों के रूप में लेनदेन कर पाएँगे। • ट्रेडिंग सदस्य बनने के लिए, पात्र जौहरी आईएफएससी में शाखा या सहायक कंपनी स्थापित कर सकता है और आईएफएससीए में आवेदन कर सकता है।
भारत में बुलियन एक्सचेंज के लाभ	• बैंकों और नामित एजेंसियों के अलावा यह एक्सचेंज देश में सोने के आयात के लिए अतिरिक्त मंच प्रदान करेगा। • यह मंच दक्षतापूर्ण मूल्य का पता लगाने में मदद करेगा और लेनदेन में अतिरिक्त पारदर्शिता प्रदान करेगा। • यह अमेरिकी डॉलर में सोने और चांदी का व्यापार करने का विकल्प भी देगा। • चूंकि गिफ्ट सिटी मुक्त व्यापार क्षेत्र है, इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। • भारत वैश्विक सोने के बाजार का प्रमुख देश है, लेकिन मोटे तौर पर वह विद्यमान कीमत को ही स्वीकार करता है। यह एक्सचेंज वैश्विक बाजार में सही मूल्य का पता लगाने में भारत की भूमिका को बढ़ाने में मदद करता है और भारत को एशिया का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनने में मदद कर सकता है।

रूल्स ऑफ ऑरिजिन

समाचार: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अनुसार, सीमा शुल्क नियम, 2020 (CAROTAR) और रूल्स ऑफ ऑरिजिन (मुक्त व्यापार समझौते के तहत) के बीच टकराव के मामले में, रूल्स ऑफ ऑरिजिन पर एफटीए के प्रावधान मान्य होंगे।

कैरोटार नियमों के बारे में:

- CAROTAR, 2020 ने मुक्त व्यापार समझौते के तहत आयात पर तरजीही दर की अनुमति देने के लिए 'रूल्स ऑफ ऑरिजिन' के प्रवर्तन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।
- ये विभिन्न व्यापार समझौतों के तहत निर्धारित मौजूदा परिचालन प्रमाणन प्रक्रियाओं के पूरक हैं।
- इन्हें **वित्त मंत्रालय ने अगस्त, 2020 में** अधिसूचित किया था।

प्रावधान:

- आयातक को यह सुनिश्चित करने के लिए, कि वे उत्पाद के उद्गम स्रोत संबंधी निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, **माल आयात करने से पहले उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता है।**
- आयातक को बिल ऑफ एंट्री में कतिपय उत्पाद के उद्गम स्रोत संबंधी संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी, जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन में उपलब्ध होगी।
- मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत सीमा शुल्क ड्यूटि की कम दर हेतु पात्र होने के लिए, **आयातकों को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि आयातित माल निर्धारित 'रूल्स ऑफ ऑरिजिन' का पालन करते हों।**
- आयातकों को यह अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए कि उत्पाद के उद्गम वाले देशों में उस उत्पाद के मूल्य में कम से कम 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

- **इससे पहले, मुक्त व्यापार समझौते का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्यातक देश की किसी अधिसूचित एजेंसी द्वारा जारी मूल देश का प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होता था।**
- कई मामलों में इसका फायदा उठाया गया, अर्थात, मुक्त व्यापार समझौतों के भागीदार देश उस उत्पाद में आवश्यक मूल्यवर्धन के लिए यह दावा करते रहे हैं कि संबंधित माल को आवश्यक प्रौद्योगिकीय क्षमता के बिना उत्पादित किया है।

इम्पॉसिबल ट्रिनिटी

समाचार: इम्पॉसिबल ट्रिनिटी या ट्राइलेम्मा हाल ही में चर्चा में आया है क्योंकि यू.एस. फेडरल रिजर्व बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि कर रहा है।

संबंधित जानकारी :

- यह इस विचार की ओर इंगित करता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र मौद्रिक नीति का पालन करना, निश्चित विनिमय दर को बनाए रखना, और अपनी सीमाओं के पार बिना किसी रोक-टोक के पूंजी की आवाजाही को अनुमति देना, तीनों एक साथ नहीं कर सकती है।
- अर्थशास्त्रियों का दावा है कि कोई भी अर्थव्यवस्था दीर्घावधि में एक स्थिति में उपरोक्त तीन नीतिगत विकल्पों में से केवल दो को ही चुन सकती है।
- वर्ष 1960 के दशक की शुरुआत में, इस अवधारणा को स्वतंत्र रूप से ब्रिटिश अर्थशास्त्री मार्कस फ्लेमिंग और कनाडा के अर्थशास्त्री रॉबर्ट मुंडेल द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- **द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी या ट्राइलेम्मा ऑफ आरबीआई:** भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष रुपये के मूल्य को स्थिर रखने और अपनी मौद्रिक नीति को स्वतंत्र बनाए रखने दोनों में से किसी एक को चुनने की दुविधा आ सकती है। जैसा कि यू.एस. फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में वृद्धि की है जिससे रुपये पर दबाव बढ़ रहा है, जिसके मूल्य में इस वर्ष यू.एस. डॉलर के मुकाबले लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट आई है।

निर्यात हब के रूप में जिला योजना

समाचार: विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने अपनी प्रस्तावित निर्यात हब के रूप में जिला योजना के लिए वित्त मंत्रालय से 6,000 करोड़ रूपये की मांग की है।

संबंधित जानकारी:

- यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है।
- यह योजना **नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी)** का हिस्सा होगी।
- **लक्ष्य :** सभी 200 जिलों के उत्पादकों की विनिर्माण को बढ़ाने और अपने सामान के लिए विदेशी खरीददार ढूँढने में मदद करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)।**
- **विशेषताएं:** योजना के तहत, अधिकांश जिलों में जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) का गठन किया गया है और प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान की गई है।

विदेशी मुद्रा प्रबंध(पारदेशीय निवेश) नियमावली

चर्चा में : वित्त मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) नियमावली, 2022 जारी किया है। नियमों का उद्देश्य उन घरेलू फर्मों के लिए नियमों को आसान बनाना है जो विदेश में निवेश करना चाहती हैं।

नियमावली के बारे में

उद्देश्य	**नियमावली** का उद्देश्य उन घरेलू फर्मों के लिए नियमों को आसान बनाना है जो विदेश में निवेश करना चाहती हैं।

वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट	• भारत में कोई भी निवासी विदेशी इकाई या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) में इक्विटी पूंजी प्राप्त करता है, उसे हर वर्ष 31 दिसंबर तक प्रत्येक विदेशी संस्था के लिए एक वार्षिक **कार्य निष्पादन** रिपोर्ट (एपीआर) जमा करनी होगी। • ऐसी किसी रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी जहां भारत में निवासी व्यक्ति विदेशी इकाई में नियंत्रण के बिना 10% से कम इक्विटी पूंजी रखता है और इक्विटी पूंजी के अलावा कोई अन्य वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं है या एक विदेशी संस्था परिसमापन के अधीन है।
निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई)	• कोई भी निवासी व्यक्ति रिज़र्व बैंक की उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अन्तर्गत समग्र सीमा के अधीन इक्विटी पूंजी या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (ओपीआई) में निवेश के माध्यम से ओडीआई कर सकता है। • वर्तमान में, एलआरएस एक व्यक्ति द्वारा एक वर्ष में बाहरी निवेश में $ 2,50,000 की अनुमति देता है।
विदेश में वित्तीय फर्मों में निवेश	• भारतीय कंपनियाँ जो वित्तीय सेवाओं में नहीं हैं, अब स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत दलाली, परिसंपत्ति प्रबंधन निधि और क्रेडिट कार्ड जैसी वित्तीय-सेवा फर्मों में विदेशों में सीधे निवेश कर सकती हैं। बैंकों और बीमा कंपनियों को इससे बाहर रखा गया है। पहले इस तरह के निवेश पर रोक थी।
रणनीतिक क्षेत्र	• नए नियमों ने "रणनीतिक क्षेत्र" की अवधारणा को पेश किया, जो सरकार को नियमों के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक विदेशी निवेश की अनुमति देने की शक्ति देता है। • रणनीतिक क्षेत्र में ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन और ऐसे अन्य क्षेत्र शामिल होंगे, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर उभरती व्यावसायिक आवश्यकताओं को देखते हुए तय किया जा सकता है।
विदेशी निवेश पर रोक	• कोई भी भारतीय निवासी जिसे एच्छिक चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है या उसके विरूद्ध सीबीआई, ईडी या गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा जांच की जा रही है, उसे अपने बैंक, नियामक निकाय या किसी भी विदेशी वित्तीय प्रतिबद्धता या विदेशी संपत्तियों के विनिवेश से पहले जांच एजेंसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना होगा। • यदि ऋणदाता, संबंधित नियामक निकाय या जांच एजेंसी आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर एनओसी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो यह माना जा सकता है कि उन्हें प्रस्तावित लेनदेन पर कोई आपत्ति नहीं है।

यातायात पृथक्करण योजना

चर्चा में: भूमध्यसागरीय शिपिंग कंपनी (एमएससी) - दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर वाहक कंपनी - ने नीली व्हेल को टकराने से बचाने के लिए अपने जहाजों के मार्गों को बदलने का फैसला किया है।

योजना के बारे में

- **यातायात पृथक्करण योजना (टीएसएस**) एक मार्गों को बदलने का उपाय है, जिसका उद्देश्य यातायात की विपरीत दिशा से आने वाली धाराओं को उचित तरीकों से और यातायात लेन की स्थापना के द्वारा अलग करना है।
- **टीएसएस क्षेत्र समुद्र में एक ऐसा क्षेत्र है जहां जहाजों के प्रचालन को अत्यधिक विनियमित किया जाता है।**

- प्रत्येक टीएसएस को पानी की लेनों में विभाजित करने के लिए बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक लेन में जहाज समान दिशा में (लगभग) चलते हैं।
- एक टीएसएस आमतौर पर वहां बनाया जाता है जहां टकराव का उच्च जोखिम होता है और विभिन्न दिशाओं में यात्रा करने वाले कई जहाजों और नौकाओं की आवाजाही होती है।
- टीएसएस को एक नौवहन चार्ट पर बैंगनी रंग में चिह्नित किया गया है, जो संभवतः समुद्री करियर की शुरुआत करने वालों को पता है।
- ये काल्पनिक रेखाएँ हैं जिनका सीमाओं के माध्यम से वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।
- लेकिन समुद्र में सभी जहाजों द्वारा उनका अनुपालन किया जाता है क्योंकि समुद्र में टकराव की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियमों(सीओएलआरईजी) पर अभिसमय, 1972 के नियम 10 के अनुसार इसका अनुपालन अनिवार्य है।
- पहली यातायात पृथक्करण योजना **1967 में डोवर जलडमरूमध्य में स्थापित की गई थी** ।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)

चर्चा में: हाल ही में **एमपीईडीए** ने अपना 50वां वर्ष मनाया।

एमपीईडीए के बारे में

- समारोह के दौरान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने देश के समुद्री संसाधनों के व्यापक विकास के लिए चार प्रस्ताव रखे।
  1. निर्यात में 90% योगदान देने वाली वस्तुओं के लिए 20 बाजारों की पहचान करना ।
  2. राज्य प्रशासन के परामर्श से राज्यवार निर्यात विकास योजनाएं तैयार करना।
  3. अगले पांच वर्षों में $20 बिलियन के निर्यात का लक्ष्य करना, और
  4. मछुआरों के जोखिम को कम करके, उनके बीच जागरूकता पैदा करके, उनकी आय में वृद्धि करके और उन्हें बिचौलियों से बचाकर उनकी आजीविका को बढ़ाना।

एमपीईडीए के बारे में	• इसे 1972 में समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था ।** • पूर्ववर्ती **समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद को एमपीईडीए में परिवर्तित कर दिया गया था।** • इसे समुद्री उत्पादों के निर्यात को विनियमित करने और देश से निरंतर, गुणवत्ता वाले समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने का अधिकार है।
भारत का समुद्री उद्योग:	• भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। • वर्तमान में भारत 120 से अधिक देशों को निर्यात कर रहा है। • 2022 में समुद्री उत्पादों का निर्यात 7.74 अरब अमेरीकी डॉलर तक पहुंच गया है।

डिजिटल सेवा अधिनियम

चर्चा में: यूरोपीय संघ (ईयू) ने ऑनलाइन सुरक्षा-केंद्रित कानून को अंतिम मंजूरी दे दी है, जो क्षेत्र के सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स नियमों में एक बड़ा बदलाव है।

अधिनियम **के बारे में**

- कानून जिसे डिजिटल सेवा अधिनियम (डीएसए) कहा जाता है, उपयोगकर्ता सामग्री को संशोधित करने के संदर्भ में मध्यस्थों, विशेष रूप से गूगल, मेटा, ट्विटर और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफार्मों के कार्य करने के तरीके को कड़ाई से नियंत्रित करता है।
- यह उपयोगकर्ताओं और ऑनलाइन मौलिक अधिकारों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगा, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक शक्तिशाली पारदर्शी और जवाबदेह ढांचा स्थापित करेगा और पूरे यूरोपीय संघ में एक समान ढांचा प्रदान करेगा।

डिजिटल सेवा अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:

सामग्री को तेज़ी से हटाने की प्रक्रिया	• सोशल मीडिया कंपनियों को चुनौती देने के लिए तेजी से हटाने और प्रावधानों को अवैध या हानिकारक समझी जाने वाली सामग्री के **"तेजी से हटाने के लिए नई प्रक्रियाएं" जोड़नी होंगी।** उन्हें प्रयोगकर्ताओं को यह भी बताना होगा कि उनकी सामग्री निर्धारण नीति कैसे काम करती है। यह उपयोगकर्ताओं को प्लेटफ़ॉर्म द्वारा लिए गए निर्धारण निर्णयों को चुनौती देने और आउट-ऑफ़-कोर्ट समझौता तलाशने की भी अनुमति देता है।
बड़े प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी अधिक होती है	• डीएसए के अन्तर्गत , 'वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म' (वीएलओपी) और 'वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजन' (वीएलओएसई), यानी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म, जिनके ईयू में 45 मिलियन से अधिक प्रयोगकर्ता हैं, की अधिक कठोर आवश्यकताएं होंगी।
यूरोपीय आयोग द्वारा प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण	• यूरोपीय आयोग स्वयं इन आवश्यकताओं और उनके प्रवर्तन की केंद्रीय रूप से निगरानी करेगा।
एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, इस पर अधिक पारदर्शिता	• वीएलओपी और वीएलओएसई इस बारे में पारदर्शिता उपायों और जांच का सामना करना पड़ेगा कि उनके एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं।
विज्ञापनों देन वालों और उनके लिए भुगतान करने वालों के लिए स्पष्ट पहचानकर्ता	• ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रयोगकर्ता आसानी से विज्ञापनों की पहचान कर सकें और यह समझ सकें कि कौन विज्ञापन प्रस्तुत करता है या उसके लिए भुगतान करता है। उन्हें नाबालिगों के लिए निर्देशित या संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के आधार पर वैयक्तिकृत विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करना चाहिए।

जुड़वां संक्रमण

चर्चा में: विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने कहा कि जुड़वां संक्रमण' **दृष्टिकोण नेतृत्वकर्ताओं** को अपने संगठनों को भविष्य के लिए डिजिटल और स्थिरता एजेंडा साथ लाने में मदद कर सकता है।

परिचय:	• यह स्वीकार करता है कि स्थिरता लक्ष्यों के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा के लिए एक बड़ा और बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त अवसर है। • दक्षता और उत्पादकता के बड़े लाभों को पाने के लिए रणनीति डिजिटल और स्थिरता को जोड़ती है। • यह पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए डिजिटल संपत्ति और बुनियादी ढांचे का अनुकूलन करता है।
लाभ:	• संगठन में स्थिरता को तेज करते हुए प्रौद्योगिकी, डेटा संपत्तियों और बुनियादी ढांचे को 'हरित' करके सकारात्मक प्रभाव डाला जा सकता है। • पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए संगठन डिजिटल शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।

वोस्त्रो खाता

चर्चा में: केंद्र सरकार ने हाल ही में रुपये में व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए नौ रूसी बैंकों के लिए ' वोस्त्रो ' खातों को मंजूरी दी है।

वोस्त्रो खाते के बारे में:

- वोस्ट्रो खाता वह **खाता है जो एक घरेलू बैंक अपनी मुद्रा में एक विदेशी बैंक के लिए रखता है - जो कि भारत के मामले में रुपया है।**
- इन वोस्त्रो खातों में रूस से आयातित और निर्यात किए गए सामानों के लिए रुपये में भुगतान किया जाएगा। दोनों देशों में निर्यातक और आयातक इस पैसे के मालिक और प्राप्तकर्ता होंगे। बैंक सभी धन हस्तांतरण का रिकॉर्ड रखेंगे।

नोस्त्रो खाता:

- **वोस्त्रो** और **नोस्त्रो** खाते तकनीकी रूप से एक ही प्रकार के खाते हैं, जिसमें यह अंतर होता है कि खाता कौन और कहाँ खोलता है।
- इसलिए, यदि एसबीआई जैसा कोई भारतीय बैंक संयुक्त राज्य अमेरिका में खाता खोलना चाहता है, तो वह अमेरिका में एक बैंक से संपर्क करेगा, जो **नोस्त्रो** खाता खोलेगा और एसबीआई के लिए डॉलर में भुगतान स्वीकार करेगा।
- भारतीय बैंक के लिए, अमेरिका में भारतीय बैंक द्वारा खोला गया खाता **नोस्त्रो** खाता होगा; हालाँकि, खाते को यूएस बैंक द्वारा **वोस्त्रो** खाते के रूप में माना जाएगा।

डूम लूप या अरक्षितता का चक्र'

चर्चा में: अर्थशास्त्रियों के अनुसार, यूरोप डूम लूप की ओर बढ़ रहा है।

डूम लूप **के बारे में**

- डूम लूप भेद्यता का चक्र है जहां किसी देश की बैंकिंग प्रणाली को **उनके द्वारा रखे गए संप्रभु बांड की कीमत में अस्थिरता से गंभीर रूप से झटका लग सकता है, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋण में संकुचन होता है।**
- यह एक ऐसी घटना है जिससे **इसकी आर्थिक प्रणाली के एक हिस्से को झटका दूसरे पर इसके प्रभाव से बढ़ जाता है।**

विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (एफआईएफपी)

चर्चा में: 2017 में पहले के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को समाप्त होने के बाद एफआईएफपी ने 5 वर्ष पूरे किए।

एफआईएफपी **के बारे में**

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सुविधा के लिए** भारत सरकार का एक नया ऑनलाइन सिंगल पॉइंट इंटरफ़ेस है ।
- **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** द्वारा प्रशासित है ।
- यह अनुमोदन चैनल के माध्यम से होने वाले आवेदनों की एकल खिड़की निकासी की सुविधा प्रदान करता है।

पुनर्कौशल क्रांति पहल

चर्चा में: इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जनवरी 2020 में अपनी 50वीं वार्षिक बैठक में लांच किया गया था, और यह 2030 तक 1 अरब लोगों को बेहतर शिक्षा, कौशल और आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए काम कर रही है।

पहल **के बारे में**

- इसका उद्देश्य श्रमिकों को उन नए कौशलों से युक्त करना है जिनकी उन्हें चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए और उन्हें तकनीकी परिवर्तन से बचाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता होगी।
- भारत सरकार सहित सार्वजनिक और निजी दोनों संगठन इसके लिए वित्त पोषण करते हैं।
- इस पहल में वयस्कों के कौशल विकास और कौशल विकास के अलावा बच्चों और युवाओं की शिक्षा पर ध्यान देना शामिल होगा।

निर्यात पोर्टल

चर्चा में: प्रधान मंत्री ने नया पोर्टल 'निर्यात' (व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आयात निर्यात रिकॉर्ड) लॉन्च किया- भारत के विदेश व्यापार पर आवश्यक सभी सूचनाओं के लिए एक स्थान।

पोर्टल **के बारे में**

- यह सभी हितधारकों को वास्तविक टाइम डेटा प्रदान करके साइलो को तोड़ने में मदद करेगा।
- विश्व के 200 से अधिक देशों को निर्यात की जाने वाली 30 से अधिक वस्तु समूहों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी।
- आने वाले समय में जिलेवार निर्यात से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

एशियन पाम ऑयल संघ (एपीओए)

चर्चा में : यह भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल सहित पांच प्रमुख पाम ऑयल आयातक देशों के शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघों द्वारा गठित किया गया है।

संघ **के बारे में**

- सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) इसके सचिवालय का प्रबंधन करेगा।
    - एशिया वैश्विक पाम ऑयल की मांग का 40% भारत के साथ सबसे बड़े आयातक के रूप में लगभग 15% यानी लगभग 13-14 मिलियन टन के आसपास होता है।
- सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति हासिल करने और आयात को टिकाऊ बनाने के विचार के आधार पर, एपीओए काम करेगा:
    - पाम ऑयल की नकारात्मक छवि को बदलना और सुनिश्चित करना कि इसे उच्च गुणवत्ता वाले, किफायती और स्वस्थ वनस्पति तेल के रूप में मान्यता प्राप्त हो।
    - पाम ऑयल की खपत करने वाले देशों के आर्थिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा करना और सदस्य देशों में इसकी खपत बढ़ाना।

पाम ऑयल के बारे में	• यह खाने योग्य वनस्पति तेल है जो **इलेइस गिनेंसिस (अफ्रीकी तेल पाम) या एलाइसओलीफ़ेरा (दक्षिण और मध्य अमेरिका में पाया जाता है) के फल से बनाया जाता है।** • यह ट्रांस फैटी एसिड वाले विटामिन ए और ई से भरपूर है ; आमतौर पर खाद्य उत्पादों और औद्योगिक प्रयोगों में उपयोग किया जाता है।
पाम ऑयल के लिए भारत की पहल	• राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - पाम ऑयल (एनएमईओओपी), खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए केंद्र प्रायोजित योजना। • राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत ऑयल पाम क्षेत्र का विस्तार . • तिलहनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना।

कोडेक्स एलिमेंटेरियस या खाद्य संहिता आयोग (सीएसी)

चर्चा में : हाल ही में, **मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति (सीसीएससीएच) ने** जायफल, केसर, मिर्च-काली मिर्च और पेपरिका के लिए गुणवत्ता मानकों को अंतिम रूप दिया और सिफारिश की है और इन प्रस्तावित मानकों को कोडेक्स एलिमेंटेरियस या खाद्य संहिता आयोग को अग्रेषित किया है।

आयोग **के बारे में**

- कोडेक्स एलिमेंटेरियस या खाद्य संहिता अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक, दिशानिर्देश और अभ्यास की संहिताएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार की सुरक्षा, गुणवत्ता और निष्पक्षता में योगदान करते हैं।

- ये खाद्य मानक, दिशानिर्देश और कोड उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करने और व्यापार में बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं
- **कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन** खाद्य संहिता आयोग **(सीएसी) संयुक्त खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) और डब्लूएचओ खाद्य मानक** कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार निकाय है ।
    - वैश्विक खाद्य मानकों में रुचि रखने वाले सभी एफएओ और डब्ल्यूएचओ सहयोगी सदस्य और सदस्य राष्ट्र आयोग में शामिल होने के पात्र हैं।
    - आयोग संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाओं में काम करता है और जिनेवा और रोम में बारी-बारी से वर्ष में एक बार नियमित सत्र आयोजित करता है।

सीसीएससीएच के बारे में:

- यह **सीएसी के अन्तर्गत मसालों और पाक जड़ी बूटियों के लिए विश्वव्यापी मानकों को विस्तृत करने वाली एक समिति है।**
- भारत मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर संहिता समिति (सीसीएससीएच) का मेजबान देश है।

ई-कॉमर्स में एफडीआई

चर्चा में: कदाचार के बारे में शिकायतों के बाद केंद्र ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए एफडीआई नीति पर एक स्पष्टीकरण जारी करने की योजना बना रहा है।

परिचय:

- **2018 नीति:** औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने 2018 में ई-कॉमर्स कंपनियों पर एफडीआई नीति प्रकाशित की है।
- ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल में **स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत 100% एफडीआई की अनुमति है, जबकि ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री-आधारित मॉडल में एफडीआई की अनुमति नहीं है।** इसलिए, बी2बी (बिज़नेस टू बिज़नेस) ई-कॉमर्स में 100% **एफडीआई** की अनुमति है, हालाँकि, बी2सी (बिज़नेस टू कंज्यूमर) ई-कॉमर्स में किसी **एफडीआई** की अनुमति नहीं है।
- सरकार ने 'ई-कॉमर्स कंपनियों की कुछ प्रथाओं के बारे में उपभोक्ताओं और छोटे खुदरा विक्रेताओं की कुछ शिकायतों' की जांच के अन्तर्गत ऑनलाइन मार्केटप्लेस से जानकारी मांगी थी।
- **कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने** बार-बार शिकायत की है कि ऑनलाइन खुदरा विक्रेता ई-कॉमर्स के एफडीआई नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
- जब बीटूसी ई-कॉमर्स की अनुमति नहीं है, तो इन कंपनियों ने साझीदार बनाकर नियमों का उल्लंघन किया है।
- मार्केटप्लेस अपने ब्रांड, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, अधिक ब्रांड बनाने और लाभ प्रतिशत बढ़ाने जैसे नियमों को दरकिनार करते हुए नई संरचनाओं की स्थापित की है।

ई-कॉमर्स में एफडीआई नियम:

बाजार मॉडल	• **भारत ई-कॉमर्स के बाजार मॉडल में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देता है; बाजार** मॉडल को एक तकनीकी प्लेटफॉर्म के रूप में परिभाषित किया जाता है जो खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ता है।
इन्वेंटरी-आधारित मॉडल	• **भारत ने ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री-आधारित मॉडल में एफडीआई की अनुमति नहीं दी है** । इन्वेंट्री मॉडल वह है जहां सामान और सेवाओं का स्वामित्व एक ई-कॉमर्स फर्म के पास होता है जो सीधे खुदरा ग्राहकों को बेचती है।

25% का नियम	• एक विक्रेता या विक्रेता की इन्वेंट्री को एक **बाजार** द्वारा नियंत्रित माना जाएगा यदि विक्रेता अपनी इन्वेंट्री का 25 प्रतिशत से अधिक **बाजार** या उसके किसी समूह फर्म से खरीदता है।
निषिद्ध गतिविधियाँ	• नियम अब किसी भी इकाई को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने से प्रतिबन्धित करते हैं जिसमें ई-कॉमर्स फर्म या उसकी समूह कंपनियों की हिस्सेदारी है। • इसने ई-कॉमर्स फर्मों को अपने प्लेटफॉर्म पर विशेष रूप से किसी भी उत्पाद को बेचने के लिए व्यापारियों को प्रोत्साहित करने से भी प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि, विक्रेता पसंदीदा ऑनलाइन भागीदार चुन सकते हैं। • नए नियम यह भी निर्धारित करते हैं कि एक ई-कॉमर्स **बाजार**, साथ ही **बाजार** की इक्विटी वाली किसी भी कंपनी को प्लेटफॉर्म पर सभी विक्रेताओं को उचित तरीके से पूर्ति, रसद और भुगतान जैसी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।

अमेरिका भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है

चर्चा में: हाल ही में, अमरीका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनने के साथ सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है।

परिचय:

- तुलनात्मक रूप से सस्ते अमेरिकी कच्चे तेल आयात के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में सऊदी अरब से आगे निकल गया है।
- दुनिया के शीर्ष उत्पादक से भारत का आयात 48% बढ़कर रिकॉर्ड 545,300 बैरल प्रति दिन हो गया, जो भारत के कुल आयात का 14% है।
- हाल ही में, ओपेक+ देशों ने अपने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की है जिसके कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है।
    - आपूर्ति में बदलाव कम उत्पादन बनाए रखने के लिए पेट्रोलियम निर्यातक देशों और उसके सहयोगियों (ओपेक+) के संगठन द्वारा एक समझौते के कारण सऊदी अरब की स्वैच्छिक अतिरिक्त 1 मिलियन बैरल प्रति दिन उत्पादन कटौती के साथ, अमेरिकी कच्चे तेल की कम मांग के कारण हुआ।

विभिन्न देशों से भारत का तेल आयात (2020):

- एक देश के रूप में **इराक** सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, इसके बाद सउदी अरब का स्थान आता है।
- इस अवधि के दौरान, यूएसए ने भारत के कुल आयात का केवल 5% योगदान दिया।
- पिछले वित्तीय वर्ष में, भारत ने अपनी तेल जरूरतों का 85% और 2019-20 में अपनी गैस आवश्यकता का 53% आयात किया।

हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका से पेट्रोलियम आयात में वृद्धि क्यों हुई है?

- हाल ही में, सऊदी अरब के नेतृत्व वाले ओपेक और ओपेक+ देशों ने स्वेच्छा से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया।
- इससे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है।
- दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक होने के नाते भारत पर इसका भारी असर पड़ा है क्योंकि तेल की बढ़ी हुई कीमतों ने घरेलू बाजार के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को भी बहुत मुश्किल से प्रभावित किया है।
- इसने भारत को एक वैकल्पिक तेल बाजार ढूंढने के लिए प्रेरित किया और इसलिए उसने सस्ते कच्चे तेल के आयात के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का चुनाव किया।
- इसके अलावा, भारत ने मध्य पूर्व से कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने का संकल्प लिया है।

ओपेक और ओपेक+ के बारे में:

ओपेक (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन)	• यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे **1960 में बगदाद सम्मेलन में गठित किया गया था** । • **मुख्यालय: वियना, ऑस्ट्रिया** • **संस्थापक सदस्य:** ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। • वर्तमान में ओपेक के 13 सदस्य हैं। अल्जीरिया, अंगोला, यूएई, कांगो गणराज्य, लीबिया, नाइजीरिया, लीबिया और इक्वेटोरियल गिनी अन्य सदस्य हैं। • **संयुक्त राज्य अमेरिका, जो एक प्रमुख तेल उत्पादक देश है, ओपेक का सदस्य नहीं है।** • इसका मुख्य उद्देश्य प्रमुख तेल उत्पादक देशों के साथ पेट्रोलियम नीतियों पर समन्वय स्थापित करना है। • यह पेट्रोलियम संबंधी गतिविधियों जैसे उत्पादन, मूल्य विनियमन और कच्चे तेल की आपूर्ति से संबंधित नीतियों को समायोजित करता है।
ओपेक+	• **ओपेक प्लस देशों में 13 ओपेक सदस्य और दुनिया के 10 प्रमुख गैर-ओपेक तेल निर्यातक देश शामिल हैं।** • **सदस्य:** अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान गैर-ओपेक देश हैं जो ओपेक+ के सदस्य हैं। • ओपेक + वैश्विक तेल आपूर्ति के 50% से अधिक और संभावित तेल भंडार के लगभग 90% को नियंत्रित करता है। • इसका उद्देश्य विश्व बाजार में मूल्य निर्धारित करने के लिए तेल की आपूर्ति को विनियमित करना है। • यूएसए **ओपेक+ देशों का हिस्सा नहीं है** ।

ईपीसीजी योजनाः व्यापार को और सरल बनाना

चर्चा में: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना के लिए नए प्रावधानों की घोषणा की है।

ईपीसीजी योजना के बारे में:

- मंत्रालय ने निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना **के अन्तर्गत कई प्रक्रियाओं में ढील दी है** ताकि अनुपालन को कम किया जा सके और व्यापार करने में आसानी हो।

मंत्रालय	• **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**
उद्देश्य	• गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुविधाजनक बनाना और भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
विशेषताएँ	• योजना के अन्तर्गत , निर्यात दायित्व (ईओ) के अधीन, पूंजीगत वस्तुओं के आयात को शुल्क मुक्त करने की अनुमति है। • **निर्यात दायित्व (ईओ)** यह है कि योजना के अन्तर्गत निर्यातक को छह वर्षों में बचाए गए वास्तविक शुल्क के छह गुना मूल्य के तैयार माल का निर्यात करना होता है। चार वर्ष के पहले ब्लॉक के भीतर कम से कम ईओ का 50% पूरा होना चाहिए।

योजना के उद्देश्य	• भारतीय निर्माताओं और उत्पादकों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं के आयात की सुविधा उपलब्ध कराना। • भारत के वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को प्रतिस्पर्धी बनाना। • भारत को एकीकृत करना और इसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाना। • विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के स्तर को बढ़ाना।

इरादतन चूक

चर्चा में: इरादतन चूककर्ताओं पर नजर रखने के साथ **वित्त मंत्रालय ने हाल ही में विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) नियमावली, 2022 जारी की है।**

परिचय:

- नए नियम में प्रावधान है कि कोई भी भारतीय निवासी जिसका खाता गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में है; या किसी बैंक द्वारा इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया हो; या किसी वित्तीय सेवा नियामक या भारत में जांच एजेंसियों द्वारा जांच के अधीन है , कोई भी पारदेशीय वित्तीय प्रतिबद्धता करने से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- **भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, निम्नलिखित चार परिस्थितियों में से किसी एक में इरादतन चूक हुई मानी जाती है:**
    1. जब इकाई (कंपनी/व्यक्तिगत) द्वारा ऋणदाता को पुनर्भुगतान दायित्वों में चूक होती है, भले ही उसके पास उक्त दायित्वों को पूरा करने की क्षमता हो। जानबूझकर ऋण न चुकाने की मंशा मानी जाती है।
    2. धन का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए वित्तपोषण प्राप्त किया गया था लेकिन अन्य उद्देश्यों के लिए पथांतरित किया गया है।
    3. जब पैसे की हेराफेरी की गई हो और उसका उपयोग उसके उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा हो। इसके अलावा, ऐसी कोई परिसंपत्ति उपलब्ध नहीं है जो धन के उपयोग को उचित ठहराए।
    4. जब उधारदाताओं के पैसे से खरीदी गई संपत्ति को बैंक या ऋणदाता की जानकारी के बिना बेच दिया गया हो।

विदेश व्यापार नीति

चर्चा में: केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति को छह महीने और बढ़ाने की घोषणा की। इससे पहले सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015-20 की नियत तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2022 कर दिया था।

नीति **के बारे में:**

- भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2015 को 2015-2020 की अवधि के लिए विदेश व्यापार नीति की घोषणा की।
- इसने भारत से अधिसूचित सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए 'भारत से सेवा निर्यात योजना' (एसईआईएस) और निर्दिष्ट बाजारों में निर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने भारत से माल निर्यात योजना '(एमईआईएस) नामक दो **नई** योजनाएँ शुरू कीं।
- निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु **(ईपीसीजी) योजना के अन्तर्गत विशिष्ट निर्यात बाध्यता में** कहा गया है कि अगर पूंजीगत सामान स्वदेशी निर्माताओं से खरीदा जाता है, तो इसे घरेलू पूंजीगत सामान निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सामान्य निर्यात दायित्व को 75% तक कम करना होगा। .
- भारत से माल निर्यात योजना **(एमईआईएस) के अन्तर्गत ,** उच्च घरेलू सामग्री और मूल्यवर्धन वाली निर्यात वस्तुओं को आम तौर पर उच्च स्तर का मूल्य प्रदान किया जाता है।

विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022

चर्चा में: विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 ग्रेटर नोएडा (यूपी) में आयोजित किया गया था। भारत में इस तरह का पिछला शिखर सम्मेलन 1974 में आयोजित किया गया था।

सम्मेलन के बारे में

विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन	• यह डेयरी मूल्य श्रृंखला की क्षमता में सुधार के लिए वैश्विक डेयरी हितधारकों की वार्षिक बैठक है। इस वर्ष की थीम "पोषण और आजीविका के लिए डेयरी" थी। • डब्लूडीएस का **आयोजन अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ (आईडीएफ) द्वारा किया जाता है।** • **आईडीएफ** की स्थापना 1903 में ब्रसेल्स, बेल्जियम में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस में हुई थी।
भारत में डेयरी क्षेत्र	• **भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है,** जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 23 प्रतिशत का योगदान देता है। • **ऑपरेशन फ्लड 1970 में** भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीएफ) द्वारा शुरू किया गया था। इसने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक में बदल दिया। • **वर्गीस कुरियन को भारत में "श्वेत क्रांति के जनक"** के रूप में जाना जाता है ।

विश्व पर्यटन बैरोमीटर

चर्चा में: नवीनतम **यूएनडब्ल्यूटीओ** विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार **,** जनवरी से जुलाई 2022 में 2021 की समान अवधि की तुलना में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन लगभग तीन गुना (+172%) हो गया।

बैरोमीटर **के बारे में:**

- इसका अर्थ है कि इस क्षेत्र ने पूर्व-महामारी के स्तर का लगभग 60% पुनर्प्राप्त कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के साथ-साथ यात्रा प्रतिबंधों में ढील या उन्हें हटाने की मांग स्थिर सुधार में परिलक्षित होती है (19 सितंबर 2022 के अनुसार 86 देशों में कोविड-19 संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं है)।
- **यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ)** द्वारा जारी की गई है , जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसे सतत पर्यटन को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है। **इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी।**

यील्ड व्युत्क्रमण , सॉफ्ट-लैंडिंग और रिवर्स करेंसी वॉर

चर्चा में: यूएस केन्द्रीय बैंक ब्याज दरों में वृद्धि कर रहा है। इसके अलावा, जून के लिए अमेरिका में मुद्रास्फीति की दर 9.1% पर आ गई। यह अमेरिका में 40 वर्ष में सबसे ज्यादा है। कई पर्यवेक्षकों ने यह तर्क देने के लिए अमेरिकी यील्ड वक्र के व्युत्क्रमण की ओर इशारा किया है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के लिए सॉफ्ट-लैंडिंग हासिल करने में सक्षम नहीं होगा।

यील्ड वक्र के बारे में:

- यील्ड वक्र अलग-अलग समय पर बॉन्ड (एक समान क्रेडिट रेटिंग के साथ) से यील्ड का **ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है।**
- **यील्ड** वक्र **के विभिन्न प्रकार:**
  - **सामान्य परिस्थितियों में** , किसी भी अर्थव्यवस्था में ऊपर की ओर झुका हुआ **यील्ड** वक्र होगा। अर्थात जब कोई लंबी अवधि के लिए उधार देता है - या जब कोई लंबी अवधि के बॉन्ड खरीदता है - तो उसे अधिक प्रतिफल मिलता है।
    - इसके अलावा, एक लंबी अवधि का अर्थ यह भी है कि विफलता का अधिक जोखिम है।
  - उल्टा **यील्ड** वक्र**:** कई बार ऐसा होता है जब यह बॉन्ड यील्ड वक्र उल्टा हो जाता है। उदाहरण के लिए, 2 वर्ष की अवधि वाले बॉन्ड 10 वर्ष की अवधि वाले बॉन्ड की तुलना में अधिक यील्ड (लाभ/ब्याज दर) का भुगतान करते हैं।
    - यील्ड वक्र का ऐसा व्युत्क्रम अनिवार्य रूप से बताता है कि निवेशकों को उम्मीद है कि भविष्य में कम वृद्धि होगी।

उल्टा **यील्ड** वक्र **क्यों होता है?**

- जब निवेशक अर्थव्यवस्था के बारे में उत्साहित महसूस करते हैं, तो वे लंबी अवधि के बॉन्ड से पैसा निकालते हैं और इसे शेयर बाजार जैसे अल्पकालिक जोखिम वाली संपत्तियों में डालते हैं।
- इसके कारण, लंबी अवधि के बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं और उनकी **यील्ड** (प्रभावी ब्याज दर) बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉन्ड की कीमतें और बॉन्ड यील्ड में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है।
- हालांकि, जब उन्हें लगता है कि अर्थव्यवस्था संकट की ओर बढ़ रही है तो निवेशक अल्पकालिक जोखिम वाली संपत्तियों (जैसे शेयर बाजार) से धन निकालते हैं और उन्हें लंबी अवधि के बॉन्ड में निवेश करते हैं।लंबी अवधि के बांड की कीमतें इसके परिणामस्वरूप बढ़ जाती हैं, जबकि उनकी उपज कम हो जाती है।
- उल्टा **यील्ड** वक्र **का महत्व:** उल्टा बॉन्ड **यील्ड** वक्र मंदी का एक मजबूत संकेतक बन गया है अगर ऐसा उलटापन कई महीनों तक बना रहता है।

सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग:

- वर्तमान में, यूएस फेड न केवल धन की आपूर्ति को कम कर रहा है बल्कि धन की लागत (यानी ब्याज दर) भी बढ़ा रहा है। फेड बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए ऐसा कर रहा है।
  - जब कोई केंद्रीय बैंक मंदी लाए बिना अर्थव्यवस्था को धीमा करने में सफल होता है, तो इसे सॉफ्ट-लैंडिंग कहा जाता है - यानी किसी को नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब केंद्रीय बैंक की कार्रवाइयाँ मंदी लाती हैं, तो इसे हार्ड-लैंडिंग कहा जाता है।

10. मानव एवं कौशल विकास

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कार्यक्रम

चर्चा में: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर देश भर में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) द्वारा महिलाओं को समर्पित पाठ्यक्रमों के नए बैच शुरू किए।

संदर्भ:

- यह **ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD), राज्य सरकारों एवं प्रायोजक बैंकों के मध्य त्रि-पक्षीय भागीदारी है।**
- कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, बैंकों को अपने प्रमुख जिले में कम-से-कम एक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) द्वारा स्थापित करने की आवश्यकता होती है ताकि ग्रामीण युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके।
- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) कार्यक्रम उद्यमियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण एवं दीर्घकालिक समर्थन दोनों प्रदान करने की रणनीति पर काम करता है।
- **पात्रता**: 18 से 45 वर्ष की आयु के मध्य के ग्रामीण गरीब युवा प्रशिक्षण में शामिल होने हेतु पात्र हैं।

"अवसर (AVSAR)" पहल

चर्चा में: हाल ही में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने **"क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा (Airport as Venue for Skilled Artisans Of The Region)" नाम से एक पहल शुरू की है।**

संदर्भ:

- **यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की एक पहल है - यह** सांविधिक निकाय (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के माध्यम से बनाया गया) है, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
- **उद्देश्य:** शिल्पकारों, महिलाओं एवं कारीगरों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना एवं उन्हें उचित अवसर प्रदान करना।
- पहल के तहत, अपने विशिष्ट क्षेत्र के हस्तनिर्मित उत्पादों को प्रदर्शित करने या बेचने के उद्देश्य से हवाई अड्डों पर **स्वयं सहायता समूहों** (**SHGs**) को केंद्र आवंटित किया जाएगा।
- एएआई (AAI) द्वारा संचालित प्रत्येक हवाई अड्डे पर **स्वयं सहायता समूहों (SHGs)** हेतु 100 से 200 वर्ग फुट का क्षेत्र निर्धारित किया गया है।

- बारी-बारी से, यह स्थान स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को 15 दिनों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा।
- **महत्व:** पहल स्वयं सहायता समूहों को सहायता प्रदान करके उन्हें सुदृढ़ करने के साथ-साथ उन्हें बाजार हेतु तैयार करेगी एवं देश के अंदर व बाहर बड़ी आबादी के मध्य उनके उत्पादों की पहुँच को बढ़ावा देगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)

चर्चा में: केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) हेतु 2.01 लाख करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें से 1.18 लाख करोड़ रुपये जारी किए गए जिनमें से 1.10 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

संदर्भ:

- यह योजना वर्ष 2015 में मिशन मोड में **आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (MoHUPA)** द्वारा शुरू की गई थी।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना है, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा।
- **विशेषताएँ:**
  - मिशन का उद्देश्य कार्यक्रम के निम्नलिखित कार्यान्वयन के माध्यम से मलिनवासियों सहित शहरी गरीबों की आवास आवश्यकता को पूरा करना है:
  - संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करते हुए निजी क्षेत्र की भागीदारी से मलिनवासियों की बस्तियों का पुनर्वास करना।
  - क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (CLSS) के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास को सुनिश्चित करना।
  - सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी से किफायती आवास।
  - लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर के निर्माण एवं वृद्धि के लिए सब्सिडी।
  - योजना के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी घटक को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया जाएगा जबकि अन्य तीन घटकों को केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के रूप में लागू किया जाएगा।
- **मकानों का स्वामित्व:** मकानों का आवंटन वयस्क महिला सदस्यों के नाम पर अथवा संयुक्त नामों से किया जाना है और सभी घरों में शौचालय की सुविधा, पेयजल एवं बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर से संबंधित व्यक्तियों को भी प्राथमिकता दी जाती है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

चर्चा में: भारत 300 अरब डॉलर से अधिक के मूल्यांकन के साथ 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंच गया है।

संदर्भ:

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- वर्ष 2008-09 में शुरू की गई, यह एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है जो सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करके स्वरोजगार को बढ़ावा देती है।
- **राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) होगी ।**
  - **खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत वैधानिक निकाय है।

पात्रता	• 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति। • ऋण की मंजूरी के लिए केवल नई परियोजनाओं/इकाइयों पर विचार किया जाता है। • स्वयं सहायता समूह जिन्होंने किसी अन्य सार्वजनिक योजना, समितियों, उत्पादन सहकारी समितियों एवं धर्मार्थ ट्रस्टों के तहत लाभ नहीं उठाया है।

	• **स्वीकार्य परियोजना/यूनिट की अधिकतम लागत** ○ विनिर्माण क्षेत्र:50 लाख रुपये। ○ सेवा क्षेत्र: 20 लाख रुपये।
सरकारी अनुदान	• **ग्रामीण क्षेत्र:** सामान्य श्रेणी के लिए 25% और विशेष श्रेणी के लिए 35%, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक, पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER), पहाड़ी एवं सीमावर्ती क्षेत्र, ट्रांसजेंडर, शारीरिक रूप से अक्षम, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, आकांक्षी व सीमावर्ती जिला के आवेदक शामिल हैं। • **शहरी क्षेत्र:** सामान्य वर्ग के लिए 15% और विशेष वर्ग के लिए 25%।
बैंकों की भूमिका	• ऋण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं संबंधित राज्य कार्य बल समिति द्वारा अनुमोदित निजी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

ग्रामीण उद्यमी परियोजना

चर्चा में: सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) ने आदिवासी समुदायों में उनके समावेशी एवं सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण बढ़ाने हेतु ग्रामीण उद्यमी परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया है।

संदर्भ:

- यह परियोजना **संसदीय परिसंकुल योजना** के तहत क्रियान्वित की जा रही है।
- **उद्देश्य:** भारत जनजातीय युवाओं को बहु-कौशल युक्त करना एवं उन्हें आजीविका को सक्षम करने के लिए कार्यात्मक कौशल प्रदान करना।
- **कवरेज:** यह परियोजना महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात राज्यों में लागू की जा रही है।
- **वित्त पोषण:** राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)।
- **परियोजना के तहत प्रशिक्षण निम्नलिखित कार्य भूमिकाओं में आयोजित किया जाएगा:** इलेक्ट्रीशियन और सौलर प्रकाशवोल्टीय इंस्टालेशन, टेक्निशियन प्लम्बिंग और मेसनरी, दोपहिया मरम्मत एवं रखरखाव, आईटी/आईटीईएस के साथ ई-गवर्नेंस एवं कृषि यंत्रीकरण।
- **चरण:** प्रशिक्षण के पहले चरण में **महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात** के ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
    - प्रायोगिक परियोजना का दूसरा चरण रांची, झारखंड में शुरू किया गया था।
- **परियोजना का महत्व:** परियोजना निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगी: a) ग्रामीण/स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि, b) रोजगार के अवसरों में वृद्धि, c) स्थास्थानीय अवसरों की कमी के कारण प्रवास के दबाव को कम करना और d) प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।

पूर्व शिक्षण की मान्यता (RPL) कार्यक्रम

चर्चा में: हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री ने एनडीएमसी श्रमिकों को **दिल्ली में पूर्व शिक्षण की मान्यता (RPL) कार्यक्रम** पूरा करने के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया।

संदर्भ:

- आरपीएल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के मौजूदा कौशल सेट, ज्ञान एवं अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है जो या तो नौकरी पर काम करके या वर्षों से सीखकर प्राप्त किया जाता है।
- **मंत्रालय: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MoSDE) ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की।**

- पूर्व शिक्षा की पहचान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक घटक है।
- इसे संकल्प कार्यक्रम के तहत लागू किया जा रहा है।

- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)।

पूर्व शिक्षण की मान्यता (RPL) कार्यक्रम की विशेषताएं	• आरपीएल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उम्मीदवार से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। • आरपीएल एक औपचारिक संकल्पना से अधिक अधिग्रहीत सीखने के मूल्य को पहचानना है और किसी व्यक्ति के कौशल के लिए एक सरकारी प्रमाण पत्र प्रदान करता है। • हर सफल प्रमाणित उम्मीदवार को 500 रुपये भी दिया जाता है। • उम्मीदवारों को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता की अवधारणाओं से अवगत कराया जाता है। • उम्मीदवारों को तीन वर्ष के लिए मुफ्त में दुर्घटना बीमा कवरेज मिलता है।
उद्देश्य	• इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना था, जो उन्हें बेहतर आजीविका प्राप्त करने में सहायता करेगा। • इस कार्यक्रम के तहत श्रमिक निर्माण, इलेक्ट्रीशियन, मेसनरी, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प एवं अन्य कई ट्रेडों में कुशल होंगे। • दूसरों के ज्ञान पर आधारित विशेषाधिकार जैसी असमानताओं को कम करने के अवसर प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

- यह वर्ष 2015 में शुरू किए गए **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) का एक प्रमुख कार्यक्रम है।**
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत, प्रशिक्षण एवं लगने वाले शुल्क का भुगतान पूरी तरह से सरकार द्वारा किया जाता है। प्रशिक्षण प्रदाताओं (TPs) को सामान्य मानदंडों के अनुरूप भुगतान प्रदान किया जाता है।
- **वित्त पोषण:** जिला कौशल समितियों (**DSC**) की बढ़ी हुई भागीदारी के साथ फंड एवं लक्ष्यों के 50:50 आवंटन के साथ योजना को केंद्र और राज्य स्तर पर लागू किया जा रहा है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्द्धन योजना (NAPS)

चर्चा में: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने घोषणा की कि राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्द्धन योजना प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण योजना का भाग होगा।

संदर्भ:

- अब, सरकार राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में अपना योगदान सीधे हस्तांतरित करेगी, य**ह 1500 रुपये प्रति माह तक देय स्टाइपेंड का 25% होगा।**
- राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्द्धन योजना, वर्ष 2016 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य देश में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने एवं प्रशिक्षुता उपक्रम करने वाले प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- यह नियोक्ताओं को प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए प्रेरित करता है एवं गहन कौशल विकास के माध्यम से उनकी क्षमता को बढ़ाते हुए उन्हें उचित रोजगार खोजने में सहायता करता है।
- राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्द्धन योजना ने वर्ष 2016 में अपरेंटिस प्रोत्साहन योजना (APY) का स्थान लिया है।

ज़िला खनिज फाउंडेशन

चर्चा में: केंद्र ने ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF) फंड के उपयोग के मानदंडों को कड़ा करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है, जो कि खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों का पुनर्विकास करता है।

प्रमुख दिशानिर्देशों के संदर्भ में:

- **ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF)** को रॉयल्टी के प्रतिशत के रूप में खनिकों के अंशदान से अर्जित निधि का उपयोग करके खनन संबंधी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए **एक पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करनी होगी।**
- डीएमएफ संभावित योजना तैयार करने के लिए विश्वविद्यालयों या प्रसिद्ध संगठनों या एजेंसियों के माध्यम से आधारभूत सर्वेक्षण करेगा।
- **ग्राम सभा या स्थानीय निकाय आवश्यकता आकलन रिपोर्ट तैयार करने में सहायता कर सकते हैं।**
- बेसलाइन सर्वेक्षणों के माध्यम से पहचाने गए निष्कर्षों और कमियों के आधार पर, डीएमएफ पांच वर्षों के लिए एक रणनीति तैयार करेगा और इसे भावी योजना में शामिल किया जाएगा।

DMF के संदर्भ में:	• खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 के तहत केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में डीएमएफ की स्थापना की थी।
	  ○ इसके तहत खनन वाले हर जिले में डीएमएफ स्थापित किया जाता है।
	  ○ खनन कंपनियां वर्ष 2015 से पहले प्रदान किए गए पट्टों के लिए 30% रॉयल्टी राशि का डीएमएफ और 2015 के बाद नीलामी तंत्र के माध्यम से दिए गए पट्टों के लिए 10% का भुगतान करेंगी।
	• एकत्र किए गए धन को गैर-लाभकारी ट्रस्टों द्वारा प्रबंधित किया जाना है एवं इसका उपयोग आदिवासी और वन-निवासी समुदायों सहित खनन प्रभावित आबादी के कल्याण के लिए किया जाना है।
	  ○ हर जिले का अलग ट्रस्ट होता है।
	• यह एक विशेष निधि है जो किसी विशेष योजना या कार्य क्षेत्र से संबद्ध नहीं होती है एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत नहीं होती है।
	  ○ अप्रयुक्त धन वर्षों में जमा हो जाता है।

हाल ही में DMF में संशोधन	• मार्च 2020 में, सरकार ने दिशानिर्देश जारी करते हुए सुझाव दिया कि 30% तक धन का उपयोग कोविड-19 से संबंधित व्यय के लिए किया जा सकता है। • एमएमडीआर (MMDR) संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार, केंद्र सरकार फंड की संरचना एवं उपयोग के संबंध में भी निर्देश दे सकती है, जबकि राज्य सरकारें डीएमएफ के गठन और कार्यों को निर्धारित करना जारी रखती हैं। • वर्ष 2021 में सरकार ने आदेश जारी किया कि राज्य सरकार या राज्य स्तर की किसी एजेंसी द्वारा राज्य स्तर पर डीएमएफ फंड से किसी भी तरह के खर्च की स्वीकृति या अनुमोदन नहीं किया जाएगा।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)

- यह डीएमएफ द्वारा उत्पन्न धन का उपयोग करके खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों एवं लोगों के कल्याण के लिए प्रदान करना चाहता है।

- यह **योजना खनन जिलों में लोगों के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक-अर्थव्यवस्था पर** खनन के दौरान और बाद में प्रतिकूल प्रभावों को कम करना सुनिश्चित करती है; और खनन क्षेत्रों में प्रभावित **लोगों के लिए दीर्घकालिक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना।**
- इस योजना के अनुसार, उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, शिक्षा, कौशल विकास, कल्याणकारी उपाय, कौशल विकास और पर्यावरण संरक्षण को कम से कम 60% धन प्राप्त होगा।
- **इसे खान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।**

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना

चर्चा में: राजस्थान सरकार ने **इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना** की शुरुआत की है।

लक्ष्य	• **शहरों में रहने वाले गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को वर्ष में 100 दिन मांगे जाने पर कार्य उपलब्ध कराकर आर्थिक सहयोग प्रदान करना।**
पात्रता	• शहरी स्थानीय निकायों की सीमा के भीतर रहने वाले 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के लोग पहचाने गए क्षेत्रों में मांग के अनुरूप और रोजगार पाने के पात्र हैं। • आय की कोई सीमा नहीं है, हालांकि गरीब और निराश्रित लोगों, विशेषकर महामारी के दौरान अपनी आजीविका खो चुके लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
योजना के अंतर्गत कार्यों की श्रेणियाँ	• योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों को मुख्यतः आठ मदों में सम्मिलित किया गया है। • इनमें पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, विरासत संरक्षण, अतिक्रमण हटाने और अवैध बोर्ड, होर्डिंग और बैनर, संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने एवं सेवा संबंधी कार्य शामिल हैं।
पंजीकरण	• योजना में पंजीकरण के लिए जनाधार कार्ड या उसकी पंजीकरण पर्ची की आवश्यकता होती है। पंजीकरण ई-मित्र केंद्रों पर किया जा सकता है।

ई-श्रम पोर्टल

चर्चा में: ई-श्रम पोर्टल से संबंधित नवीनतम सरकारी आंकड़े भारत में असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र की दुर्दशा के साथ-साथ समाज में मौजूद उच्च असमानताओं पर प्रकाश डालते हैं।

ई-श्रम पोर्टल संदर्भ:

- पोर्टल को **श्रम और रोजगार मंत्रालय (MoLE) द्वारा अगस्त 2021 में** असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों के कल्याण के लिए लॉन्च किया गया था जो EPFO अथवा ESIC के सदस्य नहीं हैं।

ई-श्रम पोर्टल के उद्देश्य:

- सभी असंगठित श्रमिकों (UWs) जैसे निर्माण श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, घरेलू श्रमिकों, कृषि श्रमिकों आदि का एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करना, जिसे आधार से जोड़ा जाएगा।
  - आधार संख्या, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़े बैंक खाते जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता श्रमिक को पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए होती है।
- असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के कार्यान्वयन के दक्षता में सुधार करना।

- MoLE द्वारा प्रशासित असंगठित श्रमिकों (UWs) के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का समन्वयन और साथ ही अन्य मंत्रालयों की भागीदारी है।
- विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और उनके द्वारा प्रशासित कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए एपीआई के माध्यम से मंत्रालयों / विभागों / बोर्डों / एजेंसियों / केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ पंजीकृत यूडब्ल्यू के संबंध में जानकारी साझा करना।
- प्रवासी और निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी लाभों की सुवाह्यता।
    - भविष्य में कोविड-19 जैसे किसी भी राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करना।

ई-श्रम पोर्टल की अन्य विशेषताएं:

- कोई भी कर्मचारी जो असंगठित क्षेत्र में नियुक्त है एवं जिसकी आयु 16 से 59 के बीच है, वह **ई-श्रम** (eSHRAM) पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र है।
- प्रत्येक असंगठित श्रमिक को **ई-श्रम** (eSHRAM) पोर्टल पर पंजीकरण के बाद 12 अंकों की विशिष्ट संख्या वाला **यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)** जारी किया जाता है।
    - यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) नंबर एक स्थायी नंबर होगा अर्थात एक आवंटित होने के बाद, यह कर्मचारी के जीवन भर अपरिवर्तित रहेगा।
- **ई-श्रम** (eSHRAM) **पोर्टल पर पंजीकरण निःशुल्क है।**
- ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले श्रमिकों को **प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)** के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा एवं पहले एक वर्ष के लिए प्रीमियम एमओएलई (MoLE) द्वारा वहन किया जाएगा।
- **ई-श्रम** (eSHRAM) पंजीकरण के माध्यम से **प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)** हेतु पात्र होने के लिए **व्यक्ति की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।**

शहरी रोजगार गारंटी योजना (UEGS)

चर्चा में: हाल ही में, राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है।

संदर्भ:

- यह योजना शहरों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 100 दिनों के लिए रोजगार प्रदान करेगी।
- रोजगार कार्ड धारक परिवारों में 18 से 60 वर्ष की आयु के सदस्य पात्र होंगे।
- रोजगार पर्यावरण और जल संरक्षण, साफ-सफाई और स्वच्छता, संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने आदि के क्षेत्रों में होगा।
- इससे पहले ओडिशा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, केरल, झारखंड और तमिलनाडु ने शहरी क्षेत्रों में रोजगार योजनाएं शुरू की हैं।

शहरी नौकरी गारंटी का महत्व:

नीति निर्माण में शहरी गरीबों का उपेक्षित होना	• केंद्र अथवा राज्य सरकार की अधिकांश योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में केवल गरीब लोगों को राहत प्रदान करती हैं। ○ उदाहरण के लिए, कोविड-19 महामारी के दौरान भी गांवों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (PMGKRY)' नाम से रोजगार योजना शुरू की गई थी।

शहरी क्षेत्रों में कम रोजगार की समस्या का समाधान	• वर्ष 2017-18 में, ग्रामीण क्षेत्रों में 37% की तुलना में शहरी क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर (LFPF) 36.8% थी और यह अंतर आगामी वर्षों में बढ़ गया है। ○ वर्ष 2020-21 में, ग्रामीण क्षेत्रों में 42.7% की तुलना में शहरी क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर (LFPF) बढ़कर 38.9% हो गया।
लगातार उच्च मुद्रास्फीति से निपटना	• ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में, भारत के शहरी केंद्रों में निवास करने की लागत बहुत अधिक है। ○ इसलिए, शहरी गरीबों को उचित आश्रय, भोजन एवं सुरक्षित पेयजल सहित बुनियादी मानवीय जरूरतों के गंभीर अभाव की स्थिति में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
शहरी क्षेत्रों में रोजगार की प्रकृति में सुधार करना	• .शहरी अर्थव्यवस्था में अधिकांश नौकरियां कम वेतन, खराब गुणवत्ता, अनौपचारिक कार्य के प्रसार से प्रभावित हैं। ○ यह शहरी क्षेत्रों में आजीविका के सुरक्षित और गारंटीकृत स्रोतों की मांग करता है।
महिलाओं हेतु सुरक्षित रोजगार	• शहरी क्षेत्रों में कई महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे कि घरेलू काम, निर्माण कार्य और सौंदर्य व स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों आदि। ○ यूईजीएस (UEGS) शहरी महिलाओं को आजीविका के सुरक्षित स्रोत उसी तरह प्रदान करेगा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा (MGNREGA) कर रहा है। ○ वर्ष 2021-22 में मनरेगा (MGNREGA) में भागीदारी दर 54.54% के साथ, मनरेगा (MGNREGA) में महिलाओं के लिए कुल कार्य दिवसों का कम-से-कम एक तिहाई सुनिश्चित किया है।

निपुण परियोजना

चर्चा में: केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री द्वारा 1 लाख निर्माण श्रमिकों के अपस्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए, 'निपुण (NIPUN)' नामक एक परियोजना अर्थात निर्माण श्रमिकों के कौशल को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय पहल शुरू की।

संदर्भ:

- परियोजना का मूल लक्ष्य 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करना है।
- निपुण (NIPUN) परियोजना **आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) की एक पहल है।**
- यह परियोजना **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के प्रमुख कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही है।**
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के परिवर्तनकारी प्रभाव ने शहरी निवासियों, विशेष रूप से युवाओं को अपस्किलिंग एवं रोजगार के अवसर प्रदान करके शहरी गरीब परिवारों की सुभेद्यता को कम किया है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)।
- **कार्यान्वयन:** परियोजना कार्यान्वयन को तीन भागों में विभाजित किया गया है:
  - निर्माण स्थलों पर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (RPL) के माध्यम से प्रशिक्षण।
  - प्लंबिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) द्वारा फ्रेश स्किलिंग के माध्यम से प्रशिक्षण।
  - उद्योगों/बिल्डरों/ठेकेदारों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट।

11. सतत विकास

जैव ऊर्जा फसलें

चर्चा में : एक नए अध्ययन के अनुसार, वार्षिक फसलों को बारहमासी जैव ऊर्जा फसलों में परिवर्तित करने से उन क्षेत्रों पर शीतलन प्रभाव उत्पन्न हो सकता है जहां उनकी खेती की जाती है।

जैव ऊर्जा फसलों के बारे में :

- जैव ऊर्जा फसलों में विशिष्ट पौधे शामिल होते हैं जिन्हें कम लागत पर जैव ईंधन उत्पादन के लिए उगाया और अनुरक्षित किया जाता है।
- तेजी से बढ़ने वाली और प्रकाश संश्लेषक रूप से कुशल जैव ऊर्जा फसलों का उपयोग करके उत्पादन किया जाने वाला जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन के एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभर रहा है।
- जैव ऊर्जा फसलें एक ऐसा ऊर्जा स्रोत हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन और मृदा क्षरण के स्तर को कम करने के लिए पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।
- ये फसलें मृदा कार्बन को बढ़ा सकती हैं और वायुमंडलीय कार्बन को ठीक कर सकती हैं।
    - इनका उपयोग भारी धातु-दूषित मिट्टी के फाइटो-उपचार के लिए किया जा सकता है।
- **जैव ऊर्जा फसलों को पाँच प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:**
    1. **पहली पीढ़ी की जैव ऊर्जा फसलें:** मक्का, ज्वार, राई और गन्ना
    2. **दूसरी पीढ़ी की जैव ऊर्जा फसलें:** स्विचग्रास, मिसेंथस, अल्फाल्फा, रीड कैनरी घास, नेपियर घास और अन्य पौधे।
    3. **तीसरी पीढ़ी की जैव ऊर्जा फसलें:** बोरियल पौधे, क्रसुलेशियन एसिड मेटाबोलिज्म (सीएएम) पौधे, नीलगिरी और सूक्ष्म शैवाल।
    4. **जैव ऊर्जा हेलोफाइट्स:** जेनेरा बबूल, यूकेलिप्टस, कैसुरिना, मेलालेयुका, प्रोसोपिस, राइजोफोरा और टैमरिक्स।
    5. **विशिष्ट ऊर्जा फसलें:** विशालकाय मिसकैंथस, स्विचग्रास, जेट्रोफा और शैवाल के रूप में बारहमासी शाकाहारी और वुडी पौधों की प्रजातियां।

इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम – हरित ऊर्जा गलियारा

चर्चा में: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, सीसीईए ने इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम – हरित ऊर्जा गलियारा – के द्वितीय चरण को मंजूरी दे दी है।

संबंधित जानकारी:

- इसका उद्देश्य ग्रिड में पारंपरिक विद्युत स्टेशनों के साथ सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित विद्युत ऊर्जा का समन्वय करना है।
- ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना और उप-स्टेशनों की पारेषण क्षमता में वृद्धि से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की **निकासी और एकीकरण के लिए 2015-16 में** जीईसी **-इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम** (आईएनएसटीएस) परियोजना को मंजूरी दी गई थी ।

परियोजना का प्रथम चरण	• **इसे तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश** सहित आठ नवीकरणीय समृद्ध राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । • इस चरण के अन्तर्गत , 2022 तक 9700 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें और 22,600 मेगावोल्ट-एम्पीयर (एमवीए) सब-स्टेशनों की परिवर्तन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है।

	• यह लगभग 24 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) के ग्रिड एकीकरण और विद्युत निकासी को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। • वित्त पोषण तंत्र में 40% भारत सरकार अनुदान, 20% राज्य इक्विटी और केएफडब्ल्यू बैंक, जर्मनी से 40% ऋण शामिल है।
परियोजना का द्वितीय चरण	• इसे सात राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है। • इस चरण के अन्तर्गत , 2025-26 तक 10,750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें और 27,500 मेगावोल्ट-एम्पीयर (एमवीए) सबस्टेशनों की परिवर्तन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। • इससे लगभग 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) के ग्रिड एकीकरण और विद्युत निकासी की सुविधा में मदद मिलेगी। केंद्र परियोजना की लागत का 33% अनुदान प्रदान करेगा।
महत्व:	• यह 2030 तक 450 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।

नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी

चर्चा में: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) में 1500 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी है।

संबंधित जानकारी:

- आईआरईडीए एक मिनीरत्न कंपनी है जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अंतर्गत आती है।
- **स्थापना:** नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए **एक विशेष गैर-बैंकिंग वित्त एजेंसी के रूप में 1987 में की गई थी ।**
- **उद्देश्य: "एनर्जी फॉर एवर" के आदर्श वाक्य के साथ** ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता/संरक्षण के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तारित करने में संलग्न है।
- **निधियों का महत्व:** यह इक्विटी निवेश लगभग 10200 नौकरियों के सृजन में मदद करेगा और लगभग 7.49 मिलियन टन CO_2/वर्ष के समकक्ष CO_2 उत्सर्जन की कमी करेगा।

एकीकृत जैव-शोधनशाला मिशन

चर्चा में: केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने " एकीकृत जैव-शोधनशाला मिशन " के पूर्ण 'शुरूआत के साथ 'स्वच्छ ऊर्जा' के लिए एक प्रमुख भविष्योन्मुखी पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) मोड पहल की शुरुआत की है।

संबंधित जानकारी:

- इसे **मिशन इनोवेशन के अन्तर्गत शुरू किया गया है।**
- **सह-नेतृत्व:** भारत और नीदरलैंड।
- **मिशन का लक्ष्य:** 2030 तक जैव-आधारित विकल्पों के साथ 10% जीवाश्म-आधारित ईंधन, रसायनों और पदार्थों को बदलने के लक्ष्य के साथ, एकीकृत जैव-शोधनशालाओं के व्यावसायीकरण में तेजी लाने के लिए अभिनव समाधानों का विकास और प्रदर्शन करना।
- **यह मिशन एक पीपीपी (सरकारी निजी सहभागिता) पहल है** जो कम कार्बन वाले भविष्य के लिए नवीकरणीय ईंधन, रसायन और पदार्थों के नवाचार में तेजी लाने के लिए देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, कॉर्पोरेट क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज को एकजुट करता है।
- **मिशन में शामिल अन्य देश: इसमें** शामिल अन्य देशों में मुख्य सदस्य के रूप में ब्राजील और कनाडा हैं और सहायक सदस्य के रूप में यूरोपीय आयोग और इंग्लैंड हैं।

अन्य पहलें:

तीन पदार्थ त्वरण प्लेटफार्म (एमएपी)	• इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा स्थापित किया गया है। • ये प्लेटफॉर्म अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स में उभरती क्षमताओं का लाभ उठाएंगे ताकि पदार्थों की खोज की गति को 10 गुना तेजी से बढ़ाया जा सके।
हाइड्रोजन वैली प्लेटफार्म	• यह ऑनसाइट उत्पादन और उपयोग द्वारा हाइड्रोजन की मांग और आपूर्ति को बढ़ाने की एक वैश्विक पहल है। • मंच नवीकरणीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है, और भौगोलिक पहचान वाले अधिक पानी वाले क्षेत्रों का उपयोग करता है। • **नोट:** डीएसटी 2030 तक भारत में तीन स्वच्छ हाइड्रोजन **वैली** की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है।
सतत विमानन ईंधन पर राष्ट्रीय वित्त पोषण अवसर	• इसका उद्देश्य विमानन अनुप्रयोगों के लिए उन्नत जैव ईंधन में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए आरडी एंड डी (अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन) का सहयोग और संचालन करना है।

मिशन इनोवेशन

- मिशन इनोवेशन इस पूरे दशक में स्वच्छ ऊर्जा को किफायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के लिए अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन हेतु कार्रवाई और निवेश को उत्प्रेरित करने की एक वैश्विक पहल है।
    - **इसे 2015 में पेरिस समझौते के साथ शुरू किया गया।**
- यह क्रियोन्मुखी सहयोग के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को संबोधित करने वाला मुख्य अंतर-सरकारी मंच है।
- **मिशन इनोवेशन के 23 सदस्य हैं:** ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चिली, चीन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मोरक्को, नीदरलैंड, नॉर्वे, सऊदी अरब, स्वीडन , संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य और यूरोपीय आयोग (यूरोपीय संघ की ओर से)।

भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र

चर्चा में: हाल ही में, ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ने असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र चालू किया है।

संबंधित जानकारी:

- **स्थान:** असम में जोरहाट पम्प स्टेशन
- **प्रक्रिया:** संयंत्र 100 किलोवाट अनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (एईएम) इलेक्ट्रोलाइज़र ऐरे का उपयोग करके मौजूदा 500 किलोवाट सौर संयंत्र द्वारा उत्पन्न विद्युत से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। एईएम तकनीक का इस्तेमाल भारत में पहली बार हो रहा है।

अनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (एईएम) तकनीक

- **इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित करने की प्रक्रिया है** , और नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होने पर, यह हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आकार ले रहा है।
- **आमतौर पर, विद्युत अपघटक हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (पीईएम) का उपयोग करते हैं** ।
- लेकिन इस विधि के साथ समस्या यह है कि अम्लीय वातावरण में रहने के लिए प्लेटिनम और रूथेनियम जैसी महंगी धातुओं की आवश्यकता होती है।
- **इस पद्धति का एक विकल्प अनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन** (एईएम) **है।**
- यह विधि क्षारीय परिस्थितियों में काम कर सकती है, इसलिए उन्हें महंगी धातुओं की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए, इसमें शामिल सामग्री इस प्रकार लगभग 3,000 गुना कम खर्चीली है।
- **हालांकि, एईएम को हाइड्रोजन विद्युत अपघटन में व्यावसायिक सफलता नहीं मिली है** क्योंकि वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, और वे लंबे समय तक नहीं टिकते हैं।

इथेनॉल सम्मिश्रण नीति

चर्चा में: सरकार ने गैसोलीन के साथ 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य प्राप्ति की तारीख को 2030 से 2025-26 करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति , 2018 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

संबंधित जानकारी:

- इथेनॉल या एथिल अल्कोहल एक हाइड्रोकार्बन है जिसे जलाने पर इंजन उष्मा और विद्युत उत्पन्न कर सकता है।
- **लाभ:** इथेनॉल को गन्ना, शीरा और मक्का से प्राप्त किया जा सकता है जो भारत के कृषि आधार को देखते हुए पेट्रोलियम पर भारत की निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकता है।
- **नुकसान:** पेट्रोल की तुलना में वाहन के इंजन को चलाने के लिए बहुत अधिक इथेनॉल की आवश्यकता होती है। यह अवशिष्ट उपोत्पाद भी छोड़ता है जो वाहन को जंगग्रस्त और क्षतिग्रस्त कर सकता है।
- इसलिए, जब वाहनों को इथेनॉल पर चलाया जाए तो उन्हें तदनुसार ट्यून करने की आवश्यकता होती है ताकि वे दक्षता और उपयोगिता से समझौता न करें।

इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम	• 2002 में, भारत ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम शुरू किया और 5% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री शुरू की। हालाँकि, 2013-14 तक, सम्मिश्रण का प्रतिशत कभी भी 1.5% को पार नहीं कर पाया । • 2020 के बाद से, भारत 2022 के अंत तक 10% सम्मिश्रण और 2030 तक 20% सम्मिश्रण प्राप्त करने की अपनी मंशा की घोषणा करता रहा है। केंद्र सरकार ने 2030 तक डीजल के साथ 5% बायोडीजल के सम्मिश्रण का भी लक्ष्य रखा है।
संबंधित योजनाएँ	• **ई-100 परियोजना:** यह भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। • **प्रधानमंत्री जी-वन योजना, 2019:** वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और 2जी इथेनॉल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए।

	• **गोबर (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज) धन योजना:** यह मवेशियों के गोबर और खेतों में ठोस कचरे को उपयोगी खाद, बायोगैस और बायो-सीएनजी में परिवर्तित करने पर ध्यान केंद्रित करती है, इस प्रकार गांवों को स्वच्छ रखती है और ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करती है। • **रीपरपज यूज्ड कुकिंग ऑयल (आरयूसीओ):** इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा आरंभ किया गया था और इसका उद्देश्य एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए है जो इस्तेमाल किए गए खाना पकाने के तेल को बायोडीजल में संग्रह और रूपांतरण में सक्षम करेगा।

महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र

चर्चा में: लक्षद्वीप में महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र **स्थापित किया जा** रहा है।

संबंधित जानकारी:

जगह	• इसे **लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती में स्थापित किया जा रहा है।**
मंत्रालय	• राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, **केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के अन्तर्गत एक स्वायत्त संस्थान,** एक महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र स्थापित कर रहा है।
कार्य और क्षमता	• इसकी क्षमता 65 किलोवाट है। • संयंत्र प्रतिदिन एक लाख लीटर क्षमता वाले कम तापमान वाले तापीय अलवणीकरण संयंत्र को विद्युत देगा, जो समुद्री जल को पीने योग्य पानी में परिवर्तित करता है।

महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण:

- **महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण (ओटीईसी)** ऊर्जा रूपांतरण का एक रूप है जो महासागरों के सतह के सौर विकिरण द्वारा गर्म पानी, और गहरे ठंडे पानी के बीच तापमान के अंतर का उपयोग करता है।
- **ओटीईसी का उपयोग पारंपरिक ताप इंजन में शक्ति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है** ।
- **स्वच्छ विद्युत के उत्पादन से परे** , ओटीईसी प्रक्रिया कई उपयोगी उप-उत्पाद भी प्रदान करती है।
    - **सतह पर ठंडे पानी का उपयोग एयर कंडीशनिंग सिस्टम** और ठंडी मृदा की कृषि में किया गया है।
    - समुद्री जल विलवणीकरण में ओपन-चक्र और संकर प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया है, और ओटीईसी अवसंरचना गहरे समुद्र के जल में मौजूद तत्वों का पता लगाने में सहायता करती है।
    - इसके अलावा, ईंधन कोशिकाओं में उपयोग के लिए विद्युत अपघटक के माध्यम से हाइड्रोजन को पानी से निकाला जा सकता है।

बायोमास सह-प्रज्वलन

चर्चा में: हाल ही में, ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास सह-प्रज्वलन की प्रगति की समीक्षा के लिए पर्यावरण, कृषि और विद्युत मंत्रालयों की एक अंतर-मंत्रालयी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।

संबंधित जानकारी:

- बायोमास को-फायरिंग उच्च दक्षता वाले कोयला बॉयलरों में आंशिक विकल्प ईंधन के रूप में बायोमास को जोड़कर बायोमास को विद्युत में कुशलतापूर्वक और सफाई से परिवर्तित करने की एक विधि है।
- इस बैठक में सरकार उन ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति में कटौती करने पर विचार कर रही है जो बायोमास सह-प्रज्वलन नीति का अनुपालन नहीं करते हैं।
- एनसीआर क्षेत्र में सभी ताप विद्युत संयंत्रों को अपने परिसर में बायोमास पेलेट निर्माण संयंत्र स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए।

फ़ायदे:

- विद्युत मंत्रालय ने ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास कचरे के सह-प्रज्वलन के लिए ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन (समर्थ मिशन) का शुभारंभ किया।
- यह पराली जलाने की चुनौतियों को हरित ऊर्जा उत्पादन के अवसर में बदलता है।
- यह हमारे देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है और किसानों के लिए आय सृजन में भी मदद करता है।

समस्याएँ:

- निर्माण क्षमता अपेक्षाकृत कम होने के कारण कृषि अवशेषों के बायोमास पेलेट्स की अनुपलब्धता।
- बायोमास पेलेट्स आपूर्तिकर्ता कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण जैसे अन्य उद्योगों से बेहतर मूल्य प्राप्त करते हैं।

मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति

चर्चा में: हाल ही में **नीति आयोग ने** देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया।

मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति के बारे में : :

- **उद्देश्य:** नीति मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक स्कूटर और थ्री-व्हीलर इलेक्ट्रिक रिक्शा में इस्तेमाल होने वाली बैटरी स्वैपिंग सिस्टम के लिए बैटरी-स्वैपिंग अपनाने का समर्थन करने पर लक्षित है।
- मसौदा नीति के अंतर्गत बैटरी-स्वैपिंग **बैटरी-एज-ए-सर्विस (बीएएएस)** बिजनेस मॉडल के अन्तर्गत आएगी , और ऐसे मॉडल को विकल्प के रूप में बैटरी स्वैपिंग के सफल मुख्यधारा के लिए ईवी और बैटरी के बीच परस्पर संचालन सुनिश्चित करना होगा।

नीति के उद्देश्य:

न्यूनतम तकनीकी मानक	• यह नीति बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रभावी, कुशल, भरोसेमंद, सुरक्षित और ग्राहक-अनुकूल कार्यान्वयन करने के लिए बैटरी स्वैपिंग पारिस्थितिक तंत्र को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम तकनीकी और परिचालन आवश्यकताओं को निर्धारित करती है।
वित्तीय सहायता	• बैटरी प्रदाताओं (बैटरियों की लागत के लिए) और ईवी उपयोगकर्ताओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना।
करों को कम करना	• मसौदा नीति में सुझाव दिया गया है कि माल एवं सेवा कर परिषद लिथियम-आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरणों पर कर दरों के अंतर को कम करने पर विचार करती है। • वर्तमान में, लिथियम-आयन बैटरी पर कर की दर 18% और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरणों में 5% है।

विशिष्ट पहचान संख्या	• नीति में स्वैपेबल बैटरियों को ट्रैक करने और उनकी निगरानी करने में मदद करने के लिए विनिर्माण स्तर पर एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) आवंटित करने का भी प्रस्ताव है।
नोडल एजेंसी	• ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ईवी पब्लिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे के रोलआउट के लिए जिम्मेदार केंद्रीय नोडल एजेंसी है और देश भर में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी।

बैटरी स्वैपिंग संबंधित जानकारी: :

- बैटरी स्वैपिंग एक तंत्र है जिसमें डिस्चार्ज बैटरियों को चार्ज की गई बैटरियों से बदलना शामिल है।
- **बैटरी स्वैपिंग चार्जिंग के सापेक्ष तीन प्रमुख लाभ प्रदान करता है:** यह समय, स्थान और लागत-कुशल है, बशर्ते कि प्रत्येक बदली जा सकने वाली बैटरी सक्रिय रूप से उपयोग की जाए।

पूर्णतया हाइड्रोजन चलित ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा

चर्चा में: जर्मनी ने पूर्णतया हाइड्रोजन चलित ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा आरंभ किया है।

संबंधित जानकारी:	• **शुरू करने वाला देश: जर्मनी।** • **विकसित करने वाली कंपनी: एल्सटॉम, एक फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनी** जो भारत में भी संचालित है (यह दिल्ली मेट्रो के लिए कोचों की आपूर्ति करती है)। • **कार्यविधि:** ट्रेनों को **'ईंधन** बैटरी **से चलाया** जाता है - एक विशेष प्रकार की बैटरी जो हाइड्रोजन (कोचों के ऊपर टैंकों में संग्रहीत) और ऑक्सीजन (हवा से ली गई) के संयोजन से विद्युत पैदा करती है। इन्हें ट्रेन के कोच के नीचे विद्युत की मोटरों को विद्युत देने के लिए उपयोग किया जाता है। • **महत्व:** इन ट्रेनों को 'उत्सर्जन-मुक्त' ट्रेनों के रूप में दावा किया जाता है जो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती हैं और टैंक खाली होने से पहले लगभग 1,000 किमी की यात्रा कर सकती हैं।
हाइड्रोजन ईंधन बैटरी	• हाइड्रोजन ईंधन बैटरी उच्च गुणवत्ता वाली विद्युत शक्ति का एक स्वच्छ, विश्वसनीय, बिना आवाज वाली और कुशल स्रोत हैं। • वे एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया को चलाने के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करती हैं जो विद्युत का उत्पादन करती है, और इसमें पानी और उष्मा ही केवल उप-उत्पादों के रूप में उत्सर्जित होते हैं। • स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के लिए हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है।

हाइड्रोजन के प्रकार	• नवीकरणीय ऊर्जा (जैसे सौर, पवन) का उपयोग करके पानी के विद्युतअपघटक द्वारा **हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है और इसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होता है।**
	  ○ विद्युत पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित करती है।
	  ○ **उप-उत्पाद: केवल** जल, और जल वाष्प।

	○ कोयले का उपयोग करके ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है जहां उत्सर्जन हवा में छोड़ा जाता है। • **ग्रे हाइड्रोजन का** उत्पादन प्राकृतिक गैस से होता है जहां संबंधित उत्सर्जक हवा में छोड़े जाते हैं। • **ब्लू हाइड्रोजन का** उत्पादन प्राकृतिक गैस से होता है, जहां कार्बन कैप्चर और संग्रहण का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है।

ग्रीन फिन्स हब

चर्चा में: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ने ब्रिटेन स्थित चैरिटी रीफ-वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ, हाल ही में ग्रीन फिन्स हब शुरू किया।

ग्रीन फिन्स हब के बारे में : :

- यह **अब तक का पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच** है, जो संचालकों को आजमाए और परखे समाधानों का उपयोग करके अपने दैनिक व्यवहारों में सरल, लागत-कुशल परिवर्तन करने में मदद करता है, उनके वार्षिक सुधारों पर नज़र रखता है और उनके समुदायों और उपभोक्ताओं के साथ संवाद करता है।
- यह समुद्री संरक्षण पर्यटन उद्योग में सबसे बड़ी स्थिरता चुनौतियों को दूर करना चाहता है।
- यह सतत समुद्री पर्यटन को 'बड़ी उछाल ' प्रदान करेगा।

अतिरिक्त सुविधाएं:

- दुनिया भर के संचालकों के लिए ग्रीन फिन्स सामुदायिक मंच उद्योग की जरूरतों को बढ़ाना, पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करना और समान विचारधारा वाले उद्योगपतियों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारों के साथ सबक और विचार साझा करना।
- **ग्रीन फिन्स सॉल्यूशंस लाइब्रेरी सामान्य दैनिक परिचालन चुनौतियों के लिए 100 से अधिक** सिद्ध पर्यावरणीय समाधानों तक पहुंच प्रदान करती है, जिन्हें ग्रीन फिन्स नेटवर्क द्वारा दो दशकों से अधिक समय से आजमाया और परखा गया है।
- **कार्य योजना ट्रैकर:** सदस्यों को निर्धारित लक्ष्यों के साथ वार्षिक स्थिरता कार्य योजना प्राप्त होगी। एक उन्नत प्रयोक्ता इंटरफेस उन्हें समय के साथ अपनी प्रगति की निगरानी करने की अनुमति देता है।

उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम

चर्चा में: मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले **सोलर पीवी मॉड्यूल्स पर राष्ट्रीय कार्यक्रम' पर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना** के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है .

संबंधित जानकारी: :

- **नोडल मंत्रालय:** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ।
- **उद्देश्य:** भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और इस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करना।
- योजना के अन्तर्गत सोलर पीवी विनिर्माताओं का **पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए** सोलर पीवी विनिर्माताओं का **चयन किया जाएगा।** घरेलू बाजार से उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल की बिक्री पर सौर पीवी विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना के बाद पांच वर्ष के लिए पीएलआई का भुगतान किया जाएगा।

योजना के अपेक्षित लाभ:

- यह अनुमान है कि लगभग 65,000 मेगावाट प्रति वर्ष पूर्ण और आंशिक रूप से एकीकृत, सौर पीवी मॉड्यूल की विनिर्माण क्षमता स्थापित की जाएगी,
- रोजगार और प्रत्यक्ष निवेश उत्पन्न होगा,

- लगभग 1.37 लाख करोड़ रुपये के आयात में कमी आएगी और
- सौर पीवी मॉड्यूल में उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए अनुसंधान और विकास को गति मिलेगी।

सौर पीवी मॉड्यूल:

- सौर पीवी मॉड्यूल सौर बैटरियों को फोटोवोल्टिक (पीवी) बैटरियों के साथ जोड़कर बनाया जाता है। वे क्रिस्टलीय सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। सौर मॉड्यूल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं।

राष्ट्रीय हरित पत्तन और पोत परिवहन उत्कृष्टता केंद्र

चर्चा में: केंद्रीय पत्तन, **पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने** भारत के पहले राष्ट्रीय हरित पत्तन और पोत परिवहन उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओईजीपीएस) की घोषणा की है।

संबंधित जानकारी:

- **यह पत्तन,** पोत परिवहन **और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्लू)** की एक पहल है ।
- **उद्देश्य:** भारत के पोत परिवहन क्षेत्र में कार्बन तटस्थता और चक्रीय अर्थव्यवस्था (सीई) को बढ़ावा देने के लिए हरित पोत परिवहन के लिए एक नियामक ढांचा और वैकल्पिक प्रौद्योगिकी अपनाने की रूपरेखा विकसित करना।
  - **सूचना भागीदार : ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई)**इस परियोजना के लिये **सूचना एवं कार्यान्वयन भागीदार** है।
- **केन्द्र एमओपीएसडब्लू के सागरमाला कार्यक्रम** के ढांचे के अन्तर्गत काम करेगा ।
- **केंद्र के कार्य:** हरित पोत परिवहन क्षेत्रों पर नीति, अनुसंधान और सहयोग पर आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र **एमओपीएसडब्लू** की एक तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करेगा।
- **पत्तन,** पोत परिवहन क्षेत्र का समर्थन करने के लिए केंद्र कई तकनीकी साधनों का प्रयोग करेगा और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से उद्योग में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान प्रदान करेगा।
  - यह स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री परिवहन में मूल्यवान शिक्षा, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी करेगा।

हरित वित्तपोषण ढांचा

चर्चा में: "हरित वित्तपोषण" शब्द उन वित्तीय व्यवस्थाओं के बारे में है जो विशेष रूप से पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं या जलवायु परिवर्तन के पहलुओं को शामिल करने वाली परियोजनाओं के उपयोग के लिए हैं।

संबंधित जानकारी:

- इसमें स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएँ, स्वच्छ परिवहन, ऊर्जा-कुशल परियोजनाएँ जैसे हरित भवन और अपशिष्ट प्रबंधन, स्थायी जल प्रबंधन परियोजनाएँ आदि शामिल हैं।
- **इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए** नए वित्तीय साधन जैसे ग्रीन बांड; कार्बन मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स (जैसे, कार्बन टैक्स); और नए वित्तीय संस्थान (जैसे, ग्रीन बैंक और ग्रीन फंड) स्थापित किए जा रहे हैं।
- **हरित वित्त का महत्व:** सतत आर्थिक विकास की चुनौतियों का समाधान करने में मदद करता है, पर्यावरण की सुरक्षा और महत्वपूर्ण सुधार आदि करता है।
- **हरित वित्तपोषण की चुनौतियाँ:** उच्च उधार लागत, पर्यावरण अनुपालन के झूठे दावे, हरित ऋण परिभाषाओं की बहुलता आदि।

भारत में की गई पहलें:

- टिकाऊ वित्त और जलवायु जोखिम में नियामक पहल के लिए आरबीआई का सतत वित्त समूह
- सतत वित्त पर एक टास्क फोर्स का गठन वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है।
- आरबीआई ने अपनी प्राथमिकता क्षेत्र उधार (पीएसएल) योजना के अन्तर्गत एक छोटा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र शामिल किया है।

भारत की हरित जीडीपी

चर्चा में: आरबीआई के एक हालिया पेपर के अनुसार, हरित जीडीपी पारंपरिक जीडीपी (क्रमशः 6.34% और 6.71%) की तुलना में तेजी से बढ़ रही है (2000 और 2010 में 6.27% और 6.61%), क्योंकि भारत ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती, संसाधन के दक्षतापूर्वक उपयोग में सुधार और स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के उपाय किए हैं ।

संबंधित जानकारी:

- यह प्रवृत्ति 20वीं शताब्दी के पिछले तीन दशकों में विपरीत रही थी, जिसका अर्थ है कि उस अवधि में विकास पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक था।
- **हरित जीडीपी में** पर्यावरणीय गिरावट, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और संसाधनों और पर्यावरण की बचत के अनुमान शामिल हैं।
    - इसमें कार्बन उत्सर्जन लागत घटाना, उत्पन्न कचरे की अवसर लागत, और सकल घरेलू उत्पाद से प्राकृतिक संसाधनों की कमी की समायोजित बचत शामिल है।
- **संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने पहली बार 1993 में हरित जीडीपी के विचार का प्रस्ताव रखा था।**

हरित सकल घरेलू उत्पाद को मापने के लाभ:

- देश की विकास आकांक्षाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर।
- एक समग्र दृष्टिकोण लेने में मदद करता है, क्योंकि पारंपरिक जीडीपी गणना पर्यावरण के क्षरण की लागत की उपेक्षा करती है।
- सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए नीति बनाने में सहायता करना।

पर्यावरणीय कुज़्नेत्स वक्र (ईकेसी)

- ईकेसी का तर्क है कि आर्थिक विकास के शुरुआती चरणों में प्रदूषण स्तर और प्रति व्यक्ति आय के बीच एक सकारात्मक संबंध प्रतीत होता है।

हरित सकल घरेलू उत्पाद को मापने के लिए भारत के प्रयास:

- **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसएंडपी) ने प्राकृतिक पूंजी लेखांकन और पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं (एनसीएवीईएस) के** अन्तर्गत पर्यावरण लेखांकन का संकलन शुरू किया है ।
    - **एनसीएवीईएस** परियोजना को 2017 में संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा पारिस्थितिक तंत्र लेखांकन के लिए ज्ञान और लेखा प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था।
- पर्यावरणीय रूप से समायोजित राष्ट्रीय आय खातों के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए **भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हरित लेखा परियोजना (जीएआईएसपी)** ।
- उत्तराखंड पारिस्थितिक विकास माप को मापने के लिए सकल पर्यावरण उत्पाद को मापने वाला **भारत का पहला राज्य बन गया है ।**

मसौदा मानक राष्ट्रीय कार्य योजना (एसएनएपी) 2022

चर्चा में: भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने मसौदा मानक राष्ट्रीय कार्य योजना (एसएनएपी) 2022 जारी किया है ।

संबंधित जानकारी:

- एसएनएपी कार्यों का एक समूह है जो **बीआईएस** को राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में अपने कार्यों को पूरा करने और बाजार की जरूरतों के अनुसार एक कुशल और समयबद्ध तरीके से मानकों को पूरा करने में सक्षम करेगा।

- एक मानक प्रमाणन का तात्पर्य किसी उत्पाद या सेवा से है, इसके डिजाइन और प्रोटोकॉल द्वारा, कुछ गुणों को पूरा करता है।

मसौदा एसएनएपी **की मुख्य विशेषताएं**	• समझौते पर भारत की प्रतिबद्धता के संबंध में मानकों को विकसित करने और अद्यतन करने पर विशेष ध्यान। • अर्द्धचालक, आईटी सेवाओं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) जैसे मेटावर्स और साइबर सुरक्षा तकनीकों को बीआईएस के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव। • बीआईएस द्वारा उठाए जाने वाले अन्य प्रमुख विषय क्षेत्रों में पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा, भवन, निर्माण और शहरी विकास, कपड़ा, परिवहन आदि शामिल हैं।
मानकीकरण की आवश्यकता	• अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार माल और सेवाओं की मुक्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करना। • इंटरऑपरेबिलिटी, विश्वसनीयता, सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करके डिजिटल और डेटा संचालित अर्थव्यवस्था पर विश्वास को बढ़ावा देना • बाजार में भरोसा कायम करने और घरेलू उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को एकीकृत करने में सहायता करना।

बीआईएस संबंधित जानकारी: :

- बीआईएस **भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है।** यह **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है।**
- यह माल के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन आदि की गतिविधियों के विकास के लिए जिम्मेदार है।
- **बीआईएस अधिनियम 2016 के साथ इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ**।

भारत में विभिन्न प्रमाणन चिह्न:

आईएसआई	• भारत में मानक औद्योगिक उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है। • यह कुछ उत्पादों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अनिवार्य और अन्य के लिए स्वैच्छिक है। • **बीआईएस द्वारा प्रमाणित।**
एगमार्क	• कृषि उत्पादों पर लागू होता है। • **विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** द्वारा जारी
एफपीओ मार्क	• भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों जैसे पैकेज्ड फ्रूट बेवरेज, फ्रूट-जैम आदि पर अनिवार्य। • **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्रालय द्वारा जारी ।
बीआईएस हॉलमार्क	• **सोने और चांदी के गहनों जैसी कीमती धातुओं की बिक्री के लिए** हॉलमार्किंग प्रणाली जो धातु की शुद्धता को प्रमाणित करती है। • यह सत्यापित करता है कि गहने बीआईएस द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं।

गैर-प्रदूषणकारी वाहन चिह्न	• **भारत में बेचे जाने वाले सभी नए मोटर वाहनों पर अनिवार्य प्रमाणन चिन्ह**
भारतीय जैविक प्रमाणीकरण	• भारत में निर्मित **जैविक खेती वाले खाद्य उत्पादों** के लिए चिह्न। • कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्रों द्वारा जारी किया जाता है।

फ्लेक्स-ईंधन वाहन

चर्चा में: भारत ,जो राष्ट्र कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए जोर देता है,ने ऑटोमोबाइल निर्माताओं को भारत के नवीनतम उत्सर्जन मानकों का पालन करते हुए फ्लेक्स-ईंधन वाहनों का निर्माण शुरू करने की सलाह दी है ।

संबंधित जानकारी: :

- **फ्लेक्स** ईंधन वाहन **(ईएफवी)** 100% पेट्रोल या 100% जैव-इथेनॉल या दोनों के संयोजन पर चलने में सक्षम हैं।
- जैव -इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में प्रति लीटर कम ऊर्जा होती है लेकिन उन्नत तकनीक के उपयोग से जैव -इथेनॉल का कैलोरी मान (ईंधन में निहित ऊर्जा) पेट्रोल के बराबर हो जाएगा।
- **फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन:** सरकार ने कार निर्माता कंपनियों को भी फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण करने की सलाह दी है।
    - ऐसे वाहन, हालांकि अभी तक वैश्विक बाजारों में व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, इसमें अनिवार्य रूप से एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो पारंपरिक पेट्रोल इंजन के साथ-साथ वाहन को शक्ति प्रदान करता है।

वे मौजूदा वाहनों से किस तरह अलग हैं?

- **दोहरे ईंधन वाला वाहन:** चूंकि एक **ईएफवी** पेट्रोल या इथेनॉल पर चलने में सक्षम है, यह भारतीय सड़कों पर चलने वाला अपनी तरह का पहला 100% दोहरे ईंधन वाला वाहन होगा।
- **10 प्रतिशत (ई10) सम्मिश्रण:** भारत में बेचे जाने वाले एक लीटर पेट्रोल में औसतन 8% इथेनॉल होता है, हालांकि तेल विपणन कंपनियों को 10% (ई10) सम्मिश्रण करने की भी मंजूरी है।
- भारत में निर्मित सभी वाहन ई10 के लिए तैयार किए जाते हैं।
    - भारतीय सड़कों पर सभी मौजूदा वाहन 10% से अधिक उच्च इथेनॉल सामग्री पर नहीं चल पाएंगे।

सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम

चर्चा में: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने लोकसभा को सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम की जानकारी दी है।

संबंधित जानकारी:

उद्देश्य	• सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को सौर पीवी तकनीशियनों के रूप में प्रशिक्षित करना।
नोडल मंत्रालय	• **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।**
कार्यान्वित	• **2015-16 से राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) द्वारा कार्यान्वित ।**

योजना का महत्व	• सूर्यमित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में बताया गया है कि 90% से अधिक प्रशिक्षुओं ने तकनीकी ज्ञान में सुधार, क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन और 88% प्रशिक्षुओं ने नौकरी के अवसरों में वृद्धि के बारे में है।

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई):

- **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के** अन्तर्गत एक स्वायत्त विशेष संस्थान है ।
- **उद्देश्य:** यह अनुसंधान और विकास, सौर घटक परीक्षण और प्रमाणन, क्षमता निर्माण और सौर उत्पादों और अनुप्रयोगों के विकास के लिए स्थापित किया गया है।
- **स्थान: गुरुग्राम, हरियाणा।**

उज्जवल भारत उज्ज्वल भविष्य - पावर @ 2047

चर्चा में: प्रधानमंत्री ने **'उज्ज्वल भारत उज्जवल भविष्य- पावर@2047' के समापन समारोह के ग्रैंड फिनाले में भाग लिया।** उन्होंने **संशोधित वितरण क्षेत्र योजना और राष्ट्रीय सौर रूफटॉप पोर्टल भी लॉन्च किया। उन्होंने एनटीपीसी की** विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी ।

संबंधित जानकारी:

- यह **चल रहे 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया ।**
- **उद्देश्य:** यह पिछले आठ वर्षों में हासिल किए गए विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन को दर्शाता है। इसका उद्देश्य सरकार की विभिन्न विद्युत संबंधी पहलों, योजनाओं और कार्यक्रमों में जागरूकता और भागीदारी में सुधार करके नागरिकों को सशक्त बनाना है।

संशोधित आधारित विद्युत वितरण क्षेत्र योजना:

उद्देश्य	• इस योजना का उद्देश्य आपूर्ति अवसंरचना को मजबूत करने के लिए सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान करके निजी क्षेत्र की डिस्कॉम को छोड़कर डिस्कॉम/विद्युत विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है।
योजना के उद्देश्य	• 2024-25 तक एटी&सी हानियों को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम करना। • 2024-25 तक एटीएस-एआरआर अंतर को शून्य करना। • आधुनिक डिस्कॉम के लिए संस्थागत क्षमताओं का विकास करना • वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार।
कार्यान्वयन	• **पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) को** नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है।
योजना की अवधि	• यह योजना वर्ष 2025-26 तक उपलब्ध रहेगी।

12. समावेशी विकास

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

चर्चा में: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई)** योजना को और छह महीने यानी सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। यह पीएम-जीकेएवाई का छठा चरण होगा। योजना का चरण V मार्च 2022 में समाप्त होना था।

संबंधित जानकारी:

किसके द्वारा शुरू किया गया	• **अप्रैल 2020 में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अन्तर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा ।**
उद्देश्य	• कोरोनो वायरस संकट के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करना।
प्रमुख विशेषताऐं	• **प्रत्येक लाभार्थी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)** के अन्तर्गत खाद्यान्न के अपने सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति प्रति माह अतिरिक्त 5 किलोग्राम मुफ्त राशन मिलेगा। ○ इसका आशय है कि हर गरीब परिवार को सामान्य मात्रा से लगभग दोगुना राशन मिलेगा। • यह योजना पूरे भारत में लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर करेगी और पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी। • देश भर में लगभग 5 लाख राशन की दुकानों से वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के अन्तर्गत किसी भी प्रवासी श्रमिक या लाभार्थी द्वारा पोर्टेबिलिटी के माध्यम से मुफ्त राशन का लाभ उठाया जा सकता है।

जन समर्थ पोर्टल

चर्चा में: पीएम ने जन समर्थ पोर्टल आरंभ किया है ।

संबंधित जानकारी:

- जन समर्थ पोर्टल एक **डिजिटल पोर्टल है जो सभी लाभार्थियों और संबंधित हितधारकों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए एक मंच पर तेरह क्रेडिट आधारित सरकारी योजनाओं को जोड़ता है।**
- यह सब्सिडी पात्रता की जांच के लिए लाभार्थियों को सहज मार्गदर्शन प्रदान करता है और स्वत: सिफारिश प्रणाली लाभार्थी की आवश्यकताओं और साख के अनुसार सर्वोत्तम उपयुक्त योजनाएं प्रदान करती है।
- यह यूआईडीएआई, सीबीडीटी, एनएसडीएल आदि के साथ एक ही प्लेटफार्म पर कई एकीकरण प्रस्तुत कर रहा है।

स्वनिधि से समृद्धि

चर्चा में: आवासन और शहरी मामले मंत्रालय (एमओएचयूए) ने 14 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के 126 अतिरिक्त शहरों में 'स्वनिधि से समृद्धि' कार्यक्रम शुरू किया है।

संबंधित जानकारी:

- यह पीएम-'स्वनिधि का एक अतिरिक्त कार्यक्रम है **, जिसे** पीएम-'स्वनिधि के लाभार्थियों और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल का मानचित्रण करने के लिए **4 जनवरी 2021 को भारत के 125 शहरों में** शुरू **किया गया**।
- **उद्देश्य: रेहड़ी पटरी वालों** को समग्र विकास और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई)।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- कार्यक्रम के अन्तर्गत , **पीएम स्वनिधि लाभार्थियों** और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा तैयार की जाती है ताकि **भारत सरकार की आठ कल्याणकारी योजनाओं के लिए उनकी पात्रता का आकलन किया जा सके और** पात्र योजनाओं को मंजूरी दी जा सके।
- **इन आठ योजनाओं में शामिल हैं:** 1) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 2) पीएम सुरक्षा बीमा योजना, 3) प्रधानमंत्री जन धन योजना, 4) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम (बीओसीडब्ल्यू), 5) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, 6) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) -सुवाह्यता लाभ - वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी), 7) जननी सुरक्षा योजना और 8) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।
- सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा राज्यों की भी सहायता करेगी यदि वे पात्र पीएम स्वनिधि लाभार्थियों और उनके परिवारों को अपनी राज्य-विशिष्ट कल्याणकारी योजनाओं और लाभों का विस्तार करने के लिए उपयुक्त समझें।

उपलब्धियां:

- सबसे पहले, **रेहड़ी पटरी वालों** और उनके परिवारों का विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर एक केंद्रीय डेटाबेस बनाया जाता है।
- दूसरे, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के बीच **रेहड़ी पटरी वालों** के परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के सुरक्षा नेटवर्क का विस्तार करने के लिए अपनी तरह का पहला अंतर-मंत्रालयी अभिसरण मंच स्थापित किया गया है।

पीएम स्वनिधि योजना:

- **पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) को आवासन और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा 2020 में** एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य:** नियमित पुनर्भुगतान पर 7 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी के साथ ₹10,000 तक के किफायती कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना। **रेहड़ी पटरी वालों** को ऋण के लिए कोई संपार्श्विक भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** योजना के लिए सिडबी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- **योजना की मुख्य विशेषताएं:**
  - यह योजना उधार देने वाली संस्थाओं को पोर्टफोलियो के आधार पर **ग्रेडेड गारंटी कवर प्रदान करती है।**
  - रेहड़ी-पटरी वालों को समय पर ऋण चुकाने पर क्रमशः दूसरी और तीसरी किश्त में ₹20,000 और ₹50,000 का ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
  - डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए योजना के अन्तर्गत **रेहड़ी पटरी वालों** को प्रति माह ₹100 के हिसाब से डिजिटल लेनदेन पर ₹1,200 तक का कैशबैक प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

चर्चा में: ऐसे प्रवासियों/फंसे हुए प्रवासियों को आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाता है, जो न तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अन्तर्गत आते हैं और न ही किसी राज्य पीडीएस योजना के अन्तर्गत ।

संबंधित जानकारी:	• एनएफएसए, 2013 का उद्देश्य मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है, लोगों को गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की पर्याप्त मात्रा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। • अब, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 द्वारा शासित होती है। • एनएफएसए लक्षित पीडीएस (टीपीडीएस) के अन्तर्गत सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराता है।
पात्रता	• राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार **प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) को टीपीडीएस के अन्तर्गत कवर किया जाएगा ।** • मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार। • **लाभार्थी परिवार की सबसे उम्रदराज महिला** (18 वर्ष या उससे अधिक) को 'परिवार की मुखिया' माना जाता है।
प्रावधान	• यह **अधिनियम प्रति एएवाई परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न तथा** , प्रति पीएचएच व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न **की पात्रता उपलब्ध कराता है** । • **प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज दिया जाएगा। जिसके लिए चावल/गेहूं/मोटे अनाज क्रमश: 3/2/1 रूपये प्रति किग्रा. उपलब्ध होगा।** • **गर्भवती महिलाओं** को गर्भावस्था के दौरान और स्तनपान कराने वाली माताओं को बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद **तक कम से कम** 6,000 रूपये **भोजन और मातृत्व लाभ** उपलब्ध कराया जाएगा। • 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भोजन। • पात्र खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता। • जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना।
आच्छादन	• एनएफएसए 2011 की जनगणना के अनुमानों के आधार पर देश की कुल आबादी के लगभग दो-तिहाई हिस्से को कवरेज प्रदान करता है। • 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी लाभार्थियों की इन दो श्रेणियों - पीएचएच और **एएवाई** परिवारों के अन्तर्गत अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की हकदार है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन

चर्चा में: मिजोरम के आइजोल जिले में ऐबॉक संकुल श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) के अन्तर्गत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बन गया है।

संबंधित जानकारी:

पृष्ठभूमि	• ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2016 में शुरू किया गया।
दर्जा	• केंद्र प्रायोजित योजना।
उद्देश्य	• अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं के साथ समझौता किए बिना इक्विटी और समावेश पर ध्यान देने के साथ ग्रामीण सामुदायिक जीवन के सार को संरक्षित और पोषित करना, इस प्रकार 'रूर्बन गांवों' का एक समूह विकसित करना।
उद्देश्य	• स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाने और सुनियोजित रूर्बन समूह विकसित करने के लिए।
लक्ष्य	• आर्थिक, सामाजिक और भौतिक अवसंरचना सुविधाओं का प्रावधान करके समग्र रूप से देश में 300 क्लस्टर विकसित करना।
रूर्बन क्लस्टर की पहचान	• रूर्बन क्लस्टर की पहचान देश के ग्रामीण इलाकों में शहरीकरण के बढ़ते संकेत दिखाने पर की जाती है - यानी जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, गैर-कृषि रोजगार के उच्च स्तर, बढ़ती आर्थिक गतिविधियों की उपस्थिति और अन्य सामाजिक आर्थिक मानदंड। ○ एसपीएमआरएम के लिए, रूर्बन क्षेत्र लगभग 30 से 40 लाख आबादी वाले 15-20 गांवों के समूह को संदर्भित करते हैं। ○ क्लस्टर भौगोलिक रूप से सटे हुए ग्राम पंचायत होते हैं जिनकी आबादी मैदानी और तटीय क्षेत्रों में लगभग 25000 से 50000 तक और रेगिस्तानी, पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्रों में 5000 से 15000 तक होगी।
राज्यों की भूमिका	• राज्य सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार कार्यान्वयन के ढांचे के अनुसार क्लस्टरों की पहचान करती है।
अनुदान	**मिशन में दो तरीके से वित्त पोषण होता है:** • विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, राज्य क्षेत्र/प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रम, सीएसआर फंड, और के माध्यम से वित्त पोषण। • **क्रिटिकल गैप निधि(सीजीएफ):** यह गैर-आदिवासी समूहों के लिए प्रति क्लस्टर 30 करोड़ और रुपये तक। आदिवासी और पहाड़ी राज्य समूहों के लिए प्रति क्लस्टर 15 करोड़ रुपये तक सीजीएफ प्रदान करता है। ।

उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना

चर्चा में: उड़ान योजना ने हाल ही में अपने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

संबंधित जानकारी:

- क्षेत्रीय हवाई संपर्क को प्रोत्साहित करने और आम जनता के लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाने के लिए **एक क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) है ।**
    - इसे राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016 की समीक्षा के आधार पर तैयार किया गया था।
    - **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)** को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
    - कुछ घरेलू उड़ानों पर लेवी के माध्यम से योजना की **वायबिलिटी गैप वित्त पोषण(वीजीएफ) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।**
    - **आरसीएस -** उड़ान **को** वर्ष 2020 के लिए इनोवेशन श्रेणी के अन्तर्गत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- पिछले पांच वर्षों में उड़ान ने देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाया है।
    - परिचालित हवाई अड्डों की संख्या अब 74 से बढ़कर 141 हो गई है।
    - योजना के अन्तर्गत शुरू किए गए 425 नए मार्गों के साथ, उड़ान ने 29 से अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को हवाई संपर्क प्रदान किया है।
    - उड़ान के अन्तर्गत 220 गंतव्यों (हवाई अड्डे/हेलीपोर्ट/वाटर एयरोड्रोम) को 1000 मार्गों के साथ 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- उड़ान **ने आवश्यकता के आधार पर एक रूपरेखा तैयार की और इसका निर्माण किया:**
    - लाइफलाइन उड़ान (महामारी के दौरान मेडिकल साजोसामान का परिवहन)।
    - कृषि उड़ान (विशेष रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र और आदिवासी जिलों में कृषि उत्पादों की मूल्य प्राप्ति)।
    - एनईआर के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मार्ग गुवाहाटी और इंफाल से/तक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का पता लगाने के लिए।

असम में संपर्क परियोजनाएं

चर्चा में: प्रधान मंत्री ने असम में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

परियोजनाओं का संबंधित जानकारी: :

महाबाहु-ब्रह्मपुत्र अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना	• महाबाहु-ब्रह्मपुत्र के उद्घाटन को नेमाती-माजुली द्वीप, उत्तर गुवाहाटी-दक्षिण गुवाहाटी और धुबरी-हात्सिंगिमारी के बीच तीन रो-पैक्स पोत संचालन की शुरूआत करते हुए मनाया जाएगा। • रो-पैक्स फेरी सेवाएं तटों के बीच संपर्क प्रदान करके यात्रा के समय में कटौती करती हैं। • लागत: 3200 करोड़ रुपये। • **इसका उद्देश्य जल परिवहन संपर्क में सुधार करना है** ।
अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्लूटी) टर्मिनल	• जोगीघोपा में अंतर्देशीय जल परिवहन (**आईडब्लूटी**) टर्मिनल और ब्रह्मपुत्र पर विभिन्न पर्यटक घाटों की आधारशिला रखी जाएगी। ○ ये जेटी रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और स्थानीय व्यापार का विकास करेंगे।

ई-पोर्टल	• व्यापार को और आसान बनाने के लिए दो ई-पोर्टल लॉन्च किए जाएंगे।
	  ○ कार-डी पोर्टल राष्ट्रीय जलमार्ग के सभी मालवाहक और क्रूज यातायात आंकडों पर वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करने में सहायता करेगा।
	  ▪ यह जलमार्ग के बुनियादी ढांचे से संबंधित जानकारी भी प्रदान करेगा।

	○ पानी (परिसंपत्ति और नेविगेशन सूचना के लिए पोर्टल) नदी नेविगेशन और बुनियादी ढांचे की जानकारी प्रदान करने के लिए एकल समाधान के रूप में काम करेगा।
धुबरी फूलबाड़ी पुल	• ब्रह्मपुत्र पर 19 किलोमीटर लंबे चार लेन के धुबरी फूलबाड़ी पुल का शिलान्यास • यह किसी नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल होगा जो असम में धुबरी और मेघालय में फुलबाड़ी को जोड़ता है, जिसका निर्माण 5,000 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। • इस ब्रिज के जरिए **असम और मेघालय का पश्चिम बंगाल से सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा।**
माजुली पुल	• दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली में कमलाबाड़ी को जोरहाट में नीमातीघाट से जोड़ने वाले 6.8 किलोमीटर लंबे दो लेन वाले माजुली पुल का उद्घाटन किया गया।

13 .महत्वपूर्ण सूचकांक और रिपोर्ट

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

चर्चा में: आरबीआई ने हाल ही में 24वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) जारी की है।

संबंधित जानकारी:

- रिपोर्ट **आरबीआई द्वारा** प्रति वर्ष **दो बार (द्विवार्षिक) प्रकाशित की जाती है।**
- यह वित्तीय स्थिरता और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन के जोखिमों पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाती है।
- **एफएसआर मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों को देखती है**
  - क्या भारतीय बैंकों (सार्वजनिक और निजी दोनों) के पास परिचालन जारी रखने के लिए पर्याप्त पूंजी है?
  - क्या खराब ऋणों (या गैर-निष्पादित आस्तियों) का स्तर प्रबंधनीय सीमाओं के भीतर है?
  - क्या अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण (या नए ऋण) प्राप्त करने में सक्षम हैं?
- एफएसआर के हिस्से के रूप में, आरबीआई 'तनाव परीक्षण' भी करता है, जो यह पता लगा सकता है कि व्यापक अर्थव्यवस्था खराब होने पर बैंकिंग प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।
- इसी तरह, यह भी आकलन करने की कोशिश करता है कि भारत के बाहर के कारक घरेलू अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।
- प्रत्येक एफएसआर में प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण के परिणाम भी शामिल होते हैं।

आईसी15 क्रिप्टोकरेंसी सूचकांक

चर्चा में: सुपरएप क्रिप्टोवायर ने हाल ही में भारत का पहला क्रिप्टोकरंसी सूचकांक, आईसी15 शुरू किया है।

उद्देश्य	यह बाजार पूंजीकरण द्वारा प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध 15 सबसे व्यापक कारोबार वाली क्रिप्टोमुद्राओं के प्रदर्शन को मापेगा।

उद्देश्य	• क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति जागरूकता और जानकारी बढ़ाने के लिए। • निवेशकों को यह समझने में मदद करने के लिए कि वर्चुअल कॉइन ट्रेडिंग कैसे काम करती है।
आईसी15 का निर्माण कैसे किया जाता है?	• डोमेन विशेषज्ञों, उद्योग पेशेवरों और शिक्षाविदों की एक सूचकांक शासन समिति(आईजीसी) बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में शीर्ष 400 कॉइन में से क्रिप्टोकरेंसी का चयन करेगी। यह शीर्ष 15 क्रिप्टो के फेरबदल सहित सूचकांक की निगरानी और रखरखाव की प्रभारी के रूप में कार्य करेगी। • सूचकांक का अन्य परिसंपत्ति वर्गों के साथ कम संबंध है, क्योंकि **आईसी15** में लाभ अन्य परिसंपत्ति वर्गों में लाभ को प्रतिबिंबित नहीं करता है। • 1 जनवरी, 2022 के अनुसार, बिटकॉइन, एथेरियम, बिनेंस कॉइन और सोलाना **आईसी15** सूचकांक पर शीर्ष चार स्थानों पर काबिज हैं।
पात्रता की शर्तें	• **पात्र क्रिप्टोकरेंसी:** ○ समीक्षा अवधि के दौरान कम से कम 90% दिनों में कारोबार किया होना चाहिए और ○ व्यापारिक मूल्य के संदर्भ में 100 सबसे अधिक तरल क्रिप्टोमुद्राओं में से एक होना चाहिए। ○ चक्रीय बाजार पूंजीकरण के मामले में शीर्ष 50 में होना चाहिए। • इसके बाद समिति शीर्ष 15 क्रिप्टोकरेंसी का चयन करेगी। सूचकांक की तिमाही समीक्षा की जाएगी।

निर्यात तत्परता सूचकांक 2021

चर्चा में: हाल ही में निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 जारी किया गया।

संबंधित जानकारी:	• **जारीकर्ता:** नीति आयोग द्वारा, प्रतिस्पर्धा संस्थान के सहयोग से। • **इतिहास:** पहला सूचकांक अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। • निर्यात तत्परता सूचकांक भारत की निर्यात उपलब्धियों का व्यापक विश्लेषण है। • इसका उद्देश्य उप-राष्ट्रीय निर्यात संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत क्षेत्रों की पहचान करना है। • सूचकांक में तटीय राज्यों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता घोषित किया गया है।
मापदंड	• सूचकांक चार प्रमुख मापदंडों पर राज्यों को स्थान देता है - नीति; व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र; निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र; निर्यात प्रदर्शन। • **सूचकांक में 11 उप-स्तंभों पर भी विचार किया गया** - निर्यात प्रोत्साहन नीति; संस्थागत ढांचा; व्यापारिक वातावरण; आधारभूत संरचना; परिवहन संपर्क; वित्त तक पहुंच; निर्यात अवसंरचना; व्यापार समर्थन; आर एंड डी आधारभूत संरचना; निर्यात विविधीकरण; और विकास उन्मुखीकरण।
प्रमुख निष्कर्ष	• **नीति आयोग द्वारा जारी** निर्यात तत्परता सूचकांक **(ईपीआई) 2021 गुजरात ने** लगातार दूसरी बार **प्रथम स्थान प्राप्त किया है** । • महाराष्ट्र को दूसरा और कर्नाटक को तीसरा स्थान दिया गया है।

उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण

चर्चा में: लंबे अंतराल के बाद **अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण** इस साल फिर से शुरू होने वाला है ।

संबंधित जानकारी:	• **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा हर 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है।** • **उद्देश्य:** देश भर में शहरी और ग्रामीण दोनों परिवारों के उपभोग व्यय पैटर्न के बारे में जानकारी एकत्र करना। • इस कवायद में एकत्र किए गए आंकड़ों से वस्तुओं (खाद्य और गैर-खाद्य) और सेवाओं पर औसत व्यय का पता चलता है। आंकड़े मासिक प्रति व्यक्ति **उपभोक्ता व्यय (एमपीसीई)** के साथ-साथ एमपीसीई वर्गों में परिवारों और व्यक्तियों के वितरण का अनुमान लगाने में मदद करते हैं।
सर्वेक्षण कैसे उपयोगी है?	• सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग देश के विभिन्न हिस्सों में गरीबी के स्तर के अनुमानों पर पहुंचने और 2011-12 से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) जैसे आर्थिक संकेतकों की समीक्षा करने के लिए किया गया था।
प्रमुख निष्कर्ष	• औसत शहरी मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (एमपीसीई) 2,630 था, जो पूरे देश के औसत ग्रामीण एमपीसीई (1,430) से लगभग 84% अधिक था। • औसत ग्रामीण भारतीय परिवार की खपत के मूल्य का लगभग 53% भोजन के ऊपर था। जबकि, शहरी परिवारों के मामले में यह औसत उपभोग बजट का केवल 42.6% था।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय:

- सरकार ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), कंप्यूटर केंद्र और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) को मिलाकर एक व्यापक निकाय एनएसओ का गठन किया गया है।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएसए) द्वारा निर्धारित सांख्यिकीय मानकों को लागू करने और बनाए रखने और केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करने के लिए पहली बार एनएसओ की परिकल्पना रंगराजन आयोग द्वारा की गई थी।
- यह **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** (एमओएसपीआई) **की सांख्यिकीय शाखा है।**
- यह 'त्वरित अनुमान' के रूप में हर महीने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) को संकलित और जारी करता है और उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) करता है।

भारत पेटेंट रिपोर्ट

चर्चा में: भारत पेटेंट रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय कंपनियों द्वारा 2015 से 2021 तक भारत में 1,38,000 तकनीकी पेटेंट दायर करने के साथ प्रौद्योगिकी नवाचार भारत में गति प्राप्त कर रहा है।

रिपोर्ट के बारे में	• **जारी कर्ता:** नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नेसकॉम)। • **रिपोर्ट का फोकस :** यह रिपोर्ट नैसकॉम की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी-केंद्रित रिपोर्ट की श्रृंखला में से एक है, जिसका उद्देश्य यह समझना है कि भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियां अपने सबसे बड़े बाजार में आईपी संपत्ति कैसे बना रही हैं।
रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं	• **भारतीय कंपनियों द्वारा दायर किए गए पेटेंट** : भारतीय कंपनियों ने 2015 से 2021 तक भारत में 1.38 लाख तकनीकी पेटेंट दायर किए हैं। • **प्रमुख बाजार के रूप में अमेरिका:** अमेरिका भारत के लिए एक प्रमुख निर्यात बाजार बना हुआ है। 2015-2021 के बीच अमेरिका में भारत की अधिवासित कंपनियों द्वारा 9,500 से अधिक पेटेंट दायर किए गए , 2015 और 2019 की तुलना में इनमें लगभग 47% की वृद्धि हुई। • **स्टार्ट-अप्स की भूमिका** : प्रौद्योगिकी नवाचार के संदर्भ में स्टार्ट-अप्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। • 60% से अधिक प्रौद्योगिकी पेटेंट भारतीय कंपनियों और स्टार्ट-अप द्वारा दायर किए गए थे, जबकि 16.7% तकनीकी पेटेंट व्यक्तिगत आविष्कारक/अकादमिक-अनुसंधान द्वारा दायर किए गए थे।

विश्व आर्थिक आउटलुक

चर्चा में: हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है।

संबंधित जानकारी:	• **रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा** वर्ष में दो बार प्रकाशित की जाती है: अप्रैल और अक्टूबर में एक-एक। यह जनवरी और जुलाई में इन दो रिपोर्टों के अपडेट भी जारी करता है। • **उद्देश्य:** सदस्य देशों के आर्थिक विकास का विश्लेषण और पूर्वानुमान प्रदान करना और जोखिम और अनिश्चितता को उजागर करना।
मुख्य विचार	• **भारत:** आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास के अनुमान को 80 आधार अंक घटाकर 8.2% कर दिया है। • उच्च माल और ईंधन की कीमतों के कारण आयात बिल बढ़ने के साथ, आईएमएफ का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2021-22 में 1.6% से बढ़कर 3.1% हो जाएगा। • इसके अतिरिक्त, वैश्विक विकास में गिरावट से भी भारतीय निर्यात की मांग कम होगी।

टाइम रिलीज अध्ययन

चर्चा में: हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने टाइम रिलीज अध्ययन (टीआरएस) 2022 जारी किया है।

संबंधित जानकारी:	• व्यापार सुविधा समझौते (टीएफए) और विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्लूसीओ) के अन्तर्गत डब्लूटीओ द्वारा अनुशंसित **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कार्गो निकासी प्रक्रिया का आकलन करने के लिए** टीआरएस **अनिवार्य रूप से एक निष्पादन माप उपकरण है।**
अपनायी जाने वाली विधि	• अध्ययन **औसत कार्गो रिलीज समय को मापता है** , यानी, सीमा शुल्क स्टेशन पर कार्गो के आगमन से आयात या निर्यात के लिए अंतिम रिलीज तक का समय जैसा भी मामला हो सकता है।
बंदरगाहों को कवर किया गया	• टीआरएस 2022 **में चार-पोर्ट श्रेणियां शामिल हैं** - 1) बंदरगाह, 2) एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी), 3) अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) और 4) एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी)। • ये बंदरगाह लगभग 80% बिल ऑफ एंट्री (आयात दस्तावेज) और 70% शिपिंग बिल (निर्यात दस्तावेज) संभालते हैं।
टीआरएस 2022 के प्रमुख निष्कर्ष	• 2021 की इसी अवधि की तुलना में 2022 में सभी चार-पोर्ट श्रेणियों के लिए औसत कार्गो रिलीज समय में सुधार हुआ है **।** • **उदाहरण के लिए, एसीसी में औसत आयात रिलीज समय में 16%, बंदरगाहों और आईसीडी के मामले में 12% और आईसीपी में 2% का सुधार हुआ है** । • इस सुधार के साथ, आईसीपी ने 2023 तक प्राप्त करने के लिए **राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (एनटीएफएपी) लक्ष्य रिलीज का समय हासिल कर लिया है, जबकि अन्य तीन-बंदरगाह श्रेणियां एनटीएफएपी लक्ष्य के 75% तक पहुंच गई हैं।**

भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट

चर्चा में: हाल ही में, **प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने** भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के बारे में:	• **जारीकर्ता:** प्रतिस्पर्धा संस्थान द्वारा बनाया जाता है और प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (**ईएसी-पीएम**) द्वारा जारी की जाती है। • **उद्देश्य:** रिपोर्ट भारत में असमानता की गहराई और प्रकृति का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। यह अन्य क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू और श्रम बाजारों में असमानताओं पर आंकड़े संकलित करता है। • **मुख्य क्षेत्र:** रिपोर्ट पांच **प्रमुख क्षेत्रों को देखती है जो असमानता की प्रकृति और अनुभव को प्रभावित करते हैं**। ○ ये हैं 1) आय वितरण 2) श्रम बाजार की गतिशीलता, 3) स्वास्थ्य, 4) शिक्षा और 5) घरेलू विशेषताएं। • **आंकड़ों का स्रोत:** रिपोर्ट आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलपीएस), **राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) और यूडीआईएसई + के विभिन्न दौरों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है।**
मुख्य निष्कर्ष	• **धन का संकेन्द्रण:** ग्रामीण क्षेत्रों के 7.1% संकेन्द्रण की तुलना में शहरी क्षेत्रों में उच्चतम क्विंटाइल (20%) में 44.4 प्रतिशत धन संकेन्द्रण है। • **बेरोजगारी दर:** भारत की बेरोजगारी दर 4.8% (2019-20) है, और श्रमिक जनसंख्या अनुपात 46.8% है।

	• **गरीबी के मुद्दों के रूझान:** विश्व बैंक के अनुसार भारत ने 2000 के दशक से गरीबी को कम करने में प्रगति की है। जनसंख्या प्रतिशत के रूप में गरीबी का अनुपात 2004 में 37.2% से घटकर 2015 में 13.6% हो गया। हालांकि, 176 मिलियन भारतीय अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं।

क्रय प्रबंधक सूचकांक

चर्चा में: एसएंडपी वैश्विक भारत विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) के अनुसार, भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने नए ऑर्डर और आउटपुट में मामूली तेजी दर्ज की, जो मार्च 2022 में 54 से बढ़कर अप्रैल 2022 में 54.7 हो गई है।

संबंधित जानकारी:

- **पीएमआई दुनिया भर में 40 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए आईएचएस बाजार द्वारा संकलित किया गया है।**
- यह एक सर्वेक्षण-आधारित उपाय है जो प्रतिक्रियादाताओं से पिछले महीने की तुलना में प्रमुख व्यावसायिक चरों की उनकी धारणा में बदलाव के बारे में पूछा जाता है। **यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में आर्थिक प्रवृत्तियों की वर्तमान दिशा का सूचकांक है** ।
- **पीएमआई का मुख्य उद्देश्य कंपनी के निर्णय निर्माताओं, विश्लेषकों और निवेशकों को वर्तमान और भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों की जानकारी प्रदान करना** है ।
- इसकी विनिर्माण **और सेवा क्षेत्र के लिए अलग-अलग गणना की जाती है** और फिर दोनों का संयुक्त सूचकांक भी तैयार किया जाता है।
- पीएमआई **0 से 100 तक की संख्या में होता है** ।
    - 50 से ऊपर के स्कोर का अर्थ विस्तार है, जबकि इससे नीचे का स्कोर संकुचन को दर्शाता है।
    - 50 के स्कोर का अर्थ कोई बदलाव नहीं है।
- यदि पिछले महीने का पीएमआई चालू माह के पीएमआई से अधिक है, तो यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था का संकुचन हो रहा है।
- **यह आमतौर पर हर महीने की शुरुआत में जारी किया जाता है** । इसलिए, इसे आर्थिक गतिविधि का एक अच्छा अग्रणी संकेतक माना जाता है।

विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक

चर्चा में: विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 जारी कर दिया गया है।

संबंधित जानकारी:

प्रकाशित करने वाला संस्थान	**प्रबंधन विकास संस्थान (आईएमडी) द्वारा 1989 से प्रकाशित किया जा रहा है।**

उद्देश्य	63 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए और विशुद्ध आंकड़ों और अधिकारियों से सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आर्थिक कल्याण को मापने के द्वारा यह आकलन करना कि कोई देश अपने लोगों की समृद्धि को किस हद तक बढ़ावा देता है।
मापदंड	सूचकांक चार कारकों की जांच करके देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्धा को मापता है: 1) आर्थिक प्रदर्शन, 2) सरकारी दक्षता, 3) व्यावसायिक दक्षता और 4) आधारभूत संरचना।
प्रमुख निष्कर्ष	• **विश्व स्तर पर:** डेनमार्क सूचकांक में सबसे ऊपर है, उसके बाद स्विट्जरलैंड और सिंगापुर हैं। • **भारत से संबंधित निष्कर्ष:** भारत को सूचकांक में 37वां स्थान दिया गया है। भारत ने 43वें से 37वें स्थान के लिए छह स्थान की छलांग के साथ एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि की है।

राज्य स्टार्टअप सूची

चर्चा में: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा राज्य स्टार्टअप सूची का तीसरा संस्करण जारी किया गया।

संबंधित जानकारी:

जारी करने वाला	**उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईटी) द्वारा 2018 से।**
उद्देश्य	राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में सहायता करना और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना।
सूची 2021 के बारे में :	राज्यों का मूल्यांकन 7 व्यापक सुधार क्षेत्रों में किया गया था, जिनमें 1) संस्थागत समर्थन, 2) नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, 3) बाजार तक पहुंच, 4) ऊष्मायन समर्थन, 5) वित्त पोषण 6) परामर्श और 7) सक्षमकर्ताओं की क्षमता निर्माण शामिल हैं। .
वर्गीकरण	सूची के प्रयोजनों के लिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: 1) सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता, 2) शीर्ष प्रदर्शनकर्ता, 3) नेतृत्वकर्ता, 4) आकांक्षी नेतृत्वकर्ता और 5) उभरते स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र।
प्रमुख निष्कर्ष	• **सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता:** राज्यों की श्रेणी में गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में सामने आए। संघ शासित प्रदेशों और उत्तर-पूर्वी राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष पर है। • **शीर्ष प्रदर्शनकर्ता:** केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना ने राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों का पुरस्कार जीता। केंद्रशासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में जम्मू और कश्मीर शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में है।

वित्तीय समावेशन सूचकांक

चर्चा में: भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स) जारी किया है।

संबंधित जानकारी:	• **जारीकर्ता: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा।** • यह सरकार और संबंधित क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ-साथ पेंशन क्षेत्र के विवरण को शामिल करने वाला एक व्यापक सूचकांक है। • यह **आरबीआई द्वारा** बिना किसी 'आधार वर्ष' के **2021 में** विकसित किया गया था, और हर वर्ष जुलाई में प्रकाशित किया जाता है।
उद्देश्य	• देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा का पता लगाने के लिए। • एफआई-इंडेक्स 97 संकेतकों से युक्त सेवाओं की पहुंच, उपलब्धता और सेवाओं के उपयोग और सेवाओं की गुणवत्ता में आसानी के लिए उत्तरदायी है।
मापदंड	• यह 0 और 100 के बीच के एकल मान में वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करता है, जहां 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण का प्रतिनिधित्व करता है और 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन का संकेत देता है। • इसमें तीन व्यापक **मापदंड** शामिल हैं, जैसे पंहुच (35%), उपयोग (45%), और गुणवत्ता (20%) जिनमें से प्रत्येक में विभिन्न आयाम शामिल हैं, जिनकी गणना कई संकेतकों के आधार पर की जाती है।
निष्कर्ष	• भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक पिछले वर्ष 2021 के 53.9 से सुधर कर 56.4 हो गया है। • सुधार इसके सभी उप-सूचकांकों (पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता) में देखा गया है।

ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस

चर्चा में: विश्व बैंक ने हाल ही में ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021: वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान और कोविड-19 के युग में लचीलापन जारी किया ।

संबंधित जानकारी:

- ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस ने सर्वेक्षण किया कि कैसे 123 अर्थव्यवस्थाओं में लोगों ने 2021 के दौरान डिजिटल भुगतान करने और प्राप्त करने के लिए कार्ड, मोबाइल फोन और इंटरनेट के उपयोग सहित **औपचारिक और अनौपचारिक वित्तीय सेवाओं का उपयोग किया।**
- **भारत आधारित निष्कर्ष:** भारत उन सात देशों में शामिल है, जहां दुनिया के 1.4 अरब वयस्कों में से आधे के पास औपचारिक बैंकिंग तक पहुंच नहीं है।
- **आधार प्रणाली ने वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय वृद्धि में योगदान दिया** ,इसके माध्यम से 2017 में वयस्क खाता धारकों का प्रतिशत 80% पंहुचा दिया जो कि 2011 में 35% था।
- जब देश ने नकदी के बजाय बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड से भुगतान करने का विकल्प चुना तो **आंतरिक धोखाधड़ी और पेंशन भुगतान संबंधी गड़बड़ियों में 47% की कमी आई** ।

- वित्तीय संस्थानों से दूरी, भरोसे की कमी और आवश्यकता की कमी, बैंक खाते की निष्क्रियता के कारण हैं।

मानव विकास रिपोर्ट

चर्चा में: हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 जारी की गई।

पृष्ठभूमि	• 1990 में, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक ने मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) विकसित किया।
जारी कर्ता	• **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)।**
प्रयुक्त संकेतक	• जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, • स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, • स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, और • प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय।
2021 की रिपोर्ट के निष्कर्ष	• एचडीआई 2021 में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड शीर्ष पर रहे। • एचडीआई 2021-2022 में 191 देशों और क्षेत्रों में भारत 132वें स्थान पर है। पिछले वर्ष देश 131वें स्थान पर था।

वैश्विक नवाचार सूचकांक

चर्चा में: विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा **वैश्विक नवाचार सूचकांक** 2022 जारी किया गया है।

संबंधित जानकारी:

जारीकर्ता	• **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है।**
उद्देश्य	• चल रही कोविड-19 महामारी, धीमी उत्पादकता वृद्धि और अन्य उभरती चुनौतियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ सबसे हाल के वैश्विक नवाचार रुझानों का पता लगाने के लिए।
मापदंड	सूचकांक की गणना दो उप-सूचकांकों के औसत के रूप में की जाती है। • **नवाचार इनपुट उप-सूचकांक:** यह अर्थव्यवस्था के तत्वों का अनुमान लगाता है जो नवीन गतिविधियों को सक्षम और सुगम बनाता है और इसे पांच स्तंभों में बांटा गया है: (1) संस्थान, (2) मानव पूंजी और अनुसंधान, (3) बुनियादी ढांचा, (4) बाजार परिष्कार, और (5) व्यापार परिष्कार। • **नवाचार आउटपुट उप-सूचकांक:** यह अर्थव्यवस्था के भीतर नवाचार गतिविधियों के वास्तविक परिणाम को अंकित करता है और इसे दो स्तंभों में विभाजित किया गया है: (6) ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट और (7) रचनात्मक आउटपुट।

प्रमुख निष्कर्ष	• **सबसे ऊपर:** स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष दुनिया की सबसे नवीन अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। • **भारत:** भारत को 2022 में सूचकांक में 40वें स्थान पर रखा गया है। यह पहली बार है जब भारत ने शीर्ष 40 में प्रवेश किया है। 2021 में, भारत 46वें स्थान पर था।

डब्ल्यूआईपीओ का संबंधित जानकारी:

- यह **संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की 15 विशेष एजेंसियों में से एक है,** और इसका **मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।**
- यह 1967 में "रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए, दुनिया भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए" बनाया गया था।
- इसके **193 सदस्य देश हैं** और यह कई अंतरराष्ट्रीय संधियों के निष्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है।

प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को प्रोत्साहित करना 2022

चर्चा में: विश्व आर्थिक मंच (डब्लूईएफ) की प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को प्रोत्साहित करना 2022' रिपोर्ट ने एक लचीला ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों द्वारा तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है।

संबंधित जानकारी:	• **विश्व आर्थिक मंच (डब्लूईएफ)** द्वारा देशा की बेंचमार्किंग करने हेतु एक वार्षिक रिपोर्ट है । • रिपोर्ट एक अशांत व्यापक आर्थिक **और भू-राजनीतिक वातावरण के माध्यम से संक्रमण को निष्पादित करने के तरीके पर सिफारिशें करने के लिए ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के रुझानों पर आधारित है।**
प्रमुख निष्कर्ष	• रिपोर्ट में पाया गया कि परिवर्तन के लिए बढ़ती तात्कालिकता के साथ ऊर्जा संक्रमण मेल नहीं खा रहा है। • ऊर्जा सामर्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। • ऊर्जा की अवहनीयता निष्पक्ष और न्यायपूर्ण परिवर्तन के लक्ष्य के लिए खतरा बन रही है। • ऊर्जा विविधता का अभाव है।

विश्व आर्थिक मंच:

- विश्व आर्थिक मंच (**डब्लूईएफ**) **1971 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थापित एक स्विस गैर-लाभकारी फाउंडेशन है।**
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग** के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में स्विस अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त ।
- यह वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग कार्यसूची को आकार देने के लिए व्यापार, राजनीतिक, शैक्षणिक और समाज के अन्य नेताओं को शामिल करके दुनिया की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- **संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष: क्लॉस श्वाब।**
- **डब्लूईएफ** द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्टें हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता **रिपोर्ट,** वैश्विक लैंगिक अंतराल **रिपोर्ट,** वैश्विक जोखिम **रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट।**

विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक: रुझान 2022 रिपोर्ट

चर्चा में: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित , रिपोर्ट में रोजगार की दुनिया पर कोविड-19 संकट के प्रभावों का विवरण दिया गया है।

मुख्य विचार:

- वैश्विक बेरोजगारी 2022 में 207 मिलियन रहने का अनुमान है, जो 2019 के स्तर को लगभग 21 मिलियन से बढ़ा देगा।
- 2020 में, अतिरिक्त 30 मिलियन वयस्क अत्यधिक गरीबी में चले गए (जो प्रति दिन 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन कर रहे थे)।
- महामारी असमानता के विभिन्न रूपों (लिंग असमानता, डिजिटल विभाजन आदि) को गहरा कर रही है।
- **रिपोर्ट चार स्तंभों के आधार पर मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति की सिफारिश करती है:**
    - समावेशी आर्थिक वृद्धि और विकास
    - सभी श्रमिकों का संरक्षण
    - सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा
    - सामाजिक संवाद।

भारत@100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप रिपोर्ट

चर्चा में: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने भारत@100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप रिपोर्ट जारी की है।

प्रतिस्पर्धा संस्थान का संबंधित जानकारी: :

- प्रतिस्पर्धा संस्थान, भारत हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में रणनीति और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के वैश्विक नेटवर्क में भारतीय प्रतिनिधि है।
- यह प्रतिस्पर्धा और रणनीति पर अनुसंधान और ज्ञान के विस्तार और उद्देश्यपूर्ण प्रसार के लिए समर्पित है।

रिपोर्ट के बारे में :	• **तैयार करने वाली संस्था:** प्रतिस्पर्धा संस्थान और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से माइकल ई. पोर्टर और डॉ. क्रिश्चियन केटल्स के सहयोग से ईएसी-पीएम द्वारा तैयार। • **उद्देश्य:** 2047 तक, जब देश अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा, तब उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत का मार्ग प्रशस्त करना।
रिपोर्ट द्वारा दिए गए प्रमुख सुझाव?	• **उत्पादकता:** रिपोर्ट निरंतर समृद्धि के वाहक के रूप में उत्पादकता के विचार को सामने रखती है। • यह जोर देती है कि एक राष्ट्र फर्मों को अधिक उत्पादक बनाने में सक्षम है और व्यक्तियों को उनकी उत्पादकता के माध्यम से उत्पन्न मूल्य बढ़ाने में सक्षम बनाता है। • **4एस सिद्धांत:** रिपोर्ट '4एस' सिद्धांतों के आधार पर क्षेत्र-विशिष्ट और क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों के माध्यम से भारत को उच्च आय वाला देश बनने का रास्ता दिखाती है। • **4एस सिद्धांतों में** , प्रथम 'सामाजिक' प्रगति से मेल खाने वाली समृद्धि की बात है। • **दूसरा है कि विकास को** सभी क्षेत्रों में 'साझा' करने की आवश्यकता है। • **तीसरा पर्यावरण की दृष्टि से 'टिकाऊ** ' होना है और चौथा **बाहरी झटकों के सामने 'दृढ़' होना है** ।

युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार रुझान 2022

चर्चा में: यह **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा जारी किया गया था।**

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- महामारी ने 15 से 24 वर्ष की आयु के लोगों के लिए श्रम बाजार की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है।
- भारत में, औसतन 92 प्रतिशत बच्चों ने भाषा में कम से कम एक मूलभूत क्षमता खो दी और 82 प्रतिशत ने गणित में कम से कम एक मूलभूत क्षमता खो दी।
- **मनरेगा** ने निम्नलिखित में अहम भूमिका निभाई है-
    - विशेष रूप से महिलाओं को वैतनिक रोजगार प्रदान करने में।
    - अधिनियम के रूप में प्राकृतिक संसाधनों पर केंद्रित है, जैसे कि भूमि, पानी और पेड़, जो अनुकूलन लाभ प्रदान करते हैं।
    - **नारंगी अर्थव्यवस्था (रचनात्मक अर्थव्यवस्था)** दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है, जो वास्तुकला, दृश्य और प्रदर्शन कला, शिल्प और वीडियोगेम जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करती है।

विश्व जनसंख्या संभावना 2022

चर्चा में : **संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (यूएनडीईएसए) ने** हाल ही में विश्व जनसंख्या संभावना 2022 जारी किया है ।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

मुख्य निष्कर्ष	• वैश्विक जनसंख्या, इस वर्ष 8 बिलियन तक पहुंचने के लिए, 1950 के बाद से अपनी सबसे धीमी दर से बढ़ रही है, जो 2020 में 1% से भी कम हो गई है। • **2050 तक वैश्विक जनसंख्या में आधी से अधिक वृद्धि** भारत सहित आठ देशों में केंद्रित होगी। • **65 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैश्विक जनसंख्या का हिस्सा 2022 में 10% से बढ़कर 2050 में 16% हो जाएगा** । • **कोविड-19 महामारी के कारण जन्म के समय वैश्विक जीवन प्रत्याशा** 2019 में 72.9 से गिरकर 2021 में 71 वर्ष हो गई।
भारत विशिष्ट निष्कर्ष	• **भारत, वर्तमान में 1.4 बिलियन लोगों का देश, 2023 में सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा** और इसके 2100 तक शीर्ष स्थान पर बने रहने की संभावना है। • **विश्व जनसंख्या में इसका हिस्सा 2022 में मामूली रूप से कम हुआ है** ।

गरीबी और साझा समृद्धि 2022

चर्चा में: विश्व बैंक (डब्लूबी) ने हाल ही में 'गरीबी और साझा समृद्धि 2022' रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक गरीबी को झटका	• महामारी ने वैश्विक अत्यधिक गरीबी दर को 2020 में अनुमानित 9.3% तक बढ़ा दिया (2019 में 8.4% से अधिक)।
गरीबी की सीमा	• 2019 में दुनिया की लगभग आधी आबादी (47%)गरीबी में जीवन यापन कर रही थी। • 2020 को एक ऐतिहासिक बिंदु के रूप में चिह्नित: ○ दशकों में पहली बार वैश्विक असमानता बढ़ी: दुनिया की सबसे गरीब 40% आबादी की आय हानि सबसे अमीर 20% की तुलना में दोगुनी थी। ○ 1990 में डब्ल्यूबी के माप शुरू होने के बाद से पहली बार वैश्विक औसत आय में गिरावट (4% प्रतिशत) आई है।
कोविड-19 महामारी से असमान आर्थिक सुधार	सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाएं कम और मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत तेज गति से महामारी से उबरी हैं।
विश्व बैंक द्वारा गरीबी की परिभाषाएँ:	• अत्यधिक गरीबी 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन करना • गरीबी प्रतिदिन 6.85 अमेरिकी डॉलर से कम पर गुजारा करना

विभिन्न राज्यों में रसद(लॉजिस्टिक्स) सुगमता (लीड्स) 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट

चर्चा में: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता (लीड्स) 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है।

संबंधित जानकारी:	• **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में विभिन्न राज्यों** में रसद सुगमता (लीड्स) 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की। • **लीड्स** सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रसद बुनियादी ढांचे, सेवाओं और मानव संसाधनों का आकलन करने के लिए एक स्वदेशी डेटा-संचालित सूचकांक है। ○ यह रसद क्षेत्र की कार्यकुशलता का एक महत्वपूर्ण साधन है जो वैश्विक बेंचमार्क की तुलना में रसद लागत को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। इसे पहली बार 2018 में शुरू किया गया था।

मुख्य बिन्दु	• लीड्स 2022 ने वर्गीकरण-आधारित ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया जबकि पिछले संस्करण सभी राज्यों के लिए रैंकिंग प्रणाली पर आधारित थे। • **तीन प्रदर्शन श्रेणियों में निम्नलिखित शामिल हैं:** ○ उपलब्धि वाले (90% या अधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले राज्य / केंद्र शासित प्रदेश) ○ तेजी से आगे बढ़ने वाले (80% से 90% के बीच स्कोर प्राप्त करने वाले राज्य / केंद्र शासित प्रदेश) ○ आकांक्षी (80% से कम स्कोर प्राप्त करने वाले राज्य / केंद्र शासित प्रदेश)

खाद्य और कृषि स्थिति रिपोर्ट 2022

चर्चा में : खाद्य और कृषि स्थिति की रिपोर्ट **एफएओ द्वारा प्रकाशित की गई है ।**

संबंधित जानकारी:

- खाद्य और कृषि स्थिति रिपोर्ट **2022:** कृषि-खाद्य प्रणालियों में स्वचालन को बढ़ावा, रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा जारी की गई थी।
  - इसने देखा कि कैसे हमारे कृषि-खाद्य प्रणालियों में स्वचालन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान दे सकता है।
- **कृषि स्वचालन (एए) के लाभ:**
  - कृषि में श्रम उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाना।
  - कृषि श्रमिकों के लिए काम करने की स्थिति और आय में सुधार करना।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता के नए अवसर सृजित करना। खाद्य नुकसान को कम करना और उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार करना।

14 .विविध

इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज

चर्चा में : हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया सप्ताह के एक भाग के रूप में 'इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज (आईएसकेई)' कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

संबंधित जानकारी:	• इंडिया स्टैक भारत की जनसंख्या को डिजिटल युग में लाने के लिए एक एकीकृत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। • आईएसकेई 2022 को लाने के पीछे वास्तविक पेशेवरों - आईटी नेतृत्वकर्त्ताओं को जमीनी स्तर पर बड़ा परिवर्तन लाने वाली परियोजनाओं व इन परियोजनाओं के भविष्य और इनके सामने आने वाली चुनौतियों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए सामने लाया जाए।

	• आईएसकेई 2022 का लक्ष्य वैश्विक समुदाय के सामने इंडिया स्टैक सॉल्यूशन एंड गुड्स कार्यक्रम को प्रस्तुत करना और किसी भी देश को अपने स्वयं के उपयोग के लिए उन्हें अपनाने और अनुकूलित करने के लिए स्वागत करना भी था।
महत्व	• इसने अग्रणी परियोजनाओं को लागू करने में अपने अनुभव साझा करने के लिए पेशेवरों और डिजिटल परिवर्तन नेतृत्वकर्त्ताओं को एक साथ लाने के लिए मंच प्रदान किया। • इसने इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज के गठन में मदद की। • इसने कुछ डिजिटल पहलों के कार्यान्वयन के लिए एक सहयोगी मंच के रूप में कार्य किया। • इसने ग्लोबल डिजिटल पब्लिक गुड्स के संग्रहण में अपने योगदान के बारे में बात करने के लिए भारत के लिए एक ज्ञान विनिमय मंच के रूप में कार्य किया।
आईएसकेई **में शामिल क्षेत्र**	• **शहरी स्टैक:** स्मार्ट सिटीज मिशन, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP), डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर गवर्नेंस, इम्पैक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन (DIGIT), इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDEX) आदि। • **ई-कॉमर्स के लिए प्रौद्योगिकी स्टैक:** सरकारी ई-मार्केटप्लेस, डिजिटल व्यापार के लिए खुला नेटवर्क। • **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टैक:** नेविगेशन इन इंडियन कांस्टेलेशन (नाविक), **भू प्रेक्षण डेटा और अभिलेखीय प्रणाली का विज़ुअलाइज़ेशन** (वेदास), मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान उपग्रह डेटा अभिलेखीय केंद्र (एमओएसडीएसी), भुवन, भूनिधि और युक्तिधारा।

उड़न राख या फ्लाई ऐश

चर्चा में: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने अपने हालिया आदेश में उड़न राख प्रबंधन और उपयोगिता मिशन' के गठन का निर्देश दिया है।

संबंधित जानकारी:

- लोकप्रिय रूप से फ़्लू ऐश या चूर्णित ईंधन राख के रूप में जाना जाता है, यह एक कोयला दहन उत्पाद है।
- जब कोयले को भट्टी में जलाया जाता है तो यह फ़्लू गैसों के साथ उत्सर्जित होता है और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स का उपयोग करके एकत्र किया जाता है।
- क्षणिक धूल के उत्सर्जन को कम करने के लिए उड़न राख को प्रीसिपिटेटर्स का उपयोग करके एकत्र किया जाता है और एक गीले घोल में बदल दिया जाता है।
- फिर इसे स्लरी पाइपलाइनों के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए राख के तालाबों में ले जाया जाता है।
- हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में सकल कम उपयोग के कारण 1,670 मिलियन टन उड़न राख एकत्रित हो गयी है।

उड़न राख ऐश प्रबंधन और उपयोगिता मिशन:

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उड़न राख प्रबंधन और उपयोगिता मिशन' के गठन का निर्देश दिया है।
- **आयोग के लक्ष्य:**

क) उड़न राख के प्रबंधन और और संबंधित मुद्दों के निपटान से संबंधित चुनौतियों का समन्वय और निगरानी करना, और

ख) सभी ताप विद्युत संयंत्रों और उनके समूहों के लिए उपलब्ध उड़न राख उपयोग में रोडमैप और प्रगति तैयार करना।

- **नेतृत्वकर्ता:** मिशन का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) और केंद्रीय कोयला और विद्युत मंत्रालयों के सचिवों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
    - बोर्ड में संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी होंगे।
- **नोडल एजेंसी:** एमओईएफएंडसीसी के सचिव समन्वय और अनुपालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे।

एनआईपीईआर अनुसंधान पोर्टल

चर्चा में: केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया है।

संबंधित जानकारी:

- **उद्देश्य:** सभी एनआईपीईआर, उनकी शोध पहलों, पेटेंट आवेदनों और प्रकाशनों के बारे में एक ही स्थान पर जानकारी उपलब्ध कराना ताकि उद्योगों और अन्य हितधारकों को उनके बारे में पता चल सके।
- पोर्टल शोधकर्ताओं को सही संगठनों से जुड़ने में मदद करेगा। यह शोधकर्ताओं को सर्वोत्तम संस्थान के साथ काम करने और उनकी शोध गतिविधियों के महत्व को बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर):

- **एनआईपीईआर औषधीय शिक्षा के क्षेत्र में परास्नातक और पीएचडी डिग्री प्रदान करने वाला राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है** ।
- वर्तमान में **एनआईपीईआर के सात राष्ट्रीय संस्थान औषधीय शिक्षा विभाग ,** रसायन और उर्वरक **मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे हैं।**
- **पहला एनआईपीईआर 1998 में** एनआईपीईआर अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत मोहाली में स्थापित किया गया था।
- इसके बाद, एनआईपीईआर अधिनियम 1998 में संशोधन के अनुसार, हाजीपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, रायबरेली, गुवाहाटी और कोलकाता में छह नए एनआईपीईआर स्थापित किए गए।

अंगदिया

चर्चा में: मुंबई पुलिस के तीन अधिकारियों के खिलाफ दक्षिण मुंबई में कथित तौर पर अंगदियों को धमकाने और उनसे जबरन पैसे वसूलने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

संबंधित जानकारी:

- अंगदिया प्रणाली **भारत में एक सदी पुरानी समानांतर बैंकिंग प्रणाली है।**
- इस प्रणाली में, व्यापारी आम तौर पर एक राज्य से दूसरे राज्य में एक वाहक के माध्यम से पैसा भेजते हैं जिसे अंगदिया कहा जाता है जो कूरियर का काम करता है।
- चूंकि मुंबई और सूरत हीरा व्यापार के दो प्रमुख केन्द्र हैं, इसलिए अंगदिया द्वारा इस मार्ग का मुख्य रूप से आभूषण उद्योग में उपयोग किया जाता है।

- **चूंकि इस व्यापार में बड़ी धनराशि शामिल होती** है और उनका कर्तव्य होता है कि वे इसे एक राज्य से दूसरे राज्य में सुरक्षापूर्वक स्थानांतरित करें और इसके लिए **अंगदिया मामूली शुल्क लेते हैं** ।
    - **आम तौर पर, गुजराती, मारवाड़ी और मालबारी समुदाय इस व्यापार में शामिल होते हैं**।
- **कार्यविधि:** अंगड़िया प्रणाली पूरी तरह से भरोसे पर काम करती है क्योंकि इसमें बड़ी रकम, कभी-कभी करोड़ों में, शामिल होती है।
    - आम तौर पर व्यापारियों के पास दशकों से एक ही अंगड़िया काम करते हैं।
    - आमतौर पर, प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए, व्यापारी अंगदिया को कोई भी रुपये का नोट देगा और प्राप्तकर्ता को नोट की संख्या बताएगा।
    - प्राप्तकर्ता द्वारा नोट संख्या की पुष्टि करने के बाद ही अंगड़िया व्यक्ति को पैसे सौंपेगा।
- **वैधता:**
    - **जबकि अंगदिया प्रणाली अपने आप में कानूनी है** , गतिविधि पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि माना जाता है कि बहुत बार इसका उपयोग काले धन को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

आहार खाद्य मेला

चर्चा में: हाल ही में, **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने आहार मेले** में 5 रुपये से लेकर 15 रुपये तक की सस्ती कीमतों पर सभी आयु समूहों के लिए विभिन्न प्रकार के बाजरा उत्पाद लॉन्च किए हैं।

संबंधित जानकारी:

- यह **एशिया का सबसे बड़ा बी2बी अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है।**
- इसका आयोजन **एपीडा और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा किया जाता है।**
- **उद्देश्य:** खाद्य और पेय उद्योग में वैश्विक पेशेवरों के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का प्रदर्शन करना क्योंकि मेले में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में आयातक आते हैं।

एपीडा ने आहार खाद्य मेले में क्या लॉन्च किया है?

बाजरा मिनटों में	• एपीडा ने रेडी-टू-ईट (आरटीई) श्रेणी के अंतर्गत उपमा, पोंगल, खिचड़ी, नूडल्स, बिरयानी आदि जैसे **विभिन्न प्रकार के " बाजरा इन मिनट्स** " उत्पाद लॉन्च किए हैं। • यह बाजार में पहला आरटीई बाजरा उत्पाद है जो स्वस्थ तरीके से उनकी सुविधानुसार तेजी से भागती दुनिया को उपलब्ध कराता है।
जीआई उत्पादों का प्रदर्शन	• एपीडा ने आहार में भौगोलिक संकेतक (जीआई) कृषि उत्पादों का प्रदर्शन किया है।
शामिल उत्पाद	1) पंजाब - बासमती चावल, 2) कर्नाटक - गुलबर्गा तूर दाल, 3) महाराष्ट्र - सांगली किशमिश, कोल्हापुर गुड़, 4) मणिपुर - चक-हाओ और कच्चा नींबू, 5) मिजोरम - अदरक और मिर्च, 6) सिक्किम - बड़ी इलायची , 7) केरल - नवारा चावल, पोक्कली चावल, कैपड़ चावल, 8) हिमाचल प्रदेश - काला जीरा, चुल्ली का तेल, 9) पश्चिम बंगाल - गोबिंदभोग चावल, तुलईपंजी चावल, बंगाली रसगुल्ला, 10) राजस्थान - बीकानेरी भुजिया और 11) ओडिशा - कंधमाल हलदी।

मूनलाइटिंग

चर्चा में: विप्रो द्वारा अपने 300 कर्मचारियों, जो कि मूनलाइटिंग कर रहे थे, को बर्खास्त किए जाने के बाद, नैसकॉम ने कहा कि यह समय कंपनियों के लिए कर्मचारी की नियुक्ति शर्तों को फिर से प्रारूपित करने का है।

संबंधित जानकारी:

- मूनलाइटिंग का अर्थ है, अपने वर्तमान नियोक्ता को सूचित किए बिना, एक पूर्णकालिक नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी या कोई काम करना।
  - **"मून" शब्द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि दूसरी नौकरी आतौर पर रात में की जाती है।**
- कम वेतन वाले लोग आमतौर पर जीवन यापन **के लिए अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए ऐसा करते हैं**।
- उच्च-वेतन वाले तकनीकी विशेषज्ञ अब दूरस्थ कार्य और विभिन्न टाइम जोन में फैली परियोजनाओं की सहायता से भी ऐसा कर सकते हैं।
- मूनलाइटिंग **कर्मचारियों की अपने नियोक्ताओं के साथ पारदर्शिता की कमी का परिणाम है** , जिससे उस कंपनी में उनका भरोसा खत्म हो जाता है।
- **खाद्य वितरण प्लेटफॉर्म स्विगी की "उद्योग-प्रथम" मूनलाइटिंग नीति है** , जिसके अन्तर्गत कर्मचारी आंतरिक अनुमोदन के आधार पर बाहरी परियोजनाओं में कार्य कर सकते हैं।
- विदेशों में कई विश्वविद्यालय ऐसी बाहरी परियोजनाओं को मूल्यवान मानते हैं और एक कर्मचारी जो अपनी नियमित 9 से 5 बजे तक की नौकरी के साथ-साथ चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में कार्य निष्पादन करता है, उसे दूसरों से ऊपर प्राथमिकता दी जाती है।

ऊर्जा निर्धनता

चर्चा में: जर्मनी में जी-7 शिखर सम्मेलन में, भारतीय प्रधान मंत्री ने ऊर्जा निर्धनता के मुद्दे और गरीब वैश्विक दक्षिण और समृद्ध वैश्विक उत्तर के लिए समान ऊर्जा पहुंच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

संबंधित जानकारी:

- ऊर्जा निर्धनता, जिसे ईंधन निर्धनता के रूप में भी जाना जाता है, को **आम तौर पर दो तरह से परिभाषित किया जाता है** :
  - **ऊर्जा पहुंच** , जो एक परिवार की बिजली तक पहुंच को संदर्भित करता है, और
  - **ऊर्जा सामर्थ्य** , जो ठोस बायोमास को जलाने जैसे अकुशल और प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों पर घरेलू निर्भरता को संदर्भित करता है।
- अकेले लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में, लगभग तीन अरब लोगों के पास पर्याप्त ऊर्जा पहुंच नहीं है।
- बढ़ती ऊर्जा कीमतों ने यूरोप और अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा निर्धनता के जोखिम को भी बढ़ा दिया है।

यूनेस्को अभिलेखों में सूचीबद्ध वस्त्र

चर्चा में: यूनेस्को ने "21 वीं सदी के लिए हस्तनिर्मित: पारंपरिक भारतीय वस्त्र सुरक्षा" शीर्षक के अन्तर्गत भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की एक सूची जारी की है।

संबंधित जानकारी:

- यूनेस्को अभिलेखों में वस्त्रों के पीछे के इतिहास और किंवदंतियों को सूचीबद्ध किया गया है, उनके निर्माण के पीछे की जटिल और गुप्त प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है, उनकी घटती लोकप्रियता के कारणों का उल्लेख किया गया है और उनके संरक्षण के लिए रणनीति प्रदान की गई है।

उल्लिखित कुछ वस्त्र हैं:

उत्तर से	पानीपत का खेस, हिमाचल प्रदेश का चंबा रुमाल, लद्दाख का थिग्मा या ऊनी बंधानी और वाराणसी का अवध जामदानी।
दक्षिण से	कर्नाटक से इल्कल और लम्बाडी या बंजारा कढ़ाई, तंजावुर से सिकलनायकनपेट कलमकारी, तमिलनाडु से टोडा कढ़ाई और सुंगडी और हैदराबाद से हिमरू बुनाई।
अन्य राज्य	गोवा से कुनबी बुनाई, गुजरात से मशरु और पटोला बुनाई, महाराष्ट्र से हिमरू और पश्चिम बंगाल से गरद-कोइरियाल और ओडिशा के संबलपुर से बंधा बांधनी।

भारत स्किल्स लर्निंग प्लेटफॉर्म

चर्चा में: भारत स्किल्स फोरम नामक एक नई सुविधा को भारत स्किल्स लर्निंग प्लेटफॉर्म में जोड़ा गया है जो शिक्षार्थियों के लिए पुस्तकों, नोट्स, वीडियो, प्रश्न बैंक आदि और अन्य प्रासंगिक कौशल-संबंधित सामग्री को साझा करता है।

संबंधित जानकारी:

लांच करने वाले विभाग	• **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) द्वारा 2019 में।**
उद्देश्य	• यह आईटीआई पारिस्थितिकी तंत्र के प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों के लिए एक केंद्रीय डिजिटल भंडार है, जो शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) और शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस) के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों के लिए अद्यतन पाठ्यक्रम, ई-पुस्तकें, प्रश्न बैंक, मॉक/अभ्यास प्रश्नपत्र, शिक्षण वीडियो तक आसान पहुंच प्रदान करता है।
महत्व	• यह मंच छात्रों और शिक्षकों के लिए अपने औद्योगिक भागीदारों के माध्यम से एक केंद्रीकृत, स्केलेबल और संपन्न समर्थन पारिस्थितिकी तंत्र तक अद्वितीय पहुंच प्रस्तुत करता है, जो उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए नवीनतम (औद्योगिक क्रांति 4.0) कौशल सीख सकते हैं।

जल टैक्सी सेवा

चर्चा में: हाल ही में, केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने जुड़वां शहरों, मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली भारत की पहली जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई **है** ।

संबंधित जानकारी:

- **जल टैक्सी सेवा दक्षिण मुंबई में घरेलू क्रूज टर्मिनल और नवी मुंबई में नवनिर्मित बेलापुर जेटी के बीच** चलेगी ।

फ़ायदे:

- एक आरामदायक और तनाव-मुक्त यात्रा;
- समय की बचत और पर्यावरण अनुकूल;
- पर्यटन क्षेत्र को प्रमुख बढ़ावा;
- रोजगार सृजन के अवसर उत्पन्न करना।

आर्थिक विज्ञान (अर्थशास्त्र) में नोबेल पुरस्कार 2022

चर्चा में: रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने बेन एस. बर्नानके, डगलस डब्ल्यू. डायमंड और फिलिप एच. डायबविग को "बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए" अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिगेस रिक्सबैंक पुरस्कार 2022 देने का फैसला किया है।

संबंधित जानकारी:

- जिस शोध कार्य के लिए बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायबविग को मान्यता दी जा रही है, वह आगे के शोध के लिए महत्वपूर्ण है, जिसने बैंकों, बैंक विनियमन, बैंकिंग संकट और वित्तीय संकटों को कैसे प्रबंधित किया जाना चाहिए, इसके बारे में हमारी समझ को बढ़ाया है।

बेन एस बर्नानके	• बेन बर्नानके ने 1930 के दशक की महामंदी का विश्लेषण किया, जो आधुनिक इतिहास का सबसे खराब आर्थिक संकट है।
	• सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से, बर्नानके ने प्रदर्शित किया कि कैसे असफल बैंकों ने 1930 के वैश्विक मंदी में निर्णायक भूमिका निभाई।
	  ○ उन्होंने बताया कि कैसे बैंक संकट के इतने गहरे और लंबे समय तक बने रहने में एक निर्णायक कारक थे।
	  ○ इन्होंने अच्छी तरह से काम करने वाले बैंक विनियमन के महत्व को समझने में भी मदद की।

डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविग	• डायमंड और डायबविग दोनों ने सैद्धांतिक मॉडल विकसित करने के लिए एक साथ काम किया **, जिसमें बताया गया कि बैंक की आवश्यकता क्या है, समाज में उनकी भूमिका कैसे उन्हें** उनके आसन्न पतन के बारे में अफवाहों के प्रति संवेदनशील बनाती है, और कैसे समाज इस भेद्यता को कम कर सकता है। • उन्होंने सरकार की ओर से जमा बीमा के रूप में बैंक भेद्यता का समाधान प्रस्तुत किया। जब जमाकर्ताओं को पता चलता है कि सरकार ने उनके पैसे की गारंटी दी है, तो बैंक के बारे में अफवाहें शुरू होते ही उन्हें बैंक जाने की जरूरत नहीं है। • डायमंड ने यह भी दिखाया कि कैसे बैंक सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में, बैंक उधारकर्ताओं की साख का आकलन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बेहतर हैं कि अच्छे निवेश के लिए ऋण का उपयोग किया जाए।

स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन

चर्चा में: कई राज्यों ने नीति आयोग से विकास को बढ़ावा देने और समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन(एसआईटी) का गठन करने की मांग की है।

संबंधित जानकारी:

- यह सहकारी संघवाद की प्रतिबद्धता को भी प्रभावी बनाएगा।
- हाल ही में, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (मित्रा) को इसी तर्ज पर स्थापित किया गया था।

एसआईटी की जरूरत	• बुनियादी सेवाओं के वितरण में वित्त की उपलब्धता की तुलना में राज्य की क्षमता और शासन की अड़चनें ज्यादा बड़ी चुनौतियाँ हैं। • सेवा वितरण में खामियों ने गरीबों को बुरी तरह से चोट पहुंचाई है। • "राज्य क्षमता" का निर्माण फायदेमंद होता है क्योंकि यह 10-20 गुना अधिक लागत प्रभावी है।
एसआईटी का महत्व	• लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के कार्यक्षेत्र को राज्यों में स्थानांतरित किया जा सकता है। • 14वें वित्त आयोग के बाद राज्यों के बड़े राजकोषीय दायरे का लाभ उठाना। • प्रयोग के लिए मूल्यवान प्रयोगशालाएँ के रूप में कार्य कर सकती हैं।
राज्यों की क्षमता निर्माण के लिए नीति आयोग की पहल	• अवसंरचना परियोजनाओं के निरंतर आपूर्ति के लिए **'अवसंरचना परियोजनाओं हेतु राज्यों के लिए विकास सहायता सेवाएं' ।** • वृहदआर्थिक, वित्तीय और सामाजिक संकेतकों पर राज्यवार डेटाबेस बनाए रखने के लिए राज्य **वित्त और समन्वय कार्यक्षेत्र का गठन किया गया।** • **राज्य सहायता मिशन** राज्यों की विकास रणनीतियों आदि को उत्प्रेरित करने के लिए अत्याधुनिक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एक बहु-विषयक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करेगा।

परवाज़

चर्चा में: अभिनव बाजार आधारित योजना- परवाज में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (जम्मू-कश्मीर) के किसानों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने की जबरदस्त क्षमता है ।

संबंधित जानकारी: :

- यह योजना सरकार द्वारा हवाई मालवाहन के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में उत्पादित कृषि और बागवानी के शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों को ले जाने के लिए बाजार आधारित सहयोग देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
- **योजना के अन्तर्गत ,** हवाई मालवाहन **के माध्यम से ढुलाई पर जम्मू और कश्मीर में उत्पादित** शीघ्र **खराब होने वाले फलों को ले जाने के लिए भाड़ा शुल्क पर 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है**।
    - डीबीटी मोड के माध्यम से किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- **जम्मू-कश्मीर बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम (जेकेएचपीएमसी**), इसके लिए **कार्यान्वयन एजेंसी है** ।

रायथु भरोसा केंद्र

चर्चा में: इथोपिया के कृषि मंत्री ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार द्वारा स्थापित **रायथु भरोसा केंद्रों (आरबीके) का** अध्ययन करने के लिए **आंध्र प्रदेश (एपी) का दौरा किया ।**

आरबीके के बारे में:

- देश में पहली बार स्थापित, आरबीके अनुपम बीज-से-बिक्री, किसानों के लिए एकल-खिड़की सेवा केंद्र हैं जो राज्य भर में स्थापित किए गए हैं।
- वे किसानों की सभी समस्याओं और मांगों का एकमुश्त समाधान हैं। आरबीके बिक्री के लिए प्रमाणित उर्वरक , पूर्व-परीक्षण किए गए गुणवत्ता वाले बीज और पशु आहार की पेशकश करते हैं। किसान कृषि उपकरण खरीद या किराए पर ले सकते हैं, और वे अपनी उपज को मौजूदा एमएसपी पर आरबीके में बेच भी सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, **राज्य सरकार अनाज खरीदती है, फसल बीमा का भुगतान करती है** और आरबीके के माध्यम से किसानों को भुगतान करती है ।
- **मान्यता:** केंद्र ने हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन के "चैंपियन" पुरस्कार के लिए आरबीके अवधारणा को नामित किया है। कई कृषि प्रधान देश आरबीके अवधारणा को समझने में रुचि व्यक्त कर रहे हैं और इसे अपने देशों में लागू करना चाहते हैं।

भारत का 9वां हाइड्रोकार्बन बेसिन

चर्चा में: ओएनजीसी भारतीय प्लेट के मध्य भाग में एक प्राग्जीवी अंतरमहाद्वीपीय बेसिन, विंध्य बेसिन का व्यावसायीकरण करने जा रहा है।

संबंधित जानकारी:

- **विंध्य बेसिन दक्षिण में सोन-नर्मदा भू-भंग** , पश्चिम में ग्रेट बाउंड्री भ्रंश, पूर्व में मोंगहिर-सहरसा रिज और उत्तर में बुंदेलखंड पर्वत माला और भारत-गंगा के मैदानों से घिरा है।
- **यह भारत का नौवां और ओएनजीसी का आठवां उत्पादक बेसिन होगा** ।

- इससे पहले, 2020 में, बंगाल बेसिन कृष्णा-गोदावरी (केजी), मुंबई अपतटीय, असम शेल्फ, राजस्थान, कावेरी, असम-अराकान फोल्ड बेल्ट और कैम्बे की पंक्ति में शामिल होकर भारत का आठवां उत्पादक हाइड्रोकार्बन बेसिन बन गया।
- आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के संक्रमणकालीन क्षेत्रों के विपरीत, तलछटी घाटियों में अक्सर हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं।
- भारत में 26 तलछटी घाटियाँ हैं, जिनका कुल आकार 3.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिनमें से 49% भूमि पर, 12% उथले पानी में और 39% गहरे पानी में हैं।

भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) व्यवस्था

चर्चा में: हाल ही में, **प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने** भारत के बौद्धिक संपदा अधिकार (**आईपीआर**) व्यवस्था पर एक रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट **के बारे में:**

- यह रिपोर्ट पेटेंटिंग और ट्रेडमार्क गतिविधियों के संदर्भ में अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में भारत की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करता है और आईपीआर पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के बारे में:

- बौद्धिक संपदा (आईपी) मस्तिष्क की रचनाओं को संदर्भित करता है, जैसे कि आविष्कार; साहित्यिक और कलात्मक कार्य; डिजाइन; प्रतीक, नाम और चित्र।
- **आईपीआर के दोहरे उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - ज्ञान सृजन और व्यापार नवाचार में निवेश को बढ़ावा देना।
    - बाजार के माध्यम से नए ज्ञान के व्यापक प्रसार को बढ़ावा देना।
- आईपीआर व्यक्तियों को उनके मस्तिष्क की रचनाओं पर दिए गए अधिकार हैं जो आमतौर पर रचनाकार को एक निश्चित अवधि के लिए अपनी रचना के उपयोग पर विशेष अधिकार देते हैं।
    - ऐसी सुरक्षा कॉपीराइट, भौगोलिक संकेत (जीआई), पेटेंट, पंजीकृत डिजाइन, ट्रेडमार्क आदि के रूप में प्रदान की जाती है।
- **बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलू (ट्रिप्स)** आईपीआर पर सबसे व्यापक बहुपक्षीय समझौता है।
    - यह औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस समझौते (पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन, आदि) और साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न समझौते (कॉपीराइट) के अनुरूप है।

राष्ट्रीय आईपीआर नीति

चर्चा में: डीएसटी-सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (डीएसटी-सीपीआर) की बैठक में, राष्ट्रीय आईपीआर नीति में हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

संबंधित जानकारी:

- 2016 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति को मंजूरी दी।
- **आईपीआर नीति ने भारत में आईपीआर के लिए भविष्य की रूपरेखा निर्धारित की है**।
- राष्ट्रीय **आईपीआर नीति सभी आईपीआर को एक मंच पर लाती है** ।

- यह कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करती है।
- **इसका उद्देश्य वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को भारतीय परिदृश्य में शामिल करना और अनुकूलित करना है** । यह नीति पूरी तरह से ट्रिप्स पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुरूप है।
- **हितधारकों के परामर्श से हर 5 साल में योजना की समीक्षा की जाएगी** ।

आईपीआर नीति के उद्देश्य:

- समाज के सभी वर्गों के बीच आईपीआर के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के बारे में जन जागरूकता पैदा करना
- आईपीआर के सृजन को प्रोत्साहित करना
- मजबूत और प्रभावी आईपीआर कानून बनाने के लिए, जो बड़े जनहित के साथ अधिकारों के मालिकों के हितों को संतुलित करते है
- सेवा उन्मुख आईपीआर प्रशासन का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करना
- व्यावसायीकरण के माध्यम से आईपीआर के लिए मूल्य प्राप्त करना
- आईपीआर उल्लंघन का मुकाबला करने के लिए प्रवर्तन और न्यायिक तंत्र को मजबूत करना
- आईपीआर में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कौशल निर्माण के लिए मानव संसाधन, संस्थानों और क्षमताओं को मजबूत और विस्तारित करना
- कार्यान्वयन: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) भारत में आईपीआर के कार्यान्वयन और भविष्य के विकास के समन्वय, मार्गदर्शन और निगरानी के लिए नोडल केन्द्र होगा।
- लेकिन, कार्य योजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उनके निर्धारित कार्य क्षेत्र में संबंधित मंत्रालयों/विभागों की होगी।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संस्थान और राज्य सरकारों सहित अन्य हितधारक भी कार्यान्वयन प्रक्रिया में शामिल होंगे।

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन

चर्चा में: राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (एनआईपीएएम) ने 31 जुलाई 2022 को 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा (आईपी) जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसकी समय सीमा 15 अगस्त 2022 थी।

संबंधित जानकारी:

- **आईपी जागरूकता और मौलिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम, एनआईपीएएम,** 8 दिसंबर, 2021 को **"आजादी का अमृत महोत्सव** " के समारोह के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था।
- बौद्धिक **संपदा कार्यालय, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय** (सीजीपीडीटीएम) और **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इस** कार्यक्रम को चला रहे हैं।
- **उद्देश्य:**

  1) 1 मिलियन छात्रों को बौद्धिक संपदा और उसके अधिकारों के बारे में जागरूकता प्रदान करना और

  2) उच्च शिक्षा (कक्षा 8 से 12) के छात्रों में रचनात्मकता और नवाचार की भावना पैदा करना और कॉलेज / विश्वविद्यालयों के छात्रों को अपनी कृतियों का नवोन्मेष और संरक्षित करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करना।

समुद्रयान मिशन

चर्चा में: हाल ही में, वैज्ञानिकों ने चेन्नै तट से दूर, समुद्रयान मिशन के मानव-वाहक खोल के प्राथमिक संस्करण का परीक्षण किया।

मिशन के बारे में

- 2019 में, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) ने समुद्रयान मिशन (डीप ओशन मिशन) - भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन- की घोषणा की ।
- इसका उद्देश्य वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के एक सूट के साथ गहरे समुद्र की खोज के लिए समुद्र में 6000 मीटर की **गहराई तक 3 मनुष्यों को ले जाने के लिए एक स्व-चालित मानव पनडुब्बी वाहन विकसित करना है ,**
    - स्वायत्त कोरिंग प्रणाली (एसीएस),
    - पानी के नीचे चलने वाले स्वायत्त वाहन (एयूवी) और
    - गहरे समुद्र में खनन प्रणाली (डीएसएम)।
- **ये स्व-चालित मानव पनडुब्बी वाहन** गैस हाइड्रेट्स, पॉलीमेटैलिक मैंगनीज नोड्यूल, हाइड्रो-थर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट क्रस्ट जैसे **संसाधनों को खोजने के लिए गहरे समुद्र में खोज करेगा।**
- इससे वैज्ञानिकों द्वारा गहरे अछूते समुद्र क्षेत्रों का सीधे निरीक्षण करना और **उन्हें समझना संभव हो सकेगा।**
- परियोजना की अनुमानित समयरेखा 2020-2021 से 2025-2026 की अवधि के लिए 5 वर्ष है।

सहकार प्रज्ञा : सहकारी समितियों के लिए अच्छी प्रथाओं पर पुस्तिका

चर्चा में: अंतर्राष्ट्रीय एशिया और प्रशांत क्षेत्र सहकारी गठबंधन (आईसीएएपी) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने सहकारिता के लिए सहकार प्रज्ञा अच्छी प्रथाओं पर एक नीति सिफारिश पुस्तिका जारी की है।

सहकार प्रज्ञा के बारे में

- **उद्देश्य:** पुस्तिका भारत और विदेशों में शीर्ष सहकारी समितियों की सिफारिशों, उपकरणों, कार्यप्रणालियों, प्रमुख अंतर्दृष्टि, केस अध्ययनों के साथ-साथ परिणामों और प्रभावों का एक संग्रह है।
- एनसीडीसी के लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान और विकास अकादमी (एलआईएनएसी) द्वारा आयोजित "सहकारिता के लिए अंतर्राष्ट्रीय अच्छी प्रथाओं के मंच पर विचार-मंथन सत्र" के दौरान उत्पन्न विचारों का उपयोग करके इस पुस्तिका को तैयार किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन:

- अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (**आईसीए**) की **स्थापना 1895 में हुई थी।**
- यह एक स्वतंत्र, गैर-सरकारी संघ है जो दुनिया भर में सहकारी समितियों को एकजुट करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है और उनके लिए काम करता है।
- **आईसीए एक संयुक्त राष्ट्र संगठन नहीं है।** हालाँकि, **आईसीए** को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (यूएन / ईसीओएसओसी) के साथ सामान्य परामर्शदात्री का दर्जा प्राप्त है।
- **आईसीए के** कार्यकलापों को लागू करने के लिए , इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय (अफ्रीका, अमरीका, एशिया-प्रशांत और यूरोप) और आठ वैश्विक क्षेत्रीय संगठन (कृषि, बैंकिंग, खुदरा, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, आवास, बीमा और उद्योग और सेवाएं) हैं।
- **मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम।**

ONLYIAS
BY PHYSICS WALLAH

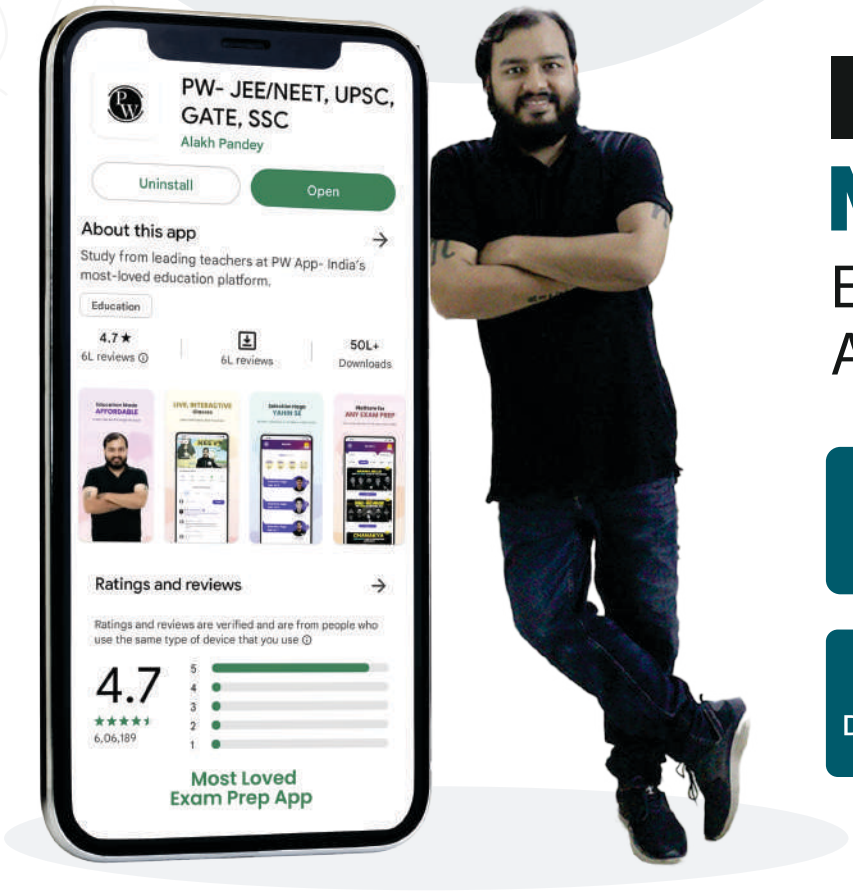

INDIA'S MOST LOVED

Educational Channel And Platform

4.8★ Rating	**20M+** Subscribers
8M+ Downloads	**8000**hrs Video Content/Week

If you have any queries or need assistance with admission in PW Classes
here is what you can do

PW APP | PW UPSC INSTAGRAM | PW UPSC YOUTUBE | PW UPSC TELEGRAM

www.pw.live

Talk to our Counselor give a
Missed Call on:
+91-7019243492

THANK You